वार्षिक रिपोर्ट

2012 – 2013

राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

http:www.ncw.nic.in

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
संदेश		(i)
प्राक्कथन		(iii)
1.	प्रस्तावना	1
2.	मीडिया और जनता तक पहुंच बनाने हेतु कार्यक्रम	17
3.	शिकायत और जांच (सीएण्डआई) प्रकोष्ठ	33
4.	प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ	55
5.	विधिक प्रकोष्ठ	61
6.	अनुसंधान और अध्ययन प्रकोष्ठ	65
7.	सिफारिशें	113
8.	सूचना का अधिकार	139
9.	वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखे	143
10.	अनुलग्नक	185

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

कृष्णा तीरथ
Krishna Tirath

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2012–13 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 को पूरा करने के लिए इसके द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलाप दिए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के हितों की रक्षा करने और उनको बढ़ावा देने तथा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी, 1992 को गठित एक सांविधिक निकाय है।

वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग ने अपनी अधिदेशित भूमिका और कार्यकलापों का अनुकरण करना जारी रखा, इनमें से प्रमुख कार्यकलाप महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना और महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देना। आयोग महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न, उनके अधिकारों के हनन और शोषण की शिकायतों की जांच की और महिलाओं के वैध अधिकारों को पुनः प्रतिष्ठित करने और उनकी गरिमा को बनाए रखने संबंधी शिकायतों के विशेष मामलों में स्वतः कार्रवाई की है। आयोग ने साझे अधिदेश को पूर्ण करने के लिए राज्य महिला आयोगों के मध्य प्रभावी नेटवर्किंग को सुकर बनाने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा का भी विकास किया है।

आयोग द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न महिला मुद्दों पर कई अन्य कार्यक्रम आरंभ किए गए जैसे अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित किया गया, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलन/परामर्श तथा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक लोक अदालत, तथा जन सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि समग्र देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं/महिला कामगारों तक पहुंच बनाई जा सकें।

इसके अलावा आयोग ने पुलिस कर्मियों के क्षमता निर्माण तथा उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए उपाय किये और महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए महिला अधिकार अभियान आरंभ किया। आयोग ने अहमदाबाद में प्रायोगिक आधार पर विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए टोल फ्री 24x7 हेल्पलाइन/कॉल सेंटर आरंभ किया। आयोग ने 'हिंसा मुक्त घर–महिलाओं का अधिकार' को दिल्ली पुलिस के साथ आगे बढाया है जिसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढ़ंग से निपटने के लिए थाना/पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और संवेदनशील बनाना है। आयोग ने हुडको के साथ से उनके कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के तहत निराश्रित, वृंदावन की विधवाओं तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए अवसरचनात्मक तथा आपाती पुर्नवास सुविधाओं के सृजन हेतु सहयोग की भी शुरुआत की है।

मुझे आशा है कि इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूरे देश की महिलाओं के लिए बेहतर, निरापद और सुरक्षित जीवन हेतु चल रही प्रक्रिया में मजबूती तथा तेज़ी आएगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिए काफी कार्य किया गया जाना शेष है। मुझे आशा है कि इस राष्ट्रीय महिला आयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयासरत रहेगा।

(कृष्णा तीरथ)

प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 13 में यथा परिकल्पित राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2012–13 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्याधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने इस प्रदत्त अधिदेष को पूरा करने के लिए अनवरत प्रयास किया है और महिलाओं के मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देकर तथा महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में पूर्व की अपनी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया है। ऐसे मामलों में उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को सिफारिशें की गई हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान, विभिन्न पद्धतियों से आयोग को 16584 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा 3467 शिकायतें ऑनलाईन दर्ज की गईं। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयोग ने इन सभी मामलों में कार्रवाई की है तथा कुल 6420 मामले समाप्त किए जा चुके हैं।

प्राप्त अधिदेश का अनुसरण करते हुए, आयोग ने वर्ष 2012–13 के दौरान दो विधियों यथा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की समीक्षा की तथा अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की समीक्षा का कार्य शुरू कर दिया है ताकि आयोग को सुदृढ़ बनाया जा सके।

वर्ष के दौरान, आयोग ने महिलाओं को उनके मूलभूत कानूनी अधिकारों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उपचारात्मक उपायों की व्यावहारिक जानकारी से अवगत कराने के लिए कई विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को प्रायोजित किया/में भाग लिया। साथ ही, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयोजन से आयोग ने राज्य महिला आयोगों तथा राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के सहयोग से पारिवारिक महिला लोक अदालतों का प्रायोजन/आयोजन किया।

प्राप्त अधिदेश का अनुसरण करते हुए, आयोग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के अनेक कदम उठाए हैं तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए काम किया है। आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों ने आयोग तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/जन सुनवाई में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। इसके सदस्यों ने महिलाओं के विरुद्ध हुए अत्याचार के विभिन्न मामलों की जांच के लिए भी दौरा किया है। जेल जैसे अभिरक्षात्मक संस्थानों के दौरे किए गए। आयोग के प्रतिनिधियों ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी के प्रसार हेतु गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों के सहयोग से आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों में भी भाग

लिया ताकि महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सके तथा इनके उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके तथा मामले को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जा सके। आयोग ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

आयोग द्वारा वर्ष के दौरान महिला अधिकार अभियान के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर उनमें जागरूकता पैदा करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। आयोग ने विभिन्न पुलिस/न्यायिक अकादमियों के माध्यम से महिलाओं के संबंध में कानून को लागू किए जाने में जुटे अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा लिंगभेद के आधार पर होने वाली हिंसा की रोकथाम करना था। इससे राष्ट्रीय महिला आयोग को लिंगभेद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अन्य संस्थानों के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ।

16 दिसंबर, 2012 को निर्भया की अप्रत्याशित तथा भयावह घटना के बाद आयोग ने न्यायमूर्ति वर्मा समिति के समक्ष साक्ष्य दिया तथा महिलाओं की आवश्यकताओं एवं उनकी चिंता तथा देश में इनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के अपने अनवरत प्रयास को सुदृढ़ करने की बात कही। जस्टिस वर्मा समिति को प्रस्तुत कुछ सिफारिशें इस प्रकार थीं – प्रस्तावित यौन आक्रमण विधेयक का अधिनियमन, बलात्कार के संबंध में कानून में संशोधन, नई धारा 509(ख)भा0द0स0 शामिल कर महिलाओं का चोरी–छिपे पीछा करने को अपराध की संज्ञा देना, महिलाओं पर तेजाब से हमला करने के संबंध में अलग खंड शामिल किया जाना तथा पीड़ितों के लिए राहत तथा पुनर्वास संबंधी प्रस्तावित योजना को लागू किया जाना आदि। आयोग ने विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिए अहमदाबाद, गुजरात में 24X7 निःशुल्क हेल्पलाइन काल सेंटर की प्रायोगिक परियोजना भी आरंभ की।

आयोग के कार्य को कारगर ढंग से आगे बढाने के लिए यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को राज्य महिला आयोगों के साथ अपने नेटवर्क को सुदृढ करना चाहिए। आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोगों के साथ त्वरित नेटवर्क की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोगों के साथ लघु वीडियो कान्फ्रेन्स का सफल उद्घाटन किया है। तत्पश्चात् असम, राजस्थान, ओडिशा तथा त्रिपुरा के राज्य महिला आयोगों ने भी नेटवर्क की सम्मति प्रदान की है। आयोग को आशा है कि अन्य राज्य महिला आयोग भी इस नेटवर्क में शामिल होने के लिए आगे आएंगे।

'दिल्ली पुलिस की मदद से हिंसामुक्त घर– महिलाओं का अधिकार' परियोजना को भी चलायाा गया जिसका उद्देश्य थाना/पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें संवेदनशील बनाना था ताकि वे महिलाओं की समस्याओं का कारगर ढंग से निपटा सकें।

नये प्रयास के रूप में, आयोग ने वृंदावन की निराश्रित महिलाओं, विधवाओं तथा परित्यक्ताओं के पुनर्वास के लिए आधारभूत संरचना तथा अनुशंगी सुविधाओं के निर्माण हेतु हुडको के सहयोग के साथ कार्य करना शुरू किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा कन्नड़ भाषाओं में 'वालेट बुक' जारी की है जिसमें उन संबंधित अधिकारियों की जानकारी दी गई है जिनसे आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। इस वालेट बुक से लड़कियों को दहेज तथा घरेलू हिंसा जैसे विभिन्न मुद्दों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी तथा इसमें आपात् स्थिति में संपर्क करने के लिए महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर दिए गए हैं।

बलात्कार की जांच के मामले में तुरंत निर्देश के लिए किसी नयाचार के अभाव में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार/यौन आक्रमण के मामलों में जांच कर रही पुलिस, चिकित्सा व्यवसायी, अभियोजक/न्यायालय, सामाजिक कार्यकर्ता/न्यायालय, सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता तथा मीडिया द्वारा प्रक्रियाओं के अनुपालन से संबंधित दिशानिर्देश/निर्देशिका जारी की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 21 मार्च, 2013 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। 31 महिलाओं जिन्होंने खेल–कूद, चिकित्सा, विधि, विज्ञान, सामाजिक कार्य, शिक्षा, राजनीति, नृत्य, वैमानिकी, साहित्य, कृषि, पत्रकारिता आदि में उत्कृष्ट कार्य किया है को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त दो गैर सरकारी संगठनों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस अवसर पर आयोग ने लैंगिक विषय पर संवेदनशील बनाने के लिए एक पोस्टर भी जारी किया।

आयोग नियमित रूप से वात्सल्य मेला में भाग लेता है तथा इसने महिलाओं के अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार हेतु नवंबर, 2012 में इस मेले में भाग लिया।

मैं, इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों, आयोग के अपने, अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग तथा सभी हितधारियों के समेकित अथक प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने वर्ष के दौरान हमारे लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाया। मैं यह भी आशा करती हूं कि आयोग भविष्य में अपने क्रियाकलापों और पहल को और भी अधिक प्रबल ढ़ग से अग्रसर करने हेतु प्रयासरत रहेगा।

ममता शर्मा

(ममता शर्मा)
अध्यक्षा,
राष्ट्रीय महिला आयोग

1 प्रस्तावना

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं, अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना; संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान प्रावधानों की पुनरीक्षा करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ इन मुद्दों को उठाना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/शोध करना; महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार–गृहों आदि जहां महिलाओं को रखा जाता है, उनका निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई करना।

अपने इस अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग/गैर–सरकारी संगठनों(एनजीओ) के सहयोग द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/जन सुनवाई बैठकों आदि में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कारागार का भी दौरा किया और गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के सहयोग से महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में आयोजित किए गए कानूनी जागरूकता कैम्पों में भाग लिया। महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इन मामलों को उठाने के लिए दौरे किए गए। आयोग में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे लैंगिक तथा शिक्षा, विधि आदि पर सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उसने कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लैंगिक आधार पर भेदभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, महिला अधिकार अभियानों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों आदि को प्रायोजित किया तथा संगाष्ठियों/कार्यशालाओं/परामर्श केन्द्रों आदि का आयोजन किया एवं कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह, दहेज रोधी और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों आदि सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रिंट मीडिया और टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया।

संरचना

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 5 गैर–सरकारी सदस्य होते हैं वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग में कार्यरत अध्यक्ष तथा सदस्य का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

1. श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा – 02.08.2012 से अध्यक्षा।
2. डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य – 02.08.2011 से सदस्य।
3. सुश्री वांसुक सीयम, सदस्य – 15.03.2012 (द्वितीय अवधि) से 04.04.2013 तक सदस्य रही।
4. सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य – 15.03.2012 से।
5. सुश्री निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य – 19.03.2012 से सदस्य।
6. सुश्री शमीना शफीक, सदस्य – 11.04.2012 से सदस्य।
7. सुश्री अनीता अग्निहोत्री, सदस्य सचिव – 17.10.2.11 से 04.05.2012 तक कार्यभार संभाला।
8. सुश्री के0 रत्ना प्रभा, अपर सचिव, एम0डब्ल्यू0सी0डी0, सदस्य सचिव – 14.03.2013 से अतिरिक्त प्रभार।

आयोग के कार्य मुख्यतः इसके चार प्रकोष्ठों में विभजित है

(i) शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ,

(ii) विधिक प्रकोष्ठ,

(iii) अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ, तथा

(iv) अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ

प्रत्येक प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों का विस्तृत ब्यौरा उत्तरवर्ती अध्यायों में किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–I** में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गए निर्णयों का सार

वर्ष 2012–13 के दौरान, आयोग ने महिलाओं और आयोग के कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए 4 बैठकें आयोजित की, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

26 अप्रैल, 2012 को आयोजित आयोग की बैठक

(i) आयोग के सदस्य सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में संशोधनों के माध्यम से रा0म0आ0 को राष्ट्रीय महिला आयोग को एक सुदृढ संस्था बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के कार्यकरण पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित समिति की वर्ष 2011–2012 (पद्रहवीं लोक सभा) की बारहवी रिपोर्ट में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे मे आयोग को अवगत कराया।

(ii) आयोग ने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक एक वर्ष की अवधि को लिए ''घर बचाओ परिवार बचाओ'' परियोजना का विस्तार करने का अनुमोदन किया और परियोजना का नाम बदल कर ''हिंसा मुक्त घर –एक महिला का अधिकार'' कर दिया।

(iii) आयोग ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक नई समिति का गठन किया जाए। समिति में दो सदस्य, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग और एक सेवानिवृत्त जज और एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सहित छह सहयोजित सदस्य होंगे। समिति का कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में संशोधनों की आवश्यकता का अध्ययन करना होगा।

(iv) आयोग ने वार्षिक कार्य योजना 2012–13 का अनुमोदन किया जिसमें वित्तीय/वास्तविक लक्ष्य और वर्ष 2012–13 हेतु नई योजनाएं सम्मिलित है।

(v) समिति ने वर्ष 2011–12 हेतु व्यय के अनंतिम विवरण का अनुमोदन किया।

(vi) समिति ने काल सेंटर के संतोषजनक रूप से कार्य करने की शर्त के अधीन छह माह के लिए गुजरात में 24X7 कॉल सेंटर और हेल्पलाईन (अहमदाबाद महिला कार्य समूह (एडब्ल्यूएजी) के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग की एक प्रायोगिक परियोजना) की स्थापना का अनुमोदन किया।

आयोग की 26 जून 2012 को हुई बैठक

(i) आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतिम लेखा को अनुमोदित और स्वीकृत किया जिसमें प्राप्ति और भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखे, तुलन पत्र, 1 से 13, 16 से 18 और 14 से 15 तक सम्बद्ध अनुसूची और लेखा टिप्पण शामिल है। इन लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु डीजीएसीई, नई दिल्ली के कार्यालय को भेजा जाना था।

(ii) यह निर्णय लिया गया कि जांच समिति की सिफारिशों के साथ सार को राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने पर विचार किया जाए। जांच रिपोर्ट को अपलोड करने से पहले संबंधित सदस्य ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु फाइल पर प्रस्तुत करेगा।

आयोग की 18 सितम्बर, 2012 को हुई बैठक

(i) यह निर्णय लिया गया कि विहित प्रश्नावली जिसे जेल अधीक्षक द्वारा भरा जाना है के अतिरिक्त अन्य पहलु जैसे कि क्या दोषसिद्ध या विचाराधीन कैदियों को उनके द्वारा किए गए अपराध और कानूनी सहायता आदि के बारे में जानकारी दी गई है आदि भी अनिवार्य रूप से जांच की जाए। जेल, रिमांड होम आदि का दौरा करने वाले सदस्य/सदस्यों की टिप्पणियों को सिफारिशों के साथ रिपोर्ट में दर्ज किया जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि दस मदों वाला एक मानकीकृत फार्मेट तैयार किया जाए तथा उसे जहां ऐसा नहीं किया गया है निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से माननीय सीपी और जेल का दौरा करने वाले सदस्यों को दिया जाए। चूंकि, जेल दौरों संबंधी निष्कर्ष/सिफारिशें, आयोग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है अतः, उसे प्रचार हेतु प्रेस को भेजा जाए तथा समुचित कार्यवाही करने के लिए संबंधित राज्य सरकार और जेल प्राधिकरण को भी भेजा जाए। जेल दौरा रिपोर्टों को

प्रस्तुत किया जाए और कानूनी प्रकोष्ठ में उसका सांकलन करके अनुमोदन हेतु आयोग की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(ii) आयोग ने यह निर्णय लिया कि ''राष्ट्र महिला'' नामक समाचार पत्र को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल, मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों, सभी केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों तथा राज्य महिला आयोग आदि को भेजा जाए।

(iii) यह जानकारी दी गई कि हेल्पलाइन संख्या को आयोग की वेबसाइट पर दर्शाया जाए। गुजरात हेल्पलाइन के स्थिति को अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है। गुजरात हेल्पलाइन की साप्ताहिक रिपोर्ट को भविष्य में आयोग के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाए।

(iv) चूंकि, आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का बैनर स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग तथा उसके प्रतीक चिन्ह को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता अतः यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम का आयोजन करने वाले संगठन/गैर सरकारी संगठन को बैनर का एक मानकीकृत डिजाइन अपनाने के लिए कहा जाए और स्वीकृत पत्र में संगठनों की इस बात की जानकारी दी जाए। कार्यक्रमों के रिपोर्टिंग फार्मेट को भी मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

आयोग की 26 फरवरी, 2013 को हुई बैठक

(i) यह कहा गया कि एनबीसीसी द्वारा जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु बजट पर्याप्त नहीं है जिसके लिए मंत्रालय को समय पर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाए।

(ii) आयोग ने पांच परामर्शदाताओं के वेतन को 12000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये और एक समन्वयकर्ता के वेतन के 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 करने के साथ ''एक हिंसामुक्त घर – एक महिला का अधिकार'' नामक परियोजना की अवधि का एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक विस्तार करने का अनुमोदन किया।

(iii) आयोग ने महिलाओं के व्यापक हित में जिम्मेदारियों/संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की अधिकारिता तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में दर्ज मामलों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धि को दर्ज किया।

विदेशी शिष्टमंडल और अन्य द्वारा आयोग के दौरे

इस अवधि के दौरान महिलाओं के हितों की सुरक्षा में आयोग के कार्यकरण और उसकी भूमिका की जानकारी प्राप्त करने और राजनीति में भारतीय महिलाओं की स्थिति और उनकी अधिकारिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक भारतीय और विदेशी शिष्टमंडलों ने आयोग का दौरा किया। वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित शिष्टमंडलों ने आयोग का दौरा किया :–

(i) कोरिया गणराज्य के 'रीजनल हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स की लॉ फार्मुलेशन कमेटी' के एक शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकरण, महिलाओं से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त

शिकायतों का निपटान करने के लिए अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए 24.05.2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया।

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकलापों को समझने के लिए म्यांमार के मानव अधिकार आयोग के एक शिष्टमंडल ने 24.05.2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और म्यांमार के मानव अधिकार आयोग ने कार्य प्रक्रिया और महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अनुभवों को साझा किया।

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकलापों को समझने के लिए नेपाली राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिष्टमंडल ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रतिनिधियों के साथ 10.07.2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकरण के संबंध में एक प्रस्तुति दी।

(iv) राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकलापों को समझने के लिए महामहिम डा0 ए.के. जगेसुर जीओएसके के उच्चायुक्त और श्रीमती एन बोहादूर पिल्लारी पोन्नीसामी, द्वितीय सचिव के साथ लिंग समानता और विकास और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती मीरेल मार्टिन की अध्यक्षता में मॉरीशस गणराज्य से एक शिष्टमंडल ने 04.09.2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और मॉरीशस गणराज्य ने कार्य प्रक्रिया और महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अनुभव साझा किए।

(v) महिला और बाल और युवा मामले मंत्री महामहिम श्रीमती जेनेबु टाडेसी की अध्यक्षता में इथोपिया गणराज्य से एक शिष्टमंडल ने महिला मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए 22.11.2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया।

माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, इथोपिया गणराज्य की महिला, बाल और युवा मामलों की मंत्री श्रीमती ज़ेनेबू टाडेस्सी का स्वागत करती हुई

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के विदेशी दौरे

वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कोई विदेशी दौरा नहीं किया।

अभिरक्षा संस्थानों के दौरे

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (10) के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का एक कार्य जेल, सुधार गृह महिला संस्थानों या अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान जहां महिलाओं को कैदी या किसी अन्य रूप में रक्षा जाता है, का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना है और आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ सुधारात्मक कार्यवाही करना है। अभिरक्षा में महिलाओं की स्थिति का आकलन और विश्लेषण करने के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने 2012–13 के दौरान निम्नलिखित जेलों का दौरा किया और आवश्यक टिप्पणियां/सिफारिशें कीः–

(i) आयोग के एक सदस्य ने 11 मई, 2012 को गोवा स्थित जेल का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिकर और श्रीमती डायस सपे को राज्य महिला आयोग से मुलाकात की। उन्होंने श्री पी वी राव, सचिव (डब्यू सी डी), श्री संजीव गड़कर, निदेशक (डब्ल्यू सी डी) और जेल अधीक्षक, महिला कारागार, सादा से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

सदस्य विचाराधीन महिला कैदियों से भी मिलीं। सभी कैदी जेल प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रबंध से संतुष्ट थे। कुछ कैदी जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप थे, ने मुकदमें में देरी होने की शिकायत की मुकदमे में त्वरित सुनवाई करने का अनुरोध किया ताकि उन्हें या तो आरोप मुक्त किया जा सके या सेन्ट्रल जेल गोवा भेजा जा सके। सदस्य ने मुकदमें में त्वरित सुनवाई करने और न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्वास करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया।

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उपाधीक्षक पुलिस और श्रीमती पूर्णिमा व्यास, हवलदार के साथ 14 सितम्बर, 2012 को महिला थाना, बूंदी का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें यह बताया गया कि पुलिस स्टेशन को चलाने के लिए एक उप–निरीक्षक, दो हवलदार और दो सिपाही हैं। वे सभी महिला पुलिसाकर्मी थीं। यह भी बताया गया कि जनवरी 2012 से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 352 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में से 108 मामले झूठे पाए गए। अन्य मामलों में, न्यायालय के निर्देश हेतु आवश्यक चालान दर्ज किए गए। अधिकांश मामले दहेत उत्पीड़न, वैवाहिक मतभेद आदि से संबंधित थे। पुलिस अधिकारियों ने परामर्श के माध्यम से उनके मुद्दों का समाधान करने में सभी संभव सहायता की।

(iii) माननीय अध्यक्ष ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान कोटा जेल (महिला प्रकोष्ठ) का भी दौरा किया जहां जेल अधीक्षक श्री शंकर उन्हें विचाराधीन कैदी प्रकोष्ठ लेकर गए। उन्हें यह जानकारी दी गई कि 23 महिला विचाराधीन कैदियों को महिला जेल में रखा गयाा है। जेल प्राधिकारियों ने उन्हें धार्मिक पुस्तकें और मनोरंजन के लिए टीवी उपलब्ध कराए हैं। दो छोटे बच्चों के लिए उचित शिक्षा प्रबंध भी किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं महिला कैदियों

से बात की और उनमें से किसी ने भी जेल अधिकारियों के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की। उन्हें दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी पाई गई। उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक डॉक्टर, दो कम्पाउंडर हमेशा मौजूद रहते हैं। उपाधीक्षक ने यह बताया कि जब कभी किसी विचाराधीन कैदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है तो उनके अनुरोध को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है जो उसे, निःशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध कराने के लिए संबंधित न्यायालय को अग्रेषित करते हैं।

(iv) आयोग के एक सदस्य ने 4 नवम्बर 2012 के लिए सुरक्षा गृह और जिला जेल, वाराणसी का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल प्राधिकारियों और महिला कैदियों से मुलाकात की। जेल की स्थिति दयनीय पाई गई। जिस प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया गया उसमें केवल 16 विचाराधीन कैदियों को रखने की क्षमता थी परंतु, उसमें आठ वर्ष से कम आयु वाले 11 बच्चों के साथ 77 विचाराधीन और दोषसिद्ध कैदी एक साथ रह रही थीं। भीड़–भाड़ और अन्य अनेक कारणों से महिलाओं और बच्चों के रहन सहन की स्थिति बहुत दयनीय थी। उक्त महिला जेल के लिए एक बड़े और बेहतर स्थान की आवश्यकता है जो कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

(v) आयोग के एक सदस्य ने 19 नवम्बर, 2012 को सेंट्रल जेल (महिला प्रकोष्ठ), बेंगलौर का दौरा किया। जेल में बंद कैदियों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें, दैनिक भोजन, स्वास्थ्य जांच, कानूनी सहायता और कैदियों के रहन–सहन की स्थिति के बारे में कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली। इस संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:–

(क) महिला प्रकोष्ठों में अत्यधिक भीड़–भाड़ होने के कारण नए स्थलों का प्रबंध किया जाए।

(ख) परिसर में स्वच्छता मानकों तथा महिला कैदियों के साथ रहने वाले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार किया जाए।

(ग) अधिकांश महिलाओं ने यह शिकायत की कि उनके अच्छे आचरण के बावजूद कारावास नियमों के अनुसार उन्हें पैरोल पर नहीं भेजा जा रहा है। संबंधित प्राधिकारी उनके अनुरोधों पर विचार करें और कारावास नियमों के अनुसार उन्हें पैरोल पर छोड़ें।

(vi) आयोग की एक सदस्य ने राज्य महिला आयोग के क्षेत्र अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 30 नवम्बर, 2012 को मणिपुर सेन्ट्रल जेल का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान यह पता चला कि उन 37 विचाराधीन कैदियों में से दो अनिवासी भारतीय महिला कैदी हैं। जेल काफी बड़ी थी जिसमें तेरह कमरे महिला कैदियों के लिए रखे गए थे। प्रत्येक कमरे के साथ एक संलग्न शौचालय था। रसोई साफ–सुथरी थी और खाने की गुणवत्ता अच्छी थी। वहां दहेज उत्पीड़न का एक भी मामला नहीं था।

कैदी स्वस्थ, प्रसन्न और संतुष्ट दिख रहे थे। जेल में चिकित्सा और कानूनी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। कैदियों को व्यावसायिक कार्यक्रमों और परामर्श की आवश्यकता थी। माननीय सदस्य ने राज्य महिला आयोग, मणिपुर को

उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने और उन्हें परामर्श देने के लिए दो माह में एक बार जेल का दौरा करने का सुझाव दिया।

(vii) आयोग के एक सदस्य ने माननीय अध्यक्ष के साथ 1 दिसंबर, 2012 को बूंदी जेल (राजस्थान) का दौरा किया। यह एक छोटी जेल थी और अधिकांश कैदियों को कोटा और सेन्ट्रल जेल, जयपुर स्थानांतरित किए जाने के कारण वहां केवल छह महिला कैदी मौजूद थीं। कैदियों ने जेल प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रबंध के बारे में कोई शिकायत नहीं की।

(viii) माननीय अध्यक्ष ने 2 दिसम्बर, 2012 को कोटा जेल का दौरा किया और महिला कैदियों के साथ बातचीत की। कैदियों में जेल में भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ–सफाई और अन्य परिवेश के बारे में कोई परेशानी को लेकर कोई शिकायत नहीं की। हालांकि, उन्होंने न्यायालय में लंबित मुकदमों की त्वरित सुनवाई कराने का अनुरोध किया।

(ix) आयोग की एक सदस्य ने श्रीमती करीना बी थेंगामम, पी आर ओ, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्रीमती ऐनी राजा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ 4 दिसम्बर, 2012 को रायपुर जेल (महिला प्रकोष्ठ) का दौरा किया। जेल के अपने दौरे के दौरान उन्होंने यह पाया कि जेल में महिला कैदियों के 80 कैदियों की क्षमता वाले चार बैरक थे। महिला प्रकोष्ठ में 140 महिलाएं और 14 बच्चे थे। उन्होंने महिला कैदियों से वार्ता की और निम्नलिखित सिफारिशें कीः–

(क) 68 कैदी अशिक्षित पाए गए। उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए।

(ख) जेल में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की तीन कैदियों को मानवीय और चिकित्सा आधार पर मुक्त किया जाए।

(ग) सभी महिला कैदियों के मानव अधिकारों का सम्मान करने उन्हें समय पर चिकित्सा देखभाल और उचित उपचार सुविधाएं प्रदान करने तथा उन्हें न्यायालय ले जाते समय भोजन और पेयजल प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएं।

(x) आयोग की एक सदस्य ने 29 दिसम्बर, 2012 को सेन्ट्रल जेल, नागपुर का दौरा किया। उन्होंने जेल अधिकारियों और महिला कैदियों से मुलाकात की और उनसे वार्ता की।

(xi) सदस्य ने 19 जनवरी, 2013 को सेन्ट्रल जेल जयपुर का दौरा किया और यह पाया कि कैदी, जेल प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रबंध से संतुष्ट थी। सदस्य, जेल अधीक्षक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कैदियों को और बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट थी। दूरस्थ/पत्राचार शिक्षा और फूलकारी और टेलरिंग में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी अच्छी स्थिति में पाया गया।

(xii) आयोग के एक सदस्य ने बाइकुला जेल, मुंबई, महाराष्ट्र का दौरा किया जहां वह महिला कैदियों की समस्याओं को जानने के लिए काफी समय तक उनके साथ रहीं। इस संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गईः–

(क) संबंधित प्राधिकारी कैदियों को न्यायालय ले जाते समय सुरक्षा प्रदान करे।

(ख) महिला कैदियों को अपने माता–पिता/रिश्तेदारों वकील आदि से बातचीत करने के लिए टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाए।

(ग) ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को संवेदनशील बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायिक हिरासत में कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए।

(घ) उन्हें एचआईवी, मलेरिया आदि जैसी बीमारियों के लिए नियमित आधार पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विदेशी कैदियों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:–

(क) विदेशी कैदियों ने मुकदमें में त्वरित सुनवाई करने का अनुरोध किया और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) विदेशी कैदियों ने यह शिकायत की है कि उन्हें वे पोषक खुराक चार्ट के अनुसार अपनी पसंद के जाने के लिए कैंटीन को खाने का पैसा देने के लिए तैयार थे इसके बावजूद उन्हें प्रतिदिन अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा था।

(xiii) आयोग की माननीय सदस्य ने केरल में अलपुज्जा जेल की विशेष उप–जेल का दौरा किया। जेल बहुत छोटी थी जिसमें केवल आठ कैदी थीं। इनमें से चार को शराब के मामले में और शेष को चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। सभी कैदी जेल प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रबंधों से संतुष्ट थीं।

(xiv) आयोग की माननीय सदस्य ने 7 फरवरी 2013 को सेन्ट्रल जेल कोयम्बटूर का दौरा किया। जेल की समग्र स्थिति संतोषजनक थी। तथापि, महिला कैदियों ने यह शिकायत की कि वे अपने रिश्तेदारों, बच्चों माता–पिता तथा जमानत पर रिहा होने या कानूनी सहायता आदि के लिए अपने वकील से नहीं मिल पा रही है। अतः, यह अनुरोध किया गया कि उन्हें जेल में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि महिला कैदी अपनी रिहाई और/अथवा नियमित दौरों के लिए अपने अवयस्क बच्चों, परिवार के सदस्यों और माता–पिता से संपर्क कर सके।

(xv) माननीय सदस्य ने अधीक्षक श्री वाई डी देसाई के साथ 9 फरवरी, 2013 को येरवडा जेल, पुणे का दौरा किया जहां उन्होंने महिला कैदियों के साथ बातचीत की। वहां महिला कैदियों की कुल संख्या 314 थी। उनमें से आठ अनिवासी भारतीय थी और आठ महिलाओं के साथ बच्चे भी थे। जेल का समग्र रख–रखाव संतोषजनक था। तथापि, जेल में और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी और निम्नलिखित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए:–

(क) कंप्यूटरीकरण और न्यायपालिका और न्यायालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं।

(ख) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, नर्स और एंबुलेंस सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(ग) भीड़–भाड़/अभिरक्षा में कैदियों की बढ़ती संख्या की समस्या का सामना करने के लिए जेल परिसर में बैठकों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(घ) आजीवन कारावास/14 वर्ष की सजा पूरी कर चुकी महिला कैदी जो कि जेल नियमों के अंतर्गत रिहाई नियमों के अंतर्गत आती हैं की सूची की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाए।

(xvi) आयोग की सदस्यों ने 22 फरवरी, 2013 को महिला जेल, जोधपुर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अधीक्षक श्री राकेश मोहन शर्मा और उनके सहयोगियों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने महिला कैदियों से उनकी शिकायतें जानने के लिए मुलाकात की।

वहां कुल 142 महिला कैदी (11 बच्चों सहित) थी। उनमें से 86 विवाहित, पांच अविवाहित और 51 विधवा थीं। उन्हें चार कमरों/हॉल में रखा गया था। जेल प्राधिकारियों द्वारा किया गया प्रबंध संतोषजनक था। महिला कैदियों द्वारा दहेज, हत्या (गैर–दहेज), चोरी आदि के अपराध किए गए थे। इस संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गईः–

(क) प्रशिक्षण/कौशल विकास सुविधाएं मानकों के अनुरूप नहीं थीं। यह सिफारिश की जाती है कि उनके प्रशिक्षण कौशल और अध्ययन कौशल सुविधाओं में सुधार कियाा जाए ताकि अपनी रिहाई के बाद महिला कैदी आत्मनिर्भर बन सकें।

(ख) कैदियों द्वारा तैयार/बनाए गए उत्पादों की सार्वजनिक बिक्री की जाएं।

(ग) स्वास्थ्य और साफ–सफाई पर अधिक बल दिया जाए। टीकाकरण, पोलियो खुराक आदि जैसे निवारक उपाय किए जाएं। कैदियों की थोड़े–थोडे समय के पश्चात् चिकित्सा जांच की जाए।

(घ) नियमों के अंतर्गत पति और पत्नी को मिलने की अनुमति दी जाए।

(ड़) जेल कर्मियों के लिए प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि वे अपने व्यवहार में पेशेवर रवैया अपना सकें।

(xvii) माननीय सदस्य ने 7 मार्च, 2013 को इंदौर जेल (मध्य प्रदेश) का दौरा किया। उन्होंने जेल अधिकारी श्री संतोष सोलंकी, जेल अधीक्षक श्रीमती उज्जवला वाघमारे जेल महिला अपर अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने यह पाया कि कुल 874 कैदियों में से 130 महिला कैदी थी जिनमें एक अनिवासी भारतीय और आठ बच्चे थे। जेल में 20 हाल/कमरे और जेल कैदियों के लिए दो प्रकोष्ठ थे। इनमें से पांच कमरे और दो प्रकोष्ठों में महिला कैदी रह रही थी। महिला कैदियों में 51 विचाराधीन और 79 दोषसिद्ध कैदी थीं। कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक थी। निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:–

(क) जेल की महिला कैदियों के लिए उचित चिकित्सा सुविधाओं, विशेषरूप से स्त्रीरोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक द्वारा नियमित दौरों/जांच के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।

(ख) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से परिवार के सदस्यों को आउटगोइंग कॉल करने की अनुमति दी जाए।

(ग) महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माड्यूल और पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए।

(घ) जेल कर्मियों के लिए महिला संवेदी पाठ्यक्रम और प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

(ड़) दोषसिद्धि और पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद महिलाओं, विशेषरूप से ऐसी महिलाएं जो स्वयं घरेलू हिंसा की शिकार है, की अपील पर तेजी से कार्यवाही करने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय को भेजा जाए।

(xviii) आयोग की माननीय सदस्य ने 7 मार्च, 2013 को उदयपुर जेल (राजस्थान) का दौरा किया जहां उन्होंने जेल अधिकारियों और निरीक्षक श्री शर्मा जो कि अधीक्षक के अवकाश पर जाने के कारण, जेल अधीक्षक का कार्य देख रहेा थे, से मुलाकात की। उन्होंने महिला कैदियों से भी मुलाकात की।

उदयपुर जेल में कुल 1072 कैदी थे। इनमें 38 महिलाएं और पांच बच्चे थे। 61 कमरों में से तीन कमरे, चार स्नानगृह और पॉच शौचालय महिलाओं को दिए गए थे। शौचालय/वॉशरूम की स्थिति औसत दर्जे की थी। रसोई और खाने की स्थिति ठीक थी। अधिकांश महिला कैदी अशिक्षित थीं। 17 कैदियों पर हत्यार (गैर–दहेज) के आरोप थे। अन्य कैदियों पर दहेज, चोरी, लूटमार, अपहरण, जैसे अपराधों के आरोप थे। वहां कोई प्रशिक्षण/कौशल विकास सुविधा उपलब्ध नहीं थी। निम्नलिखित सिफारिशें की गईः–

(क) शौचालयों/वॉशरूमों की समुचित रूप से सफाई की जाए।

(ख) जेल के कैदियों को पोषक और अच्छे किस्म का भोजन दिया जाए।

(ग) जेल कर्मियों के लिए प्रेरणादायी/संवेदनशील बनाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि वे महिला कैदियों से व्यवहार करने के लिए तैयार हो सके।

(घ) जेल के सुचारू कार्यकरण के लिए, महिला सिपाही, स्त्री रोग विशेषज्ञ/परामर्शदाता और गृह व्यवस्था कर्मियों जैसे अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था की जाए।

(ड़) कानूनी सहायता के लिए, कानूनी विशेषज्ञ या किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा परामर्श दिए जाने की सिफारिश की जाती है ताकि कैदियों को कानूनी प्रक्रियाओं आदि की जानकारी हो सके।

(xix) आयोग की माननीय सदस्य ने 8 मार्च 2013 को चित्तौड़गढ़ जेल, राजस्थान का दौरा किया। उन्होंने जेल उपाधीक्षक श्री अशोक उपाध्याय और उनके दल के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने महिला कैदियों से भी बातचीत की और जेल महिलाओं की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी।

वहां कुल 435 कैदी थे जिनमें से 13 महिलाएं और एक बच्चा था। पांच विधवाओं सहित दस विवाहित महिलाएं थी। महिला कैदियों को केवल एक कमरा दिया गया था जबकि पुरूष कैदी 7+3 कमरों/हॉलों में रह रहे थे।

महिलाओं को अपने कमरे तक जाने के लिए पुरूष वार्ड से होकर जाना पड़ता था। इस प्रकार वहां केवल 150 कैदियों को रखने की क्षमता था इसके जबकि, वहां एक बच्चे सहित 435 कैदी थे। शौचालयों और जेल के जाने की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक थी। विचाराधीन और दोषसिद्ध कैदियों की आयु 15 से 65 वर्ष के बीच थी। इस संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गईः–

(क) कैदियों को अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए जेल की प्रभावी क्षमता में वृद्धि की जाए। महिला कैदियों के लिए पृथक प्रवेश द्वार व्यवस्था की जाए।

(ख) साप्ताहिक/अर्ध–साप्ताहिक आधार पर जेल में डॉक्टर के दौरों की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा कक्ष के लिए स्थान आवंटित किया जाए। चिकित्सा कक्ष के अंदर चिकित्सा जांच और उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(ग) स्वास्थ्य देखभाल योजना को उत्साहपूर्वक तरीके से लागू किया जाए और समय–समय पर टीकाकरण जैसे निवारक उपाय किए जाएं।

(घ) अर्ध–शिक्षित/अशिक्षित महिला कैदियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें स्कूल किट (अध्ययन सामग्री) भी उपलब्ध कराई जाए।

(ड़) यह पाया गया कि महिला कैदियों में कानूनी जानकारी का अभाव था। अतः, उन्हें अपने मुकदमों में कार्यवाही करने के लिए दी जाने वाली कानूनी सुविधाएं प्रदान की गईं। यहां यह उल्लेख करना तर्कसंगत है कि न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्हें कानूनी परामर्श प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाए।

(xx) आयोग की माननीय सदस्य ने 29 मार्च, 2013 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कलंबा जेल में महिला प्रकोष्ठ का दौरा किया। उनके साथ बाल विकास अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने श्री श्यामकांत पवार, जेल अधीक्षक से मुलाकात की तथा महिला कैदियों के साथ बातचीत की। वहां 45 महिला कैदी थीं जिनमें से 23 को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। महिला कैदियों ने उन्हें यह बताया कि उन्हें भोजन, साफ–सफाई, स्वास्थ्य जांच, कानूनी सहायता, माहवारी संबंधी स्वच्छता आदि के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। तथापि, उन्होंने यह पाया कि कैदी मैनडेट के अनुसार, कैदियों की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए वहां कोई गैर सरकारी संगठन अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई थी और उनके लिए पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक था।

आयोग की नई पहलः

1. महिला अधिकार अभियान

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक एनजीओ के सहयोग से 26 मई, 2012 को जयपुर में और बाद में एक अन्य एनजीओ द्वारा जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अधिकार अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का

उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि आज भी महिलाएं धोखाधड़ी और अन्याय की शिकार हो रही है। जब वे अपनी शिकायत दर्ज करने पुलिस थाने जाती हैं तो वहां उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। यद्यपि महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए आज अनेक कानून मौजूद है परंतु, उनका उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पाने के कारण महिलाओं को उन कानूनों से कोई राहत नहीं मिलती।

अतः, शिक्षा और विकास के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए महिला अधिकार कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

2. जन जागरूकता पर बल

महिलाओं संबंधी कानूनों और योजनाओं के बारे में जन जागरूकता में वृद्धि करने के लिए आयोग ने रेडियो और टीवी जिंगल्स और लघु वृत्त चित्र आरंभ करने का निर्णय लिया। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित कानूनी उपबंधों और उनके लिए निर्धारित दंड का नया संकलन तैयार करके उसका वितरण किया गया। विवरणिका, पुस्तिका और पोस्टर तैयार करके उनका बड़े पैमाने पर वितरण किया गया।

3. हैल्पलाइन 24X7 कॉल सेंटर

चुनौतियों को कम करने और संपूर्ण रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने तथा उसके प्रभाव में वृद्धि करने के लिए आयोग ने 20 अप्रैल, 2012 को अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद महिला कार्य समूह (ए.डब्ल्यू.ए.जी.) एक एनजीओ द्वारा चलाई जाने वाली एक 24X7 निःशुल्क प्रायोगिक हैल्पलाइन परियोजना आरंभ की।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग और टेलीकान्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना किया जाना

राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करने के लिए समय–समय पर राज्य आयोगों के साथ संपर्क स्थापित करता रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचारगोष्ठियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों को भी प्रायोजित किया जाता है।

महिला अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच नियमित आधार पर संपर्क स्थापित कराने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों दोनों को इन संपर्कों से अपने पारस्परिक मैनडेट को पूरा करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार के संपर्क सामान्यतः पत्र व्यवहार जैसे सामान्य माध्यम से स्थापित होते जिनमें अधिक समय लगता है और उनकी गति धीमी है। शीघ्र संपर्क होने से राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों दोनों को मुद्दों और शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी। इस दिशा में एक कदम

के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के महिला आयोगों के साथ 6 नवम्बर, 2012 को सफलतापूर्वक एक मिनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा आरंभ की और राज्य महिला आयोगों ने इसका स्वागत किया।

तत्पश्चात्, असम, राजस्थान, ओडीशा और त्रिपुरा के राज्य के महिला आयोगों ने नेटवर्किंग हेतु अपनी सहमति दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग को आशा है कि वह शेष राज्य महिला आयोगों के साथ प्रभावपी रूप से संपर्क स्थापित करने के लिए नेटवर्क की स्थापना कर लेगा।

डाटाबेस प्रबंधन/पुरानी शिकायतों को अपलोड करना

वर्ष 2000 के बाद प्राप्त हुई सभी शिकायतों को डाटाबेस में अपलोड करने की प्रक्रिया नवम्बर, 2011 में आरंभ की गई थी और उसे प्रभावशाली तरीके से चलाया जा रहा है। 2000–2006 के दौरान प्राप्त सभी 52,303 पुराने मामलों को उनके समापन/मानद समापन स्थिति के साथ डाटाबेस में डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2007 से जुलाई, 2011 तक पंजीकृत कुल 69,170 शिकायतों में से 35,235 शिकायतों पर मामलों की वर्तमान स्थिति को अपलोड करके कार्यवाही की जा चुकी है। अगस्त, 2011 (अर्थात् वर्तमान आयोग के कार्यकाल के आरंभ) से मार्च, 2013 तक आयोग में कुल 27,566 शिकायतें दर्ज की गईं और उस सभी पर कार्यवाही की जा चुकी है।

उपलब्धि पाने वाली महिलाओं को सुविधा प्रदान करना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के उत्थान तथा लिंग समानता और न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली विशिष्ट महिलाओं का सम्मान करने की पहल की है आयोग ने प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करने के लिए वर्ष 2011 में यह पहल की थी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 21 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। 31 विशिष्ट महिलाओं, जिन्होंने खेल, चिकित्सा, विधि, विज्ञान, सामाजिक कार्य, शिक्षा, राजनीति, नृत्य, विमानन, साहित्य, कृषि और पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और दो एनजीओ जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, को अपने उत्कृष्टता क्षेत्रों में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। अध्यक्ष ने इस अवसर पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने संबंधी एक पोस्टर भी जारी किया।

वात्सल्य मेला में भागीदारी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वात्सल्य मेला, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में 14.11.2012 से 19.11.2012 के दौरान महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी के प्रचार प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग सहित महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यकलापों को उजागर करने वाले एक आयोजन में भाग लेने हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग किया। आवंटित स्टाल में आयोग ने घरेलू हिंसा,

दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, एनआरआई विवाहों से संबंधित परेशानियों और किशोर बालिकाओं जैसे महिला संबंधी मुद्दों का नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया।

आयोग का सूचनापत्रः राष्ट्र महिला

आयोग द्वारा प्रकाशित सूचनापत्र 'राष्ट्र महिला' आयोग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित मासिक सूचनापत्र 'राष्ट्र महिला' के माध्यम से देशभर में महिला कार्यकर्ताओं, कानून जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना पहुंचाना जारी रखा गया। इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों तथा साथ ही आयोग में दायर की गई शिकायतों के निपटान की सफलता की कहानी और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती और सरकारी निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मुद्रण की बढ़ती लागत के बावजूद, यह सूचनापत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मासिक सूचनापत्र आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in. पर भी उपलब्ध है।

2 मीडिया तथा जनता तक पहुंच बनाने हेतु कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने आयोग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाए जा रहे निम्नलिखित कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को बताया:

(i) राष्ट्रीय महिला अयोग जल्द ही विशेष रूप से महिलाओं के लिए संकट में पड़ी महिलाओं के लिए देशभर में 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है तथा यह वर्ष के अंत में शुरू हो जाएगा। तदनुसार आयोग ने गुजरात में 01.05.2012 से 31.10.2012 तक छह माह की अवधि के लिए पायलट योजना के रूप में एक हेल्पलाइन शुरू की है। राज्य महिला आयोगों के साथ वीडियो सम्मेलन आयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ii) महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बात करते हुए श्रीमती शर्मा ने बताया कि उन्होंने हाल ही में राज्य महिला आयोग की 26 अध्यक्षों के साथ राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील से भेंट की तथा संसद एवं राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उनके हस्तक्षेप की मांग की।

(iii) उन्होंने बताया कि आयोग जसोला में भवन प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है तथा आयोग में लंबे समय तक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूरों की सेवा नियमित करने के कार्य की प्रक्रिया जारी है।

(iv) महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में श्रीमती शर्मा ने कि सभी राज्यों में एक पांच सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जो कन्या भ्रूण हत्या, नवजात शिशु की हत्या, दहेज के कारण मृत्यु, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि के सबंध में राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी।

(v) श्रीमती शर्मा ने बताया कि आयोग के अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ ने 962 में से 120 मामले निपटाएं हैं तथा शेष मामलों को निपटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(vi) आयोग विधि प्रवर्तन कार्मिकों के लिये संवेदीकरण संगोष्ठियों का भी आयोजन कर रहा है।

(vii) राज्य महिला आयोगों में रिक्त पड़े पदों की भर्त्सना करते हुए श्रीमती शर्मा ने बताया कि उन्होंने इन रिक्त पदों को भरे जाने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं। श्रीमती शर्मा ने मीडिया से अपील की कि वे युवा पीढ़ी की सोच को प्रभावित करने में अपनी रचनात्मक तय सकारात्मक भूमिका निभायें।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित अथवा प्रायोजित महत्वपूर्ण सेमिनार/कार्यशाला/विचार– विमर्श तथा बैठकें

I. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित सेमिनारों/कार्यशालाओं/विचार–विमर्शों का आयोजन किया गयाः–

(i) 26–27 अगस्त, 2012 को रोहतक, हरियाणा में **कन्या भ्रूण हत्या के** खिलाफ जन्म संबधी परिवार हिंसा के विषय में राष्ट्रीय विचार–विमर्श।

(ii) 16–11–2012 को शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ''महिला सशक्तीकरण – गरीबी उपशमन हेतु एक लिखत'' के बारे में क्षेत्रीय सम्मेलन।

(iii) 20–12–2012 को इंडिया हैबीवेट सेंटर, नई दिल्ली में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन हेतु मुक्ति की समीक्षा के बारे में राष्ट्रीय विचार–विमर्श।

(iv) 09–07–2013 को नई दिल्ली में 'गर्भ का चिकित्सीय समापन' अधिनियम, 1971 की समीक्षा किए जाने के संबंध में विचार–विमर्श।

(v) 20–01–2013 को नई दिल्ली 'में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में युवा तथा छात्र संगठनों से पुरुश राजनितिज्ञों को भाग लेने के लिए चुने जाने के संबंध में राष्ट्रीय विचार–विमर्श।

(vi) 01–02–2013 को आइजोल, मिजोरम में ''बलात्कार तथा मानव तस्करी'' के संबंध में सम्मेलन।

(vii) 04–02–2013 को भोपाल, मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेषकर बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामलों में सेवा प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किये जाने के बारे में सेमिनार।

माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित "महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार यौन उत्पीड़न के मामलों सेवा प्रदाताओं के लिये दिशा निर्देश जारी किये जाने" विषय पर सेमिनार को संबोधित करती हुई

(viii) 19–20 फरवरी, 2013 को दो–दिवसीय अंतर–राज्य महिला आयोग संवाद।

(ix) 18–03–2013 को रोहतक, हरियाणा में ''महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेषकर बलात्कार, यौन उत्पीड़न के मामले में सेवा प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाना'' के बारे में सेमिनार।

(x) 21–03–2013 को फिक्की सभागार, नई दिल्ली में अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाना।

(xi) 28–03–2013 को शिलांग, मेघालय में राज्य महिला आयोग, मेघालय के साथ ''महिला तथा उनके कानूनी अधिकार'' के बारे में सम्मेलन।

II. विभिन्न संस्थानों गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गयाः–

(i) जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से ''21वीं सदी में मानवाधिकार : चुनौतियां तथा भविष्य'' के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा से जिन विषयों पर चर्चा की गई वे हैं : मानवाधिकार – संकल्पनात्मक आयात, आर्थिक परिप्रेक्ष्य तथा मानवाधिकार तथा महिलाएं, मानवाधिकार और अपहित ग्रस्त व्यक्ति, मानवाधिकार तथा बच्चे तथा मानवाधिकार और कानून आदि।

(ii) 22.04.2012 को भोपाल में एक गैर–सरकारी संगठन हमारी प्रियदर्शिनी–एक विचार के सहयोग से एक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा तथा सदस्या डा. चारू वालीखन्ना ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जन सुवाई कार्यक्रम के दौरान आयोग ने बलात्कार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न, पुलिस की उदासीनता आदि संबंधी कुल 125 शिकायतों पर विचार किया। इस संबंध में डीजीपी, मध्य प्रदेश को भी जानकारी दी गई। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा तथा इसके समाधान के बारे में गैर–सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी, मीडिया तथा अन्य संबद्ध संगठनों के साथ बैठक की गई।

(iii) 13–04–2012 को साधान गाँव पौन तालुका मुरीशी तथा पुणे के मालवेला नामक स्थान पर स्त्री मुक्ति संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती अनीता अग्निहोत्री ने कार्यक्रम में भाग लिया।

(iv) गीतांजलि वेलफेयर एजुकेशनल समिति के सहयोग से गाजियाबाद में 'वर्तमान समय के समाज में महिलाओं की स्थिति' के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने सेमिनार में भाग लिया। इस अवसर पर बोलती हुई श्रीमती शर्मा ने कहा कि कोई समाज तब तक विकास

नहीं कर सकता जब तक कि उस समाज में पुरुष महिलाओं का समुचित सम्मान नहीं करते। उन्होंने बताया कि यदि महिला संबबंधी कानूनों का सही ढंग से लागू किया जाए तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 50 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि देश में कन्या भ्रूण हत्या जारी रही तो लगभग दो करोड़ युवकों को दुल्हनें नहीं मिलेंगी। बाद में, उन्होंने महिला मिशन एक पहल'' नामक एक पुस्तक का विमोचन किया जिसमें स्थानीय थानों के फोन नम्बर तथा दहेज, घरेलू हिंसा आदि के विषय में नियमों का वर्णन किया गया है।

(v) 30–04–2012 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजरात के अहमदाबाद में किसी संकट का सामना कर रही महिलाओं के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन नम्बर (180023322222) शुरू की है। इसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल डा. श्रीमती कमला बेनीवालजी ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने बताया कि इस हेल्पलाइन को प्रायोगिक तौर पर पहले गुजरात में शुरू किया जा रहा है तथा बाद में इसे देशभर में लागू किया जायेगा।

गुजरात राज्य के अहमदाबाद में महिलाओं के लिये 24x7 हेल्पलाइन का शुभारंभ करते हुए
(बाये से दाये) डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्या, रा.म.आ., डॉ. (श्रीमती) कमला बेनीवाल जी, महामहिम राज्यपाल, गुजरात, श्रीमती ममता शर्मा, माननीय अध्यक्षा, रा.म.आ. और श्रीमती लीलाबेन अनोकोलिया

(vi) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों तथा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षों वाले एक प्रतिनिधिमंडल 25–05–2012 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील से मिला।

श्रीमती ममता शर्मा, माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, महामहिम राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधान मण्डलों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण' सुनिश्चित किये जाने से संबंधित ज्ञापन देते हुए

अपने दौरे के दौरान उन्होंने महिलाओं के संबंध में अनेक मामलों पर चर्चा की तथा उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें संसद एवं राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन में यह कहा गया कि इस विधेयक से भारत में चुनावी राजनीति में सिर्फ क्रांति जाएगी, बल्कि लिंग न्याय तथा समानता सुनिश्चित करने के दूरगामी नतीजे निकलेंगे।

(vii) महिलाओं को अपने परिवार तथा समुदाय में न्याय तथा गरिमा प्रदान करने के उद्देष्य से उनके अधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न कर उनकी सशक्तीकरण के लिए राजस्थान में क्रमशः बीएम सभागार जयपुर (शहरी क्षेत्र) तथा सीतापुर (ग्रामीण क्षेत्र) में श्री आसरा संस्थान, उदयपुर तथा मैसाज, जयपुर के सहयोग से राष्ट्रीय महिला ने राजस्थान के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अधिकार अभियान का आयोजन किया।

इस अभियान का उद्घाटन करती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि महिलाओं के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण अपने अधिकारों एवं हकदारी के बारे में उनकी जागरूकता का अभाव है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाये जाने की दिशा में किये गये प्रयासों का उल्लेख किया तथा महिला सशक्तीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया।

महिलाओं द्वारा सामना करने वाली विभिन्न प्रकार की यातनाओं यथा घरेलू हिंसा, दहेज के कारण मृत्यु, अपहरण, छेड़छाड़ उनका चोरी–छिपे पीछा करने आदि का विस्तार से वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं

आर्थिक रूप से उत्पीड़ित समूह का एक प्रमुख हिस्सा हैं तथा जब तक उन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिये जाते, समान सामाजिक व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती उन्होंने यह बात दुहरायी कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के व्यापक विकास तथा उनके सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

(viii) 30–05–2012 को जालंधर में पंजाब पुलिस के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'विदेशों में विवाह' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती शमीना शफीक ने इस सेमिनार में भाग लिया। इस अवसर पर बोलती हुई, श्रीमती शफीक ने बताया कि दुलहन का परित्याग, प्रेम का दिखावा कर रिश्ते नहीं निभाने वाले पति या पत्नी, आपराधिक विश्वासघात, पतियों द्वारा क्रूरता, द्विविवाह तथा जारकर्म जैसे कुछ ऐसे अपराध हैं जो अनिवासी भारतीयों के विवाहित जीवन में आमतौर पर देखने को मिलते है। एक तरफ भारत में आपराधिक जांच तथा मुकदमें की सुनवाई में काफी समय लग जाता है, तो दूसरी तरफ न्याय क्षेत्र संबंधी आपत्तियों के कारण दोषी दंड से बच जाता है और उसे दंड मिलने में काफी विलंब होता है।

उन्होंने बताया कि अनिवासी भारतीय दूल्हों की शादी सम्पन्न करने से पूर्व उनके परिचय–पत्रों की जांच–पड़ताल आवश्यक है। यदि कुछ गलत भी पाया जाता है तो न्याय प्राप्त करने में महिलाओं को समझौता करना पड़ता है क्योंकि इस प्रकार के विवाह संबंधी कानून न सिर्फ भारतीय विधि प्रणाली बल्कि अन्य देशों के अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि प्रणाली द्वारा शासित होते हैं।

(ix) 4–6–2012 को देहरादून में राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'राज्य आयोग तथा महिला अधिकार बनाम मानवाधिकार' के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डा. चारू वलीखन्ना ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। इस सेमिनार में उपनिदेशक, आईसीडीएस, सीडीपीओ, बाल कल्याण अधिकारी, महिला सुरक्षा अधिकारी, अधिवक्ता, गैर–सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, कानून के विद्यार्थी, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम में अंतर्गत सेवा प्रदाता भी सेमिनार में उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोली हुई, डा. चारू वलीखन्ना ने बताया कि विएना में आयोजित संयुक्त राष्ट्रविश्व मानवाधिकार सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की गई है कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं। इससे मानव समाज की आधी आबादी के अधिकारवान दावों की मान्यता प्रदान करने तथा लिंग एवं मानवाधिकार उल्लंघन के बीच की ओर ध्यान आकृष्ट करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि यद्यपि भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है, परंतु वास्तविकता में, उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है और वे लिंग–आधारित हिंसा के शिकार होते हैं तथा उन्हें न्याय, स्वास्थ्य सुविधा तथा शिक्षा भी नहीं मिल पाती हैं।

(x) राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉ इन डेवलपमेंट तथा महिला जन अधिकार समिति के सहयोग से ''डायन के रूप में महिलाओं को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले अतिक्रमण'' विषय पर अजमेर, राजस्थान में एक परामर्श–सत्र आयोजित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती निर्मला सामन्त प्रभावलकर ने इस परामर्श–सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर बोलती हुई सुश्री सामान्त ने डाकिनी–आखेट के संबंध में प्रमुख चार सरोकारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। वे सरोकार इस प्रकार है : किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, पुलिस की उदासीनता,

अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं में जागरूकता का अभाव तथा वर्तमान के अपर्याप्त कानून। उन्होंने आगे बताया कि अधिकांश निर्धन, उपेक्षित, अविवाहित औरतों, विधवाओं तथा परित्यक्ताओं की सम्पत्ति हड़पने के उद्देश्य से उन्हें डायन की संज्ञा दी जाती है। सुश्री सामन्त ने ऐसे दोषियों को सख्त सजा दिये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से इस अन्याय से पीड़ित स्त्रियों को सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

(xi) जुलाई, 2013 में नई दिल्ली में वीमेन पावर कनेक्ट के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'महिला–अनुकूल कानूनों को कारगर ढंग से लागू करने हेतु युक्ति की हिमायत' के संबंध में एक राष्ट्रीय परामर्श–सत्र का आयोजन किया गया। देशभर से आये सरकारी एजेंसियों, विधिक निकायों, शिक्षाशात्रियों तथा गैर–सरकारी संगठनों के करीब 130 प्रतिनिधियों ने इस परामर्श–सत्र में भाग लिया।

श्रीमती ममता शर्मा, माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, 'महिला अनुकूल कानूनों को कारगर ढंग से लागू किये जाने हेतु युक्ति की हिमायत' विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए। श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्या रा.म.आ., श्रीमती रंजना कुमारी, अध्यक्षा, वूमेन पावर कनेक्ट और श्रीमती शमीना शफीक, सदस्या रा.म.आ. (दाहिनी ओर) दिखाई देती हुई

इस बैठक में महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 जैसे महिला–उन्मुखी कानूनों की ताकत तथा कमजोरी पर प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर बोलती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री ममता शर्मा ने कन्या–भ्रूण हत्या की बढ़ती वारदातों पर चर्चा की तथा यह बताया कि अनेक महिला प्रकोष्ठ होने के बावजूद पुलिस में शिकायत करने तथा न्यायिक प्रक्रिया अपनाने जैसी विधिक सुविधाओं को महिलाओं द्वारा हासिल न कर पाना चिंताजनक है। उन्होंने

कहा कि हमें प्राथमिक स्तर पर इन विषयों के बारे में हमारे बच्चों को शिक्षित किये जाने की जरूरत है। परामर्श–सत्र में मानव तस्करी, जबरन शादी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क के दुरुपयोग सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

(xii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेहरू अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से जयपुर में 'कन्या–भ्रूण हत्या तथा लिंग आधारित हिंसा : मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य' पर एक सेमिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने इस संगोष्ठियों में भाग लिया।

सामाजिक कार्यकर्ताओं, कालेज के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि लड़कियों के प्रति भेदभाव इसी प्रकार जारी रहता है तो जल्द ही लगभग दो करोड़ नयी युवा पीढ़ी के लड़कों को दुल्हनें नहीं मिल जाएगी। श्रीमती शर्मा ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी क्षेत्र के माता–पिता शिक्षित होने के बावजूद वे कन्या–भ्रूण हत्या तथा लिंग आधारित हिंसा में लिप्त रहते हैं। उन्होंने बताया कि कन्या–भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने तथा लोगों की मानसिकता बदलने की नितान्त आवश्यकता है। अन्य वक्ताओं ने लिंग संबंधी भेदभाव तथा लड़कियों से संबंधित गलत धारणा के कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंनें मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य से भी लिंग आधारित भेदभाव के मुद्दों पर प्रकाश डाला।

(xiii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा के सहयोग से 28–8–2012 को 'भारत में महिलाओं के खिलाफ जान्मिक परिवार हिंसा : शारीरिक अखंडता तथा स्वायत्तता का अधिकार' विषय पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डा. चारू वालीखन्ना तथा सुश्री हेमलता खेरिया ने परामर्श सत्र में भाग लिया।

श्रीमती ममता शर्मा माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ''भारत में महिलाओं के खिलाफ जन्म संबंधी पारिवारिक हिंसा : शारीरिक अखंडता तथा स्वायत्तता का अधिकार'' विषय पर एक परामर्श सत्र के उद्घाटन पर दीप प्रज्ज्वलित करती हुई। आयोग की सदस्या सुश्री हेमलता खेरिया और डॉ. चारू वलीखन्ना दिखाई देती हुई

इस अवसर पर बोली श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि यद्यपि सभी धर्मों में महिलाओं को सम्मान दिया गया है तथा उनके खिलाफ हिंसा का निषेध किया गया है, तथापि देश के विभिन्न भागों में महिलाओं को सभी प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्मिकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया।

बैठक को संबोधित करती हुई डा. चारू वालीखन्ना ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि भारत के संविधान में यहां के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किये जाने के बावजूद वास्तविक धरातल पर लिंग समानता का न्याय अभी भी नहीं मिल पाया है, महिलाओं को बुनियादी मानवाधिकरों से वंचित किया जाता है तथा वे प्रायः अपने जान्मिक परिवार के उत्पीड़न, भेदभाव तथा हिंसा का शिकार होती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुश्री हेमलता ने महिलाओं की परवशता के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को यंत्रणाओं का शिकार होना पड़ता है तथा समाज के फरमान को नहीं मानने पर उन्हें मार दिया जाता है। इस तकनीकी सत्र में इस बात की चर्चा की गई कि क्या इस बुराई को समाप्त करने के लिए एक पृथक् विधेयक का लाया जाना इसका समाधान होगा या भारतीय दंड संहिता में विशेष प्रावधान या अध्याय शामिल कर ऐसे अपराधों की रोकथाम की जा सकती है अथवा सामाजिक संचालन के द्वारा किसी सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित विधेयक, इसके प्रावधानों तथा इसके नाम की उपयुक्तता पर भी बैठक में भाग लेने वालों तथा पैनल के सदस्यों ने चर्चा की।

(xiv) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 21–9–2012 को उदयपुर में गृह विज्ञान महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी), उदयपुर, राजस्थान के सहयोग से ''सामाजिक परिवर्तन पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रभाव : महिला संबंधी मामले तथा चुनौतियां'' विषय पर एक द्विदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में उदयपुर के विभिन्न संस्थानों तथा देश के अन्य भागों से आये 120 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग, पुलिस, सिविल समाज और विशेषकर महिलाओं के संयुक्त प्रयास से कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि जैसी समस्याओं से निपटते समय महिला सशक्तीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है तथा शीघ्र ही इससे राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में लागू करने के पश्चात वहां की महिलाएं भी लाभान्वित होंगे। दूसरे दिन महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों तथा आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में भी चर्चा की गई।

(xv) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 16.11.2012 को शिलांग में मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग के सहयोग से ''महिला सशक्तीकरण : गरीबी उपशमन की एक लिखत'' विषय पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डा. मुकुल संगमा, सामाजिक कल्याण मंत्री श्री जे.ए. लिंग्दोह, मेघालय राज्य महिला

आयोग की अध्यक्ष सुश्री रोशन वारजरी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा, इसकी सदस्य सुश्री वानसुक सयीम तथा सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग सुश्री शमीना शफीक ने भाग लिया। सभा को संबोधित करती हुई एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ भागों में महिलाओं की तस्करी पर प्रकाश डाला तथा राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर एवं कल्याण योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र है वह बहु आयामी तरीके से सामाजिक–आर्थिक बदलाव में अपना योगदान दे सकती है। बाद में उन्होंने मेघालय के राज्यपाल से भेंट की तथा महिला संबंधी मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की।

''महिला सशक्तिकरण : गरीबी उपशमन की एक लिखत'' विषय पर शिलांग, मेघालय में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर मंच पर आसीन (बाये से) श्री जे.ए. लिंदोह, सामाजिक कल्याण मंत्री, डॉ. मुकुल संगमा, माननीय मुख्यमंत्री, मेघालय, सुश्री रोशन वारजरी, अध्यक्ष मेघालय राज्य महिला आयोग, श्रीमती ममता शर्मा, माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्रीमती वानसुक सयीम और श्रीमती शमीना शफीक, सदस्या, रा.म.आ.

(xvi) 20.11.2012 को अलवर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुन्दन वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा, ने सेमिनार में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती शर्मा ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा घरेलू हिंसा सहित उनके साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से निपटने के लिए उनके कानूनी अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए सुरक्षोपाय के निर्माण पर बल दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुश्री हेमलता खेरिया ने अपने व्याख्यान में इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हिंसा की शिकार अधिकांश महिलाएं निरक्षर होती हैं तथा उनकी पहुंच कानूनी सुरक्षोपायों तक नहीं हो पाती है। कभी–कभी परिवार के दबाव अथवा दोषियों की धमकी के कारण मामलों को दबा दिया जाता है। उन्होंने महिलाओं को अपने खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने के लिए कानूनी उपचारों की जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया।

श्रीमती ममता शर्मा, माननीय अध्यक्षा, रा.म.आ. अलवर (राजस्थान) में ''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा'' विषय पर आयोजित सेमिनार में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री हेमलता खेरिया साथ में दिखाई देते हुए

(xvii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 14.12.2012 को पुदुचेरी में पुदुचेरी विश्वविद्यालय के सहयोग से ''भूमंडलीकरण के दौरे में महिला सशक्तीकरण : चुनौतियां और अवसर'' विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए देश में जनजातियों, जो कि सबसे अधिक उपेक्षित रहे हैं, की समस्या पर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने श्रोताओं को जानकारी दी कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के संबंध में घरेलू हिंसा, आत्म सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर एक पुस्तिका प्रकाशित करने जा रही है। यह पुस्तिका अंग्रेजी, तमिल, पंजाब, हिंदी तथा उर्दू भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं में घरेलू हिंसा, कन्या–भ्रूण हत्या, दहेज की समस्या आदि जैसे मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से महिला अधिकार अभियान शुरू किया है।

(xviii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20.12.2012 को नई दिल्ली में ''गर्भ–धारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के प्रावधानों में सुधार की युक्ति की समीक्षा'' पर एक राष्ट्रीय परामर्श–सत्र का आयोजन किया। इस एक दिवसीय समीक्षा में देश में लिंग–अनुपात में सुधार लाने के लिए राज्य महिला आयोग द्वारा किये गये प्रयासों का जायजा लिया गया। इसका उद्देश्य उन सुरक्षोपायों की जानकारी एकत्र करना था जिन्हें विशेषकर गर्भधारण के विकास का अनुगमन करने, लिंग निर्धारण का विरोध करने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने तथा साक्षियों एवं दोषियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले छद्म व्यक्तियों की सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में प्रदान किये गये हैं।

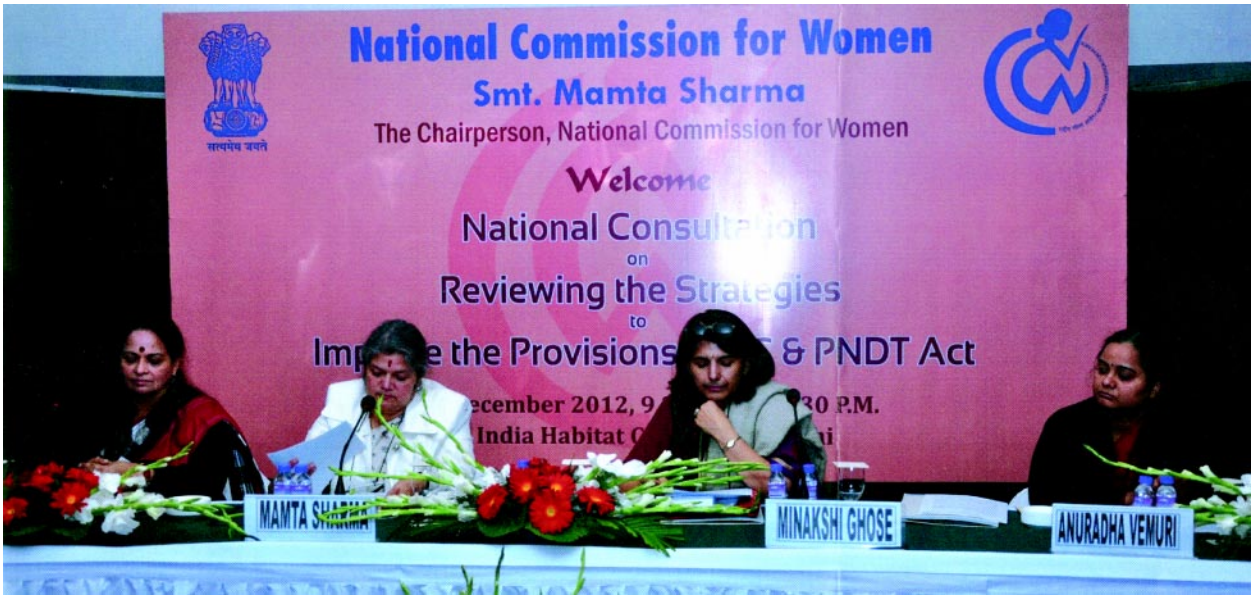

नई दिल्ली में ''गर्भधारण पूर्व प्रसव और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के प्रावधानों में सुधार की युक्ति की समीक्षा' (पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसर)' विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र के आयोजन के अवसर पर मंच पर आसीन (बाये से) रा.म.आ. की सदस्या श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, रा.म.आ. की माननीय अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा, आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती मीनाक्षी घोष और सुश्री अनुराधा वेमुरी

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती निर्मला सामन्त प्रभावालकर ने उन्हें इस बैठक में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुई सुझाव दिया कि महाराष्ट्र की तरह अन्य राज्यों की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षों को गर्भ–धारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम का निगरानी प्रमुख बनाया जाना चाहिए ताकि इसका प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन हो सके।

परामर्श सत्र का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि कन्या–भ्रूण–हत्या बहुत ही जघन्य अपराध है तथा ऐसे मामलों को उजाकर करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा मीडिया को एकजुट होकर काम करना चाहिए। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सके।

इस कार्यक्रम के विषय से संबंधित दो सत्र थे – (एक) गर्भधारण पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के प्रावधानों में सुधार की युक्ति (दो) शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाना : राज्य के उन प्रयासों की समीक्षा करना जिसके विषय में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षों अथवा प्रतिनिधियों तथा राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर जिन प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए उनमें सुश्री अनुराधा वेमुरी, सुश्री सुमन पाराशर, डा. शबू जार्ज, सुश्री अन्नी राजा, सुश्री वर्षा देशपांडे, सुश्री अकिला सिवदास आदि शामिल हैं। प्रश्नोत्तरी सत्र तथा खुली चर्चा के दौर के बाद सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया।

(xix) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 4.2.2013 को भोपाल में महावीर शिक्षा समिति के सहयोग से एक परामर्श सत्र का आयोजन किया जिसमें एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसमें विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा निर्देश

दिये गये हैं। पुस्तक का विमोमन करती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने बताया कि इस दस्तावेज में सभी सहभागियों, जिनमें पुलिस, चिकित्साकर्मी न्यायालय, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शक तथा मीडिया भी शामिल हैं, द्वारा अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए त्वरित तथा कारगर एकजुट कार्य किये जाने एवं त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से पालन किये जाने वाली प्रक्रियाओं का एक सेट प्रदान किया गया है। इस पुस्तक में बलात्कार की शिकार तथा यौन आक्रमण की शिकार महिलाओं के अधिकारों की भी व्याख्या की गई है।

(xx) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 19–20 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में एक द्विदिवसीय अन्तर राज्य महिला आयोग वार्ता सत्र का आयोजन किया। इस वार्ता सत्र का उद्घाटन लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने किया तथा इसमें राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों/सदस्य सचिवों ने भाग लिया। इस वार्ता सत्र को महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ नौजवानों लड़कियों तथा लड़कों, पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा उठायी जा रही एकजुट आवाज के वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में तैयार किया गया था। इस वार्ता सत्र द्वारा महिला संबंधी मामलों पर चर्चा करने तथा संपूर्णता के साथ एकजुट प्रयास के द्वारा उनके समाधान प्रस्तुत करने का मंच प्रदान किया गया।

लोक सभा की माननीय अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार, नई दिल्ली में दो दिवसीय अर्न्तराज्यीय महिला आयोग के वार्ता सत्र के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करती हुई। साथ में श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, रा.म.आ. अन्य सदस्यगणों के साथ दिखाई देती हुई (दाहिनी तरफ)

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा ने 16 दिसम्बर के दुष्कर्म की घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि आज के समय की यह मांग है कि पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने राज्य महिला आयोगों से अनुरोध किया कि वे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में जाकर महिला सशक्तीकरण कार्य में अपना योगदान करें तथा महिलाओं के जीवन में जागरूकता लाने के लिए समाज कल्याण विभागों के साथ मिलकर कार्य करें।

उन्होंने श्रीमती मीरा कुमार से अनुरोध किया कि वे राज्य महिला आयोगों के बजट में वृद्धि करें ताकि वे अपने सौंपे गये कार्य को पूरा कर सकें। उन्होंने श्रीमती मीरा कुमार से यह भी अपील की कि संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हेतु विधेयक पारित करने में मदद करें। श्रीमती शर्मा ने राज्य महिला आयोग को सलाह दी कि वे बाल–विवाह, कन्या–भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर कार्य करें ताकि महिलाएं इन सामाजिक बुराइयों के बारे में जान सकें।

अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती मीरा कुमार ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि यद्यपि पुराणों में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया है, परंतु वास्तव में उन्हें दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुरुषों से ऊंचा स्थान न भी दिया जाए, पर उन्हें उनके बराबर स्थान जरूर मिलना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बने बहुत सारे कानूनों का उल्लेख करती हुई श्रीमती मीरा कुमार ने कहा कि वे महिलाओं की सुरक्षा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है। उन्होंने महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे नई पीढ़ी का लालन–पालन 'क्रांतिकारी' की तरह करें और यंत्रणाओं की शिकार महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने में उनकी मदद करें।

(xxi) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 28.1.2013 का नई दिल्ली में 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा' पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया। इस परामर्श सत्र का उद्देश्य था महिलाओं तथा बालिकाओं के खिलाफ हिंसा के मामले संबंधी कार्य में युवा पुरुषों को शामिल करना तथा शहरों तथा गांवों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक–मनोवैज्ञानिक गतिकी पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पुरुष राजनेताओं को अवसर प्रदान करना तथा कानूनी हिमायत के विचारों, अविधिक उपायों आदि पर चर्चा करना।

इस कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं के अधिकारों के बारे में पुरुष नेताओं में जागरूकता पैदा करना तथा व्यक्तिगत ढांचे तथा राजनीतिक ढांचे, दोनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में उनकी भूमिका दर्शाना था।

(xxii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिजोरम महिला आयोग के सहयोग से 01.02.2013 को आइजोल में 'बलात्कार तथा मानव दुर्व्यापार' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। मिजोरम के मुख्य मंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन में मिजोरम महिला आयोग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, पुलिस कर्मियों, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों तथा मीडियाकर्मियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुश्री वानसुक सियेम ने इस अवसर पर 16 दिसम्बर के दुष्कर्म की घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि सामुहिक दुष्कर्म की घटनाएं समाज की बढ़ती हुई उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें सभी आयु–वर्ग तथा सामाजिक वर्ग की महिलाओं को हिंसक आक्रमणों का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु मानव–तस्करी का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस खतरे से निपटने के लिए पुलिस में सुधार की आवश्यकता है तथा पुलिसकर्मियों के

संवेदीकरण के साथ–साथ बलात्कार तथा यौन आक्रमण संबंधी कानूनों में कारगर संशोधन कर समाज की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है।

(xxiii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1–2 मार्च, 2013 को नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के सहयोग से ''लिंग समानता की पहचान वाले मुद्दे तथा उत्तराखण्ड में कार्रवाई का ब्लूप्रिंट'' विषय पर दो दिनों के राज्य स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुश्री शमीना शफीक ने कार्यशाला में भाग लिया। सुश्री शफीक ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाए जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मंच प्रदान किया गया है तथा उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वालों को यह आश्वासन दिया कि वह कार्यशाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगी तथा यह आशा व्यक्त की कि इस समूह की एक वर्ष के भीतर फिर बैठक होगी जिसमें निष्कर्षों तथा परिणामों को प्रलेखबद्ध किया जाएगा तथा उन पर चर्चा की जाएगी।

(xxiv) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5.3.2013 को 'डिवाइन रच' के सहयोग से दिल्ली में मलिन बस्तियों' के माता–पिता हेतु लिंग समानता तथा संवेदीकरण' पर एक सेमिनार का आयोजन किया जिसका उद्देश्य था मीडिया में विरुपित की जाने वाली महिलाओं की छवि के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा महिलाओं की काया, उनके खिलाफ हिंसा, विधवापन, तथा शिक्षा के द्वारा अध्यात्म की प्राप्ति के बारे में सेमिनार में उपस्थित लोगों को संवेदनशील बनाना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष, श्रीमती ममता शर्मा तथा इसकी सदस्य डा. चारू वलीखन्ना ने सेमिनार में भाग लिया। इस अवसर पर बोलती हुई श्रीमती शर्मा ने श्रोताओं से कुछ प्रश्न पूछकर उन्हें प्रोत्साहित किया। महिला भागीदारों ने उनके प्रश्नों के खुलकर उत्तर दिए। लिंग आधारित भेदभाव, बलात्कार की घटनाएं, इनके कारण तथा उपचार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक प्रस्तुति की जिसमें यह दिखाया गया कि किस प्रकार महिलाएं किसी संकट में अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को पुरस्कार वितरित किये।

(xxv) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 18.3.2013 को करनाल में मानव संसाधन अभिवर्धन कल्याण सोसायटी के सहयोग से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में पुलिस के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम/संगोष्ठियों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेषकर बलात्कार/यौन आक्रमण के मामलों में पुलिस, चिकित्साकर्मियों, अभियोजकों, न्यायालयों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शकों के लिए सेवा प्रदाता हेतु 'दिशानिर्देश' विषय पर एक पुस्तक का विमोचन किया।

(xxvi) अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 21 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में उन 31 महिलाओं को, जिन्होंने खेलकूद, चिकित्सा, विधि, विज्ञान, सामाजिक कार्य, शिक्षा, राजनीति, नृत्य, विमानन, साहित्य, कृषि, पत्रकारिता आदि में उत्कृष्ट कार्य किया है, तथा उन दो गैर–सरकारी संगठनों को जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य दिखाया है, को अपने–अपने क्षेत्र

में उत्कृष्ट कार्य करने तथा महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अभिनन्दन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने लिंग संवेदीकरण पर एक पोस्टर भी जारी किया।

अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में पुरस्कारों से नवाजी गई महलाओं के साथ रा.म.आ. की माननीय अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा तथा आयोग की अन्य सदस्यगण

(xxvii) 22.3.2012 को नैनीताल, उत्तराखण्ड में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के सहयोग से ''एशिया प्रशान्त क्षेत्र में लिंग समानताः सिद्धान्त, व्यवहार तथा नीति की बात'' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती शमीना शफीक ने सेमिनार में भाग लिया। इस अवसर पर बोलती हुई श्रीमती शफीक ने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए यूजीसी–एसीएस कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में अपनी आवाज उठाने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को निश्चित रूप से एक मंच प्राप्त होगा। सदस्य का यह विचार था कि ऐसा आम मंच तथा महिलाओं के द्वारा इस प्रकार आवाज उठाने का प्रलेखीकरण उत्तराखंड में लिंग समानता प्राप्त करने में भावी कार्य की नीति निर्धारित करने में काफी उपयोगी साबित होगा। इस कार्यशाला में उत्तराखंड के सभी जिलों से आयी महिलाओं ने भाग लिया।

3 शिकायत एवं जांच (सी एण्ड आई) प्रकोष्ठ

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्वपूर्ण संघटक है। यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों को सुलझाता है, जहां कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई हनन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंर्तग्रस्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में अथवा आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत **स्वतः** संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को उचित राहत प्रदान करने और शिकायतकर्ता की शिकायतों के उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। सामान्यतया, मामले के निपटान हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा रहे हैं:

(i) पुलिस उदासीनता/पुलिस निष्क्रियता के मामलों को यथासंभव और निष्पक्ष जांच हेतु संबधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। इस प्रकार संबंधित राज्यों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों की जांच की जाती है और उन पर आगे निगरानी रखी जाती है;

(ii) पारिवारिक विवादों/वैवाहिक विवादों को परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है। दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में बुलाया जाता है और उनका वैवाहिक घर बचाने के प्रयास में उनको परामर्श दिया जाता है;

(iii) गंभीर अपराधों हेतु आयोग एक जांच समिति का गठन करता है, जो मौके पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों से पूछताछ करती है, साक्ष्य एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा तथा अत्याचार से पीड़िता को तत्काल राहत तथा न्याय दिलवाने में सहायक होती है। आयोग ऐसे मामलों को संबधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के समक्ष उठाकर जांच समितियों की सिफारिश के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखता है;

(iv) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों में संबंधित संगठन/विभाग को विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011) में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो व्यथित महिला कर्मचारी की शिकायत पर जांच करेगी और आयोग को तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जागरुकता पैदा करने के लिए आयोग ने विभिन्न राज्यों के प्रमुख समाचार पत्रों में सरकारी एवं कारपोरेट सेक्टर में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन' के मामलों मे जांच करने के लिए एक आतंरिक शिकायत समिति का गठन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(v) कुछ शिकायतों के मामले में जहां आवश्यक हो, उन्हें विभिन्न राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग और उनके राज्यीय प्रतिपक्षों को उनकी तरफ से उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजा जाता है। इन शिकायतों का स्वरुप इस प्रकार का होता है जो सीधे जो सीधे महिला अधिकारों के वंचन से जुडा नहीं होता है।

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्ष 2005 में आयोग के वेबसाइट www.ncw.nic.in और आयोग के ई–मेल अर्थात ncw@nic.in के जरिए शिकायतें पंजीकृत कराने की त्वरित और सुगम ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की थी। शिकायतों को जल्द और आसानी से पंजीकृत कराए जाने की दृष्टि से स्थापित की गई है।

इससे शिकायतकर्ता की शिकायत का त्वरित पंजीकरण तथा कही कम खर्च तथा परेशानी के उसे पंजीकरण की पावती प्रदान करना संभव हुआ है। अब भारत के या विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत को एक पंजीकरण नम्बर दिया जाता है और किसी परामर्शदाता विशेष के नाम चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात इसका निपटान उसी प्रक्रिया से किया जाता है जो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्राप्त शिकायत के बारे में अपनाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसे केवल वेबसाइट पर लॉग–इन करना होता है और अपने मामले की संख्या और संगत पासवर्ड टाइप करने के बाद वह अपने मामले में हुई कार्यवाही तथा प्रगति के बारे में जान सकता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान आनलाईन पद्धति के माध्यम से कुल **3462** शिकायतें प्राप्त हुईं। आनलाईन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का राज्य तथा शिकायतवार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक–II और III** पर दिया गया है।

ऐसी शिकायतें, जिन पर आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती :

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों/मामलों में आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती हैं :–

क. ऐसी शिकायतें जो स्पष्टतः पढ़ी न जा सकें या संदिग्ध हों, गुपचुप तरीके से की गई हों या छद्म नाम से की गई हों; या

ख. यदि उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवाद (दीवानी मामले) से संबंधित हो, जैसे संविदात्मक अधिकार दायित्व आदि से संबंधित मामले;

ग. यदि उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

घ. यदि उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

ड. यदि मामला किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन हो;

च. राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे किसी भी मामले में जांच नहीं करेगा, जो किसी राज्य महिला आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत विधिवत गठित किसी अन्य आयोग में लंबित हों;

छ. यदि मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो;

ज. यदि मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की परिधि से बाहर हो;

शीर्ष, जिनके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है

आयोग में प्राप्त और पंजीकृत शिकायतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है :

क्र.सं.	शिकायत का स्वरुप	उप–श्रेणी
1.	तेजाब से हमला	
2.	अन्य गमन	
3.	हत्या का प्रयास	
4.	बलात्कार का प्रयास	क) नाबालिक
		ख) सामूहिक बलात्कार
		ग) वैवाहिक बलात्कार
5.	द्वि–विवाह	
6.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	i. प्रतिष्ठा अपराध – के नाम पर
		ii. प्रतिष्ठा हत्या – के नाम पर
7.	ससुराल पक्ष द्वारा शिकायतें	क. पति द्वारा शिकायतें
		ख. ससुर द्वारा शिकायतें
		ग. सास द्वारा शिकायतें
		घ. अन्य
8.	दंगों संबंधी शिकायतें/सामुदायिक हिंसा के शिकार	
9.	साइबर अपराध	
10.	डायन प्रथा/काला जादू	
11.	संपत्ति के अधिकारों से वंचित करना	
12.	पति द्वारा परित्यक्त	
13.	तलाक	
14.	घरेलू हिंसा	क. वैवाहिक विवाद संबंधी
		ख. वैवाहिक विवाद संबंधी नहीं

क्र.सं.	शिकायत का स्वरुप	उप–श्रेणी
15.	दहेज हत्या	
16.	दहेज मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न	
17.	कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या/लिंग का चयन	
18.	लैंगिक भेदभाव	
19.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	क. सरकारी क्षेत्र
		ख. निजी क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र
20.	विधवाओं का उत्पीडन	
21.	महिलाओं और बच्चों का अनैतिक मानव दुर्व्यापार	
22.	महिलाओं का अशिष्ट रुपण	
23.	अपहरण/भगा ले जाना	
24.	शादी किये बिना पति–पत्नी की तरह रहना	
25.	भरण–पोषण का दावा	
26.	बच्चों की अभिरक्षा संबंधी मामले	
27.	विविध	
28.	महिलाओं का उत्पीड़न/छेडछाड करना/ मर्यादा भंग करना/पीछा करना	
29.	हत्या	
30.	भरण–पोषण की राशि का भुगतान न करना	
31.	पुलिस की उदासीनता	
32.	पुलिस द्वारा उत्पीडन/अत्याचार	
33.	विवाह–पूर्व धोखा	
34.	संपत्ति	
35.	बलात्कार	क) नाबालिक
		ख) सामूहिक बलात्कार
		ग) वैवाहिक बलात्कार

क्र.सं.	शिकायत का स्वरुप	उप–श्रेणी
36.	सेवा संबधी मामले	क. विधवाओं की पेंशन/मुआवज़ा अदा न करना
		ख. अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति
37.	सेक्स स्कैन्डल	क. सरकारी कर्मचारी
		ख. गैर–सरकारी कर्मचारी
38.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	क. सरकारी क्षेत्र
		ख. निजी क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र
39.	पीडितों को आश्रय और पुनर्वास	
40.	आत्महत्या	क. प्रयास
		ख. उकसाना
41.	टोना प्रथा/काला जादू/वूडू	
42.	महिला अधिकारों से वंचित करना	
43.	चयन करने का अधिकार	

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का विश्लेषण (श्रेणी–वार और राज्य–वार):

वर्ष के दौरान शिकायत और जांच प्रकोष्ठ में **16584** शिकायतें/मामले पंजीकृत किए गए तथा दर्ज की गई सभी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है इसलिए कोई लंबन नहीं है। वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग में पंजीकृत शिकायतों/मामलों का स्वरुप–वार और राज्य–वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक 4 और 5** में दिया गया है। शिकायतों को 43 वृहद श्रेणियों/शीर्षों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त सर्वाधिक 3773 शिकायतें घरेलू हिंसा के बारे में और उसके बाद 3303 पुलिस उदासीनता के बारे में थीं। महिलाओं का उत्पीड़न/छेडछाड़ करना/मर्यादा भंग करना/पीछा करना से संबंधित शिकायतों की संख्या 932 थी जिसके बाद संपत्ति विवाद से जुडी शिकायतों की संख्या 927 थी। ससुराल वालों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या 723 थी। बलात्कार से संबंधित शिकायतों की संख्या 713 दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या 553 तथा पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या 505 थी जाति तथा समुदाय से जुडी हिसां की शिकायतों की संख्या 475 जिसके बाद दहेज की मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न से संबधित शिकायतों की संख्या 476 थी। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या 119 थी परित्याग करने से संबधित मामलों की संख्या 70 तथा 12 शिकायतें साइबर अपराध से जुडी थी अम्लीय हमले की 12 शिकायतें भी दर्ज की गई थी जबकि 1982 शिकायतें विविध श्रेणी में दर्ज की गईं।

क्र.सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1.	घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद	3773
2.	पुलिस की उदासीनता	3303
3.	महिलाओं का उत्पीड़न/छेडछाड़ करना/मर्यादा	932
4.	संपत्ति	927
5.	ससुराल पक्ष द्वारा शिकायत	723
6.	बलात्कार	713
7.	दहेज हत्या	553
8.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न/अत्याचार	505
9.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	475
10.	दहेज की मांग/दहेज हेतु उत्पीड़न	467

टिप्पणीः उपर्युक्त सारणी में विविध/अनधिदेशित श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

आयोग को उत्तर प्रदेश से 8628 शिकायतें/मामले, जबकि दिल्ली से 2377 शिकायतें, राजस्थान से 1258 शिकायतें प्राप्त हुईं। हरियाणा से 1090 तथा मध्य प्रदेश से 793 बिहार से 472 तथा महाराष्ट्र से 397 और उत्तराखण्ड से 289 तथा पंजाब और झारखण्ड प्रत्येक से 221 और पश्चिम बंगाल से 143 तथा छत्तीसगढ से 91 और गुजरात से 86 शिकायतें प्राप्त हुई।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस राज्यों की सूची, जिनसे शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई हैः

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	8628
2.	दिल्ली	2377
3.	राजस्थान	1258
4.	हरियाणा	1090
5.	मध्य प्रदेश	793
6.	बिहार	472
7.	महाराष्ट्र	397
8.	उत्तराखंड	289
9.	पंजाब	221
10.	झारखण्ड	221

अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग पीड़ित महिलाओं और साथ ही सामाज को बहुमूल्य सेवा प्रदान करने में एक आवश्यक इकाई है।

कुछ मामलों की सूची जिनमें वर्ष 2012–13 के दौरान शिकायत और जांच प्रकोष्ठ द्वारा सफल हस्तक्षेप और जांच की गई:

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग को झज्जर हरियाणा की निवासी कुमारी एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से शिकायतकर्ता को उसके भाई की हत्या में माता–पिता द्वारा फर्जी मामले में फंसाया गया था। शिकायकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पिता के द्वारा उसकी बहन को घर से बाहर निकाल दिया गया है। आयोग ने मामले की सुनवाई की जिसमें पुलिस अधीक्षक आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और यह बताया कि शिकायतकर्ता और उसकी बहन, उसके भाई की हत्या में शामिल नहीं थी और वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है। आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् शिकायतकर्ता और उसकी बहन को उसके पिता के साथ उनके पैतृक घर भेज दिया गया।

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग को कुशीनगर उत्तर प्रदेश के एक निवासी श्री ए से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से उसकी पत्नी को उनके माता–पिता द्वारा गलत तरीके से बंधक बनाने/झूठे सम्मान के लिए अपराध/जीवन को खतरा बताया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह किया थाा। आयोग द्वारा मामले की जांच की गई और दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष बुलाया गया। सुनवाई/परामर्श के पश्चात् शिकायतकर्ता के ससुर ने उनके विवाह को स्वीकार कर लिया।

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग के गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की एक निवासी सुश्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से उनकी होने वाली बहू (वाई) उन्हें प्रताड़ित कर रही है क्योंकि वह उसका विवाह दोनों पक्षों की सहमति न होने के कारण अपने पुत्र के नहीं होने दे रही थी। वाई एक्स पर विवाह करने पर दबाव डाल रही थी। आयोग ने मामले की सुनवाई की और आयोग के हस्तक्षेप के कारण वाई के निपटारा राशि के रूप में 4 लाख रुपये दिए गए।

(iv) राष्ट्रीय महिला आयोग को गुड़गांव हरियाणा की निवासी सुश्री ए से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से यह बताया गया कि उसके ससुराल वालों द्वारा उस पर शारीरिक अत्याचार किया गया और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने कथित रूप से यह बताया कि पुलिस मामले में एफ आई आर दर्ज नहीं कर रही थी और इसके उलट वह दोषियों की सहायता कर रही थी। मामले की सुनवाई हुई जिसमें गुड़गांव के पुलिस उपायुक्त उपस्थित हुए और आयोग के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज की गई और दोषियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है।

(v) राष्ट्रीय महिला आयोग को पंचकुला हरियाणा की एक निवासी सुश्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से शिकायतकर्ता ने अपने पति के दूसरे विवाह/जीवन को खतरा और पुलिस उत्पीड़न की बात कही थी। आयोग ने इस संबंध में हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक से मामले में कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। शिकायतकर्ता से

धन्यवाद पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसने बताया कि आयोग के हस्तक्षेप से पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई और पति के साथ समझौता किया गया। फिलहाल वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में सुखी दांपत्य जीवन जी रही है।

(vi) राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली की एक निवासी सुश्री बी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से उसके पति और ससुराल वालों के द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत की गई थी। शिकायत में कथित रूप से यह बताया गया था कि उसे उसके दो बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया है। आयोग द्वारा मामले की जांच की गई और दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया। आयोग में दो निरंतर सुनवाई के पश्चात् प्रतिवादी पति एक पृथक घर में उसे वापस लेने को सहमत हुआ। फिलहाल शिकायतकर्ता अपने पति और दो बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही है।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग को गुड़गांव हरियाणा की एक निवासी सुश्री ए से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से दहेज मांगने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की गई थी। आयोग द्वारा मामले की जांच की गई और पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुकत से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई और आयोग द्वारा मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात् आयोग को धन्यवाद पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् शिकायतकर्ता के विवाहित जीवन के समाधान की जानकारी दी।

(viii) राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली की एक निवासी सुश्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से घरेलू हिंसा और उसके पति द्वारा उसे छोड दिए जाने की शिकायत की गई थी। आयोग की तीन सुनवाई के पश्चात् पति, शिकायतकर्ता और उसके पुत्र को भरण–पोषण भत्ता देने को सहमत हुआ। फिलहाल शिकायतकर्ता अपने पुत्र के साथ एक किराए के मकान में रह रही है और वह अपने बच्चे की देखरेख कर रही है और साथ ही नौकरी भी कर रही है।

(ix) अलवर, राजस्थान की एक निवासी श्रीमती एक्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया और कथित रूप से शिकायत की कि उसकी पुत्री ने उसके पति और सास द्वारा दहेज के लिए निरंतर प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्म हत्या की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले की जांच की गई। आयोग ने अलवर की पुलिस से संपर्क किया। जांच की गई जिसमें अभियुक्त को दोषी पाया गया और न्यायालय में उनके विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है।

(x) राष्ट्रीय महिला आयोग को आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के एक निवासी श्री वाई से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही है और उसे अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने के अधिकार से वंचित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले की जांच की और आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। शिकायतकर्ता अब विजयवाड़ा में खुशहाल जीवन जी रहे हैं और मामले का समाधान किया जा चुका है।

(xi) राष्ट्रीय महिला आयोग को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों की दहेज की मांग को पूरा नहीं करने के कारण उसके वैवाहिक गृह में उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले की जांच की गई और

इलाहाबाद के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा गया जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और समस्या का समाधान हुआा। फिलहाल वह महिला अपने पति के साथ रह रही है।

(xii) राष्ट्रीय महिला आयोग को धौलपुर, राजस्थान की निवासी श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसकी बहन की दहेज के लिए हत्या और पुलिस उदासीनता की शिकायत की गई थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्षेत्र के संबंधित पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और उन्हें मामले की गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया। पुलिस ने आवश्यक जांच की जिसमें यह पाया गया कि आरोप सत्य थे। इसके पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

(xiii) राष्ट्रीय महिला आयोग को बूंदी, राजस्थान की एक निवासी सुश्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत पुलिस द्वारा कथित उदासीनता और बलात्कार से संबंधित थी। पुलिस ने न केवल एफआईआर दर्ज करने से इंकार किया बल्कि उसे और उसके परिवार को जेल भेजने की धमकी भी दी। पुलिस का रवैया काफी हद तक अमानवीय था। यहां तक कि पुलिस ने मामले को रफा–दफा करने के लिए अभियुक्त से रिश्वत भी मांगी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले की जांच की गई और बूंदी के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा। इसके पश्चात् पीड़ित की चिकित्सा जांच की गई जिसमें आरोपी को दोषी पाया गया। इससे उनकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया।

(xiv) राष्ट्रीय महिला आयोग को उदयपुर, राजस्थान की एक निवासी श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसने उसे अधिकारों का उपयोग नहीं करने देने और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने से वंचित करने का अरोप लगाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले की जांच की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और शिकायत परामर्श केन्द्र को प्रेषित की गई, जहां दोनों में समझौता हुआ। परामर्श सत्रों के पश्चात् विवाद का सामाधान हुआ और दंपति साथ–साथ रह रहे हैं।

(xv) राष्ट्रीय महिला आयोग को बलरामपुर, उत्तर प्रदेश की एक निवासी श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसे कम आयु में विवाह के लिए मजबूर किया गया था। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता ने अपनी वेदना व्यक्त की कि उसके ससुराल में उसे प्रतिदिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। पति के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस के द्वारा उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका पति उसे निरंतर मारने की धमकी देने का दुःस्साहस करता था। उसे गंभीर चोटें आयी और लंबे समय तक उसका इलाज नहीं कराया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले की जांच की गई और बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई। पुलिस ने पति को आरोपी बनाया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(xvi) राष्ट्रीय महिला आयोग को अलवर, राजस्थान की एक निवासी श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कथित रूप से यह शिकायत की कि उसकी बहन की उसके पिता और ससुर द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। परिस्थिति पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामला पुलिस के साथ उठाया। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् पुलिस ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और (4) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 के दौरान की गई जांचें

(i) जांच समिति

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय, संकाय ला सेंटर–दो की एक सहायक प्रोफेसर द्वारा उनके सहयोगी द्वारा पीछा किए जाने आदि के द्वारा कथित उत्पीड़न के संबंध में एक शिकायत दर्ज किए जाने के संबंध में आयोग द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था।

सुश्री शमीना शफीक सहित जो समिति की अध्यक्षा थी तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय का दौरा किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की और शिकायतकर्ता और प्रतिवादी सहित संबंधित व्यक्तियों का वक्तव्य लिया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिशें उचित कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रेषित की गई।

(ख) रोहतक, हरियाणा में गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे आश्रय गृह की महिला गृह साथी द्वारा कथित अत्याचार किए जाने के संबंध में आयोग द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया।

सुश्री शमीना शफीक सहित जो समिति की सभापति भी थीं, तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने रोहतक, भिवानी, करनाल, पानीपत और गुड़गांव के विभिन्न आश्रय गृहों का दौरा किया। समिति ने मुख्य सचिव सहित पुलिस महानिदेशक सहित संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट की सिफारिशें उचित कार्रवाई करने के लिए 30.8.2012 को हरियाणा सरकार को प्रेषित की गई।

(ग) दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा महिला स्नातकोत्तर विद्यार्थी के कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया।

डॉ. चारू वलीखन्ना जो समिति की सभापति थी दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और पीड़ित तथा मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों का वक्तव्य लिया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिशें उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई।

(घ) रीवा, मध्य प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान महिला पर गर्म तेल फेंकने की कथित घटना की शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया।

डॉ. चारू वलीखन्ना सहित जो समिति की सभापति है दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जांच समिति ने घटना स्थल का दौरान किया और पीड़ित तथा मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों का वक्तव्य लिया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिशें उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की।

(ड़) सीतामढ़ी, बिहार में कथित सामूहिक बलात्कार और पुलिस उदासीनता के बारे में शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया

सुश्री शमीमा शफीक सहित जो समिति की सभापति थी। दो सादस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ित का वक्तव्य लिया और संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया।

(च) उत्तर प्रदेश के एक शैक्षिक संस्थान के एक पूर्व शिक्षक द्वारा कथित उत्पीड़न/अत्याचार और फर्जी मामले में फंसाए जाने के बारे में शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया।

सुश्री शमीना शफीक सहित जो समिति की सभापति भी थी। एक दो–सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने शैक्षिक संस्थान का दौरान किया पीड़ित तथा प्रतिवादी और साथ ही संबंधित अधिकारियों का वक्तव्य लिया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिशें उचित कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई।

(ii) स्वतःसंज्ञान मामले में संज्ञान

राष्ट्रीय महिला आयोग मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर मामलों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। आयोग महिलाओं के अधिकारों की वंचना से संबंधित मामलों तथा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन नहीं किए जाने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। गंभीर मामलों में आयोग द्वारा जांच समितियों का गठन किया जाता है जो आयोग को मामले में शामिल व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने केस लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी जाती है। वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित मामलों में जांच समिति गठित की गईः–

(क) दाहोद, गुजरात में एक महिला (एमपी) की पिटाई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दाहोद, गुजरात की एक महिला गुजरात पुलिस इस कथित पिटाई किए जाने की घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात् श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर राष्ट्रीय महिला आयोग (समिति की सभापति) सदस्य, श्रीमती मंजुला, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता (सदस्य) और तृप्ती शाह, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) शामिल थे।

समिति ने मामले की जांच करने के लिए 8 मई 2012 को दाहोद का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशों को 12.8.2012 को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को 11.12.2012 को एक अनुस्मारक भेजा गया।

(ख) सोनीपत, हरियाणा में सोनीपत विश्वविद्यालय में 3 आत्महत्याओं के पश्चात् सामूहिक बलात्कार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोनीपत, हरियाणा में 18 वर्ष की लड़की का कथित अपहरण और चार पुरूषों द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 29.05.12 कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात् श्रीमती शमीना शफीक, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग (समिति की सभापति), श्रीमती कुंवरजीत सिंह, अधिवक्ता (सदस्य) और सुश्री अंशु सिंह, परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग (सदस्य) शामिल थे।

(ग) रेवाड़ी, हरियाणा में तीन युवाओं द्वारा समूहिक बलात्कार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने रेवाड़ी, हरियाणा में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बालिका विद्यार्थी को कथित रूप से रोका गया और उसके साथ तीन युवकों ने बलात्कार करने की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 18.12.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में चार सदस्य अर्थात् डॉ0 चारू वलीखन्ना (समिति की सभापति), सुश्री हेमलता खेरिया (राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य), श्री आर.एम. शर्मा (अधिवक्ता) और सुश्री सोनाली कुमारी समिति की सभापति की सहायक थी, समिति में शामिल थे।

समिति ने 18 जून, 2012 को रेवाड़ी का दौरा किया और दिनांक 17.08.2012 के पत्र के अनुसार जांच समिति की सिफारिशें हरियाणा के मुख्य सचिव को भेज दी गई।

(घ) असम की महिला विधायक की पिटाई करना और भीड़ द्वारा बलात्कार करने का प्रयास

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भीड़ द्वारा असम की महिला विधायक की कथित रूप से पिटाई करने और बलात्कार करने का प्रयास करने की घटना की जांच हेतु दिनांक 2.7.2012 के कार्यालय पत्र के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में चार सदस्य अर्थात श्रीमती वनसुक सईम (समिति की सभापति), सुश्री नीरा बरूआ (सदस्य), सुश्री हीरेन मोनी फूकन (सदस्य) और सुश्री मोनिदिया बोरकोटोरी (सदस्य) शामिल थे।

समिति ने 3 जुलाई 2012 को असम का दौरा किया और पीड़ित तथा असम पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात की। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 27.08.2012 को असम राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा को भेजी गई।

(ड़) सागर, मध्य प्रदेश में एक पुरूष द्वारा कथित रूप से अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ताला लगाना और एक दूसरी घटना में 20 वर्षीय महिला के साथ 5 पुरूषों द्वारा कथित बलात्कार के पश्चात् उसे बेचा जाना।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इंदौर की एक कथित घटना जिसमें एक पुरूष द्वारा अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ताला लगाने और एक दूसरी घटना जिसमें 20 वर्षीय महिला (एक बालिका वधू) जिसका कथित रूप से पांच पुरूषों द्वारा बलात्कार किया गया और बाद में उसे बाद में 50000 रु0 में उसके पति के मामा को बेचने की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 18.7.2012 के कार्यालय के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में चार सदस्य अर्थात् डॉ. चारू वलीखन्ना (समिति की सभापति), सुश्री हेमलता खेरिया (सदस्य) सुश्री प्रिया ठाकुर (सदस्य) और श्री आर.एम. शर्मा (सदस्य) शामिल थे।

समिति ने 30 जुलाई, 2012 को स्थान का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इसने अपनी सिफारिशें दिनांक 22.8.2012 को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की। राष्ट्रीय महिला आयोग के दबाव के कारण मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है।

(च) दिसपुर, असम में एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से छेड़खानी करने के पश्चात् असम में आक्रोश

राष्ट्रीय महिला आयोग ने असम के दिसपुर जिले की मीडिया रिपोर्ट जिसमें कथित रूप से एक लड़की पर हमला करने और उसके बार से बाहर आने के पश्चात् छेड़छाड़ की जांच करने के लिए दिनांक 13.7.2012 के जांच आदेश के अनुसार एक जांच समति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात् वनसुक सिएम सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सभापति), सुश्री अल्का लाम्बा, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) और सुश्री हीरेन मोनी फुकर अधिवक्ता एएससीडब्ल्यू (सदस्य) शामिल थी।

जांच समिति ने स्थल का दौरा किया और मामले की जांच की और दिनांक 5.12.2012 के पत्र के अनुसार अपनी सिफारिशें सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रेषित की।

(छ) उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के ब्रह्मपुर गांव के भाईपुर में परिवार द्वारा कथित रूप से एक लड़की को जलाया जाना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ब्रह्मपुर गांव के भाईपुर की एक घटना में एक लड़की को उसके परिवार द्वारा जलाए जाने की घटना की जांच के लिए दिनांक 18.6.12 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात डॉ. चारू वलीखन्ना (समिति की साभापति), सुश्री प्रेमशिला त्रिपाठी (सदस्य), सुश्री सोनाली कुमारी (सदस्य) शामिल थी।

समिति ने दिनांक 19 जून, 2012 को ग्रेटर नोएडा के ब्रह्मपुर गांव के भाईपुर स्थान का दौरा किया और दिनांक 25.06.2012 को अपनी सिफारिशें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी। दिनांक 18 जनवरी 2013 के पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव से उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया कि ऑनर किलिंग की घटना नहीं थी।

(ज) राजस्थान के उदयपुर की तहसील सरदाना के कोलार गांव में गांववालों के द्वारा महिला को नंगा कर उसे पीटा जाना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदयपुर, राजस्थान की सरदाना तहसील के कोलर गांव की एक घटना जिसमें एक महिला जो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई थी, को कथित रूप से गांव वालों के द्वारा नंगा करके पीटने की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 23.7.2012 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर (समिति की सभापति), डॉ0 विजयलक्ष्मी चौहान (सदस्य) और मनोज उपाध्याय (सदस्य) शामिल थे।

समिति ने स्थान का दौरा किया और पीड़ित से मुलाकात की और अपनी सिफारिशें दिनांक 17.8.2012 को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की। इसके पश्चात् उदयपुर के पुलिस अधीक्षक से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त हुई जिसमें आयोग द्वारा सुझाई गई सिफारिशों पर पुलिस द्वारा अनुपालन की जानकारी दी गई थी। अपराध में 12 आरोपी शामिल थे और इनमें से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अभी तक फरार एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कथित पीड़ित को शीघ्र न्याय प्रदान किया जाएगा।

(झ) दिल्ली शिक्षक – सम्मान के लिए पीड़ित की हत्या

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 26 वर्षीय शिक्षिका द्वारा तथाकथित निम्न वर्ग के एक पुरूष के साथ विवाह करने का साहस करने पर उसके परिवार द्वारा गला घोटने की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 29.6.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया। उसकी मां, भाई और चाचा के द्वारा उसका गला घोंटा गया और फिर उसकी लाश को कार में रूड़की ले जाकर एक नहर में फेंक दिया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य शामिल थे अर्थात् डॉ. चारू वलीखन्ना (सभापति), सुश्री हुस्ना शुभानी (सदस्य) और सुश्री अंशु सिंह (परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग) जो जांच समिति की सभापति की सहायता के लिए थी।

समिति ने मामले की जांच करने के लिए 2.7.2012 को बाहरी दिल्ली का दौरा किया और मृत पीड़िता के परिवार और सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। समिति ने अपनी सिफारिशें दिनांक 3.9.2012 को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की गई।

ञ. ऑनर किलिंग के लिए भाई की गिरफ्तारी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर पश्चिम दिल्ली में 'ऑनर किलिंग' के भाई की गिरफ्तार किए जाने की घटना जिसमें महिला के भाई के द्वारा कथित रूप से एक 21 वर्षीय पुरूष की हत्या इसलिए की क्योंकि लड़की ने अपनी पसंद का जीवन साथी चुना था, की जांच के लिए दिनांक 10.7.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात् डॉ. चारू वलीखन्ना (सभापति), सुश्री सत्यावन गहलोत (सदस्य) और सुश्री अंशु सिंह परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सहायता के लिए) शामिल थे।

समिति ने मामले की जांच करने के लिए स्थान का दौरा किया और मृत पीड़ित परिवार के सदस्यों और अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। आयोग ने अपनी सिफारिशें दिनांक 23.8.2012 के पत्र के माध्यम से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की।

(ट) पीड़िता ने देखा कि आदमी उसका पीछा करने के लिए आ रहे हैं और वह बालकनी से कूद गई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें पीड़िता ने देखा की लोग उसका पीछा करने के लिए आ रहे हैं और वह बालकनी से कूद गई परंतु उन्होंने कमरे तक उसका पीछा किया, छेड़छाड़ करने थप्पड़ मारने और नैतिकता के नाम पर पीड़ित करने की जांच करने के लिए दिनांक 14.8.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति काा गठन किया गया।

जांच समिति में चार सदस्य अर्थात श्रीमती शमीना शफीक (सभापति), सुश्री एन.एस. रत्ना प्रभा (सदस्य), सुश्री हरीनी, सामाजिक कार्यकर्ता, (सदस्य) और श्री इब्राहिम अधिवक्ता (सदस्य) शामिल थे।

समिति ने दिनांक 16.8.2012 को मैंगलोर का दौरा किया। समिति की सिफारिशें दिनांक 06.02.3013 के पत्र के माध्यम से कर्नाटक के मुख्य सचिव को प्रेषित की गई।

(ठ) एअर हॉस्टेस आत्महत्या मामला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट जिसमें दिल्ली में एक 23 वर्षीय एअर हॉस्टेस ने अपने निवास पर दिनांक 5.8.2012 की रात्रि आत्म हत्या करने और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ने, जिसमें उसने हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री, अपने पूर्व नियोक्त और पूर्व नियोक्ता कंपनी के मुख्य समन्वयक पर आरोप लगाए थे, जिनकी जांच के लिए दिनांक 06.08.12 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति ने तीन सदस्य अर्थात श्रीमती शमीना शफीक (सभापति), सुश्री नीलम नाथ (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी) जांच समिति की सदस्य और सुश्री पूजा चंद्रा (भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता) जांच समिति की सदस्य शामिल थी।

समिति ने मृत पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। अंतरिम रिपोर्ट माननीय महिला और बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार) को प्रेषित की और जांच चल रही है।

(ड) असम और म्यांमार आजाद मैदान, मुंबई में सामुदायिक हिंसा के विरूद्ध कुछ संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने म्यांमार असम और आजाद मैदान में सामुदायिक हिंसा के विरूद्ध कुछ संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के जिसमें ड्यूटी पर तैनात मुंबई पुलिस की महिला पुलिस अधिकारी और सामान्य महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और छेड़छाड़ करने की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 24.8.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति पांच सदस्य अर्थात श्रीमती ममता शर्मा (सभापति) अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर (सदस्य), श्री टी.के. चौधरी (आई.पी.एस.) सदस्य, श्री ए एन त्रिपाठी (सचिव, महाराष्ट्र राज्य सीपीसीआर), सदस्य और अधिवक्ता उज्जवला कदरेकर (एसआरओ सेहनट एक एजीओ) सदस्य शामिल थे।

जांच समिति की प्रारंभिक सिफारिशों को मुंबई के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया और अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। मुंबई पुलिस आयुक्त से आयोग को एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि पुलिस ने 58 दंगाईयों/आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

(ढ) जालंधर स्थित डोमेरिया रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के समीप एक युवा लड़की द्वारा कथित आत्महत्या करना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब के जालंधर में एक महिला इंस्पेक्टर की अगुवाई में अति उत्साही पुलिस वालों के द्वारा मीडिया के समक्ष युवा लड़की को प्रताड़ित करने के पश्चात् डोमरिया रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के समीप चलती रेलगाड़ी के समक्ष कूदकर कथित आत्महत्या की जांच करने के लिए दिनांक 04.09.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात श्रीमती ममता शर्मा (सभापति), सुश्री शमीना शफीक (सदस्य) और श्री रमनदीप संधु (सदस्य) शामिल थे

समिति ने जालंधर का दौरा किया और मृत पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और संबंधित पुलिस अधिकारियों को एटीआर भेजने का आदेश दिया। तत्पश्चात जालंधर पुलिस आयुक्त से आयोग को एक

एटीआर प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि मामले की जांच अभी भी जारी है और सभी आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, परंतु वे अभी तक फरार हैं।

(ण) भुवनेश्वर, ओडिशा में महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भुवनेश्वर ओडिशा में यहां तक कि महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं शीर्षक जिसमें भुवनेश्वर में महिला पुलिस कांस्टेबल का पीछा करने और बुरी तरह से पीटे जाने की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 18.09.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में दो सदस्य अर्थात डॉ. चारू वलीखन्ना (सभापति) और श्रीमती मानसी प्रधान (सामाजिक कार्यकर्ता) जांच समिति के सदस्य शामिल थे।

समिति ने ओडिशा का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों और पीड़िता और साथ ही अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। सिफारिशें दिनांक 28.09.2012 के पत्र के अनुसार ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की गई।

(त) अलवर, राजस्थान में शिक्षक पर दो छात्राओं के बलात्कार का आरोप

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट शीर्षक 'दो छात्राओं के बलात्कार का आरोपी शीर्षक' जिसमें राजस्थान में अलवर के तेलहा कस्बे में कथित रूप से दो शिक्षकों द्वारा दो छात्राओं का कथित रूप से बलात्कार करने और अश्लील वीडियो बनाने की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 01–10–2012 के कार्यालय आदेश के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में दो सदस्य अर्थात डॉ. चारू वलीखन्ना (सभापति) और जांच समिति के सदस्य के रूप में सुश्री हुस्ना सुभानी (सामाजिक कार्यकर्ता) शामिल थे।

जांच समिति ने मामले की जांच की और आयोग ने दिनांक 19.11.2012 के पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को अपनी सिफारिशें भेजी। अलवर पुलिस अधीक्षक से एक कृत कार्रवाई (एटीआर) प्राप्त हुई जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि तीन आरोपी व्यक्तियोंा में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक कथित आरोपी फरार है। जांच जारी है। आयोग द्वारा मामले की जांच बंद कर दी गई है।

(थ) तीन महीने कमरे में बंद रही महिला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें एक महिला को उसके प्रति के द्वारा कथित रूप से कुछ अंधविश्वास के बहाने तीन महीने तक एक कमरे में बंद रखने की जांच करने के लिए दिनांक 15.2.2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया। यह भी बताया गया कि उसके रिश्तेदारों और पुलिस की सहायता से उसे जैतपुर, दिल्ली से छुड़ाया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य एनसीडब्ल्यू (जांच समिति की सभापति), सुश्री हुस्ना शुभानी, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) और सुश्री सुमन, समन्वयक एनसीडब्ल्यू (जांच समिति की सहायता के लिए) शामिल थे।

जांच समिति ने मामले की जांच करने के लिए स्थान का दौरा किया। समिति की सिफारिशें दिनांक 04.03.2013 के पत्र के माध्यम से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की गई।

(द) सीतापुर, उत्तर प्रदेश में पड़ोसी द्वारा पीछा किए जाने से लड़की ने कक्षा में ही फांसी लगा ली

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट शीर्षक पड़ोसी द्वारा पीछा किए जाने के पश्चात् लड़की के द्वारा कक्षा में आत्महत्या की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में दो सदस्य अर्थात शमीना शफीक (सभापति) और श्री प्रभात नारायण सिन्हा (अधिवक्ता) जांच समिति के सदस्य शामिल थे।

रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ध) 16 वर्षीय लड़की का सामूहिक बलात्कार, धमकाए जाने के पश्चात् पिता ने आत्महत्या की।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें हरियाणा के हिसार में 16 वर्षीय लड़की का सामूहिक बलात्कार और धमकाए जाने के बाद उसके पिता द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना की जांच के लिए दिनांक 28.09.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात श्रीमती शमीना शफीक (सभापति) सुश्री हेमलता खेरिया (सदस्य) और श्री कुंवरजीत सिंह (अधिवक्ता) जांच समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे।

जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 21.11.2012 के पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की।

(न) जींद, हरियाणा में सामूहिक बलात्कार का एक और वीडियो

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट जिसमें लगभग बीस वर्ष की आयु के तीन व्यक्तियों ने हरियाणा के जींद शहर से 20 कि.मी. दूर एक स्थान पर 32 वर्षीय महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने की घटना की जांच के लिए दिनांक 01.10.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात श्रीमती शमीना शफीक सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग (सभापति), सुश्री हेमलता खेरिया (सदस्य) और श्री कुंवरजीत सिंह (अधिवक्ता) जांच समिति के सदस्य थे।

जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 21.12.2012 के पत्र के माध्यम से हरियाणा सारकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की गई। जींद के पुलिस अधीक्षक से एक कृत कार्रवाई (एटीआर) प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया था कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिनांक 15.12.2012 को उनके विरूद्ध आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। आयोग को अपर निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा से भी एक एटीआर प्राप्त हुए जिसमें आयोग द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का आश्वासन दिया और यह बताया कि गांव वालों के लिए रोहतक और झज्जर के जिलों में लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोग को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से भी एक एटीआर प्राप्त हुई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि महिलाओं के विरूद्ध क्रूर अपराध संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न जिलों में त्वरित न्यायालय स्थापित किए गए हैं, हरियाणा के सभी जिलों में महिला हेल्पलाईन स्थापित की गई है और पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है।

(प) मुरैना, मध्य प्रदेश में महिला को अर्धनग्न करके 3 कि.मी. तक घुमाया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें मुरैना, मध्य प्रदेश में एक महिला को अर्द्धनग्न करके 3 कि. मी. तक घुमाए जाने की जांच करने के मामले की जांच करने के लिए दिनांक 3.01.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात डॉ. चारू वलीखन्ना (सभापति), सुश्री दीप्ती सिंह (सदस्य) और सुश्री प्रिया ठाकुर सदस्य शामिल थी।

जांच समिति ने मामले की जांच करने के लिए स्थान का दौरा किया और सिफारिशें दिनांक 19.11.2012 के पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गई।

(फ) ग्वालियर, मध्य प्रदेश में तीन युवकों द्वारा एक नवयुवती का बलात्कार करने के पश्चात नवयुवती द्वारा आग लगाकर आत्म हत्या करना

(ब) मध्य प्रदेश के दतिया जिले में कथित रूप से भुखमरी के कारण 70 वर्षीय महिला की उसके परिसर में मृत्यु हो गई।

(भ) मध्य प्रदेश के दतिया जिले से 40 कि.मी. दूर भन्डेर में 7 पुरूषों द्वारा एक 14 वर्षीय लड़की का सामूहिक बलात्कार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें ग्वालियर में कथित रूप से एक नवयुवक लड़की द्वारा स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या करने की जांच करने के लिए दिनांक 16.10.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

मध्य प्रदेश में एक दूसरी घटना जिसमें दतिया जिले में 70 वर्षीय एक महिला कथित रूप से भुखमरी के कारण अपने परिसर में मृत पाई गई और दतिया जिले से 40 कि.मी. दूर भंडेर में 7 पुरूषों द्वारा 14 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सभापति), डॉ. अंजलि जैन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, सुश्री आशा कोतवाल, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य शामिल थे।

जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 20.11.2012 के पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की गई।

(म) टोंक, राजस्थान में बलात्कार के दावे के पश्चात वनस्थली का घेराव

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें टोंक में वनस्थली विद्यापीठ में बलात्कार के दावे के पश्चात वनस्थली का घेराव करने, निवानी में मध्य रात्रि में विद्यार्थियों और 5000 लड़कियों के द्वारा दो छात्राओं के कथित बलात्कार का विरोध करने से हुई अशांति की घटना की जांच करने के लिए दिनांक 13.10.2010 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात सुश्री हेमलता खेरिया (जांच समिति की सभापति), सुश्री निधि शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य), सुश्री नवोदिता शर्मा, समन्वयक, राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सहायता के लिए) शामिल थे।

जांच समिति ने मामले की जांच करने के लिए स्थान का दौरा किया और सिफारिशें मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को प्रेषित की।

(य) बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में खाप में एक व्यक्ति को गोली मारी गई उसकी पत्नी का कहना है कि यह सम्मान के लिए हत्या थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें एक व्यक्ति जो खाप में उपस्थित हुआ उसे गोली मार दी गई और उसकी पत्नी ने दावा किया कि यह सम्मान के लिए हत्या बताया। इस मामले में 29 वर्षीय युवक खाप पंचायत के विरूद्ध टीवी शो पर आया था उसे बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, के मामले की जांच करने के लिए दिनांक 27.11.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में तीन सदस्य श्रीमती शमीना शफीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य (जांच समिति की सभापति), श्री कुंवरजीत सिंह अधिवक्ता (सदस्य), श्री अब्दुल्ला नसीर, परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सहायता के लिए) शामिल थे।

जांच समिति ने मामले की जांच के लिए स्थान का दौरा किया और सिफारिशें दिनांक 12.12.2012 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई।

(य.i) पंजाब में सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या की, अब पटियाला पुलिस को फटकार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें पटियाला में सामूहिक बलात्कार पीड़ित ने अपने निवास पर आत्महत्या करने की जांच करने के लिए दिनांक 28.12.2012 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया। पीड़ित परिवार के सदस्यों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पीड़िता को पुलिस द्वारा निरंतर परेशान और प्रताड़ित किए जाने के कारण जहर खा लिया था क्योंकि पुलिस ने एक महीने तक उसके बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।

जांच समिति में दो सदस्य अर्थात श्रीमती शमीना शफीक, राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य (जांच समिति की सभापति), श्री अभिषेक गुप्ता, अधिवक्ता (सदस्य) शामिल थे।

(य.ii) छत्तीसगढ़ के बस्तर में बलात्कार करने के लिए एक शिक्षक, चपरासी की गिरफ्तारी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें बस्तर क्षेत्र के कंकेर जिले में आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक और चपरासी को 8 और 12 वर्षीय जनजातीय अवयस्क लड़कियों का आवासीय परिसर में बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार करने किए जाने की जांच करने के लिए दिनांक 09.01.2013 के कार्यालय आदेश के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया।

जांच समिति में दो सदस्य अर्थात श्रीमती शमीना शफीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य (जांच समिति की सभापति), सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग (सदस्य) शामिल थे।

जांच समिति ने मामले की जांच के लिए स्थान का दौरा किया और सिफारिशें दिनांक 18.12.2013 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ को प्रेषित की गई।

(य.iii) मध्य प्रदेश के इन्दौर की जेल में गर्भवती महिला कैदी का गर्भपात

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें मध्यप्रदेश की इन्दौर जेल में एक महिला विचाराधीन कैदी के गर्भपात की जांच करने के लिए दिनांक 01.03.2013 के जांच आदेश के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति ने 7.3.2013 को जेल का दौरा किया और पीड़ित और अन्य पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सभापति), सुश्री प्रिया ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य), श्री वरूण छाबड़ा, परामर्शदाता राष्ट्रीय महिला आयोग (समिति की सहायता के लिए) शामिल थे।

जांच समिति ने मामले की जांच के लिए स्थान का दौरा किया और सिफारिशें दिनांक 01.04.2013 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को प्रेषित की गई।

(य.iv) महाराष्ट्र में एक ढाबे पर अवयस्क बहनों के द्वारा खाना मांगे जाने पर बलात्कार हत्या

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक छोटे गांव से 5, 9 और 11 वर्ष की तीन छोटी बहनों के लापता होने और एक सड़क किनारे ढाबे के पास गांव के बाहर कुएं में उनकी लाश पाए जाने की जांच करने के लिए दिनांक 27.02.2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य एनसीडब्ल्यू (जांच समिति की सभापति), अधिवक्ता विजय भंगेडे, सदस्य और अधिवक्ता स्मिता सरोड़े सिंगालकर, सदस्य शामिल थे।

जांच समिति ने मामले की जांच करने के लिए स्थान का दौरा किया।

(य.v) मध्य प्रदेश की जिला जेल, झाबुआ की विचाराधीन महिला बंदी के कथित रूप से गर्भवती होने संबंधी घटना के संदर्भ में

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट जिसमें मध्य प्रदेश के धार जिले की जेल में एक महिला विचाराधीन कैदी के गर्भवती होने की जांच करने के लिए दिनांक 6.3.2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जांच समिति का गठन किया गया।

जांच समिति में तीन सदस्य अर्थात डॉ. चारू वलीखन्ना, सदस्य, एनसीडब्ल्यू (जांच समिति की सभापति) सुश्री प्रिया ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) श्री वरूण छाबड़ा, परामर्शदाता एनसीडब्ल्यू (जांच समिति की सहायता के लिए) शामिल थे। जांच समिति ने दिनांक 07.03.2013 को मध्य प्रदेश की धार जिला जेल का दौरा किया और पीड़ित और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।

जांच समिति ने सिफारिशें दिनांक 01.04.2013 के पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित की। पुलिस अधीक्षक, झाबुआ से आयोग को एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें यह बताया गया कि समिति द्वारा जेल में इस प्रकार की गंभीर घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए जेल अधिकारियों को सिफारिशें भेजी गई थी। जांच से पता चलता है कि जेल में महिला कैदी गर्भवती हो गयी है और इस घटना के लिए एस.पी. झाबुआ और एस.पी. जिला जेल इन्दौर और एम.वाई अस्पताल के डॉक्टर जिम्मेवार है। मामले की न्यायालय द्वारा निगरानी की जा रही है।

4 प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ

भारत सरकार द्वारा, प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा विषय पर, महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) की सिफारिशों के आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के पत्रांक ओआई–19021/3/2006–एसएस द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीयों के विवाह से संबंधित मामलों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया। इस विषय पर अंतर मंत्रालयी समिति की 7 जुलाई, 2008 को हुई बैठक में गहन विचार–विमर्श किया गया। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 24 सितम्बर, 2009 को प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक उद्घाटन किया गया। प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ विदेश में हुए विवाह में महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने अथवा उनके प्रति घोर अन्याय संबंधी देश और विदेश से प्राप्त मामलों पर कार्यवाही करता है।

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ के मुख्य कार्यकरण तथा उत्तरदायित्व

i) प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने तथा उन्हें संसाधित करने के लिए यह एक समन्वयक ऐजन्सी है।

ii) यह शिकायतकर्ता को सुलह, पार्टियों के बीच मध्यस्थता तथा शिकायतकर्ता को संबधित मुद्धों पर सभी संभव सहायता प्रदान करता है।

iii) यह भारत तथा विदेशों मे गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों तथा राज्य महिला आयोग के साथ जुडकर तथा नेटवर्क स्थापित करता है ताकि व्यापक कार्यवाही की जा सके ताकि सुगम पहुंच तथा सहायता सेवाएं उपलब्ध करायी जा सके।

iv) यह विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों/संगठनों जैसे राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावासों तथा मिशन और संबंधित मंत्रालयों आदि के साथ एक समन्वित प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है।

v) यह मुकदमेंबाजी में फसीं हुई व्यथित महिला तथा शिकायतकर्ता/मामले के संबंध में अन्य मुद्दों पर सहायता उपलब्ध कराता है।

vi) एनसीडब्ल्यू के साथ पंजीकृत मामलों के एक डाटाबैंक का रखरखाव करता है।

vii) की गई शिकायत तथा उस पर की गई कार्यवाही के संबंध में राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से रिपोर्ट मंगवाता है।

viii) प्रवासी भारतीयों के विवाह से संबंधित किसी नीति अथवा मुद्दे पर परामर्श तथा सिफारिशें देता है।

ix) मुद्दे विभिन्न विधिक संधियों का विश्लेषण करता है तथा सरकार को जहां कहीं आवश्यक हो, परामर्श भी देता है।

x) मुद्दे पर जनसाधारण मे जागरुकता पैदा करने के लिए अभियान चलाता है। इसके लिए प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध सभी मीडिया सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

xi) संबद्ध क्षेत्रों यथा दोहरी नागरिकता से जुडे मामलों, नये विधान के अधिनियमन, अथवा अंतर्राष्टीय संधियों पर हस्ताक्षर करने, अन्य देशों के वैवाहिक कानूनों पर अनुसंधान तथा अध्ययन करे प्रोत्साहित/सहायता प्रदान करता है।

xii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(च) के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 की उप धारा 4 तथा धारा 8 के उपबंधों के अनुरुप एनआरआई प्रकोष्ठ के ध्यान में लाए गए किसी मुद्दे पर स्वतः संज्ञान में लाना तथा शिकायत की जांच करना।

xiii) आयोग/केन्द्र सरकार को सौंपे गए कोई अन्य कृत्य करना।

इसके प्रारंभ से 31 मार्च, 2013 तक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में लगभग 1316 मामले पंजीकृत किए गए वर्ष 2012–13 के दौरान आयोग के एनआरआई प्रकोष्ठ में 386 मामले दर्ज किये गये हैं। दर्ज किए गए ऐसे मामलों का राज्य तथा देश वार ब्यौरा **अनुलग्नक VI तथा VII** मे दिया गया है।

एनआरआई प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें मुख्यतः निम्नवत स्वरुप की होती हैं:

i) पति/ससुराल पक्ष द्वारा पासपोर्ट जब्त किया जाना।

ii) बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित समस्याएं

iii) प्रतिवादी द्वारा देश छोड़कर जाने की आशंका संबंधी शिकायतें

iv) परित्याग करना

v) दहेज मांग

vi) एमओआईए योजना के तहत वित्तीय सहायता

vii) पति भारत में/पत्नी विदेश में और डुपलीकेट पासपोर्ट जारी करना

viii) वीजा जारी करना

ix) भरण–पोषण की राशि

x) एमओआईए योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को धनराशि जारी करना

xi) विदेश मे दस्तावेज की सर्विस

xii) विचाराधीन मामले

xiii) लापता पतियों का पता ठिकाना

xiv) पत्नी भारत में/विदेशों में रहने वाले पति

xv) विविध

ऐसी शिकायतों के कारण जिनमें अनेक कार्रवाई और बहुप्रयोजन दृष्टिकोण शामिल हैं, राज्यवार और राष्ट्र–वार आंकड़ों से पृथक वर्गीकरण नहीं होता।

शिकायतों पर कार्रवाई करने की विधि/तरीका

राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्य रूप से विभिन्न मंत्रालयों में अभिसारित दृष्टिकोण अपनाता है और पीड़ित के लिए मामले की कार्रवाई करते हुए सहायता प्रदान करने के लिए अन्यों के साथ समन्वय बनाने के प्रयास किए जाते हैं। आवश्यकता होने पर शिकायतों पर निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाती है।

(i) शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए आयोग द्वारा प्राप्त शिकायत पर उनके उत्तर प्रस्तुत करने के लिए विरोधी पक्ष/पक्षों को बुलाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है अथवा विरोधी पक्ष/पक्षों को समन जारी करके उन्हें समन में उल्लिखित दिन को आयोग में उपस्थित होकर शिकायतकर्ता के दावे पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(ii) कृत कार्रवाई रिपोर्ट हेतु संबंधित पुलिस स्टेशन जहां जांच लंबित है अथवा वहां पंजीकृत शिकायत के संबंध में पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई करने में असफलता के लिए पत्र लिखा जाता है।

(iii) आवश्यकता होने पर विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास को शिकायत प्रेषित की जाती है।

(iv) शिकायत की जानकारी के लिए जब कभी जहां कभी आवश्यकता होती है उचित विधिक न्यायालय द्वारा जारी समन, वारंट अथवा पारित आदेशों की अनुपालना और अन्य संबंधित मामलों में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय को यथा पत्र लिखे जाते हैं।

(v) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अनुसार पीड़ित को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय अथवा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को पत्र लिखे जाते हैं।

(vi) पासपोर्ट से संबंधित मामले के लिए पासपोर्ट कार्यालय को पत्र लिखा जा सकता है।

(vii) यदि आवश्यकता हो तो प्रतिवादी पति के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायतों को उसके नियोक्ता को प्रेषित किया जा सकता है।

अनिवासी भारतीय/प्रवासी पतियों के द्वारा भारतीय पत्नियों के परित्याग किए जाने की समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई पहल

(i) भारत अथवा विदेशों में रहने वाली व्यथित महिलाओं को बिना किसी कठिनाई के ई–मेल व्यक्तिगत और ऑनलाइन के माध्यम से अनिवासी प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत दर्ज करने को सुकर बनाना।

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से पंजाब पुलिस के द्वारा 30 मई, 2012 को जालंधर, पंजाब में अनिवासी/प्रवासी विवाहों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से अनिवासी/प्रवासी विवाहों से संबंधित मुद्दों/समस्याओं पर चर्चा करने के लिए फरवरी, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमीनार और साथ ही दो क्षेत्रीय कार्याशालाएं (जून, 2006 में चंडीगढ़ और सितम्बर, 2006 में त्रिवेन्द्रम) में आयोजित की गई। विषय पर स्थानीय गैर सरकारी संगठन के सहयोग से जुलाई, 2011 में एक सार्वजनिक सुनवाई भी हुई।

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब पुलिस के सहयोग से अनिवासी और अन्य संबंधित मुद्दों में वैवाहिक संबंध बनाने से पूर्व किए जाने वाले एतिहाती उपायों के बारे में आम लागों को जानकारी देने के लिए राज्य स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए पंजाबी भाषा में अनिवासी विवाहों के संबंध में प्रचार सामग्री तैयार की।

(iv) राष्ट्रीय महिला आयोग ने विषय पर जागरूकता उत्पन्न करने और प्रवासी पुरूषों के साथ विवाह के जाल में फंसी भोली–भाली भारतीय महिलाओं को कानूनी और अन्य उपचारात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास मे ''अनिवासी भारतीय विवाहों के जाल में फंसी परित्यक्त भारतीय महिलाओ'', नोब्हेयर ब्राइडस – अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह'' और एक पुस्तक ''अनिवासी भारतीयों से विवाह में उत्पन्न समस्याएं – क्या करें और क्या न करें'' विषय पर एक विवरणिका प्रकाशित की है। इनका व्यापक परिचालन किया जा रहा है।

(v) राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह महापंजीयक कार्यालय के विवाह पंजीकरण फार्म में परिवर्तन करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ सक्रिय कदम उठाए हैं। नए फार्म से आशा है कि अनिवासी भारतीय वर के ब्यौरों का अभिलेख रखने में सहायक होगा, जो अनिवासी भारतीय विवाहों से उत्पन्न मुद्दों में सहायक होगी।

(vi) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने देश भर में अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों को उचित आदेश जारी करने के लिए विधि और न्याय मंत्री को एक पत्र लिखा है।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट प्रवासी भारतीय जीवन साथी द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता/पुनर्वास प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध विदेशी, गैर सरकारी संगठनों की सूची के साथ जोड़ा गया है और इस सूची का लिंक राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट के ''अंदर यूजफुल लिक'' में दी गई सूची के लिंक में दिया गया है। यह सूची राष्ट्रीय महिला आयोग वेबसाइट के ''नॉन रेजिडेंट इंडियन सेल'' सेक्शन में ''नेटवर्किंग विद एनजीओ'' शीर्षक में भी दिया गया है।

(viii) विदेशी भूमि पर परित्यक्त की गई महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय योजना की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने योजना का दायरा विस्तृत करने का प्रस्तव किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने योजना

के दायरे को बढ़ाने के लिए योजना में संशोधन किया है और संशोधित योजना प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रचालित बताई गई है।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा निपटाए गए कुछ सफल मामले

(i) **'ए' की शिकायतः** राष्ट्रीय महिला आयोग ने महावाणिज्यिक दूतावास को श्रीमती ए की शिकायत के संबंध में एक पत्र भेजा है, जिसमें उसके पति के द्वारा दहेज की मांग करने, घरेलू हिंसा, परित्यक्त करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। शिकायत में यह आशंका भी व्यक्त की गई थी कि उसका पति विदेश में गैर–कानूनी रूप से रह रहा है। भारत के महावाणिज्यिक दूत (सीजीआई) से एक उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया था और देश के कानून के अनुसार उचित कानूनी सहायता प्रदान की गई थी और साथ ही यह जानकारी दी कि उसके पति के विरूद्ध सावधानी सूची में प्रविष्टि की गई है जिससे कि बिना किसी साक्षात्कार के उसे कोई कौंसुलर सेवा प्रदान न की जाए।

(ii) **बी की शिकायत** : शिकायतकर्ता विदेश में रह रहे अपने पति का वर्तमान पता–ठिकाना जानने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग कर रही थीं, जो भारतीय न्यायालयों में उसके विरूद्ध चल रही लंबित कार्रवाई में उपस्थित नहीं हो रहा था। आयोग ने उसकी शिकायत सीजीआई को प्रेषित की और वहां से एक उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें शिकायतकर्ता के पति का नाम कार्ड और नवीनतम पते के साक्ष्य की जानकारी थी।

(iii) **सी की शिकायत** : पीड़िता के पिता से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसके अनिवासी पति और उसके ससुराल वालों के विरूद्ध दहेज मांगने, शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया गया था और शिकायत की गई थी कि पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को उठाया और एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि पुलिस ने एफआरआई दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। आयोग ने भारत के महावाणिज्यिक दूत को भी शिकायत प्रेषित की जिन्होंने उस देश में रहने वाली शिकायतकर्ता को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सीजीआई को शिकायत के अन्य तरीके से यथा संभव सहायता प्रदान करने की सलाह भी दी गई।

(iv) **डी की शिकायत** : शिकायतकर्ता जो भारतीय मूल की विदेशी नागरिक है, ने आयोग से संपर्क किया और शिकायत की कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और साथ ही उसकी अवयस्क बेटी को भी अपने साथ विदेश ले गया है। शिकायतकर्ता को इस संबंध में कार्यरत विदेशी गैर सरकारी संगठन से संपर्क करने की सलाह दी गई है और उसे ऐसे मामलों में कार्यरत विदेशी गैर सरकारी संगठनों की सूची प्रदान की। इसके पश्चात शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से आयोग में आई और सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी गैर–सरकारी संगठन ने उसे आश्रय प्रदान किया और पति के साथ समझौता करने के लिए मध्यस्थता की। उसने अपने मामले को बंद करने का निवेदन किया क्योंकि वह अब अपने पति और बेटी के साथ खुशहाल जीवन जी रही है।

(v) **ई की शिकायत** : शिकायतकर्ता ने विदेश में अपने पति का वर्तमान पता जानने के लिए आयोग से संपर्क किया क्योंकि भारत में उसके विरूद्ध कार्रवाई लंबित थी। आयोग ने भारत के महावाणिज्यिक दूत को इस संबंध में सूचना उपलब्ध करायी, जिन्होंने यह मामला उसके पति की कंपनी के साथ उठाया और उसके पति के वर्तमान पते के बारे में आयोग को सूचित किया।

(vi) **एफ की शिकायत** : शिकायतकर्ता जो फिलहाल अपने अवयस्क विदेशी नागरिक बच्चे के साथ भारत में रह रही है, विदेशों में अपने मामले की स्थिति के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि उसे आशंका थी कि उसके पति के देश में वापस लौटने पर उसे अपने बच्चे के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। आयोग ने उसकी शिकायत सीजीआई को प्रेषित की जिसने लंबित कानूनी कार्रवाई के बारे में मामले की जांच करने के पश्चात् सूचित किया और साथ ही शिकायतकर्ता को ऐसी कार्यवाही के कानूनी परिणामों के बारे में भी जानकारी दी।

(vii) **जी की शिकायत** : शिकायतकर्ता जो दुबई में रह रही थी, ने आयोग से संपर्क किया और निवेदन किया कि शिकायतकर्ता का पति उसे प्रताड़ित कर रहा है और उसे और उसके अवस्यक बच्चों को भारत वापस नहीं आने दे रहा है और उनके पासपोर्ट उसने अपने पास रख लिए हैं। आयोग ने मामला भारत के महावाणिज्यिक दूत को प्रेषित किया जिसने मामले में हस्तक्षेप करके आयोग को सूचित किया कि उसके हस्तक्षेप से शिकायकर्ता के पति ने उनके पासपोर्ट वापस कर दिए और उनकी टिकटों की व्यवस्था की। शिकायतकर्ता अपने बच्चों के साथ सकुशल भारत वापस लौट आयी है।

5 विधिक प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अनुसरण में आयोग ने वर्ष 2012–13 के दौरान अनेक कानूनों की समीक्षा की और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले नए कानूनों/नीतियों के अधिनियमन और साथ ही मौजूदा कानूनों में संशोधन के संबंध में सिफारिश की।

गर्भ का चिकित्सीय समापन (एमटीपी) अधिनियम 1971 की समीक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एमटीपी अधिनियम 1971 के मौजूदा उपबंधों में संशोधन की आवश्कयता का पता लगाने की दृष्टि से समीक्षा करने का निर्णय लिया। इस संबंध में हरेश और निकिता मेहता मामले की ओर उनका ध्यान दिलाया गया जो बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष आया था जिसमें युवा दम्पति ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जिसमें दिखाया गया कि भ्रूण को जन्मजात हृदय रोग होने के आधार पर गर्भ के चिकित्सीय समापन की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के पृष्ठभूमि टिप्पण और परामर्शों के दौर के आधार पर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाने की सिफारिश की है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति से गर्भ का चिकित्सीय समापन सुरक्षित हो गया है। गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए गर्भ की सीमा को 24 सप्ताह से अधिक किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ब्यौरा **अनुबंध – 8** पर दिया गया है।

अनैतिक मानव दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

अनैतिक मानव दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की समीक्षा के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वरा दिनांक 6 सितम्बर, 2012 के का.ज्ञा. के अनुसार एक अंतर मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया। अनैतिक मानव दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की समीक्षा के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग के विचार दिनांक 6 नवम्बर, 2012 को महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। विस्तृत सिफारिशें **अनुबंध–9** पर दी गई हैं।

वृंदावन की विधवाएं

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सिविल) सं. 659 वर्ष 2007 के संबंध में वृंदावन में रह रही विधवाओं की पहचान और गणना करने के संबंध में जांच करने के लिए एक सात सदस्यीय जांच समिति गठित किए जाने का आदेश दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस समिति में एक सदस्य थी। समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 3 अगस्त, 2012 के आदेश के द्वारा आयोग को 3 अगस्त, 2012 से अगले तीन सप्ताह के अंदर एक शपथ पत्र दायर करने को कहा, जिसमें वृंदावन में रह रही विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए आयोग द्वारा उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी जाए। मुद्दे को अति महत्वपूर्ण मानते हुए आयोग ने

कतिपय अन्य पहलुओं का पता लगाने के लिए वृंदावन का दौरा करने का निर्णय लिया। पांच सदस्यीय दल जिसमें श्रीमती ममता शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीया अध्यक्षा और श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग शामिल थे, ने 16 अगस्त, 2012 को वृंदावन का दौरा किया। जिलाधीश सहित राज्य के अधिकारी भी उपस्थित थे।

वृंदावन की विधवाओं के संबंध में दिनांक 24 अगस्त, 2012 को माननीय उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों के संबंध में एक विस्तृत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विभिन्न पुलिस/न्यायिक अकादमियों के माध्यम से महिलाओं से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न पुलिस/न्यायिक अकादमियों के माध्यम से महिलाओं से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम करना था। यह आयोग को लिंग आधारित मुद्दों पर साथ काम करने का अवसर प्रदान करता था। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:–

जुलाई, 2012 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, अप्रैल, 2012 को पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मरोल, मुंबई, जून, 2012 को हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुवन, कर्नाटक पुलिस अकादमी जून, 2012 को मार्च, 2013 को महिलाओं और बच्चों संबंधी विशेष पुलिस इकाई नानकपुरा, दिल्ली में आयोजित किया गया।

महिलाओं के अनुकूल कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीतिक समर्थन के संबंध में परामर्श

12 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में महिलाओं के अनुकूल कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीतिक समर्थन के संबंध में राष्ट्रीय विचार विमर्श हुआ।

महिलाओं को डायन घोषित करने संबंधी उल्लंघनों के संबंध में विचार विमर्श

29 जून, 2012 को अजमेर, राजस्थान में महिलाओं को डायन घोषित करने संबंधी उल्लंघनों के संबंध में उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र विचार–विमर्श हुआ जिसका उद्देश्य इस उभरती नई प्रवृत्ति की मौजूदगी और पहचान करना और डायनों की हत्या की परम्परा के संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया पर बल देना।

विशेषज्ञ समिति

कानूनों के मौजूदा उपबंधों और कानून के अन्य उपबंधों की जांच करने के लिए दिनांक 23 जुलाई, 2012 के आदेश के अनुसार विधि संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति द्वारा पहला विषय राष्ट्रीय महिला आयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

महिलाओं के विरूद्ध जन्म संबंधी पारिवारिक हिंसा संबंधी विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 26 अगस्त, 2012 को रोहतक, हरियाणा में महिलाओं के विरूद्ध जन्म संबंधी पारिवारिक हिंसा संबंधी राष्ट्रीय विचार–विमर्श का आयोजन किया।

गर्भधारण से पूर्व और जन्म से पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग का निर्धारण प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के उपबंधों में सुधार हेतु रणनीतियों की समीक्षा संबंधी विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20 दिसम्बर को नई दिल्ली में गर्भधारण से पूर्व और जन्म से पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग का निर्धारण प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के उपबंधों में सुधार हेतु रणनीतियों की समीक्षा के संबंध में एक दिवसीय राष्ट्रीय विचार–विमर्श का आयोजन किया।

''महिलाओं के प्रति हिंसा के संबंध में पुरुष राजनेताओं युवाओं और विद्यार्थी संगठनों को शामिल करने'' के संबंध में विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिंग संबंधी मुद्दों पर युवा पुरुष राजनेताओं और छात्र नेताओं को संवेदनशील बनाने के लिए 28 जनवरी, 2013 को दिल्ली में ''महिलाओं के प्रति हिंसा के संबंध में पुरुष राजनेताओं युवाओं और विद्यार्थी संगठनों को शामिल करने'' के संबंध में एक दिवसीय विचार–विमर्श का आयोजन किया।

6 अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) (ज) के अंतर्गत आयोग को, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके विकास में बाधा पहुंचाने वाले कारकों का पता लगाने के तरीके सुझाने के लिए विकासात्मक तथा शैक्षणिक अनुसंधान करना होता है। इस संबंध में आयोग ने लिंग समानता और सशक्तिकरण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सम्मेलन, जन सुनवाई, कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन किए।

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं संबंधी समस्याओं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए मंजूरी दी। पिछड़े और कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ की अधिकतर महिलाएं अनपढ़ और भोली–भाली हैं, के मामलों में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया जहां अधिकांश महिलाएं अनपढ हैं तथा उनमें जानकारी का अभाव है।

कुल 40 जागरूकता कार्यक्रम/308 जनसुनवाई, 70 पारिवारिक महिला लोक अदालतें लगाई गईं। इसके अतिरिक्त, 131 राष्ट्रीय स्तर/क्षेत्रीय स्तर/राज्य स्तर की संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की गईं और महिलाओं संबंधी मामलों तथा समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के किए 23 अनुसंधान अध्ययन भी प्रायोजित किए गए।

उन संगठनों जिनके लिए 2012–13 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम/जनसुनवाई, राज्य स्तर/क्षेत्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई, की सूची क्रमशः **अनुलग्नक–X, अनुलग्नक–XI और अनुलग्नक–XII** में दी गई है। 2012–13 के दौरान प्रायोजित संगोष्ठियों/जागरूकता कार्यक्रम/जनसुनवाई तथा प्रायोजित किए गए अनुसंधान अध्ययन की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

क्र.सं	राज्य	संगोष्ठियों की कुल संख्या	जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	जनसुनवाई कार्यक्रमों की कुल संख्या	अनुसंधान अध्ययनों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3	—	—	—
2.	असम	7	—	—	1
3.	बिहार	4	—	—	—
4.	दिल्ली	14	20	—	6
5.	हरियाणा	3	—	—	1
6.	हिमाचल प्रदेश	2	—	—	1
7.	जम्मू	—	—	—	—
8.	झारखंड	2	—	—	3

क्र.सं	राज्य	संगोष्ठियों की कुल संख्या	जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	जनसुनवाई कार्यक्रमों की कुल संख्या	अनुसंधान अध्ययनों की कुल संख्या
9.	मध्य प्रदेश	3	—	—	—
10.	महाराष्ट्र	5	—	—	1
11.	मणिपुर	3	4	—	1
12.	मेघालय	5	5	—	—
13.	मिजोरम	1	—	—	—
14.	ओड़ीशा	3	—	—	—
15.	पुदुचेरी	1	—	—	—
16.	राजस्थान	21	—	1	3
17.	तमिलनाडु	2	—	—	1
18.	त्रिपुरा	—	8	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	31	—	1	—
20.	पश्चिम बंगाल	5	—	1	2
21.	कर्नाटक	4	—	—	1
22.	पंजाब	1	—	—	—
23.	छत्तीसगढ	2	—	—	2
24.	उत्तराखंड	5	—	—	—
25.	केरल	1	—	—	—
26.	गुजरात	1	—	—	—
27.	अरुणचल प्रदेश	1	—	—	—
28.	सिक्किम	1	—	—	—
	कुल	**131**	**37**	**03**	**23**

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यकम (एलएपी) और पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)

आयोग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 308 विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) और 70 पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) के लिए मंजूरी दी। जिन गैर सरकारी संगठनों को वर्ष 2012–13 के दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और पारिवारिक महिला लोक अदालत लगाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनकी

सूची क्रमशः **अनुलग्नक –XIII और अनुलग्नक –XIV** पर दी गई है। मंजूर किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों की राज्य–वार संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

क्र.सं.	राज्य	एलएपी की कुल संख्या	पीएमएलए की कुल संख्या
1.	असम	09	–
2.	आंध्र प्रदेश	02	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	00
4.	बिहार	13	02
5.	छत्तीसगढ़	04	–
6.	दिल्ली	12	08
7.	गोवा	00	–
8.	गुजरात	05	–
9.	हरियाणा	06	–
10.	हिमाचल प्रदेश	01	–
11.	झारखण्ड	00	–
12.	कर्नाटक	02	–
13.	केरल	02	–
14.	मध्य प्रदेश	08	–
15.	महाराष्ट्र	19	04
16.	मिजोरम	10	–
17.	मणिपुर	07	–
18	मेघालय	36	–
19.	नागालैण्ड	10	–
20.	ओडिशा	00	–
21.	पंजाब	01	–
22	पुदुचेरी	02	–
23.	राजस्थान	103	–

क्र.सं.	राज्य	एलएपी की कुल संख्या	पीएमएलए की कुल संख्या
24.	सिक्किम	03	–
25.	तमिलनाडु	04	–
26.	त्रिपुरा	05	–
27.	उत्तर प्रदेश	30	56
28.	उत्तराखण्ड	06	00
29.	पश्चिम बंगाल	00	00
	कुल	**308**	**70**

हिंसामुक्त घर – महिला का अधिकार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ मई, 2008 में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना को अब हिंसा मुक्त घर कहा जाता है। महिला अधिकार का आशय पुलिस को महिला संबंधी मुद्दों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु थाना/पुलिस स्टेशन स्तर पर उनकी सहायता करना है। महाराष्ट्र मॉडल के आधार पर दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए तीन विशिष्ट प्रकोष्ठ स्थापित करते हुए परियोजना के चरण दो की शुरूआत मार्च, 2007 में शुरू की गई। प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य महिलाओं के प्रति हिंसा (वीएडब्ल्यू) के मामलों से निपटना, अपराधिक शिकायतों पर पुलिस सहायता का प्रावधान करना, पारिवारिक मामलों को निपटाने वाली एजेंसियों को संदर्भित करना, परामर्श देना, विधिक सहायता, एवं महिलाओं के प्रति हिंसा के विरोध में जागरूकता पैदा करना है। परियोजना को निधि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी जाती है तथा यह अपना कार्य टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस्स), मुंबई, महाराष्ट्र के सहयोग से कर रही है एवं परियोजना की सफलता पर विचार करते हुए इसके कार्यकाल को एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

अनुसंधान अध्ययन

वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन किए गए हैं, जिसका सारांश नीचे दिया गया है–

(I) महिला अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल द्वारा पश्चिम बंगाल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति संबंधी अध्ययन

क. अध्ययन का उद्देश्य

(क) मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक (सामान्य शिक्षा प्रणाली और मदरसा शिक्षा दोनों के रूप में) शिक्षा में भागीदारी को चिन्हित करना।

(ख) बिना पैसे के कार्य, सीमांत कामगार के रूप में पैसा देकर कराया गया कार्य, औपचारिक क्षेत्र के कामगार, विनियोजित कामगारों सहित कार्यों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी की सीमा का पता लगाना।

(ग) न केवल स्थिति बल्कि परस्पर – सामुदायिक संस्कृति का महिलाओं पर प्रभाव के संबंध में मुस्लिम महिलाओं के बीच शादी और तलाक के समाजशास्त्र का अध्ययन करना।

(घ) बहुपत्नी विवाह, शादी की उम्र के बारे में मुस्लिम महिलाओं के विचार दर्ज करना।

(ङ) इन निष्कर्षों, उभरती प्रवृत्तियों की समाजशास्त्रीय जटिलताओं एवं परिवर्तन का मुस्लिम महिलाओं पर दबाव का विश्लेषण करना।

(ख) पद्धति

(क) साक्षात्कार अधिसूची की सहायता से 749 मुस्लिम महिलाओं से आंकड़े एकत्र किए गए। बनाई गई प्रश्नावलियां दो श्रेणियों नामतः घरेलू प्रश्नावली और वैयक्तिक प्रश्नावली में मोटे तौर पर बांटी गई हैं।

(ख) घरेलू प्रश्नावली में मुस्लिम महिलाओं और उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर विशेष ध्यान दिया गया था।

(ग) वैयक्तिक प्रश्नावली को विशेष रूप से हमारे समाज में मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा संबंधी निर्णायक पहलुओं को प्राप्त करने, कार्य सहभागिता, शादी तलाक और अंतर–सामुदायिक संबंध के बारे में जानने के लिए इसे चार उप–भागों में बांटा गया था।

(घ) अध्ययन छह जिलों (माल्दा, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना एवं दक्षिण 24 परगना) पन्द्रह खंडों/ग्राम पंचायतों एवं 26 गांवों में किया गया।

(ग) अध्ययन के निष्कर्ष

(क) 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानों की जनसंख्या का घनत्व 62.67 प्रतिशत था एवं इसके बाद माल्दा जिले (49.72 प्रतिशत) था। मुस्लिम जनसंख्या का सबसे कम घनत्व 7.51 प्रतिशत बाकुंड़ा में था एवं इसके बाद हुगली में 15.14 प्रतिशत था। अन्य समुदायों के साथ मुसलमानों की मिश्रित आबादी समान या अर्ध–समान कोलकाता (20.27 प्रतिशत), उत्तर 24 परगना (24.22 प्रतिशत) दक्षिण 24 परगना (33.24 प्रतिशत) थी। इन जिलों को प्रयोजन हेतु प्राथमिक सर्वे के रूप में चुना गया।

(ख) भारत में अन्य समुदाय की महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं शिक्षा में पीछे है। सबसे अधिक अशिक्षित महिला प्रतिभागी 55 प्रतिशत दक्षिण 24 परगना में पाई गईं तथा इसके बाद माल्दा में 53 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित पाई गईं। कोलकाता और हुगली जिलों में चयनित सबसे कम अशिक्षा की दर 33 प्रतिशत थी।

(ग) चयनित जिलों में महिलाओं की शादी की औसत उम्र माल्दा में 14.75, उत्तर 24 परगना में 15.15, बांकुडा में 13.38 और हुगली में 15.75 वर्ष थी।

(घ) सर्वेक्षित सभी जिलों में बेरोजगारी सबसे अधिक थी किंतु काम न करने वालों का अनुपात मुर्शिदाबाद में अधिक था एवं अन्य जिलों की तुलना में मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बेरोजगारी अधिक थी।

(ड.) नियोजित महिलाओं में मजदूरी की प्रधानता थी। इन महिला कामगारों के कार्य का पैटर्न अलग प्रकार का है जिसमें घर में रहकर कढ़ाई, जरी कार्य, बीड़ी बनाना, पतंग बनाना, बाक्स बनाना, कॉपी बाइंडिंग, रस्सी बनाना, बुनाई जैसे उप–ठेके के कार्य शामिल हैं।

(च) लिंग संबंधी भेदभाव के साथ शिक्षा और तकनीकी कौशल के अभाव से ये महिलाएं औपचारिक नियोजन में जाने से परहेज करती है। दूसरी ओर अत्यंत गरीबी में कम कौशल और कम आय वाले कार्य करने के लिए बाध्य करती है।

(छ) सेवा में कार्यरत महिलाएं या तो स्थायी वार्ड कार्यालय में कार्य करती है या स्थानीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाना पकाने में लगी हैं।

(ज) चयनित जिलों में महिलाओं की औसत शादी की उम्र माल्दा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों में 15 वर्ष थी जबकि बांकुडा में यह 13 वर्ष थी।

(झ) भारी घरेलू हिंसा के बावजूद तलाक के दुरुपयोग के मामले विरले हैं। ये माल्दा में 1, मुर्शिदाबाद में 2 कोलकाता में 3, दक्षिण 24 परगना में 5, उत्तर 24 परगना में 3, बांकुडा में 4 और हुगुली में 3 थे। बहुत से मामलों में प्रतिवादियों ने ऐसी हिंसा को शादी का स्वाभाविक दुष्परिणाम कहा जिसका सामना कई पीढ़ियों से हो रहा है।

(ञ) सभी सात जिलों में एक से अधिक पत्नियां रखने का प्रचलन भी है। बहुपत्नी विवाह में ऐसी महिलाओं को एक ही घर में रहने को बाध्य किया जाता है।

(ट) बहुत से स्थानों पर शादीशुदा प्रतिभागी को देन मेहर के बारे में न तो जानकारी थी और न ही उन्हें ये महसूस था कि मामले का निपटारा हुआ है या नहीं जबकि देन मेहर का भुगतान अकेले दुल्हे द्वारा किया जाता है।

(ठ) शादियों में दहेज का प्रचलन अधिक है जबकि इस्लाम में विवाह में दहेज की मनाही है। लेकिन यह मुस्लिम समुदाय एक हिन्दू समुदाय में समान रूप से है।

(ड) महिलाओं की सह–सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण विरले ही पाए गए हैं। यह उन स्थानों पर प्रमुख रूप से था जहां हिन्दू–मुस्लिम साथ रहते हैं।

(ढ) प्रतिभागियों के संसाधन बहुत ही कम थे। घर का भूमि, यदि है तो, इसका स्वामित्व दिवंगत पति के नाम से है न कि पिता और भाइयों के नाम से। शादियों में दहेज का चलन एवं देन मेहर के भुगतान की प्रथा पुत्रियों को माता–पिता की संपत्ति में कानूनी दावे से रोकती है। संपत्ति में स्वामित्व का प्रमुख पैटर्न कुक्कुट और पशुधन में हिस्सेदारी है। स्वामित्व का रूचिकर पहलू यह है कि इसे बांटा जाता है।

(II) मानवाधिकार सामाजिक मंच, 198, तृतीय तल, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पंचायती राज प्रणाली में महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका संबंधी अध्ययन

(क) अध्ययन का उद्देश्य

(क) पुरुषों की तुलना में महिला प्रतिनिधियों के कार्य निष्पादन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना

(ख) महिला प्रतिनिधियों के सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को मापना।

(ग) महिला प्रतिनिधियों के प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना।

(घ) इनके द्वारा दी गई सहायता की समुचितता का पता लगानाः

परिवार

समुदाय

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) प्रक्रिया में कार्यकर्ता।

(ड.) प्रक्रिया में उनके प्रतिनिधित्व के संपूर्ण प्रभाव का आकलन करना।

(च) प्रणाली में गतिरोध और छिपे खतरे का पता लगाना।

(छ) कमियों को दूर करने के लिए उचित उपाय की सिफारिश करना।

(ख) प्रस्तावित अध्ययन के प्रमुख मानदण्ड निम्नवत थेः

(क) महिलाओं, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) सदस्यों एवं उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाना।

(ख) अन्य सदस्यों द्वारा प्रणाली में सहयोग।

(ग) प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारियों द्वारा प्रणाली में सहयोग।

(घ) पुरुषों की तुलना में पीआरआई प्रणाली में महिला सदस्यों का कार्य निष्पादन एवं प्रभावकारिता।

(ड.) पीआरआई प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव।

(च) निर्णय लेने एवं विकास के विभिन्न कार्यकलापों में महिला सदस्यों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों का प्रभाव।

(छ) गतिरोध और छिपे खतरे का पता लगाना।

(ग) पद्धति

(क) अध्ययन में उड़ीसा और मध्य प्रदेश शामिल थे। प्रत्येक चयनित राज्य में दो जिलों का चयन किया गया था। कुल 36 ग्राम पंचायतों को अध्ययन के लिए चयन किया गया था।

(ख) प्राथमिक आंकड़े 720 घरों (प्रत्येक 36 ग्राम पंचायतों में 20 घरों) 180 सदस्यों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो महिला सदस्यों सहित पांच सदस्य) 10 राज्य प्रशासनिक अधिकारी (दोनों राज्यों से पांच–पांच) बीस जिला प्रशासनिक अधिकारी (चार जिलों से पांच–पांच अधिकारी) साठ खण्ड विकास अधिकारी (प्रत्येक 12 ब्लॉकों में पांच) 20 मामलों (प्रत्येक जिले में पांच) एकत्र किए गए।

(घ) अध्ययन निष्कर्ष

(क) 180 चयनित पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) प्रतिनिधियों में से 86 प्रतिशत वार्ड सदस्य और 11 प्रतिशत सरपंच थे।

(ख) 19 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में मध्य प्रदेश में ज्यादा महिला प्रतिनिधि (8.3 प्रतिशत) थी जबकि उड़ीसा में यह 2.5 प्रतिशत था। एक ओर 41 से 60 वर्ष के महिला प्रतिनिधि उड़ीसा में 38.9 प्रतिशत थे तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में यह 33.4 प्रतिशत था।

(ग) अध्ययन से पता चलाता है कि 26.1 प्रतिशत महिला थी पीआरआई प्रतिनिधि उच्च प्राथमिक स्तर तक पढी थी। मध्य प्रदेश में 8.4 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि परास्नातक थीं जबकि यहॉ 30.6 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निरक्षर थे।

(घ) अध्ययन दर्शाता है कि 91.6 प्रतिशत महिलाएं गृहिणी हैं। केवल दोनों राज्यों के 8.4 प्रतिशत महिला प्रतिवादी कृषि कामगार हैं।

(ड.) आय के माहवार आंकड़े से पता चलता है कि 37.5 प्रतिशत पीआरआई महिला सदस्यों की मासिक आय 1001 से 2000 के बीच थी जबकि 15.5 प्रतिवादियों की आय 5000 और उससे अधिक थी। दोनों राज्यों के समेकित आंकड़े से पता चलता है कि उड़ीसा की पीआरआई महिला सदस्यों के घर की आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश से बेहतर है।

(च) लगभग 31.9 प्रतिशत महिला पीआरआई सदस्यों को पीआरआई में पांच वर्ष से अधिक का अनुभव है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 26–40 वर्ष के बीच की 36.1 प्रतिशत महिला सदस्यों को पंचायती राज्य का अनुभव नहीं है जबकि 16.66 प्रतिशत 41–60 वर्ष की महिलाओं को पीआरआई में 2001–2002 से काम करने का अनुभव था।

(छ) 73.6 प्रतिशत प्रतिभागियों ने सरकारी नीतियों एवं योजना के कल्याण की जानकारी लोगों में अच्छी तरह से बांटी। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 69.4 प्रतिशत और 77.8 प्रतिशत था।

(ज) अध्ययन में पाया गया कि उड़ीसा में 63.8 प्रति एवं मध्य प्रदेश में 61.1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने पीआरआई में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की बात स्वीकारी।

(झ) 11.1 प्रतिशत प्रतिनिधियों ने आंगनवाड़ी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी तथा 1.38 धार्मिक कार्य तथा मध्याह्न भोजन को प्राथमिकता देना चाहती हैं।

(ञ) समुदाय की 37.4 प्रतिशत प्रतिवादी मानती हैं कि पीआरआई प्रणाली में पुरुषों का आधिपत्य है। परंतु केवल 12.5 प्रतिशत पुरुष सदस्य पुरुषों की प्रधानता को स्वीकारते हैं। लेकिन क्रमशः 62.6 प्रतिशत तथा 87.5 प्रतिशत ग्रामीण एवं पुरुष सदस्य इस विचार से असहमत हैं।

(ट) 23.7 प्रतिशत ग्रामीणों ने कहा कि महिला सदस्यों को आंगनवाड़ी, पेयजल जैसे कार्य दिए गए हैं। 19.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें महिला और शिक्षा के विकास का कार्य दिया गया है। प्रत्येक प्रतिभागियों में से 6.9 प्रतिशत ने बताया कि महिला विकास योजना महिला सदस्यों को दिये जाते हैं।

(ठ) 92.7 प्रतिशत ग्रामीणों का विचार था कि महिला सदस्य लोकप्रिय हैं जबकि 4.6 प्रतिशत इससे असहमत थे।

(ड) 67.3 प्रतिशत पुरुष प्रतिभागियों ने सूचित किया कि सरकारी पदाधिकारी महिला सदस्यों को स्थानीय स्तर पर मदद करते है।

(ढ) 56.5 प्रतिशत ग्रामीणों ने कहा कि महिला प्रतिनिधियों ने समुदाय की बेहतरी के लिए मौजूद सरकारी योजनाओं की जानकारी के प्रचार–प्रसार में असफल रहती हैं इसका अर्थ यह है कि समुदाय निचले स्तर पर जिस प्रकार सरकार विकास की योजना का प्रचार–प्रसार किया जाता है, उससे खुश नहीं है। उनका विचार है कि इसे ज्यादा अर्थपूर्ण होना चाहिए।

(त) 38.9 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों का विचार है कि पीआरआई में पुरुषों का आधिपत्य है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 53 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत है।

(ड.) बाधाएं

(क) अध्ययन में समस्याएं सामने आई किंतु ये ऐसी समस्याएं नहीं है कि इनका निवारण न किया जा सके। सरकार को निवारक उपायों पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है तथा यदि आवश्यक हो तो स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी संबंधी सरकारी नीति का सभी स्तरों पर सही से क्रियान्वयन किया जाए।

(ख) अध्ययन में पाया या है कि ग्राम के सामुदायिक नेता ऐसे उम्मीदवारों के चयन का प्रयास करे हैं जो कार्य नहीं कर पाते तथा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। महिलाएं अपने दम पर आगे नहीं आती हैं उनके परिवार के सदस्य या निकटस्थ संबंधी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बाध्य करते हैं। पुनः यदि महिला सदस्य पहले कार्यकाल में अच्छा कार्य करती हैं तो उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है। वे हताश हो जाती हैं।

(ग) महिला प्रतिनिधियों को पंचायत के अन्य सदस्यों के विरूद्ध जाने के कारण मारा–पीटा गया।

(III) नोबल सोशल एण्ड एजुकेशन सोसाइटी, 303, अखिल अर्पाटमेंट, नेहरू नगर, तिरुपति – 517507, आंध्र प्रदेश द्वारा आंध्र प्रदेश में किशोरी शक्ति योजना का मूल्यांकन संबंधी अनुसंधान अध्ययन।

(क) अध्ययन का उद्देश्य

(क) लाभार्थी किशोरियों और उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल का वर्णन।

(ख) इस योजना के अंतर्गत आने वाली 11–18 वर्ष की लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर संबंधी ज्ञान और जागरूकता की जांच करना।

(ग) संगत सामाजिक मुद्दों संबंधी जागरूकता को समझना।

(घ) किशोरी शक्ति योजना के कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् किशोरियों के जीवन में आए अंतर के विचार को भी दर्ज करना।

(ड.) इस बात की जांच करना कि लाभार्थी लड़कियों द्वारा प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें उत्पादन के कार्यों में लगया गया है तथा उनकी आय पर इसका क्या प्रभाव है।

(च) किशोरी शक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना।

(ख) पद्धति

(क) वर्तमान अध्ययन आंध्र प्रदेश में किया गया।

(ख) वर्तमान अध्ययन के लिए सबसे अधिक संख्या में लाभार्थियों की संख्या के आधार पर पांच जिले नामतः तेलंगाना क्षेत्र से वारंगल और निजामाबाद, तटीय आंध्र प्रदेश से गुंटूर और कृष्णा एवं रायलसीमा क्षेत्र से चित्तूर को चुना गया।

(ग) प्रत्येक चयनित जिलो में किशोरी शक्ति योजना की 150 लाभार्थी किशोरियों को रैन्डम आधार पर चुना गया तथा कुल 750 प्रतिभागियों को लिया गया। इसके अलावा प्रत्येक चयनित जिले से 30 आंगनवाड़ी कामगारों को रैन्डम आधार पर चुना गया तथा चयनित आंगनवाड़ी कामगारों की संख्या 150 थीं।

(घ) साक्षात्कार की अलग–अलग सारणी बनाई गई एक सारणी में किशोरी शक्ति योजना कार्यक्रम के चयनित किशोरियों से सूचना एकत्र की गई तथा दूसरी सारणी में इसे चयनित आंगनवाड़ी कामगारों को दिया गया।

(ग) अध्ययन के निष्कर्ष

(क) किशोरी शक्ति योजना के अधिकांश लाभार्थी परिवार कमजोर तबके के हैं। अधिकांश परिवार (76.27 प्रतिशत) भूमिहीन है और शेष छोटे किसान (23.73 प्रतिशत) हैं। तीन चौथाई परिवार ऋण ग्रस्त हैं अभी

नमूने में 85 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 10,000 से 60,000 है। अधिकांश परिवारों का वार्षिक व्यय 30,000 से 70,000 रुपए के बीच है।

(ख) परिवार का औसत आकार 4.27 है।

(ग) कुल प्रतिभागियों में से अधिकांश (84.67 प्रतिशत) ने सेकेन्ड्री और इंटरमीडिएट (10+2) स्तर की शिक्षा ग्रहण की एवं इनमें से 2.3 प्रतिशत विद्यालय नहीं गए थे। कुल प्रतिभागियों में से शेष (80 प्रतिशत) प्राथमिक, (82.7 प्रतिशत) सेकेन्ड्री, (44 प्रतिशत), इंटरमीडिएट (24.27 प्रतिशत) और ग्रेजुएशन (3.7 प्रतिशत) थे।

(घ) निदर्शन में कुछ लड़कियां विवाहित थी।

(ड.) प्रतिभागियों के निदर्शन में किशोरी शक्ति योजना की जागरूकता के संबंध में वे पूरी तरह से जागरूक थी एवं इनमें से अधिकांश (82.13 प्रतिशत) को इसके बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली।

(च) कुल प्रतिभागियों में से 81.13 प्रतिशत ने बताया कि वे विभिन्न बैठकों जैसे माताओं की समिति की बैठक, जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सहित पोषण, शिक्षा में भाग लेने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र जाती है।

(छ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने (88.33 प्रतिशत) किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना कार्यक्रम के प्रति प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकतम प्रतिभागियों अर्थात् 46 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि उनके परिवार के सदस्य किशोरी शक्ति योजना से संतुष्ट नहीं है। लगभग 40 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनके परिवार के लोग कार्यक्रम के कार्य निष्पादन से संतुष्ट हैं।

(ज) कुल प्रतिभागियों में से केवल 34.27 प्रतिशत ने कहा कि किशोरी शक्ति योजना प्रशिक्षण ने आय सर्जक कार्यकलाप शुरू करने और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में आय सर्जक कार्यकलाप शुरू करने और रोजगार पाने में मदद की है। इनमें से 19.47 प्रतिशत ने आय सर्जक अपना काम शुरू किया है तथा शेष 14.8 प्रतिशत दैनिक कामगार के रूप में कार्य कर रही हैं।

(झ) उक्त दो श्रेणी के प्रतिभागियों के मासिक आय के बारे में पाया गया कि (80.71 प्रतिशत) की मासिक आय 1000–3000 रुपए के बीच थी। उनमें से 18.29 प्रतिशत की आय 3001–5001 रुपए और इससे ऊपर है। कुल प्रतिभागियों में से लगभग 65 प्रतिशत ने कहा कि वे मजदूरी नियोजन और स्व नियोजन की आय से संतुष्ट नहीं हैं तथा शेष (35 प्रतिशत) ने संतोष व्यक्त किया।

(ञ) प्रतिभागियों ने से अधिकांश प्रतिशत (63.42) लोगों ने कहा कि वे अपनी आय बच्चों की शिक्षा सहित दैनिक घरेलू जरूरतों के लिए करती हैं। इनमें से लगभग एक चौथाई ने कहा कि वे आय के सृजन के कार्य में आय के हिस्से का दुबारा निवेश रही हैं एवं 11.67 प्रतिशत ने इसका उपयोग अपने पुराने कर्जों को चुकाने में कर रही हैं।

(ट) आय सृजन के कार्यकलाप शुरू करने तथा रोजगार पाने पर व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रभाव कम प्रतीत होता है (संख्या 257) क्योंकि 146 स्वनियोजित हैं एवं 111 रोजगार नहीं मिल पाया। इनमें से अधिकांश अपनी मासिक आय से संतुष्ट नहीं थी।

(ठ) किशोरियों में लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की शिक्षा, लिंगीय समानता, बाल विवाह, बाल श्रम जैसे मुद्दों पर जागरूकता बेहतर पाई गई फिर भी उन्हें और जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।

(ड) पैतृक संपत्ति के समान अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं का दुर्व्यापार, स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण एवं राजनीतिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी के बारे में जागरूकता कम पाई गई। इन मुद्दों के बारे में और जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है।

(ढ) गर्भधारण के बीच अंतर, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान देखभाल और माहवारी आदि तथा डायरिया, खून की कमी एवं टीकाकरण आदि के बारे में जानकारी और जागरूकता में और सुधार की आवश्यकता है।

(त) एचआईवी/एड्स की जानकारी एवं संस्थागत प्रसव के लाभ के बारे में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिए जा रहे अनुपूरक आहार की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया गया।

(थ) अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यककर्ता वेतन और उसके बदले में दिए गए कार्य से संतुष्ट नहीं थे।

(द) कुल प्रतिभागियों में से 82.67 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) के अंतर्गत अभिमुखन कार्यक्रम में भाग लिया है तथा शेष 17.33 प्रतिशत किशोरियों पर हुए पूर्व के कार्यक्रम में भाग लिया।

(ध) अधिकांश प्रतिभागियों ने कहा कि केएसवाई की अधिकतर किशोरियों ने स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य सहित शिक्षा तथा सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया है।

(न) कुल प्रतिभागियों में लगभग दो तिहाई ने कहा कि केएसवाई में नामांकन में उन्हें समस्या नहीं हुई जबकि 26.67 प्रतिशत को इस प्रक्रिया में कुछ समस्याएं हुईं।

(प) कुल प्रतिभागियों में से 52.67 प्रतिशत ने कहा कि केएसवाई का विशेष रूप से स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर प्रभाव संतोषजनक है तथा शेष 47.33 प्रतिशत ने कार्यक्रम के प्रभाव पर अप्रसन्नता व्यक्त की। कुल प्रतिभागियों में से 64 प्रतिशत ने परिवर्तन एजेंट के कार्य पर असंतोष व्यक्त किया।

(फ) केवल 40.67 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि विभाग अनुवर्ती कार्यकलाप में प्रशिक्षण लेने वालों का ध्यान रख रहा है।

(IV) सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज एण्ड डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस (आरसीएसएस), कलामेसरी, कोच्चि, केरल द्वारा केरल में महिला कैदियों पर अध्ययन।

(क) अध्ययन का उद्देश्य

(क) केरल की जेल में बंद महिला कैदियों का प्रोफाइल एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना

(ख) महिला कैदियों द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति का पता लगाना।

(ग) ट्रायल के अधीन और दोषसिद्ध (निर्णय देने की अवधि), महिला कैदियों के जेल में रहने की अवधि और कारण का पता लगाना।

(घ) महिला कैदियों (ट्रायल के बाद) के लिए बनाई गई पुनर्वास की रणनीतियों एवं उनके क्रियान्वयन का अध्ययन करना।

(ड.) जेल की सजा काट रही माताओं के बच्चों की स्थिति का अध्ययन करना।

(च) महिलाओं को त्वरित न्याय देने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(ख) पद्धति

(क) अध्ययन का डिजाइन वर्णनात्मक था क्योंकि विभिन्न श्रेणी की महिला कैदियों के वास्तविक जीवन स्थितियों का वर्णन करने के लिए तथा उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए समस्याओं को ध्यान में रखकर आंकड़े लिए गए थे।

(ख) सभी महिला कैदी विभिन्न जेलों – केन्द्रीय जेल, महिला जेल, जिला जेल, विशेष उप–जेल और कर्नाटक राज्य की उप–जेल में डाटा एकत्र करते समय उनकी पंजी बनाई गई थी।

(ग) 15 जेलों में 161 महिला कैदियों का साक्षात्कार लिया गया जिसमें केन्द्रीय जेल–1, महिला जेल–3, उप–जेल–7, विशेष उप– जेल–2 एवं जिला जेल–2 महिलाएं शामिल थी जो केरल के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केवल 24.8 प्रतिशत की दोष सिद्ध थीं।

(ग) अध्ययन के निष्कर्ष

(क) 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की सबसे अधिक 29.2 प्रतिशत महिलाएं थी तथा 23.6 प्रतिशत 50 वर्ष के आयु वर्ग में थी।

(ख) अधिकतर महिला कैदी (69.6 प्रतिशत) कथित रूप से साक्षर थीं। 30.4 प्रतिशत (मूल निवासियों एवं प्रवासियों सहित) निरक्षर थीं।

(ग) 161 महिला कैदियों में से, अधिकतर (75.8 प्रतिशत) हिन्दू थीं। 13 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत क्रमशः मुस्लिम और ईसाई थीं। 49 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की थीं। 31.7 प्रतिशत और 31.7 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की थीं।

(घ) अधिकतर महिला कैदी 47.8 प्रतिशत विवाहित थीं और उनमें से 24.8 प्रतिशत विधवा थीं। तलाकशुदा अथवा अलग रह रहीं महिलाएं 21.7 प्रतिशत थीं। अविवाहित महिलाओं (5.6 प्रतिशत) की संख्या कम पाई गई।

(ड.) 44.1 प्रतिशत के परिवार में 3 अथवा उससे कम सदस्य थे जबकि 43.5 प्रतिशत के परिवार में 4 से 6 सदस्य थे।

(च) 75.2 प्रतिशत विचाराधीन/रिमांड कैदी थीं। केवल 24.8 प्रतिशत अभियुक्त थीं।

(छ) 29/161 महिला कैदियों के परिवार के कुछ सदस्य जेल/कैद में थे। आधी (57.1 प्रतिशत) से अधिक महिला कैदियों के अपने घर थे।

(ज) अधिकतर महिला कैदियों (60.2 प्रतिशत) के पास अपनी जमीन थी। इनमें से 67 प्रतिशत के पास सौ से कम जमीन थी।

(झ) अधिकतर महिला कैदियों (79.5 प्रतिशत) ने बताया कि कैद के पहले वे नौकरीशुदा थीं।

(ञ) 50 प्रतिशत कुली के रूप में कार्य करती थीं या दिहाड़ी के आधार पर कार्य करती थीं जबकि 24.2 प्रतिशत मुख्यतः फूल, झाड़ू बेचने, पुराने कपड़े के बदले नये कपड़े लेने, कूड़ा एकत्र करके उसे बेचने इत्यादि जैसे छोटे व्यवयास में 'स्वनियोजित' थीं।

(ट) 77 विवाहित कैदियों में से 31 महिला कैदियों (40.3 प्रतिशत) के पतियों के पास कोई रोजगार नहीं था, 24.7 प्रतिशत के पति स्वनियोजित थे और 19.5 प्रतिशत कुली अथवा दिहाड़ी मजदूर थे।

(ठ) 161 महिला कैदियों में से कुछ (11) ने बताया कि उनके परिवार में आय का कोई स्रोत नहीं है और उन्हें दूसरों से भरोसे जीवन यापन करना पड़ता है।

(ड) 150 महिला कैदियों जिनके परिवार में आय होती थी, में से अधिकतर (54.7 प्रतिशत) 5000/– रु. और उससे कम की श्रेणी में आ गई थीं, जबकि 17.3 प्रतिशत 5000/– रु. से रु. 10000/– के आय समूह में आती थीं।

(ढ) अधिकतकर महिला कैदी बीपीएल परिवारों की थीं और वह भी आर्थिक संरचना के सबसे निचले पायदान पर थीं।

(ड़) अधिकतर (63.8 प्रतिशत) कैदियों पर कोई कर्ज नहीं था।

(त) हत्या/सदोष मानव हत्या का प्रयास प्रमुख अपराध था, जिसके तहत महिला कैदियों को गिरफ्तार किया गया। 23.6 प्रतिशत को डकैती/चोरी के कारण गिरफ्तार किया गया। 23.6 प्रतिशत आबकारी अधिनियम के तहत दोषी थीं। 9.9 प्रतिशत (16) को सेक्स सम्बन्धी अपराधों (बलात्कार/आईटीपी अधिनियम/अव्यस्क लड़कियों की दलाली/खरीद/बिक्री) के कारण गिरफ्तार किया गया।

(थ) 10 (6.2 प्रतिशत) महिला कैदी धारा 406/407/409/420 के तहत छल/आपराधिक न्यास भंग दोषी थीं। 13 (8.1 प्रतिशत) महिला कैदी 'अन्य' श्रेणी में आती थीं।

(द) अधिकतर अभियुक्त महिला कैदियों को हत्या/सदोष मानव हत्या का प्रयास से सम्बन्धित मामलों के लिए कारावास दिया गया।

(ध) विचाराधीन कैदियों में से 29.8 प्रतिशत को आबकारी/एनडीपीएस अधिनियम और डकैती/चोरी के आद आईटीपी/बलात्कार मामलों के लिए और 29.8 प्रतिशत को हत्या/संदोष मानव हत्या के प्रयास (प्रत्येक मामले में 13.2 प्रतिशत) से संबंधित मामलों के लिए गिरफ्तार किया गया।

(न) निरक्षरों में से अधिकतर को 'डकैती/चोरी' (36.7 प्रतिशत) और 'आबकारी/एनडीपीएस अधिनियम' (32.7 प्रतिशत) के तहत आने वाले अपराधों के कारण गिरफ्तार किया गया।

(प) अपेक्षाकृत अधिसंख्य शिक्षित (पीडीसी/+2–62.5 प्रतिशत और स्नातक 50.0 प्रतिशत) महिलाओं को हत्या/संदोष मानव हत्या के प्रयास के मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया।

(फ) जिन 40 अभियुक्तों का साक्षात्कार लिया गया उनमें से अधिकतर (32.5 प्रतिशत) का समय उनके दोषसिद्धि के निर्णय के लिए '1 साल से कम' था। तथाकथित 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अभियुक्तों का समय क्रमशः '1–3 साल' और '3–6 साल' था। कुछ मामलों में (17.5 प्रतिशत) अधिक विलम्ब अर्थात् '6–9 साल' (12.5 प्रतिशत) और '9 साल से अधिक' (5.0) प्रतिशत पाया गया। हत्या के दो मामलों में दोषसिद्धि के लिए '9 साल से अधिक समय' लगने की बात बताई गई। एक 'आबकारी' मामले और 4 हत्या मामलों में दोषसिद्धि के लिए '6–9 साल' का समय लगा।

(ब) 121 विचाराधीन/रिमांड (महिला) कैदियों में से 45.5 प्रतिशत 'एक महीने से कम' अवधि से हिरासत में थीं। 38.8 प्रतिशत की हिरासत की अवधि '1–6 महीने' की थी। उनमें से कुछ (5.8 प्रतिशत) को लम्बी अवधि अर्थात 1–3 साल (3.3 प्रतिशत और 3–6 साल) (2.5 प्रतिशत) के लिए जेल/कैद में रखा गया।

(भ) अपराधवार, अधिकतर (70 प्रतिशत) 'अन्य अपराधों' (केपी अधिनियम, विदेशी अधिनियम के तहत 14 आदि) और 52.8 प्रतिशत 'आबकारी/एनडीपीएस अपराधों' के तहत कम समय अर्थात् '1 महीने से कम' से हिरासत में थीं। केवल 'आबकारी' (1,2.8 प्रतिशत) और 'डकैती/चोरी' (2,5.6 प्रतिशत) मामलों में लम्बी अवधि की हिरासत (3–6 साल) देखी गई।

(म) 40 दोषियों में से केवल 11 (27.5 प्रतिशत) को पैरोल दिया गया। उनमें से अधिकतर (72.5 प्रतिशत) को पैरोल नहीं मिला।

(य) सभी 11 दोषियों, जिनके बारे में पैरोल लिए जाने की योजना है ने एक साल में दो बार उसका उपयोग किया ओर पैरोल की अवधि 30 दिनों की थी।

(र) केरल के 43.5 प्रतिशत महिला कैदियों का अपना वकील था जबकि अधिकतर (56.5 प्रतिशत) का नहीं था।

(ल) अधिकतर (48.4 प्रतिशत) महिला कैदियों ने बताया कि उनके मामलों की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है जबकि 18.6 प्रतिशत ने बताया कि सुनवाई की संख्या '5 या 5 से कम' है, 16.8 प्रतिशत ने बताया कि सुनवाई की संख्या 11–20 है। केवल 9.3 प्रतिशत महिला कैदियों के मामले में '20 से अधिक बार' सुनवाई की बात बताई गई।

(व) 46.0 प्रतिशत ने बताया कि उनकी सुनवाई में देरी नहीं हुई क्योंकि उनके मामले हाल ही के थे जबकि 44.1 प्रतिशत ने सुनवाई में देरी की शिकायत की, कुछ (9.9 प्रतिशत) ने इसके बारे में अपनी अनभिज्ञता बताई।

(श) जिन 71 महिला कैदियों ने सुनवाई में देरी की बात कही थी उनमें से अधिकतर (53.5 प्रतिशत) को इसके कारण के बारे में पता नहीं था। 29.6 प्रतिशत ने सुनवाई में देरी का कारण 'जांच में विलम्ब' को बताया।

(श) 40 दोषियों में से 19 (47.5 प्रतिशत) के बारे में यह बताया गया कि उन्होंने जेल में पुनर्वास संबंधी उपायों का लाभ उठाया।

(स) 161 महिला कैदियों में से, 26/40 दोषियों और 90/121 विचाराधीन कैदियों को मिलाकर 116 के बारे में यह बताया गया कि वे अपनी रिहाई के बाद स्वतंत्र रूप से जीवन–यापन करने में सक्षम हैं।

(ह) 116 कैदियों, जिन्होंने यह कहा कि वे अपनी आजीविका का निर्वाह स्वयं नहीं कर सकतीं, उनमें से 72 (62.1 प्रतिशत) का यह विचार था कि वे दैनिक मजदूरी के आधार पर अपनी आजीविका का निर्वाह करेंगी। अधिकतर कैदियों, जिनकी संख्या 29 (25 प्रतिशत) थी, का अपना स्वयं का व्यवसाय शरू करने की योजना थी। बाकी कैदियों ने प्राइवेट जॉब (5), कृषि और आजीविका के अन्य साधनों को तरज़ीह दी।

(क्ष) 47.8 प्रतिशत को या तो अपने मामलों की पैरवी खुद करनी पड़ी या सरकार से निःशुल्क कानूनी सहायता लेनी पड़ी। 28.6 प्रतिशत के बारे में यह बताया गया है कि उन्होंने अपने मामलों की पैरवी के लिए अपने पति/बच्चों की सहायता ली। 8–7 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत के मामलों में उनकी पैरवी के लिए क्रमशः उनके माता–पिता/भाई/बहन और रिश्तेदार/मित्र/पड़ोसी ने सहायता की।

(त्र) जिन 161 कैदियों पर अध्ययन किया गया उनमें से अधिकतर के (109, 67.7 प्रतिशत) कथित रूप से बच्चे थे जिनकी कुल संख्या 204 थी। 204 बच्चों में से 18.6 प्रतिशत बच्चे कैदियों के परिवार/रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे। 15.7 प्रतिशत अनाथालयों में रह रहे थे क्योंकि उनकी देख–रेख के लिए उनका कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया।

(ज्ञ) महिला कैदियों के 204 बच्चों में से 98 विभिन्न कक्षाओं में और विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत पढ़ रहे थे और केवल 32 नौकरीशुदा थे। इनमें से 2 विदेशों में थे और 17 कुली थे। 5 कुशल कारीगर थे जबकि 1, 3 और 4 बच्चे क्रमशः सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब एवं स्व–व्यवसाय में कार्यरत थे।

(ज्ञi) 66 महिला कैदियों जिनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, में से 33 ने बताया कि उनके कारावास से उनके बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई। 21 उत्तरदायियों ने अपने बच्चों की शिक्षा को संतोषजनक/अच्छा/बहुत अच्छा बताया।

(ज्ञii) बच्चों वाली 109 महिला कैदियों में से केवल 27 कैदियों से उनके बच्चों ने मुलाकात की। 7 महिला कैदियों के बच्चे किशोर सुधार गृह/जेल में थे। 1 कैदी के 2 बच्चे (15 और 17 वर्ष के) अनैतिक दुर्व्यापार के अपराध के कारण किशोर सुधार गृह में थे। 6 महिला कैदियों के बच्चे हत्या/संदोष मानव हत्या के प्रयास (4), धोखाधड़ी (1) और अनैतिक दुर्व्यापार (1) के अपराधों के कारण जेलों में बंद थे। वे 18–32 वर्ष की आयु के थे।

(V) श्री भैरवी सोशल फाउंडेशन, ए–381, सरस्वती मार्ग, मंडावली फजलपुर, दिल्ली–110092 द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में किशोरी शक्ति योजना के सम्बन्ध में किया गया अनुसंधान अध्ययन।

(क) अल्प अवधि उद्देश्य

(क) 11–18 वर्ष के आयु समूह की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार का पता लगाना।

(ख) इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त की गई अनौपचारिक शिक्षा का अध्ययन करना।

(ग) उन्नत एवं प्रारम्भ किये गये गृह–आधारित व्यवसायिक कौशल प्राप्त करना।

(घ) सही समय पर विवाह के सम्बन्ध में जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन के बारे में जानना।

(ड.) बच्चों की देखभाल, उनके कल्याण एवं पोषण कार्यक्रमों के बारे में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करना।

(ख) दीर्घ अवधि उद्देश्य

(क) महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए सक्षम बनाना।

(ग) प्रक्रिया

(क) इस अध्ययन में 200 किशोरियों को शामिल किया गया। उनमें से 180 लड़कियां 9 प्रखंडों से थीं जिनमें से 18 लड़कियां प्रशिक्षित पायी गईं जिन्हें अध्ययन के लिए चुना गया।

(ख) मुक्त एवं सीमित प्रश्न सूची, फोकस ग्रुप डिसक्शन, चुनिन्दा लाभार्थियों के सघन साक्षात्कार, चुनिंदा केस स्टडी के माध्यम से आँकड़े एकत्र किये गए।

(घ) निष्कर्ष

(क) उत्तरदाताओं की आयु 13 वर्ष से 22 वर्ष के बीच थी।

(ख) उत्तरदाताओं की अधिकतम संख्या (32.8 प्रतिशत) 19–20 वर्ष के आयु वर्ग की थी और न्यूनतम संख्या 21–22 वर्ष के आयु वर्ग की थी।

(ग) 198 उत्तरदात्रियों में से, 10.1 प्रतिशत ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी जबकि 22.25 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त थीं इसके अतिरिक्त 22.72 प्रतिशत मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा प्राप्त थीं और 22.22 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षित थीं। 15.65 प्रतिशत स्नातक और उससे अधिक पढ़ी लिखी थीं। उत्तरदात्रियों को अधिकतम संख्या में माध्यमिक शिक्षा की शैक्षिक श्रेणी में रखा गया और उत्तरदात्रियों को न्यूनतम संख्या में प्राथमिक शिक्षा के आयु समूह में रखा गया।

(घ) 198 उत्तरदायिताओं में से 44.4 प्रतिशत उत्तरदात्री 11 से 13 साल की उम्र में वयस्क हो गयीं थीं जबकि 48.4 प्रतिशत उत्तरदात्री 14–16 की उम्र में वयस्क हुईं। 1.5 प्रतिशत उत्तरदात्री 17 से 19 साल में वयस्क हुईं।

(ड.) 198 उत्तरदात्रियों में 94.9 प्रतिशत उत्तरदात्री अविवाहित थीं और 5 प्रतिशत विवाहित थीं।

(च) 26 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने यह राय दी कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम पोषण की जरूरत होती है जबकि 74 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का यह विचार था कि लड़के–लड़की दोनों को समान पोषण प्राप्त होना चाहिए।

(छ) 198 उत्तरदात्रियों में से 57.50 प्रतिशत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामित थीं जबकि 42.40 प्रतिशत किसी प्रकार की व्यवसायिक क्रिया–कलाप में नामित नहीं थीं।

(ज) 198 उत्तरदात्रियों में से 90.4 प्रतिशत की राय थी कि शादी की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए जबकि 9.5 प्रतिशत लड़कियां शादी की वर्तमान उम्र से संतुष्ट थीं।

(झ) 78.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की यह राय थी कि ''महिलाओं के कम से कम एक पुत्र होना चाहिए'' जबकि 21.2 प्रतिशत ने पुत्र और पुत्री दोनों के लिए संतुलित राय दी।

(ञ) 22.72 प्रतिशत ने बताया कि स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित है जबकि 72.27 प्रतिशत ने यह राय दी कि स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य है।

(ट) 41.22 प्रतिशत दूध और उसके विभिन्न उत्पादों का समर्थन किया जबकि 35.08 प्रतिशत ने अनाज उत्पादों का समर्थन किया। 20.76 प्रतिशत ने बताया कि फल और सब्जियां पोषण के मुख्य स्रोत हैं। 1.75 ने प्रतिशत ने मांस एवं अंडे का भी समर्थन किया जबकि 1.16 प्रतिशत ने विभिन्न विटामिन अनुपूरकों का समर्थन किया।

(ठ) 70.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की राय में शादी की सही उम्र लड़कों के मामले में 21 साल और लड़कियों के मामले में 18 साल होनी चाहिए जबकि 21.21 प्रतिशत उत्तरदायियों की राय यह थी कि शादी की सही उम्र लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 20 साल होनी चाहिए। 10 प्रतिशत की राय यह थी कि लड़कों के लिए शादी की सही उम्र 20 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होनी चाहिए।

(ड) 29 प्रतिशत ने एक संतान का समर्थन किया जबकि 54 प्रतिशत ने बताया कि कम से कम दो या तीन संतान होनी चाहिए। 17 प्रतिशत ने बताया कि एक दम्पत्ति की कम से कम चार संतान होनी चाहिए।

(ढ) 67 प्रतिशत उत्तरदायियों की राय थी कि किसी महिला के दो क्रमागत बच्चों के बीच कम से कम तीन साल का अंतर रहना चाहिए जबकि 33 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने जन्म अंतराल के बारे में अपनी अनभिज्ञता जतायी।

(ण) 48.31 प्रतिशत उत्तरदायिाओं ने शिक्षा के अधिकार का समर्थन किया और 32.58 प्रतिशत ने स्वतंत्रता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसी प्रकार 16.57 प्रतिशत ने लिंग समानता का समर्थन किया जबकि 1.96 प्रतिशत ने भोजन और पोषण के अधिकार का प्रस्ताव किया। 0.56 प्रतिशत ने स्व–अभिव्यक्ति के अधिकार का भी समर्थन किया।

(त) 41.79 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि लड़कियों के जन्म–दर में गिरावट का मुख्य कारण दहेज है। 11.04 प्रतिशत ने बताया कि नवजात कन्याओं की अत्यधिक मृत्यु दर के कारण लिंग अनुपात में कमी आ रही है जबकि 8.35 प्रतिशत ने उत्तर दिया कि शिक्षा की कमी लिंग अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण है।

(ड) कार्यक्रम का प्रभाव और सामान्य जागरूकता

(क) लगभग 80 प्रतिशत से अधिक लड़कियां अखबार, साइन बोर्ड, बस रूट पढ़ने में सक्षम थीं और पत्र भी लिखना जानती थीं। अधिकतर लड़कियों ने बताया कि वे साधारण जोड़–घटाव भी कर सकती हैं।

(ख) अध्ययन से यह बात पता चली कि किशोरियों में केएसवाई प्रशिक्षण के बाद सामाजिक जन सांख्यिकीय एवं पोषण सम्बन्धी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ी है।

(VI) पूर्वी उत्तर प्रदेश में घरेलू नौकरानियों की सामाजिक–आर्थिक दशा के संबंध में अनुसंधान अध्ययन – सामाजिक अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान, वार्ड नं.–10, रामकोला रोड, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित।

(क) अध्ययन के उद्देश्य

(क) घरेलू नौकरानियों की जाति, उम्र, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा इत्यादि के सन्दर्भ में उनके जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अध्ययन करना।

(ख) घरेलू नौकरानियों के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल का विश्लेषण करना।

(ग) उनके द्वारा झेली जा रही सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को समझना।

(घ) उनके पेशे एवं मजदूरी संरचना को समझना।

(ड.) घरेलू नौकरानियों के जॉब प्रोफाइल, नियोक्ता–कर्मचारी सम्बन्ध और कार्य संतुष्टि के स्तर की जांच करना।

(च) उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना।

(ख) परिकल्पना

मौजूदा अध्ययन की मुख्य परिकल्पनाएं हैं :

(क) अधिकतर घरेलू नौकरानियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अधिकतर घरेलू नौकरानियों को साप्ताहिक छुट्टी, वार्षिक वेतनवृद्धि और अतिरिक्त कार्य के बदले मेहनताना नहीं मिलता है।

(ग) अधिकतर घरेलू नौकरानियां गरीबी रेखा से नीचे आती हैं और भूमिहीन हैं।

(घ) अधिकतर मामलों में न्यूनतम मजदूरी की दर लागू नहीं होती है।

(ड.) घरेलू नौकरानियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) घरेलू नौकरानियों का शैक्षिक स्तर अत्यल्प अथवा शून्य है।

(ग) क्रियाविधि

अनुसंधान के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली को तैयार कर उसे मुद्रित किया गया।

(क) घरेलू नौकरानियों के सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली/सूची

प्रश्नावली में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए :

(क) घरेलू नौकरानियों की उम्र, सामाजिक, आर्थिक एवं वैवाहिक स्थिति, शिक्षा।

(ख) घरेलू सुविधाओं की स्थिति।

(ग) काम करने की स्थिति।

(घ) नियोक्ता का व्यवहार।

(ड.) घरेलू नौकरानी का स्वास्थ्य।

(च) पारिवारिक सदस्यों का सहयोग।

(घ) गुणात्मक प्रक्रिया

एफजीडी (केन्द्रित समूह चर्चा) का आयोजन लक्षित समुदाय (घरेलू नौकरानियां) के साथ किया गया। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वे उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं, शोषण, उनके पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार, उनके बच्चों और उनकी मजदूरी की स्थिति इत्यादि से संबंधित थीं।

(ड.) नमूना क्षेत्र का चयन

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के 10 प्रमुख जिलों अर्थात् इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, चंदौली, गोरखपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, मऊ, संत कबीरनगर और वाराणसी के शहरी क्षेत्रों में यह अध्ययन किया गया।

(ख) इन शहरों के शहरी क्षेत्रों का चयन घरेलू नौकरानियों की अधिकाधिक संख्या वाले क्षेत्रों के आधार पर किया गया। नमूनों का चयन यादृच्छिक आधार पर किया गया। साक्षात्कार या तो कार्य स्थल पर लिया गया या घरेलू नौकरानियों के घर पर लिया गया।

(ग) लगभग 100 नमूने शहरी क्षेत्रों से लिये गए। जिले की बात की जाये तो इसकी कुल संख्या 1000 हो जाती है। अध्ययन के दौरान प्रत्येक जिले में लगभग 5 एफजीडी (केन्द्रित समूह चर्चा) कराई गई, जिनकी कुल संख्या 50 थी।

(च) निष्कर्ष

(क) अधिकतर घरेलू नौकरानियों की उम्र 26 से 45 वर्ष के बीच है और 56 साल से अधिक उम्र वाली केवल 5.3 प्रतिशत घरेलू नौकरानियों के रूप में कार्य करती हैं।

(ख) अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि गरीब महिलाएं मुख्यतः अपने परिवार अथवा मित्रों अथवा पड़ोसियों के सम्पर्क सूत्रों के माध्यम से घरेलू नौकरानी की नौकरी पाती हैं। अध्ययन–क्षेत्र की गरीब महिलाओं को घरेलू नौकरानियों की नौकरी दिलाने में स्थानीय रोजगार एजेंसियों की भूमिका शून्य पायी गई। इसके पीछे कारण यह है कि देश के इस भाग में अधिकतर घरेलू नौकरानियां अशिक्षित हैं और रोजगार एजेंसियों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है और रोजगार एजेंसियां भी बड़े एवं मेट्रो शहरों की तरह उनसे सम्पर्क नहीं करतीं।

(ग) अधिकतर घरेलू नौकरानियां शहरों के नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों से थीं और कुल दस शहरों की शहरी झुग्गियों वाले क्षेत्रों से थीं। यह पाया गया कि उनका प्रवासन जिले के भीतर ही हुआ और घरेलू नौकरानियों के काम के लिए गरीब महिलाओं का जिले से बाहर प्रवासन देखने को नहीं मिला।

(घ) समस्त उत्तरदायिओं में से 52.6 प्रतिशत ने कहा कि वे अनुसूचित जाति की हैं और उन्होंने अपनी जाति नहीं दर्शायी जबकि 5.2 प्रतिशत पासी (अनुसूचित जाति) समुदाय, 2.2 प्रतिशत कुम्हार (अनुसूचित जाति) समुदाय और 2.2 प्रतिशत चमार (अनुसूचित जाति) समुदाय की थीं।

(ड.) अधिकतर घरेलू नौकरानियां (86 प्रतिशत) निरक्षर थीं और केवल 7.1 प्रतिशत को साक्षर पाया गया।

(च) समस्त सर्वेक्षित 1000 उत्तरदात्रियों के परिवार का औसत आकार 4.70 था। मध्यम परिवार–आकार सबसे कम (4.32) कौशाम्बी जिले में और सबसे अधिक (5.21) संत कबीरनगर जिले में था। अधिसंख्य उत्तरदात्री अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट थीं।

(छ) अधिकतर घरेलू नौकरानियां (913) भूमिहीन हैं और केवल लगभग 0.9 प्रतिशत के पास कृषि योग्य जमीन है।

(ज) पूर्वी उत्तर प्रदेश के दस जिलों में अधिकतर घरेलू नौकरानियों (770) के अपने घर हैं और 1000 घरेलू नौकरानियों में से 230 किराये पर रह रही थीं।

(झ) अधिकतर घरेलू नौकरानियों (812) के घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। अधिसंख्य (798) के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। अधिकतर के घरों में मूलभूत आवश्यक घरेलू सामान नहीं थे।

(ञ) बहुसंख्यक (976) घरेलू नौकरानियां किसी अतिरिक्त कौशल में निपुण नहीं थीं।

(ट) लगभग 99 प्रतिशत घरेलू नौकरानियों ने कहा कि उनके नियोक्ताओं का व्यवहार स्नेहपूर्ण है और उन्होंने दुर्व्यवहार अथवा शोषण की शिकायत नहीं की।

(ठ) पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी दस जिलों में बड़ी संख्या में घरेलू नौकरानियां किसी साप्ताहिक छुट्टी के बिना काम कर रही थीं। और केवल 36 घरेलू नौकरानियों को साप्ताहिक छुट्टी मिल रही थी।

(ड.) सभी घरेलू नौकरानियों का औसत कार्य–समय प्रति घर 4.33 घंटे था। अधिकतर घरेलू नौकरानियां एक दिन में लगभग नौ घंटे कार्य करती हैं।

(ढ) उत्तरदात्रियों की औसतन मासिक आय 764 रुपये थी जो न्यूनतम मजदूरी की दर और मौजूदा मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए काफी कम लगती है।

(ण) अधिकतर (939) उत्तरदात्री संतुष्ट नहीं थीं और आगे पढ़ना चाहती थीं, केवल 61 घरेलू नौकरानियां अपनी शिक्षा से संतुष्ट थीं। शिक्षा संबंधी संतुष्टि का स्तर सबसे अधिक कुशीनगर जिले (10) और आजमगढ़ जिले (10) तथा सबसे कम वाराणसी (2) में था।

(त) अधिकतर (987) उत्तरदात्री अपनी आय से संतुष्ट नहीं थीं। केवल 13 घरेलू नौकरानियां अपनी आय से संतुष्ट थीं। आय सम्बन्धी असंतुष्टि का स्तर सबसे अधिक इलाहाबाद (100), कौशाम्बी (100), कुशीनगर (100) और वाराणसी (102) जिलों में था।

(थ) गरीब घरेलू नौकरानियां जिन असुरक्षा से पीड़ित थीं उनका सम्बन्ध मुख्यतः दो कारकों से था अर्थात् (i) वे और उनके परिवार समाज के सबसे गरीब वर्ग से आते हैं और (ii) इन गरीब परिवारों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है।

(छ) घरेलू नौकरानियों द्वारा झेली जा रही समस्याएं

अध्ययन के दौरान घरेलू नौकरानियों के साथ विभिन्न इलाकों में केन्द्रित समूह चर्चा का आयोजन किया गया। उनकी नौकरी के स्थायित्व, उनकी आय, उनके कौशल, उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं और उनके स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे उठाये गये। चर्चा में यह बात सामने निकलकर आयी कि घरेलू नौकरानियों को कार्यस्थल पर निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

(क) घरेलू नौकरानियां अपनी मौजूदा मजदूरी से संतुष्ट नहीं थीं क्योंकि उन्हें इससे अधिक की उम्मीद थी।

(ख) वे किसी अतिरिक्त कौशल जैसे सिलाई–कढ़ाई, हस्तकला आदि में निपुण नहीं थीं।

(ग) उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रायः उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जाता है और उसके बदले उन्हें अतिरिक्त पैसे नहीं मिलते हैं।

(घ) उन्हें साप्ताहिक छुट्टी या कोई अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलती है और छुट्टी लेने पर उनके नियोक्ता उनकी मजदूरी में कटौती करते हैं।

(ड.) उनके पास शौचालय, बिजली, शिशुसदन जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।

(च) घरेलू नौकरानियों के रूप में महिलाएं किसी ठेके के बिना नौकरी चले जाने की स्थिति में किसी संरक्षण के बिना लंबे समय तक काम करती हैं।

(छ) अधिकतर घरेलू महिलाएं रक्ताल्पता और कुपोषण से पीड़ित थीं। उनके बच्चों के लिए अच्छी स्वास्थ्य देखरेख और अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं थी।

(ज) अधिकतर घरेलू नौकरानियों के पास उस सामाजिक अवसंचना अथवा सामाजिक संरक्षण के अभाव में मूलभूत सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी जो प्रत्येक व्यक्ति को समुचित मूलभूत सुविधाओं और कार्य आधारित सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा कम होने की दशा में मूलभूत सुरक्षा की गारंटी देता है।

(VII) राजस्थान के हस्तकला क्षेत्र विशेषकर बंधेज, कशीदाकारी और वस्त्र आधारित छपाई में महिला कर्मकारों की स्थिति और उनकी कार्य दशाओं के संबंध में अनुसंधान अध्ययन – एहसास फाउंडेशन, 58 ए, मसूदपुर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली–110070 द्वारा संचालित

(क) अध्ययन के उद्देश्य

(क) राजस्थान के हस्तकला क्षेत्र में महिला कर्मकारों की सामाजिक–आर्थिक दशा का पता लगाना।

(ख) अध्ययन के क्षेत्र में महिला कर्मकारों द्वारा झेली जा रही बाधाओं व समस्याओं को चिन्हित करना।

(ग) आंकड़ों में उन अन्तरालों को चिन्हित करना जिन्हें ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत अन्य महिला कर्मकारों की तुलनात्मक संकेतक के सार्थक विकास के लिए दूर किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) महिलाओं के कौशल संबंधी कार्यों और रोजगार के अवसरों की समुचित उपलब्धता के बीच संगति की जांच करना।

(ड.) निम्नलिखित क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय एवं सार्थक भूमिका का विश्लेषण करना :

(i) स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन प्रदान करना,

(ii) विपणन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना,

(iii) वाणिज्यिक उद्यमों की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए निधियां एकत्र करना।

(iv) महिला कामगारों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना विशेषकर रोजगार विशिष्ट कौशल विकास संबंधी उपाय और कौशल उन्नयन संबंधी पहल करना।

(v) संभार तंत्र और वितरण प्रणालियों, आदि में सुधार करना

(vi) अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रचालनात्मक मुद्दे

(च) महिला कामगारों के लिए अधिनियमित कानूनों, उपबंधों, बनाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं के परिणामस्वरूप उनके जीवन में दृष्टिगोचर हुए विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

(छ) हस्तशिल्प क्षेत्र में महिला कामगारों के कल्याण हेतु क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में महिला कामगारों में जागरूकता की सीमा का पता लगाना और मूल्यांकन करना।

(ज) इस क्षेत्र में महिला कामगारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन में कार्यात्मक, प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक खामियों और दुर्बलताओं की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना।

(झ) समग्र रोजगार में महिलाओं को शामिल किए जाने हेतु और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए बाजार में ज्यादा पहुंच बनाने के लिए उपाय सुझाना।

(ख) क्रियाविधि

(क) यह अध्ययन राजस्थान के विभिन्न जिलों अर्थात् जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ में किया गया था।

(ख) अध्ययन करने के लिए परिमाणात्मक और गुणात्मक तकनीकों का उपयोग किया गया।

(ग) राजस्थान के विभिन्न जिलों में क्षेत्र/स्थानों और लक्षित महिला शिल्पकारों के चयन के लिए प्रयोजनात्मक यादृच्छिक प्रतिदर्शन पद्धति अपनाई गई।

(घ) अन्य हितधारकों के अलावा कुल 800 महिला कामगारों का सर्वेक्षण किया गया और अति महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए गए।

(ड.) प्रतिदर्श सर्वेक्षण हेतु अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए हस्तशिल्प से संबंधित कुल 10 गैर–सरकारी संगठन/संस्थाओं का चयन और साक्षात्कार किया गया।

(च) महिला कामगारों के लिए एक तथा अन्य हितधारकों के लिए एक अर्थात् दो संरचित प्रश्नावलियों/साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों को उनके बीच प्रचार करने हेतु विकसित किया गया। ऊपर उल्लिखित प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों/सूचना को अनुपूरित करने के लिए मामला अध्ययन भी किए गए।

(ग) निष्कर्ष

(क) कुल महिला शिल्पकारों की लगभग 41 प्रतिशत महिलाएं, विभिन्न स्थानों अर्थात् जयपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और जोधुपर में वस्त्र–माध्यम आधारित शिल्प में थीं और इसके बाद 30 प्रतिशत महिलाएं कशीदाकारी में और 29 प्रतिशत महिलाएं बांधनू (टाई एंड डाई) में संलग्न थीं।

(ख) अधिकांश उत्तरदाता गृहणियां थीं। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला कि वे घर के दैनिक खर्चों में पर्याप्त रूप से योगदान करती हैं।

(ग) हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं मुख्यतः 26 से 35 वर्ष के आयु वर्ग की और इसके बाद 36–45 वर्ष के आयु वर्ग की थीं। इसे जीवन काल का सबसे उत्पादक/उपयोगी आयु वर्ग माना गया।

(घ) हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही 88 प्रतिशत महिला उत्तरदाता विवाहित थीं, 7 प्रतिशत अविवाहित थीं, 4 प्रतिशत विधवा थीं और शेष उत्तरदाताओं को पृथक पाया गया।

(ड.) सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला कि मोटे तौर पर कुल उत्तरदाताओं की 49 प्रतिशत निरक्षर थीं। इससे यह संकेत मिला कि विशेषकर बाड़मेर और जोधपुर जिलों में महिला शिल्पकार शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं थीं।

(च) मोटे तौर पर कुल शिल्पकारों की 77 प्रतिशत एकल परिवार का हिस्सा पाया गया और 23 प्रतिशत संयुक्त परिवार व्यवस्था से थीं।

(छ) यह देखा गया कि मोटे तौर पर 65 प्रतिशत महिला शिल्पकार 4–6 सदस्यों वाले परिवार से आती थीं। यह ध्यातव्य था कि महिला शिल्पकार अधिक सदस्यों वाले परिवार से थीं, किंतु उनका शैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत कम था।

(ज) कुल उत्तरदाताओं में से 31 प्रतिशत महिला शिल्पकारों को शिल्प संबंधित कार्य करने के अलावा पशुपालन संबंधी क्रियाकलापों में संलग्न पाया गया, इसके बाद 25 प्रतिशत को दुकानदारों/श्रमिकों के तौर पर और 21 प्रतिशत को कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया। इससे यह संकेत मिला कि वे हस्तशिल्पोन्मुखी क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम आय अर्जित कर पाती हैं और इसी कारण से वे आय सृजित करने वाले अन्य व्यवसायिक उद्यमों से जुड़ी हुई हैं।

(झ) सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला कि कुल कारीगरों का लगभग 93 प्रतिशत शिल्प की वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न थीं, इसके बाद 7 प्रतिशत शिल्प वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री में संलग्न थीं और किसी को भी केवल बिक्री कार्य करने की इच्छुक नहीं पाया गया। कुल महिला शिल्पकारों का लगभग 44 प्रतिशत बिचौलियों के लिए, 24 प्रतिशत खुदरा विक्रेताओं तथा दुकानदारों के लिए संलग्न थीं, 15 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के सदस्य के तौर पर कार्य करती हैं, 11 प्रतिशत विनिर्माताओं के लिए कार्य करती हैं, 6 प्रतिशत स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और उद्यमी के रूप में रहती हैं।

(ञ) अधिकांश महिला शिल्पकार खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं के अधीन या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के रूप में और बिचौलिए के लिए कार्य कर रही थीं और उनमें से कुछ ही स्वतंत्र रूप से उद्यमी के तौर पर कार्य करती हुई पाई गई।

(ट) सर्वेक्षण के आंकड़ों ने यह दर्शाया कि महिला शिल्पकारों से प्रतिदिन अपेक्षित कार्य घंटों के संदर्भ में उचित और निष्पक्ष बर्ताव किया गया और मासिक पारिश्रमिक दिया गया, और पुरुष कामगारों की तुलना में उनके प्रति कोई बड़ा भेदभाव नहीं किया गया।

(ठ) कुल 45 प्रतिशत महिला शिल्पकारों ने कहा कि वे अपनी सक्षमता और कौशल के अनुकूल उपयुक्त कार्यस्थानों से जुड़ी हुई थीं, इसके बाद 32 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने अपनी सक्षमता और कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त किया जो कुछ हद तक उपयुक्त पाया गया।

(ड) कुल 90 प्रतिशत महिला शिल्पकारों को अपेक्षित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, इसके बाद 10 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी थीं जिन्हें कौशल उन्नयन संबंधी किसी बड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी।

(ढ) सर्वेक्षण के आंकड़ों ने यह दर्शाया कि कुल 28 प्रतिशत महिला शिल्पकारों ने शिल्प की वस्तुओं के लिए डिजाइन हेतु, बिचौलिए से सम्पर्क किया, इसके बाद 24 प्रतिशत महिला कारीगरों ने शिल्प में पारम्परिक डिजाइनों का उपयोग किया, 19 प्रतिशत ने दुकानदारों से डिजाइन प्राप्त किया, 18 प्रतिशत ने विनिर्माताओं से और 13 प्रतिशत ने समर्थक गैर–सरकारी संगठनों से डिजाइन प्राप्त किया।

(ण) अधिकांश मामलों में वस्तुओं के उत्पादन हेतु पारम्परिक और पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। महिला शिल्पकारों का संभावित बाजारों से कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। उन्होंने डिजाइन उपठेकेदारों से खरीदे हैं और उनमें से कुछ के पास अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हुए पारम्परिक डिजाइन हैं।

(त) कुल 76 प्रतिशत महिला कारीगरों को वित्तीय संस्थाओं से कभी भी पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई, जबकि 17 प्रतिशत महिला कारीगरों ने कभी भी वित्तीय सहायता पाने का प्रयास नहीं किया। साक्षात्कार में शामिल केवल 8 प्रतिशत महिला कारीगरों ने वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण तथा वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

(थ) कुल 46 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं असंतुष्ट थीं और उन्होंने वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का उल्लेख किया।

(द) कुल 17 प्रतिशत महिला शिल्पकारों ने किसी भी ऋण या साख संबंधी सुविधाओं के लिए कभी भी प्रयास या आवेदन नहीं किया। केवल 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह दावा किया कि उन्होंने वित्तीय संस्था से ऋण लेने में सफलता प्राप्त की। अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि महिला कामगार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही थीं।

(ध) यह पाया गया है कि केवल 8 प्रतिशत शिल्पकार महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं से अवगत थीं। इसमें से 22 प्रतिशत सरकारी अधिकारियों के माध्यम से अवगत हुईं।

(न) भारत सरकार द्वारा महिला शिल्पकारों हेतु कोई विशिष्ट योजना क्रियान्वित नहीं की जाती है। यद्यपि विभिन्न जिलों में अनेक सरकारी और गैर–सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं किंतु केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित प्राप्त किए जा सकने वाले विभिन्न लाभों के बारे में महिला शिल्पकार समुदाय में जानकारी और जागरूकता का स्तर अत्यंत कम था।

(VIII) मेघालय में महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में अनुसंधान अध्ययन मेघालय राज्य महिला आयोग, मेघालय द्वारा कराया गया अध्ययन

(क) उद्देश्य

(क) महिलाओं के प्रति अपराध के स्वरूप का पता लगाना और समाज में इसकी व्यापकता

(ख) ऐसे अपराधों के कारणों की पहचान करना

(ग) पीड़िताओं और समाज के अन्य सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली सहन प्रवृत्ति को स्पष्ट करना

(ख) अध्ययन के घटक

अध्ययन में मुद्दे के इन घटकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, नामतः

(क) इतिहास

(ख) परिप्रेक्ष्य

(ग) किसकी जिम्मेदारी

(घ) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक के लिए मामला अध्ययन और आंकड़े दिए गए हैं।

(ड.) जिला

(ग) क्रियाविधि

(क) यह अध्ययन मेघालय के सात जिलों के सभी जिला मुख्यालयों में कराया गया। समय की बाध्यता के कारण, जिलों के सातों मुख्यालयों नामतः शिलांग, जोवई, नांगपोह, नांगस्टोइन, तुरा, विलियमनगर और बाघमारा के तीन स्थानों में से प्रत्येक से 20 परिवारों से आंकड़े एकत्रित किए गए।

(ख) प्राथमिक आंकड़े समाज के विभिन्न परिवारों की महिलाओं तथा पुरुषों का साक्षात्कार कर एकत्र किए गए हें। समाज के विभिन्न महिला संगठनों और महिला वेश्याओं से आंकड़े एकत्र करने के लिए संकेन्द्रित समूह चर्चा तकनीक का भी उपयोग किया गया था।

(घ) निष्कर्ष

ऐसा माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत जहां अधिकांश राज्यों में जनजातीय आबादी रहती है, में पारम्परिक और रिवाजी जनजातीय मानदंड हैं जो महिलाओं के लिए अधिकार उदार हैं।

(i) पश्चिमी गारो पहाड़ी, तुरा जिले के निष्कर्ष

(क) सभी उत्तरदाताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि समाज में महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, जिनमें सबसे आम अपराध पतियों द्वारा अपनी पत्नियों पर की जाने वाली घरेलू हिंसा है। समाज में ऐसे अपराध नए नहीं हैं क्योंकि यह पहले से ही विद्यमान हैं।

(ख) वर्तमान में बलात्कार, छेड़छाड़, तस्करी और अपहरण जैसे अन्य अपराध प्रचलित हैं, जिनमें विगत में ये अपराध आम नहीं थे और बमुश्किल ही पाए जाते थे किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2000 से इनमें वृद्धि हुई है।

(ग) अधिकांश लोगों का यह विचार था कि विगत में मातृप्रधान राज्य के रूप में मेघालय राज्य में महिलाओं के प्रति काफी सम्मान था और उनके प्रति कम भेदभाव देखा जा सकता था, यद्यपि महिलाएं राजनीति और धर्म में हिस्सा नहीं लेती थीं किंतु उनको माता और परिवार की मुखिया होने का सामाजिक दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में, महिलाओं को राजनीति और धर्म के क्षेत्र में ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त हो रहे हैं किंतु इनके साथ–साथ सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में परिवर्तन के कारण समाज में अपराध की पैठ हो जाती है।

(घ) पैसे और ताकत वाले लोग कानून को लेकर चिन्तित नहीं थे, अधिकांश अपराध उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो अपने पैसे के बल पर आसानी से छूट जाते हैं। अधिकांश अपराध जीवनशैली, बेहतर रोजगार सुविधाओं, महिलाओं के प्रति कम सम्मान, आदि जैसे सामाजिक परिवर्तनों के कारण बढ़ रहे हैं।

(ड.) 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार, संबंधियों या पड़ोस में कोई अपराध नहीं देखा किंतु ऐसे अपराधों के बारे में अन्य लोगों से सुना।

(च) लगभग 33 प्रतिशत अपने पड़ोस में घरेलू हिंसा से अवगत थीं और 25 प्रतिशत अपने परिवार में घरेलू हिंसा का सामना कर रही थीं और उन्होंने इसका सामना किया था। संबंधियों और परिवार ने पीड़िता के लिए चिन्ता प्रकट की थी।

(छ) घरेलू हिंसा के मामले में, पहला कदम हमेशा परिवार के सदस्यों द्वारा उठाया गया और बाद की कार्रवाई हेतु उन्होंने संबंधियों को बुलाया। दम्पत्तियों के संबंधियों ने बैठकें की, उनमें सुलह करवाया और उन्हें भविष्य में कोई कलह न करने की चेतावनी दी। यदि समस्या अभी भी बनी रही तो मामला दोनों को में विलगाव से समाप्त हुआ। महिला संगठनों और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने बलात्कार, हत्या, आदि जैसा संगीन मामला होने पर कार्रवाई की थी। पहले पीड़िता के परिवार से उनकी सहमति से मामले को कानूनी कार्रवाई हेतु ले जाने के लिए सम्पर्क किया गया।

(ज) कुछ उत्तरदाताओं के अनुसार जीवन–शैली में परिवर्तन, मूवीज, अश्लील और नग्न चित्र, इंटरनेट और मोबाइल, महिलाओं के प्रति बदलता नजरिया, घटते धार्मिक प्रतिबंध, नैतिक मूल्यों में गिरावट, सहज धन की चाहत, विखंडित परिवार, आदि महिलाओं के प्रति अपराध के कुछ कारण थे।

(झ) 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऐसे पुरुषों को देखा था जो मद्यपान न करने के बाद भी हिंसा थे। 15 प्रतिशत को इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिली थीं। 17 प्रतिशत का यह विचार था कि केवल शराब पीने वाले ही ऐसी हिंसा कर सकते हैं। हिंसा कभी–कभी शराब पीने से जुड़ी हो सकती है किंतु हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। यह यौनसुख की मांग, पति के आदेशों का पालन करने से इंकार करने, खर्चीलेपन, तिरस्कारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करने की आदत, आदि के कारण भी हो सकती है। ऐसे अपराधों को झेलने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हें न केवल चोट, खरोंच या दाग जैसी शारीरिक पीड़ा हुई किंतु मानसिक आघात भी झेलना पड़ा, जो लम्बे समय तक बना रहा।

(ञ) अपराध न केवल पीड़ितों को प्रभावित करता है, किंतु परिवार के अन्य सदस्यों, ज्यादातर बच्चों को भी प्रभावित करता है। ऐसे परिवारों के बच्चे अस्वस्थ थे और उनमें कभी–कभी शारीरिक और मानसिक असमान्यता देखी जा सकती थी, क्योंकि उनका अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया। कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी क्योंकि वे अपने अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाए; परिवार से आर्थिक सहायता के अभाव ने भी उन्हें स्कूल छोड़ने और परिवार चलाने में मदद करने के लिए कमाना शुरू करने के लिए बाध्य कर दिया। 92 प्रतिशत ने अपराध के लिए पुरुषों को दोषी ठहराया, हालांकि फिर भी उनका यह विचार था कि महिलाएं स्वयं अपराधों की मूल कारण हैं।

(ट) 8 प्रतिशत ने यह रिपोर्ट दिया कि पत्नी की पिटाई महिला की अपनी गलती से हुई क्योंकि ऐसी महिलाएं कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रखती थीं जबकि ऐसी महिलाएं जो विनम्र थीं, उनकी पति द्वारा कभी भी पिटाई नहीं हुई। 91 प्रतिशत महिलाएं, महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित कानून या सहायता सेवाओं से अवगत नहीं थीं। 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना था कि कोई सहायता तंत्र होगा, किंतु उन्होंने कभी भी किसी को सहायता लेते हुए या लाभ उठाते हुए नहीं देखा था।

(ii) पूर्वी गारो पहाड़ी, विलियमनगर में अनुसंधान के निष्कर्ष

(क) 67 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पड़ोस में होने वाली घरेलू हिंसा से अवगत थीं और 33 प्रतिशत ने समाज में हिंसा के बारे में सुना था किंतु उन समस्याओं का अपने परिवार या पड़ोस में सामना नहीं किया था।

(ख) सबसे पहले परिवार और सगे संबंधियों ने आगे आकर पीड़ित को सहायता और राहत प्रदान की। यदि मामला गंभीर था तो वे उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भी लेकर गए थे। उस स्थान के लोगों, विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों, महिला समूहों और चर्च के प्रमुखों ने भी समाज में किए जाने वाले अपराधों के विरूद्ध अपनी आवाज उठाई।

(ग) 50 प्रतिशत का विचार यह था कि विगत में होने वाले अपराध आज के समय में हो रहे अपराधों से भिन्न थे। पहले समाज में केवल घरेलू हिंसा होती थी किंतु अब बलात्कार और हत्या जैसे अपराध भी आम हो रहे हैं, इसलिए समय के साथ अपराध का स्वरूप भी बदल गया है।

(घ) महिलाओं के प्रति अपराध के प्रत्युत्तर में महिला समूह गठित किए गए थे। उन्होंने अपराध करने वालों के खिलाफ विरोध किया और पुलिस तथा अन्य सरकारी प्राधिकारियों से अपराधी के विरूद्ध तत्काल रूप से कार्रवाई करने की मांग की।

(ड.) कुछ उत्तरदाताओं का ही यह विचार था कि महिलाओं के प्रति अपराध एक गंभीर मामला है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्कयता है। उत्तरदाताओं द्वारा अपराध में वृद्धि हेतु बताए गए उत्तरदायी कारकों में से कुछ जीवन–शैली में परिवर्तन, मूवीज, अश्लील और नग्न चित्र, इंटरनेट और मोबाइल, महिलाओं के प्रति बदलता नजरिया, घटते धार्मिक प्रतिबंध, नैतिक मूल्यों में गिरावट, सहज धन की चाहत, विखंडित परिवार, आदि शामिल थे। बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, महिलाओं की तस्कारी और शोषण अपराध के भिन्न–भिन्न रूप हैं।

(च) 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऐसे पुरुषों को देखा था जो शराब पीने के बावजूद हिंसक थे। 15 प्रतिशत को इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिली थीं। 17 प्रतिशत का यह विचार था कि शराब पीने वाले ही ऐसी हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। हिंसा कभी–कभी शराब पीने से जुड़ी हो सकती है, किंतु हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। यह यौनसुख की मांग, पति के आदेशों का पालन करने से इंकार करने, खर्चीलेपन, तिरस्कारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करने की आदत, आदि के कारण भी हो सकती है। ऐसे अपराधों को सहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हें न केवल चोट, खरोंच या दाग जैसी शारीरिक पीड़ा हुई किंतु मानसिक आघात भी झेलना पड़ा, जो लम्बे समय तक बना रहा।

(छ) अपराध न केवल पीड़ितों को प्रभावित करता है, किंतु परिवार के अन्य सदस्यों, ज्यादातर बच्चों को भी प्रभावित करता है। ऐसे परिवारों के बच्चे अस्वस्थ पाए गए और उनमें कभी–कभी शारीरिक और मानसिक असमान्यता देखी जा सकती थी, क्योंकि उनका अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया।

(ज) 92 प्रतिशत ने अपराधों के लिए पुरुषों को दोषी ठहराया, हालांकि फिर भी उनका यह विचार था कि महिलाएं स्वयं अपराधों की मूल कारण हैं। 8 प्रतिशत ने यह रिपोर्ट दिया कि पत्नी की पिटाई उसकी अपनी गलती से हुई क्योंकि ऐसी महिलाएं कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रखती थीं जबकि ऐसी महिलाएं जो विनम्र थीं और हिंसा को चुपचाप सहन करती थीं, उनकी पति द्वारा कभी पिटाई नहीं हुई। 91 प्रतिशत महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित कानून या सहायता सेवाओं से अवगत नहीं थीं। 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना था कि कोई सहायता तंत्र मौजूद होगा, किंतु उन्होंने कभी भी किसी को सहायता लेने या लाभ उठाते हुए नहीं देखा था।

(iii) दक्षिणी गारो पहाड़ी, बाघमारा में अनुसंधान के निष्कर्ष

(क) समाज में महिलाओं के प्रति अपराध होते थे। इन अपराधों में पत्नी की पिटाई, महिलाओं से बुरा बर्ताव करना, छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या शामिल थे।

(ख) 87 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी महिलाओं से मिली थी जो उनके पड़ोस में घरेलू हिंसा का सामना कर रही थीं। 13 प्रतिशत अपने परिवार में घरेलू हिंसा का सामना कर रही थीं। प्रत्येक उत्तरदाता ने यह जानकारी दी

कि उनके सगे–संबंधी जब तक पीड़ित ने उनकी सहायता लेने के लिए उनसे सम्पर्क नहीं किया तब तक ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाए।

(ग) अधिकांश समय महिलाओं ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के पास आश्रय लिया। कोई भी उत्तरदाता किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जिसने घर पर हिंसा का सामना कर रही महिला के लिए आवाज उठाई हो।

(घ) फिर भी सभी उत्तरदाता इस बात पर सहमत हुईं कि समय के साथ अपराध के स्वरूप में बदलाव आ रहा है क्योंकि आज वे ऐसे अपराध के बारे में सुनती हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था।

(ड.) कई महिलाओं ने अभी भी शारीरिक प्रताड़ना को स्वाभाविक माना जो उनके जीवन में होना ही है। इसलिए उन्होंने इसे निजी मामले के रूप में स्वीकार किया क्योंकि इसे सार्वजनिक करने से उनके लिए अधिक लज्जा की बात होगी।

(च) 80 प्रतिशत ने माना कि ऐसे पुरुष जो शराब नहीं पीते हैं उन्होंने भी एक बार शराब पीना शुरू करने के बाद हिंसा की प्रवृत्ति दिखाई।

(iv) पूर्वी खासी पहाड़ी, शिलांग में अध्ययन के निष्कर्ष

(क) सभी इस बात पर सहमत हुई कि हाल के समय में महिलाओं के प्रति अपराध में तीव्र वृद्धि हुई है। 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में सुना था और उनमें से कुछ ने अपने संबंधियों, मित्रों और पड़ोसियों में ऐसे अपराधों को देखा था जबकि शेष 2 प्रतिशत ने ऐसा न तो सुना था या न ही अनुभव किया था। जब समाज में ऐसे अपराध हुए तो परिवार के सदस्यों ने हमेशा इसका विरोध किया और पीड़ितों की सहायता की। स्थानीय प्राधिकारियों ने कभी भी जब तक पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों ने उनको इसके बारे में रिपोर्ट नहीं की तब तक हस्तक्षेप नहीं किया। पहले किसी ने भी उनकी शिकायतों को प्रकट नहीं किया किंतु अब स्थानीय स्तर पर ऐसे महिला स्कंध हैं जिन्होंने आगे आकर उनकी सहायता की।

(ख) 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बढ़ते अपराध के लिए अल्कोहल, निरक्षरता, गरीबी और महिलाओं की बेरोजगारी तथा नैतिकता एवं जीवन मूल्यों के पतन को दोषी ठहराया, 25 प्रतिशत ने जल्दी विवाह, महिलाओं के अभद्र पोशाक और टी.वी., पत्रिकाओं, नग्न अश्लील फिल्मों/चित्रों, मोबाइल तथा इंटरनेट को दोषी ठहराया, 5 प्रतिशत ने पुरुषों के शंकालु दिमाग और गैर–जिम्मेदाराना रवैये, जुएबाजी और महिलाओं की अधीनता की प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया।

(ग) 40 प्रतिशत ने पुरुषों को उनके हिंसक स्वभाग के लिए दोषी ठहराया, 10 प्रतिशत ने महिलाओं को दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने अपना जीवन साथी चुनने में गलती की और 50 प्रतिशत ने दोनों को दोषी ठहराया क्योंकि कभी–कभी महिलाएं भी हिंसा करती हैं। इसके अलावा उत्तरदाताओं ने यह महसूस किया कि महिलाएं भी पुरुषों से उनकी क्षमता से बहुत अधिक पाने की अपेक्षा करती हैं और इसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई। 75 प्रतिशत सूचनादाताओं ने किन्हीं ऐसे कानूनों/सहायता सेवा तंत्र के बारे में नहीं सुना था

जो समाज में हिंसा झेल रही महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहे हों, जबकि 25 प्रतिशत को अस्पष्ट जानकरी थी।

(घ) 55 प्रतिशत सूचनादाता महिला के प्रति होने वाले अपराध का शिकार थीं। उनकी आयु 25–47 वर्ष के बीच थी, 66 प्रतिशत इसाई धर्म की थीं, 17 प्रतिशत हिन्दू धर्म को मानने वाली थीं और 17 प्रतिशत परम्परागत खासी धर्म की थीं। पांच निरक्षर थीं, एक निम्न प्राथमिक कक्षा तक पढ़ी थी, तीन माध्यमिक स्तर तक, दो उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़ी हुई थी। उनमें से चार गृहणियां थीं, तीन घरेलू नौकरानियां थीं और चार के पास अपना निजी कार्य था। छः विवाहित थीं, चार पति से अलग रह रही थीं और एक विधवा थीं। सभी पीड़िता निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से थीं।

(v) जयन्तिया पहाड़ी, जिला, जोवई में अनुसंधान के निष्कर्ष

(क) उत्तरदाताओं का मत यह था कि समाज में बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण, घरेलू हिंसा और हत्या जैसे अपराध विद्यमान थे। हालांकि उन्होंने अपने संबंधियों और मित्रों के बीच ऐसे अपराध नहीं देखे थे किंतु 2 प्रतिशत ने अपने पड़ोसियों के बीच घरेलू हिंसा और व्यभिचार जैसा अपराध देखा है।

(ख) सभी उत्तरदाता इस बात पर सहमत हुई कि महिलाओं के प्रति हिंसा एक सार्वजनिक मुद्दा है और इस पर प्रत्येक को ध्यान में देने की आवश्यकता है। 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह महसूस किया कि इसके कारक टी.वी., मोबाइल, इंटरनेट हैं; 77 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि अल्कोहल और नशीली दवाएं हिंसा को बढ़ावा देती हैं, 9 प्रतिशत ने पोशाक संबंधी नियम, धर्म, पैसा, गैर–आदिवासी से विवाह को दोषी ठहराया। 87 प्रतिशत का मत यह था कि अल्कोहल न पीने वाले भी हिंसक हो सकते हैं और कोई भी अपराध कर सकते हैं जबकि 13 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि यह पुरुषों की मंशा और मानसिकता पर निर्भर करती है।

(ग) महिलाओं का धैर्य और सहन करने की क्षमता भी एक ऐसा कारक है जो पुरुषों को इनके साथ दुर्व्यवहार करने को बढ़ावा देता है। समाज में बलात्कार और व्यभिचार जैसे अपराध मौजूद थे, किंतु खुले तौर पर नहीं किए जाते थे।

(घ) हिंसा झेलने वाली महिलाओं से यह प्रदर्शित हुआ कि न केवल मां के स्वास्थ्य की स्थिति बल्कि समग्र रूप से पूरे परिवार के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं थी।

(ड.) 12 प्रतिशत ने यह कहा कि यह पुरुष की गलती थी और 88 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि यह पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की गलती थी। उस क्षेत्र में अपराध कोयला खदानों के होने की वजह से बढ़े जहां गैर–जनजातीय लोग रोजगार में थे।

(vi) री भोई जिला, नांगपोह में अध्ययन के निष्कर्ष

(क) उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान पीढ़ी में हत्या, पत्नी की पिटाई, हमले, अपहरण व्यभिचार, छेड़छाड़ और विशेषकर बलात्कार जैसे अपराध मौजूद थे।

(ख) 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने संग संबंधियों में, अपने कुल–वंश में और अपने पड़ोस में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की जानकारी थी। 80 प्रतिशत ने मीडिया से सुना है। अधिकांश अपराध पीड़िताओं में किसी के पास यह व्यक्त करने या बताने का साहस नहीं था कि उनके पति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनमें से कुछ ने गैर–सरकारी संगठनों से सलाह ली थी, विशेषकर तब जब मामला गंभीर था।

(ग) समग्र तौर पर महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में बात करने पर सभी उत्तरदाता इस बात पर सहमत हुई कि यह पूरी तरह से एक सार्वजनिक मुद्दा है, 2 प्रतिशत ने कहा, यह केवल तभी सार्वजनिक है जब पीड़िता ने लिखित में शिकायत की हो, 3 प्रतिशत ने कहा कि इसे सार्वजनिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए ताकि पीड़ित स्वयं को मानसिक आघात और जीवन में अन्य मुश्किलों से बचा सके।

(घ) 65 प्रतिशत ने महिलाओं के प्रति अपराध के लिए अल्कोहल और जीवन शैली में परिवर्तन को दोषी ठहराया, 20 प्रतिशत ने अभद्र पोशाक, बेरोजगारी, गरीबी और निरक्षरता को दोषी ठहराया, 10 प्रतिशत ने जल्दी विवाह, मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल को दोषी ठहराया और 5 प्रतिशत ने पारिवारिक कलह, जुआ, तथा गैर–जिम्मेदारी और पुरुषों के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान के अभाव को दोषी ठहराया। 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह महसूस किया कि अल्कोहल न पीने वाले पुरुष भी हिंसक थे, 6 प्रतिशत ने महसूस किया कि यह व्यक्ति के चरित्र और मानसिकता पर निर्भर करता है जबकि 10 प्रतिशत ने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में न तो सुना और न ही उनसे मिली जो शराब न पीने की स्थिति में हिंस थे और और 6 प्रतिशत ने कहा कि अल्कोहल न पीने वाले हिंसक नहीं थे।

(ड.) किसी भी प्रकार की हिंसा झेल रही महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखा। कभी–कभी वे पति द्वारा पर्याप्त रूप से न दिए जाने की स्थिति में ठीक तरह से खा नहीं सकती हैं। इससे भी उनकी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति प्रभावित हुई।

(च) 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वास्तविक रूप से यह महसूस किया कि हिंसा पैदा करने के लिए पुरुषों को दोषी ठहराया जाना चाहिए, 35 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को दोषी ठहराया जाना चाहिए जबकि 5 प्रतिशत ने यह महसूस किया कि अवज्ञा करना महिलाओं की गलती थी।

(छ) हालांकि 49 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं के अधिकारों संबंधी कतिपय कानूनों और सहायता सेवा तंत्र से अवगत थीं किंतु इस बारे में उनकी जानकारी अत्यंत अस्पष्ट थी।

(vii) पश्चिमी खासी पहाड़ी, नांगस्टोइन में अनुसंधान के निष्कर्ष

(क) अनुसंधान अध्ययन के अनुसार और साक्षात्कारों के आधार पर सभी उत्तरदाता इस बात पर सहमत हुए कि समाज में महिलाओं के विरूद्ध अपराध और हिंसा अत्यंत प्रबल थी।

(ख) सभी उत्तरदाताओं का यह विचार था कि महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा एक सार्वजनिक मुद्दा था और यह निजी नहीं रह गया।

(IX) दिल्ली में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने के संबंध में गंगा सोशल फाउंडेशन, डी–5, गंगा विहार, गोकुलपुरी, दिल्ली द्वारा कराया गया अनुसंधान अध्ययन

(क) अध्ययन के उद्देश्य

(क) महिलाओं को छोटे व्यवहार्य समूहों में एकत्र करना और प्रशिक्षण तथा ऋण की सुलभता के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(ख) कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना

(ग) पश्च् तथा अग्र संबद्धता (बैकयार्ड तथा फारवर्ड लिंकेज) प्रदान कर महिला समूहों को रोजगार–सह–आय सृजन कार्यक्रम आरंभ करने में समर्थ बनाना।

(घ) महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार की स्थितियों में और सुधार करने के लिए सहायता सेवा प्रदान करना।

(ख) कार्यविधि

(क) दिल्ली में अध्ययन कराया गया। अध्ययन का प्रतिदर्श आकार 82 लाभभोगियों का था।

(ख) एस.टी.ई.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए लक्ष्य समूह में हाशिए पर खड़े वंचित लोग, संपत्ति–हीन ग्रामीण महिलाएं और शहरी गरीब शामिल थे। इनमें मजदूर पारिश्रमिक रहित दैनिक कामगार, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हों, प्रवासी श्रमिक, जनजातीय और अन्य वंचित वर्ग शामिल थे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया।

(ग) निष्कर्ष

(क) कुल 82 उत्तरदाताओं में से 46.54 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित थीं, जबकि 13.41 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित थी। 40.24 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी थीं जो उस क्षेत्र में साक्षात्कार के दौरान प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थीं।

(ख) अनुसंधान अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में 10+2 स्तर से ऊपर के उत्तरदाताओं की अधिकतम संख्या (28.05 प्रतिशत) थीं।

(ग) कुल 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं में 95.12 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे परिवार से थीं जिनमें सदस्यों की संख्या 1 से 5 थीं, हालांकि 3.66 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे परिवार का हिस्सा थीं जिनमें लगभग 10 सदस्य थे। 1.22 प्रतिशत उत्तरदाता तुलनात्मक रूप से बड़े परिवार से थीं जिनमें 15 और इससे अधिक सदस्य थे।

(घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसटीईपी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पर्यावरण निर्माण में और समुदाय को एकत्र करने के मामले में उनकी समझ, प्रतिभागिता, सहभागिता और भूमिका शामिल थी।

(ड.) 82 उत्तरदाताओं में से 64.63 प्रतिशत उत्तरदाता एसटीईपी कार्यक्रम से अवगत थीं। 35.37 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी थीं जो कार्यक्रम के बारे में बोलने में असमर्थ थीं और कम जागरूक प्रतीत होती थीं।

(च) 3.66 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रम से अवगत हुई। 56.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वयंसेवी लोगों द्वारा जानकारी दी गई और 2.44 प्रतिशत उत्तरदाता विज्ञापन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रही थीं।

(छ) 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 51.22 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यक्रम से 1 वर्ष से कम समय से जुड़ी थीं जबकि 10.98 प्रतिशत उत्तरदाता 1 से 2 वर्षों से जुड़ी थीं।

(ज) 62.20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह जानकारी दी की कार्यक्रम महिलाओं के लिए सहायक था जबकि 37.80 प्रतिशत उत्तरदाता कार्यक्रम से सहमत नहीं थे और 60.98 प्रतिशत उत्तरदाता ''स्टेप कार्यक्रम'' द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण से संतुष्ट थे जबकि 30.02 प्रतिशत उत्तरदाता प्रदत्त प्रशिक्षण से संतुष्ट नहीं थे।

(झ) अधिकांश उत्तरदाता (70.73 प्रतिशत) का यह विचार था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें रोजगार दिलाने में मददगार नहीं था जबकि 29.27 प्रतिशत उत्तरदाता रोजगार प्राप्त करने के प्रति आशावान थे।

(ञ) 53.66 प्रतिशत उत्तरदाता का यह मत था कि मौजूदा कौशल उन्हें रोजगार दिलाने में मददगार रहा। 59.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि प्रशिक्षण उन्हें रोजगार दिलाने में मददगार था। जबकि यह कार्यक्रम 40.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए लाभकारी नहीं था।

(त) 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने यह जानकारी दी की 'स्टेप कार्यक्रम' अत्यधिक उपयोगी था, इसलिए दिल्ली में स्टेप कार्यक्रम लागू करने के लिए अच्छी स्वैच्छिक संस्था की पहचान करने के लिए कदम उठाये जा सकते हैं।

(थ) अध्ययन ने सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के मध्य सुदृढ नेटवर्किंग तथा भागीदारी की सिफारिश की।

(X) लक्ष्मी नारायण ग्रामोद्योग विकास समिति, मोहल्ला ठाकुरान होली चौक बिसौली (बदायूं) उत्तर प्रदेश द्वारा महिला पीड़ितों (दहेज निरोधक अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम) के संबंध में किया गया अनुसंधान अध्ययन

दहेज तथा दहेज उत्पीड़न से सम्बन्धित घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन।

महिलाओं के प्रति दिन–प्रतिदिन बढते दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों का उन्मूलन करने में पुलिस की भूमिका।

दहेज निरोधक कानूनों की प्रकृति उपादेयता।

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने में अदालत की भूमिका।

दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में समाज के लोगों की प्रतिक्रियायें।

सुझावः–

1. स्त्रियों के प्रति अपराधों को जो कि सामान्य अपराधों से भिन्न प्रकृति के है। निपटाने के लिए कानून को प्रवर्तित करने वाले माध्यमों को ठीक करना जरूरी है। विशेष प्रकार के अत्याचार तथा हिंसा जिनका स्त्रियाँ सामना करती है। अदालती मान्यता देनी चाहिए।
2. सुरक्षित नौकरियों में से सभी नौकरियों का 25 प्रतिशत स्त्रियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए।
3. स्त्रियों को आत्म निर्भर बनाना होगा।
4. हर माता–पिता को, लडका–लडकी को दहेज जैसी कुप्रथा को नकारना होगा/महत्व देना बन्द करना होगा। इससे उपजी समस्या को निजी समस्या न समझ कर इसके विरोध में हर एक को आवाज उठानी चाहिए। इसके विरोध में व्यापक आन्दोलन की आवश्यकता हैं चूँकि यह सभी धर्मो में व्याप्त है।
5. शिक्षित एवं बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे इसमें व्यापक परिवर्तन लाये। हर घर से इसकी शुरूआत होनी चाहिए।
6. स्त्री पर कही भी दहेज सम्बन्धी अत्याचार हो रहा हो तो इसकी सूचना तुरन्त पास के पुलिस थाने में तथा नारी संस्था में देनी चाहिए।
7. अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए इससे वर का चुनाव करने के क्षेत्र में विस्तार होगा तथा युवतियों के लिए योग्य वर खोजने में सुविधा होगी। इससे दहेज की माँग में कमी आयेगी।
8. युवकों को स्वाबलम्बी बनाया जाए। स्वावलम्बी होने पर युवक अपनी इच्छा से लडकी का चयन कर सकते है। दहेज की माँग अधिकतर युवकों की ओर से न होकर माता–पिता की ओर से होती है। स्वावलम्बी युवकों पर मात–पिता का दबाव कम होने पर दहेज के लेन–देन में स्वतः ही कमी आयेगी।
9. लडकियों को शिक्षित कर स्वावलम्बी बनाया जाए। जिससे वे स्वयं नौकरी कर अपना जीवन–निर्वाह करने में समर्थ हो सकेगी। दहेज की अपेक्षा आजीवन उनके द्वारा कमाया गया धन कही अधिक होगा। इस प्रकार युवतियों की दृष्टि में विवाह एक विवशता क रूप में नहीं होगा जिसका वर पक्ष प्रायः अनुचित लाभ उठाता है।
10. प्रबुद्ध युवक–युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने के लिए अधिक छूट मिलनी चाहिए। शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ युवक–युवतियों में इस प्रकार का वैचारिक परिवर्तन सम्भव है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप विवाह से पूर्व एक–दूसरे के विचारों से अवगत होने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेगा। यह आवश्यक है कि समाज में इस प्रकार परिवर्तनशील मानसिकता को समाज में हेय दृष्टि से न देखा जाए।
11. जगह–जगह दहेज के विरोध में मोर्चे निकालना, नुक्कड नाटक करना, पोस्टर लगाना ताकि समाज में जनजागृति फैल सके और दहेज लेने व देने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर सकें।

12. स्त्रियों में जागृति पैदा करने के लिए और उनकी सहायता के लिए महिला कानूनी सहायता केन्द्र जैसी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गली–गली में जरूरत है।

13. दहेज की सूचियों का पंजीयन जन्म व मृत्यु के पंजीयन के समान आवश्यक होना चाहिए।

14. दहेज निवारण कानून में पुनः संशोधन कर और कठोर नियम बनायें जाने चाहिए। दहेज निवारण कानून के अन्तर्गत अपराधी की जमानत का भी प्रावधान समाप्त कर कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए जिससे अन्य लोग दहेज लेने व देने से बचे।

15. सामाजिक न्याय के प्रचार की आवश्यकता एवं उपयोगिता से सामान्यजन एवं पुलिसजन को अवगत कराना चाहिए।

16. पुलिस एवं समाज के मध्य बढ़ती हुई दूरी को समाप्त करने के लिए उनके सम्बन्धों में सुधार अपेक्षित है।

17. सामान्यजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए और उन्हें पुलिस के कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरी ओर पुलिस व दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए जिससे सहयोग देने वाले सामान्यजन को कठिनाई एवं कष्ट न उठाना पड़े।

18. प्राथिमिकी अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट थानों पर अनिवार्य रूप से लिखी जाए। यदि किसी कारणवश पीड़ित व्यक्ति थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में असमर्थ रहता है तो जिला पुलिस मुख्यालय पर उसकी रिपोर्ट लिखने हेतु अलग कक्ष खोला जाना चाहिए, जहाँ नागरिक निर्दन्द होकर प्राथिमिकी दर्ज करा सकें।

19. प्रत्येक राजनीतिक दल को आचार संहिता बनाकर और अपने सदस्यों और नेताओं को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि वे पुलिस पर दबाव न डाले।

20. पुलिस का नैतिक बल उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिससे वे सम्पन्न व्यक्तियों एवं राजनीतिक दबाव में न आये।

21. पुलिस से भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु सम्यक प्रयत्न करना चाहिए और उनका वेतन उनके कार्य–गुणता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

(XI) इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेन्ट एण्ड सोशल अफेयर्स, 61 होप अपार्टमेंट, सेक्टर–15, पार्ट II गुडगांव, हरियाणा द्वारा 'जिला राजनीति मे महिलाओं की भूमिका और दर्जाः भरतपुर तथा जयपुर जिले का अध्ययन' के संबंध में अनुसंधान अध्ययन

(क) उद्धेश्य

(क) अध्ययन क्षेत्र मे महिलाओं की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करना।

(ख) अध्ययन क्षेत्र में भौगोलिक, सांस्कृतिक विशेषताओं, सामाजिक संरचना तथा समाज के नैतिक मूल्यों की प्रणाली का अध्ययन करना।

(ग) विभिन्न मुद्दों तथा पहलुओं यथा आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जन संचार द्वारा महिला सशक्तिकरण तथा जिला राजनीति में भूमिका का अध्ययन करना।

घ) यह समझना कि जिले की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के अध्ययन का क्षेत्र के सांस्कृतिक परिक्षेत्रों के साथ कोई विशेष संबंध है।

ङ) जिले की राजनीति में प्रभावशाली जाति और महिलाओं की भूमिका और स्थिति के संबंध का अध्ययन करना।

च) समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति पर महिला आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।

छ) महिला सशक्तिरण योजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने तथा राजनीति में भागीदारी हेतु उपाय सुझाना।

(ख) अनुसंधान कार्यविधि

(क) वर्तमान अध्ययन राजस्थान राज्य में किया गया था। राज्य के 33 जिलों में से, वर्तमान अध्ययन तीन जिलों में किया गया जोकि अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले थे।

(ख) कुल 240 महिलाओं को नमूने हेतु चुना गया था।

(ग) चुने गये जिलों के विभिन्न ब्लॉक से नमूने चुनने के लिए सहप्रयोजन प्रतिचयन तकनीक का प्रयोग किया गया था।

(घ) आंकड़ें संग्रहण करने के लिए साक्षात्कार एवं केन्द्रित समूह चर्चा तकनीकों का प्रयोग किया गया था।

(ड़) साक्षात्कार योजना में तीन खण्ड शामिल थे अर्थात (क) उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय रूपरेखा (ख) महिला सदस्यों को उनकी भूमिका निभाने में प्रभावित करने वाले तथ्य (ग) बेहतर नेतृत्व हेतु उम्मीदें और सुझाव।

(ढ) आंरम्भिक डाटा सितम्बर से नवम्बर, 2011 के दौरान एकत्र किया गया था।

(ग) अध्ययन के निष्कर्ष

(क) अध्ययन दर्शाता है कि ब्लॉक समिति के लिए पंचायत में चुनी गई महिलाओं की सर्वाधिक संख्या अलवर जिले में थी लेकिन विधान सभा में कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी। जबकि जयपुर और भरतपुर जिलों के मामले में प्रत्येक जिले से तीन महिलाएं विधान सभा सदस्य चुनी गई थीं।

(ख) जिला परिषद में अलवर, भरतपुर और जयपुर जिलों में क्रमशः 28, 21, 25 महिलाएं पीआरआई चुनी गई थीं।

(ग) कुल 240 उत्तरदाताओं में से, 82% 30–50 वर्ष के मध्यम आयु वर्ग से संबंधित थे जबकि 2% उत्तरदाता 70 वर्ष से अधिक आयु के थे।

(घ) 56% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने समाज में लोगों की सहायता करने और संबंधित गांव के विकास हेतु कार्य करने के लिए चुनाव लड़ा था। 18% उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि उनके ऊपर परिवार खास तौर पर उनके पति और ससुर का दबाव था। 5% उत्तरदाताओं ने शक्ति प्राप्त करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश किया। 15% उत्तरदाताओं को राजनीतिक दलों ने प्रेरित किया।

(ड़) उत्तरदाताओं के बहुमत (89%) ने बताया कि उन्होंने बैठक में अपने मन से अपनी बात रखी। 11% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र नहीं थीं। लैंगिक असमानता को इसके पीछे का मुख्य कारण पाया गया।

(च) 33% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी स्व–प्रेरणा के कारण उन्हें दूसरी पंचायतों से परेशानियों का सामना करना पड़ा पंचायत के सदस्य विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत हित से निर्देशित थे।

(छ) उत्तरदाताओं के बहुमत (58%) ने पंचायत बैठकों में स्वयं से निर्णय लिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय उनके गांव हेतु लाभकारी होंगे। जबकि 13% डब्ल्यूईआर (चुनी गई महिला प्रतिनिधियों) ने कहा कि केवल पुरूष सदस्यों को ही अपनी मर्जी से निर्णय लेने का अधिकार था।

(ज) 14% उत्तरदाताओं ने बताया कि वो पंचायत की बैठकों में उपस्थित नहीं रहना चाहती। 8% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि अधिकतर बार, उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में नहीं बताया गया था।

(झ) महिला नेताओं के बहुमत ने स्वीकार किया कि उनके पतियों ने उन्हें बैठकों में उपस्थित होने को लेकर हतोत्साहित किया अथवा उनकी गतिविधियों को बाधित किया।

(ण) डब्ल्यूईआर (चुनी गई महिला प्रतिनिधियों) के बहुमत (50%) ने स्वीकार किया कि उन्हें सरकार और प्रशासन से सहयोग मिला जबकि 30 डब्ल्यूईआर को प्रशासन से सहयोग नहीं मिला।

(त) 24% उत्तरदाताओं ने बताया कि गांवों के विकास हेतु उन्हें प्रशासन के आर्थिक सहयोग की जरूरत थी। 25% उत्तरदाताओं को पारिवारिक कामकाज में परिवार के सदस्यों की सहायता की आवश्यकता थी, 22% उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि उनहें अपने परिवार से उदार दृष्टिकोण की अपेक्षा थी।

(थ) 7% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि बोलने की योग्यता जनता के संयोजन और उनका आत्मविश्वास जगाने में एक उपयोगी गुण की तरह काम करती है। 7% उत्तरदाताओं ने साक्षरता, आत्मविश्वास और प्रदर्शन हेतु योग्यता प्रशिक्षण को लोगों के कल्याण और विकास हेतु एक कुशल नेता के तौर पर प्राथमिकता दी। 4% उत्तरदाताओं को विश्वास था कि अनुभव, खुद निर्णय लेने की शक्ति और मानदेय उनके नेतृत्व गुणों को सशक्त करेगा। 9% उत्तरदाताओं ने स्वयं की पहल और संगठन की क्षमता को आय उत्पादन हेतु प्राथमिकता दी।

(द) कुल उत्तरदाताओं में से, 34% उत्तरदाताओं ने बताया कि आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक प्रोत्साहन, पीआरआई में पारदर्शिता और प्रशासन, सरकारी अधिकारियों का समर्थन महिला सदस्यों को पंचायत में भाग लेने हेतु प्रेरित करने में एक सार्थक कदम होगा। 9% उत्तरदाताओं ने माना कि उनकी लगन और प्रतिबद्धता ने राजनीति में प्रवेश करने हेतु एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई।

(XII) महिलाओं को सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर सामाजिक कार्य संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया अनुसंधान अध्ययन।

(क) अध्ययन की रणनीतिक योजना

(क) विद्यमान स्वयं सहायता समूहों का शैक्षणिक स्तर और स्थिति।

(ख) इन स्वयं सहायता समूहों से बैंक ऋण प्राप्त करने वाली महिलाएं।

(ग) क्या समूह के ज्यादातर सदस्य इसमें शामिल हैं, यदि नहीं, तो इसके कारण।

(घ) बैंक ऋण प्राप्त करने में सामाजिक–आर्थिक और प्रशासनिक विवशताओं का विवरण।

(ख) अध्ययन की कार्यविधि

(क) अध्ययन में उत्तरी 24 परगना के 30 गांवों को शामिल किया गया।

(ख) प्रारम्भिक आंकड़ें स्वयं सहायता समूहों (महिलाओं), महिला उद्यमियों और अन्य ग्रामीण महिलाओं से जुटाए गए।

(ग) अध्ययन के निष्कर्ष

(क) समुचित शिक्षा और चेतना की कमी उनके सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने के सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा थी और ज्यादातर ऋण लाभार्थी इस समस्या से पीड़ित थीं।

(ख) आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना का शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक ढांचों और समाज के साथ गहरा आपसी रिश्ता था। सूक्ष्म ऋण योजना महिलाओं के उत्पीड़ित वर्ग के विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपायों में से एक था।

(ग) सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने हेतु ऐसे सामाजिक आर्थिक घटकों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिनमें एक घटक संकुचित आय उत्पादन गतिविधियां है। जब भी ऋण प्राप्तकर्त्ता अपना ऋण चुका नहीं पाये, कुछ आम घटक इसके कारणों के रूप में सामने आयें जैसे जल्दी–जल्दी बच्चे पैदा होना, बहुत गरीबी, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, पति का असहयोगी रवैया अथवा उसकी शराब पीने की आदत अथवा कमाने के लिए काम न करने की इच्छा, अचानक कुछ घटित होना जैसे वैवाहिक अलगाव, घर ध्वस्त होना, विवाहित पुत्री के परिवार के लिए जबरदस्ती खर्चा आदि, परिवार में मृत्यु, पुत्री की शादी, प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ़, बीजों, जूट का नाश आदि।

(घ) ऋण ना चुकाने के कारण थे। कुछ सामाजिक कारणों ने वास्तव में इसमें महती भूमिका निभाई।

(ड़) अध्ययन से साबित हुआ कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म ऋण योजना को लागू करना अधिक सफल था क्योंकि समूह के सदस्यों की अभिव्यक्ति काफी तार्किक थी और यह समूह की स्थापना के समय उनमें जागरूकता और मानवीय चेतना पैदा करने से संभव हुआ था। जब इन स्वयं सहायता समूहों को किसी खास कियाकलाप के लिए केन्द्रित कर बनाया जा रहा था, तब यह आसानी से महसूस हुआ कि उनकी आपसी समझ और विष्वास का विकास उनकी जागरूकता से किया जा सकता है।

(च) स्वयं सहायता समूहों के बनाने के बाद, विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करने हेतु, लघु बचत और सामूहिक आर्थिक योजनाओं में वृद्धि तथा सामाजिक विकास के सभी मुख्य पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर चेतना के उदय ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने का रास्ता सुगम बनाया।

(छ) लगभग 70% सदस्यों ने बताया कि समूह में शामिल होने के बाद उनकी गरीबी घटी है। अधिकतर ने इसका श्रेय सामूहिक ऋण के जरिए शुरू की गयी गतिविधियों को दिया।

(ज) ज्यादातर सदस्यों ने अपनी स्थिति में गिरावट का जिक्र किया जिसकी वजह प्रभावी समूह हस्तक्षेप बताई और बाकी ने अन्य कारण जैसे पति की मृत्यु, पशु की मृत्यु, कमाऊ सदस्य का बाहर चले जाना, लड़कियों की शादी पर खर्च (दहेज) और परिवार में बीमारी।

(झ) एक वृहत स्तर पर, बैंकर्स और सरकारी विभाग ने गरीब महिलाओं के प्रति रवैये में बदलाव सीबीओ की भूमिका के परिणामस्वरूप विशेषतौर पर देखा गया था। स्थानीय साहूकारों के टर्नओवर में भी खासी गिरावट थी। असल में यह सीबीओ की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी।

(ण) मुख्यतः परंपरागत हुनर और आजीविका गतिविधियों पर आधारित उद्यमशीलता को महिलाओं के बीच बढ़ावा दिया गया था। इनके अतिरिक्त, महिलाओं ने व्यक्तिगत तौर पर व्यापार और खुदरा गतिविधियां भी शुरू की थी, जिससे कि वो कृषि और अन्य श्रम कार्यों से सम्बद्ध हो सके।

(त) महिलाओं ने बतया कि समूह सदस्यों द्वारा बुजुर्गों की सहायता लेकर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और हिंसा का नियंत्रित किया था।

(थ) महिलाओं को उनकी बचतों और प्रचालन, मित्रता, अपने माता–पिता को बुलाने या उनके यहां मिलने जाने, जब वो जाना चाहें और वो किसे चाहती हैं इसके निर्णय पर कहीं अधिक नियंत्रण प्राप्त था। समूह के सदस्यों में से अधिकतर ने बताया कि उन्हें कार्यस्थल पर प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ा। स्थानीय स्व–प्रशासन संस्थाओं में नेतृत्व के पुरूषों के अधिकार क्षेत्र में महिलाओं ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था।

(द) स्वयं सहायता समूहों ने पुरूषों के मद्यपान को रोकने, लिंग–चयनित गर्भपात को रोकने और महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा में हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ध) असंगठित क्षेत्र की महिलाओं में एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक जागरूकता देखी गई है। ग्रामीण निर्धन महिलाओं में बचत और ऋण के प्रति एक विचारधारा पनपी है।

(न) पंचायत, जिला ग्रामीण विकास केन्द्र, नाबार्ड, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिए विभिन्न प्रशिक्षणों ने महिलाओं को उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए संगठित होने में मदद की। इस श्रेणी और समुदाय से संबंध रखने वाली महिलाएं पहले एक साथ बैठने, प्रशिक्षण के दौरान बैठक में शामिल होने की बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं थीं। यह उनकी कल्पना से परे था। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों की प्रक्रिया ने साथ आने, अपना मत रखने की उनकी आदत को विकसित किया। इससे ज्यादा आत्म संतुष्टि और अपना पैसा खर्च करने की भावना ने उन्हें विश्वासी बनाया।

(प) पहले इन महिलाओं को बैंक जाने और बैंकिंग प्रक्रिया का कोई अनुभव अथवा आदत नहीं थी। इसके विपरीत बैंक कर्मचारी इस वर्ग से संबंधित ऐसे ग्राहकों, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के साथ व्यवहार के आदी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप बैंक प्रबंधक और अन्य अधिकारी इन समूहों के साथ हमेशा बहुत सहयोगी और उदार नहीं होते थे।

(फ) सरकार और नाबार्ड के दबाव के कारण बैंक स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खोलने को बाध्य थे। परंतु सभी क्षेत्रों में बैंक हमेशा बैंक खाता खोलने आने वाली महिलाओं के प्रति सहयोगपूर्ण नहीं होते थे। ज्यादातर समय वो मामूली वजहों से काम को रोकने की कोशिश करते थे जिससे कुछ मामलों में स्वयं समूहों की महिलाओं में भ्रम उत्पन्न होता था।

(ब) ज्यादातर बैंक सरकारी योजनाओं से छूट प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण करने को तैयार थे। बैंकर ऋण ना चुका पाने को लेकर आशंकित रहते थे। वो स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सरकार द्वारा छूट प्राप्त ऋणों को लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिससे बैंककर्मियों को ऋण वितरण करने में कम खतरा उठाना पड़े।

(भ) 1990 से लेकर, बहुत से गैर सरकारी संगठनों ने नाबार्ड की सहायता से स्वयं सहायता समूहों की स्थापना पर काम शुरू किया। समग्र रूप से यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच एक बड़ा बदलाव था जोकि महिलाओं की जूझने वाली स्थिति से सर्वथा भिन्न परिदृश्य था। जब सरकारी विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, तो इसे पर्याप्त धन के साथ कार्यान्वित किया गया था और शुरूआत से ही सरकार की तरफ से एक प्रतिबद्धता थी कि समूह को उनके व्यापार के लिए एक रकम दी जाएगी। इसलिए शुरूआत से ही समूहों को बैंकों के माध्यम से सरकार की तरफ से एकमुश्त धनराशि दी गई। ज्यादातर मामलों में समूहों को धनराशि संभालना नहीं आता था और ना ही वो जानते थे कि अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। इसके परिणामस्वरूप समूहों की अधिक रूचि व्यापार के बजाए धन में थी।

(म) एक तरफ, बैंक स्वयं सहायता समूहों अथवा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के माध्यम से ऋण बांटने के इच्छुक थे और ज्यादातर मामलों में उन्होंने प्रथम चरण में समूहों के जरूरी दस्तावेजों की जांच कर ऋण

वितरण किया। लेकिन दूसरे चरण में, ज्यादातर स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा वांछित बैंकिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके।

(XIII) घरेलू हिंसा निर्धारण हेतु एक अध्ययन–विधायिका, पीड़ित हेतु राज्य से सुरक्षा और सहारे की उपलब्धता के संदर्भ में श्री आसरा विकास संस्थान, चा–16, विनायक मार्ग, हिरण मार्गी, सैक्टर–5, उदयपुर–313002, राजस्थान द्वारा किया गया

(क) उद्देश्य

(क) महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के प्रचलन, हिंसा के सहसंबंध, अभद्रता के प्रकार और अभद्रता के लिए दिये गए कारणों की पड़ताल करना।

(ख) सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों दोनों द्वारा जारी योजनाबद्ध प्रयासों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि उपलब्ध कराना।

(ग) घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन, निम्न के सन्दर्भ में:

(i) अधिनियम के प्रावधानों में कमियां और निवारक कार्यवाही हेतु अनुशंसाएं।

(ii) सुरक्षा अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और आश्रय गृहों की स्थापना।

(iii) पर्याप्त धन उपलब्धता।

(ख) क्रियाविधि

(क) वर्तमान अध्ययन में चार जिलों के 60 चुने गये ब्लॉक में से 1200 महिलाओं को शामिल किया गया।

(ख) आरंभिक आंकड़ें 4 सेवा प्रदाताओं, 8 सुरक्षा अधिकारियों, 2 वकीलों, 2 शिक्षाविदों और 2 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से साक्षात्कार योजना, अन्य पारिवारिक सदस्यों और पड़ोसियों से अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से एकत्र किए गए थे।

(ग) निष्कर्ष

(क) उत्तरदाताओं की औसत आयु 26.6 वर्ष थी। उत्तरदाताओं का बहुमत हिन्दु था।

(ख) 40.1% जनसंख्या अजजा समूह से, 16.6% अजा समूह से और 33.6% अपिव वर्ग से जबकि 9.9% सामान्य वर्ग से संबंधित थी।

(ग) 59% उत्तरदाता पूर्णकालिक नियोजित थे, 5.9% अंशकालिक और 64.6% पारिवारिक व्यवसाय या काम में जबकि केवल 4% किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं थे। इस तरह महिलाओं की एक बड़ी संख्या पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न थी जहां उनके सहयोग को मौद्रिक रूप में नहीं आंका जाता था।

(घ) परिवार में आय का मुख्य स्रोत, खेती, श्रम, नौकरी और व्यवसाय थे। यह पाया गया कि 73.6% उत्तरदाता ऐसे परिवारों से थे जहां आय का मुख्य स्रोत खेती था।

(ड़) यह पाया गया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की एक बड़ी संख्या वर्तमान में अपने पति के साथ रह रही थीं। 1.1% महिलाएं अपने पति से अलग हो गई थी जबकि 2% विधवा थी।

(च) शादी के समय की औसत आयु 18 वर्ष थी जबकि शादी के समय की अधिकतम आयु 30 वर्ष, कम से कम आयु 4 वर्ष थी। दोनों, नई शादी वाली साथ ही साथ वो महिलाएं जिनकी शादी को 50 साल हो गए थे।

अध्ययन के समय घरेलू हिंसा के निम्नलिखित तीन प्रकार सामने आए

1. शारीरिक हिंसा

(i) इसमें महिला को ताकत के बल पर आसन्न गंभीर, शारीरिक नुकसान के भय की आशंका में बनाए रखना शामिल है। इसमें हिंसा की धमकियां या काफी भावनात्मक शारीरिक पीड़ा पहुंचाने वाला आचरण शामिल है।

2. मानसिक/भावनात्मक हिंसा

(i) उनके बच्चों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में बार–बार अपमान, परिवार में कुछ भी बुरा होने पर पीड़ित को दोष देना, बिना कारण पीड़ित को दोषी महसूस करने हेतु बाध्य करना, तलाक की धमकियां, अशोभनीय व्यवहार, महिला की गतिविधियों की कड़ी निगरानी, माता–पिता, मित्रों, रिश्तेदारों से मिलने से रोकना, पारिवारिक मामलों पर राय देने की मनाही, स्वास्थ्य जरूरतों की अनदेखी, अशोभनीय भाषा में मौखिक अपमान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और बुद्धिमत्ता की कमी की गंभीर आलोचना, शारीरिक ताकत के प्रयोग की मौखिक धमकियां इसमें शामिल हैं।

3. आर्थिक हिंसा

(क) किसी महिला को नौकरी करने से रोकना, उस पर उसके माता–पिता, परिवार से धन लाने के लिए लगातार दबाव डालना और उसे उसकी पसंद की खरीदारी करने से रोकना इसमें शामिल हैं।

(ख) थप्पड़ मारना, लात मारना, दांतों से काटना और अभद्र शब्दों का प्रयोग अध्ययन क्षेत्र में हिंसा के सबसे आम प्रकार थे। 991 महिलाओं ने उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा थप्पड़ मारने की बात कही यानि कुल उत्तरदाताओं का 82.25%, इसकी प्रकार 961 महिलाओं को लात मारी गई और 931 को मौखिक प्रताड़ता मिली, यह लात और मौखिक प्रताड़ना झेलने वाली महिलाओं का क्रमशः 80% और 77.58% था। कुल मिलाकर औसतन 45.66% महिलाओं ने घर पर किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित होने की बात बताई।

(ग) यह पाया गया कि परिवार में कोई ना कोई हिंसा को उकसाने वाले की भूमिका में था। यह उकसावा परिवार के एक या अधिक प्रमुख सदस्य की तरफ से होता था। ऐसा सदस्य पति, सास, ससुर, ननद, देवर और पति का अन्य रिष्तेदार होता था।

(घ) अध्ययन बताता है कि ज्यादातर पति घरेलू हिंसा को उकसाता थे, जैसा कि सभी चारों जिलों के समवेत उत्तरदाताओं के 83.7% ने बताया। कुल उत्तरदाताओं में से 1.6% ने पहले पति और 3.5% ने किसी महिला रिष्तेदार या अन्य द्वारा पीड़ित होना बताया।

(ड़) कुल उत्तरदाताओं के 29.5% ने उनके पहले बच्चे के जन्म के बाद से हिंसा होना बताया, जबकि लगभग 20% उत्तरदाताओं को शादी के कुछ समय बाद या शादी के तुरंत बाद हिंसा का सामना करना पड़ा। 18% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने शादी के एक साल बाद हिंसा का सामना किया।

(च) 42% महिलाओं ने बताया कि वे पिछले दो–तीन महीनों से हिंसा झेल रही हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि वो लम्बे समय से हिंसा का सामना कर रही थीं परन्तु सही जवाब नहीं दे सकीं।

(छ) 49.2% उत्तरदाताओं ने बताया कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने 0–2 बार हिंसा का सामना किया। 11.2% ने कहा कि उन्होंने 3–4 बार, 10.2% ने कहा कि उन्होंने 5–10 बार, जबकि 18.3% ने कहा कि उन्होंने 10–20 बार और 11.1% ने कहा कि उन्होंने 20 से ज्यादा बार हिंसा का सामना किया। यह एक निराशाजनक निष्कर्ष है कि कुल मिलाकर 50.8% उत्तरदाताओं ने सरकार के उनकी सुरक्षा के कई प्रावधानों के बावजूद लगातार हिंसा का सामना किया।

(ज) यह पाया गया कि हिंसा के दोषियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव शराब का था। 25.7% महिलाओं ने बताया कि हिंसा के समय उनके पति अथवा पूर्व पति शराब का सेवन किए रहते थे।

(झ) हिंसा कई कारणों से हुई। दहेज ना दिए जाने को हिंसा से पीड़ित महिलाओं की अच्छी खासी संख्या (74.6%) ने कारण बताया। 39.3% पति ड्रग के आदी अथवा शराबी थे। लगभग 48.5% उत्तरदाताओं ने विवाहेत्तर संबंधों को उन पर होने वाली हिंसा का मुख्य कारण बताया और लगभग 25.1% उत्तरदाताओं ने बताया कि लड़की को जन्म देने के कारण वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई।

कुल मिलाकर, पुरूष हिंसा हेतु महिलाओं को असुरक्षित बनाने वाले सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारण निम्न हैं:

(क) समाज में हिंसा की स्वीकृति हेतु एक बढ़ती स्वीकार्यता, मुख्य रूप से कुछ सामाजिक राजनीतिक कारणों की वजह से है:

(ख) परिवार, समुदाय और राज्य सहित सभी सामाजिक ढांचों में बिना प्रश्न किए पितृप्रधान व लैंगिक विचारधारा और लैंगिक संबंधों की स्वीकृति;

(ग) सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियाओं के बदलने से बढ़ती गरीबी और विपरीत परिस्थितियां; और

(घ) पितृप्रधान कानूनों और नीतियों को सख्ती से बदलने हेतु समाज की मौलिक अनिच्छा, जो महिलाओं के ऊपर पुरूषों के प्रभुत्व को बनाए रखती है।

(i) अध्ययन बताता है कि खरोंचे और दर्द (56.79) घरेलू हिंसा के आम परिणाम थे।

(ii) 0.5% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने पुलिस की सहायता ली, 0.08% उत्तरदाता सुरक्षा अधिकारियों के पास गई, 3.6% ने मामले को पंचायत में ले जाने को प्रमुखता दी और 0.16% ने सेवा प्रदाता गैर सरकारी संगठनों पर विष्वास जताया।

(iii) अध्ययन में पाया कि लगभग 60% उत्तरदाताओं ने इसे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा माना और इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार किया। लगभग 57% उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वो किसी प्रकार की कानूनी अथवा पुलिस कार्यवाही में नहीं पड़ी क्योंकि उसका परिणाम समय और पैसे की बर्बादी होता। जबकि 50% को यह नहीं पता था कि ऐसे मामलों में कहां से सहायता प्राप्त करें। यह सरकारी प्रावधानों के बारे में जनसूचना के अभाव की तरफ इशारा करता है। 45% उत्तरदाताओं ने केवल परेशानी को देखते हुए कोई बाहरी सहायता प्राप्त करना उचित नहीं समझा। 40% को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जबकि 28% को और पिटने का डर था और 26% को उनके पतियों के मुसीबत में पड़ने का डर था।

(iv) अध्ययन में पाया गया कि पिछले एक साल के दौरान घरेलू हिंसा के 380 मामले प्रतापगढ़, 825 बांसवाड़ा और 1093 कुशलगढ़ की अदालत में पंजीकृत किए गए थे।

(v) शिकायत ना करने अथवा कम शिकायत करने के मुख्य कारण थेः

(क) लैंगिक असमानता और पति के अपनी पत्नी को मारने के अधिकार की सार्वभौमिक स्वीकृति;

(ख) विद्यमान सामाजिक व्यवस्था को चलायमान रखने के लिए परिवार को एक संस्था के रूप में मानने का गहरा पैठा श्रद्धाभाव;

(ग) एक महिला के अस्तित्व में विवाह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामने की प्रचलित सामाजिक धारणा;

(घ) सामाजिक निन्दा और बेइज्जती का डर।

(vi) अध्ययन दर्शाता है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के डाइनैमिक्स की जटिल समझ कानूनविदों और सेवाप्रदाताओं तक ही सीमित थी। यह निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कि सार्वजनिक संस्थानों में मुद्दे को मामूली प्रमुखता दी गई।

(vii) यह पाया गया कि पारिवारिक परामर्श केन्द्रों और गैर–सरकारी सेवाप्रदाताओं के बीच सतत निगरानी और प्रलेखन की कमी थी। प्रत्येक मामले का पता लगाने और दर्ज करने में एक विवशता संसाधनों और समय की कमी की पाई गई। जाँचकर्ताओं द्वारा बताई गई दूसरी चिंता महिलाओं की सुरक्षा थी जब मामले की अग्रिम पड़ताल उन्हें संदिग्ध सहभागी द्वारा और हिंसा के खतरे में डाल सकती थी। मामलों के प्रलेखन अथवा उनके परिणाम की निगरानी के मानक तरीके के बिना, संगठनों के लिए अपनी प्रभावशीलता और अपने मामलों की तुलना दूसरे सेवा प्रदाताओं से साथ करना मुश्किल था।

जॉच दल द्वारा कुल मिलाकर निम्नलिखित कमियों और सीमाओं की पहचान की गई थी

(क) सेवाप्रदाताओं और सुरक्षा अधिकारियों के बीच सूचना की कमी।

(ख) बजटीय भत्तों की कमी।

(ग) विश्वसनीय आंकड़ों की कमी–विश्वसनीय आंकड़ों की कमी संबंधी मुद्दे पाये गये। पुलिस फाइलों में केवल बताई गई घटनाएं ही थीं, और संकीर्ण विधायी परिभाषा तक सीमित थीं। वे केवल गंभीर और घातक चोट वाले मामलों से संबंधित थीं। समाचार पत्रों की रिपोर्टें अक्सर निर्णायक, सनसनीखेज, चुनिंदा और गैर बराबरी की थीं। वृहत स्तर पर विश्वसनीय डाटा की कमी को अविलम्ब दूर किया जाना है।

(घ) आवृत्ति में बढ़ोत्तरी–गृह मंत्रालय और समाचार पत्रों की उपलब्ध सभी रिपोर्टों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं।

(ड़) प्रशासनिक अकुशलता और भ्रष्टाचार–पुलिस थानों में दर्ज शिकायतों का परिणाम अक्सर निरर्थक रिपोर्ट होता था क्योंकि पुलिस कोई मामला बनाने में या फिर समुचित जांच करने में समग्र अकुशलता अथवा भ्रष्टाचार के कारण दोषी को पकड़ने में असफल रही। कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित परेशानियां–अदालती कार्यवाही बोझिल, लंबी, विस्तृत और जटिल थी। अदालती परिसरों में प्रतीक्षा हेतु माहौल, विशेषकर महिलाओं के समान नहीं था। सारी परिस्थिति महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में मामलों में कानूनी उपचार प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा थी। आपराधिक मामलों में लागू सबूत के कानूनों का हिंसा के मामलों में अनुसरण किया गया जिनमें संवेदनशील और नाजुक व्यक्तिगत तथा वैवाहिक मामले शामिल थे जिन पर आमतौर पर महिलाएं मौन रहती थीं। बचाव पक्ष के वकील खेल खेलते और स्थिति का लाभ उठाते तथा चरित्र हनन करने तथा अदालत की अनुमति से व्यक्तिगत और अंतरंग मामलों पर टिप्पणी करते। परिणामस्वरूप, असली सबूत को अक्सर दबा दिया जाता।

(च) समाज के दोहरे मानक–महिलाओं के विरूद्ध समाज दोहरे मानक अपनाता है, खासतौर पर घरेलू हिंसा के मामलों में समाज का दोहरा मानदण्ड महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को प्रोत्साहित करता है और महिलाओं को न्याय से वंचित करता है।

(छ) महिलाओं की अदृश्यता–हालांकि महिलाएं अब पूरी तरह घर में कैद नहीं हैं, उन्हें नई मिली गतिशीलता पर बहुत सी बंदिशें हैं। सीमित गतिशीलता के कारण, महिलाएं स्वतंत्र रूप से अदालती कार्यवाही करने में अक्षम हैं। पुरूष संबंधी और रिश्तेदार अपनी महिला रिश्तेदार के पक्ष में इसलिए खड़े नज़र नहीं आते क्योकि उनकी कोई भावनाएं नहीं हैं और उनके लिए सहानुभूति नहीं है, परंतु समाज के पक्षपातपूर्ण नजरिए के कारण उनका पक्ष नहीं लेते।

(ज) महिलाओं की आर्थिक निर्भरता–जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं आमतौर पर उनके पास स्वयं की आय का कोई स्रोत नहीं होता। उनकी निर्भरता उनकी प्रतिबंधित गतिशीलता के साथ मिलकर उन्हें हिंसा का शिकार बनाती है। स्वयं के भरोसे के लिएए, कानूनी उपचारों हेतु आर्थिक जरूरतों के लिए वो संबंधियों पर निर्भर होती हैं, और असहाय हो जाती है यदि ऐसी सहायता नहीं मिलती।

(झ) सहमति की कमी–महिलाओं के संगठन, मानव अधिकार समूह और अन्य गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक राय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि समान विचार रखने वाले और लगातार चलने वाली गतिविधियों वाले एक राष्ट्रीय प्रतिहिंसा आंदोलन को शुरू करने में वे असफल रहे हैं। हिंसा की रोकथाम को राष्ट्रीय विकास नीतियों का एक अभिन्न अंग बनना अभी बाकी है। प्रणालीबद्ध परिवर्तन और लैंगिक उत्पीड़न की जड़ों को उखाड़ने हेतु कोई लंबी–अवधि की रणनीति, कोई योजना तथा कार्यक्रम नहीं है।

(ण) अनुसंधान तथा हिंसा के बारे में जानकारी का प्रसार–हिंसा से संघर्ष में अपर्याप्त अनुसंधान एक मुख्य बाधा रही है, जिस पर अभी भी कम अनुसंधान किया गया है और कम प्रसारित सामाजिक मुद्दों में से एक है। सूचना का मुख्य स्रोत समाचार पत्रों की रिपोर्टें थी जोकि जमीनी अनुभव और सैद्धान्तिक विवेक से समृद्ध अध्ययन का विकल्प नहीं हो सकता था। जड़ों से जुड़े लोग मौजूदा सूचना प्रणाली की पहुंच से कोसों दूर हैं।

7 सिफारिशें

भारत का संविधान हमारे समाज के सभी वर्गों को जाति, नस्ल, धर्म, रंग और लिंग का भेदभाव किए बिना न्याय और बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करता है। महिलाओं के हितों को सुरक्षित बनाने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा काफी संख्या में कानून लागू किये गये हैं और महिलाओं के विरूद्ध ज्यादतियों तथा अपराधों को काबू करने हेतु विद्यमान कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इन उपायों के बावजूद, महिलाओं के विरूद्ध अपराध जैसे दहेज हत्या, तेजाब से हमला, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि; और महिलाओं के खिलाफ ज्यादतियॉ जारी हैं। यह जानते हुए कि आयोग का प्राथमिक कार्य महिलाओं के अधिकारों को बनाये रखना और उनकी सुरक्षा है, साझेदारों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, कानूनी पहलुओं के साथ–साथ वर्ष 2012–13 हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए नीचे दिये गये विवरणानुसार अनुशंसाओं की सिफारिश की जाती है।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 का पुनरीक्षण

अभी तक गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 उन मामलों में अनुमेय है जिनमें गर्भ की अवधि बारह सप्ताह से अधिक की ना हुई हो परन्तु ऐसे मामले भी हैं जहॉ महिला गर्भ समाप्त करना चाहती थी परन्तु कर ना सकी। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं।

(i) मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष आये एक मामले में, एक नौजवान जोडी हरेश और निकिता मेहता ने इस आधार पर गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति (गर्भपात) की अनुमति मॉगी कि स्कैन रिपोर्ट के अनुसार बच्चे को जन्मजात हृदय रोग होगा। बंबई उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2008 को याचिका खारिज कर दी (मेहता परिवार को भ्रूण गिराने की अनुमति से मना किया)। बेंच ने पाया कि चिकित्सक और मेहता परिवार अदालत के दखल और इसके असाधारण न्यायाधिकार हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाये।

मामले में, भ्रूण का विकार 24वें सप्ताह (20 सप्ताह के बाद) के गर्भाधान में पाया गया था। न्यायाधीशों ने कहा कि अदालत कानून की केवल व्याख्या कर सकती है और कानून नहीं बना सकती। इस मामले ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या गर्भपात पर विद्यमान कानून के पुनरीक्षण की आवश्कता है।

(ii) एक अन्य मामले में, मीडिया रिर्पोटों के अनुसार मुंबई की एक महिला 26 माह के गर्भ से थी जब एक अल्ट्रासाउंड ने पता चला कि भ्रूण को एनीसीफैली है, इस स्थिति में भ्रूण का मस्तिष्क नहीं होता और बमुश्किल ही कपाल होता है, परंतु नियमों का हवाला देते हुए चिकित्सकों ने गर्भपात करने से मना कर दिया।

चिकित्सकीय जॉच तकनीकों में आये वर्तमान वैज्ञानिक विकास साथ ही साथ सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कानूनों/संविधियों को सुधारने की आवश्यकता है। नयी परिस्थिति नये कानून चाहती है। एक महिला के साथ

बलात्कार हो सकता है अथवा एक अव्यस्क गर्भवती हो सकती है या कोई दलित महिला का उत्पीडन हो सकता है, किसी महिला/लडकी को उसका साथी छोड सकता है जिसने उससे शादी का वादा किया हो–वर्तमान कानून इन विशेष घटनाओं का समाधान नहीं करते, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग महसूस करता है कि एम टी पी अधिनियम, 1971 के सैक्शन 3–5 का पुनरीक्षण किया जाए।

उपरोक्त को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने परामर्शों की श्रृंखला में मामले पर विभिन्न साझेदारों के साथ चर्चा की। राष्ट्रीय महिला आयोग के पृष्ठभूमि विवरण और परामर्शों के दौरान विचार–विमर्शों के आधार पर, अधिनियम में समुचित संशोधनों का सुझाव दिया गया है। अनुशंसाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक 8** में दिया गया है।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, (आईटीपीए, 1956)

वर्तमान विधान, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए, 1956) 'मानव तस्करी' रोकने हेतु पर्याप्त नहीं है, ना ही इसमें अंग निकालने सहित जबरन मजदूरी अथवा सेवाओं और अन्य प्रकारों पर ध्यान दिया गया है। परिणामस्वरूप आईटीपीए अवैध व्यापार को वेश्यावृत्ति के समान मानता है। यह भी एक कारण है कि क्यों अवैध व्यापार में स्वाभाविक मानव अधिकारों के उल्लंघन को सही से नहीं समझा गया है। मानव तस्करी शब्द को अकेले यौन शोषण के सन्दर्भ में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि महिलाओं और बच्चों का व्यापार दूसरे बहुत से उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है जैसे मजदूरी (सस्ती मजदूरी, जबरन मजदूरी), अंग व्यापार, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य आदि। श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ''भारत में मानव व्यापार से लडना और इसे रोकना'' पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में दिनांक 23 नवम्बर, 2011 को अपने भाषण में कहा कि ''इंसानों की तस्करी किसी को लक्ष्य बनाने, अगुवाई करने और एक इंसान को शोषित स्थिति में धकेलने की दिशा में किया गया एक अपराध है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे शोषण कई प्रकार के हो सकते हैं, उदाहरणार्थ व्यावसायिक यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और अनैतिक अंग निकालना आदि।''

राष्ट्रीय महिला आयोग इन मामलों में महिलाओं के मानव अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर रूप से चिंतित हैं और इसलिए वर्तमान अधिनियम आईटीपीए 1956 के सीमित होने और समस्या के विस्तार की सीमा निर्धारण होने के आधार पर इसके रद्द करने की अनुशंसा करता है और ''मानव व्यापार की रोकथाम, अधिनियम'' नामक एक नये विधान की अनुशंसा करता है। वर्तमान कानून (आईटीपीए) नैतिकता के मुद्दे (विशेषकर शीर्षक में) पर जोर देता है बजाय 'व्यापार के'। व्यापार शब्द को अकेले यौन शोषण नजरिए से नहीं देखा सकता क्योंकि महिलाओं और बच्चों का व्यापार विभिन्न दूसरे उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इसलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग मानव व्यापार के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के साथ अवैध व्यापार करने वालों के लिए कडे दण्डों पर केन्द्रित एक नए विधान की अनुशंसा करता है। ब्यौरें **अनुलग्नक 9** में दिए गए हैं।

प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों और इसके साथ साथ जो वर्ष 2012–2013 के दौरान पूरे किए गए हैं की मूल अनुशंसाएं

1. महिला अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल द्वारा पश्चिम बंगाल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर किया गया अनुसंधान अध्ययन।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, उनकी कार्य भागीदारी के विस्तार, विवाह और तलाक की सामाजिकता तथा बहुपत्नी प्रथा पर मुस्लिम महिलाओं के विचारों के संदर्भ में उनकी स्थिति का पता लगाना था। अध्ययन हेतु कुल 749 मुस्लिम महिला उत्तरदाताओं को चुना गया था। अध्ययन के तहत सात जिलें, 15 ब्लॉक/ग्राम पंचायतें और 26 गांवों को शामिल किया गया था।

सिफारिशें

1. मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु, उनकी महिलाओं की सामाजिक भागीदारी समाज रूप से महत्वपूर्ण है। उनकी तरक्की और सुधार की दर में बढोत्तरी हेतु, यह अत्यावश्यक है कि उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्राप्त हों।

2. स्थानीय स्तर पर विशेष योजना बनानी चाहिए खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहॉ स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या काफी हो। समस्याओं का पता लगाया जाए और गांव–वार कार्यवाही करनी चाहिए।

3. स्कूल छोड़ने वालों, जोकि चिन्ताजनक दर से बढ़ रहे हैं, को रोकने हेतु गांवों में प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों को आवासीय क्षेत्रों के बिल्कुल समीप बनाया जाए। इसकी निगरानी राज्य मशीनरी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा की जाए ताकि स्कूल छोडने वालों खास तौर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर रोका जा सके।

4. मदरसों को किसी उच्च माध्यमिक बोर्ड़ से जोड़ने हेतु एक उचित तंत्र होना चाहिए ताकि नियमित अथवा मुख्यधारा की शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्र मदरसे से उत्तीर्ण होने के बाद ऐसा कर सकें।

5. बच्चे का उचित विकास मां की शिक्षा से प्रभावित होता है क्योंकि वो वह आधार होती है जिस पर बच्चे की सामाजिकीकरण की प्रक्रिया निर्भर करती है। अनपढ़ माताओं को शिक्षित करने हेतु उचित कदम उठाये जाने चाहिए। इसलिए व्यस्क शिक्षा हेतु प्रावधान होने चाहिए।

6. महिलाओं को उनकी क्षमता से परिचित कराने हेतु उन्हें उत्पादक गतिविधियों में संलग्न करने हेतु प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में कार्य आवश्यकता की परिभाषा पर पुनर्विचार की जरूरत है क्योंकि वर्तमान परिभाषा में बहुत सी कार्यरत महिलाएं शामिल नहीं होती।

7. पंचायत स्तर पर गरीबी उन्मूलन की योजनाओं से संबंधित सूचना आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। मध्यस्थों के प्रभुत्व को कम करने हेतु सहकारिताओं के गठन के प्रयास किए जाने चाहिए।

8. यद्यपि स्वयं–सहायता समूह महिलाओं को कुछ रोजगार देने में सक्षम हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। समुदाय आधारित हुनर प्रशिक्षण (प्रशिक्षु) को प्राथमिकता दी जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण को सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण को हुनर आधारित होने की बजाय उत्पादन आधारित होना चाहिए।

9. लड़कियों को उनकी क्षमताओं के विस्तार करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराएं जाएं जो उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी में बढ़ोत्तरी प्रशस्त करेंगे और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।

2. मानवाधिकार सामाजिक मंच, 198, तीसरी मंजिल, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा में महिला कार्यकारियों की भूमिका पर किया गया अध्ययन।

इस अध्ययन का उद्देश्य अपने पुरूष समकक्षों की तुलना में महिला प्रतिनिधियों के प्रदर्शन और प्रभाव का पता लगाना था। इसके अतिरिक्त इससे इस प्रणाली के अवरोधों और छिपे खतरों का भी पता चला। यह अध्ययन **प्रत्येक चुने गये राज्य के दो जिलों** अर्थात मध्य प्रदेश और ओडिशा में किया गया था। दोनों ही जिलों में **तीन ब्लॉक और तीन ग्राम पंचायतों** को चुना गया था। 180 महिला प्रतिनिधियों को अध्ययन हेतु चुना गया था।

सिफारिशें

1. ग्रामीणों को उनकी परेशानियों को सुलझाने हेतु कुछ शक्तियां दी जाएं। इसलिए, पंचायत के सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक दशा को सुधारना वांछनीय है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को जमीनी स्तर पर उनकी क्षमता बढ़ाने तथा उनकी सामाजिक–आर्थिक दशा की बेहतरी हेतु सशक्त किया जाए।

2. आरक्षण के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को पंचायतों में शामिल किया जाना प्रशंसनीय है। हालांकि समाज का भला तभी होगा जब महिलाएं अपने उत्तरदायित्व से परिचित होंगी। इसलिए, यह वांछनीय है कि सभी महिला प्रतिनिधि प्रत्येक पंचायत बैठक में उपस्थित हों और खुद से अपने निर्णय करें बिना अपने पति, बच्चों और अन्य पुरूष रिश्तेदारों की प्रतिनिधि बने।

3. ज्यादातर महिला प्रतिनिधि पंचायती राज के सभी अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों को समझने में असफल रही हैं। इसलिए, पंचायती राज प्रणाली के कार्यकलापों के बारे में उन्हें आवश्यक जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन किया जाना आवश्यक है।

4. चूंकि महिला प्रतिनिधि साक्षर नहीं हैं, वो नहीं जानती कि कैसे योजना बनानी है, उन्हें लागू कैसे करना है और आय–व्यय रजिस्टर का रख–रखाव कैसे करना है। इसलिए, सरपंच और अन्य प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है।

5. महिलाओं के राजनीति में प्रवेश को लेकर पुरूष सदस्यों का रवैया बिल्कुल मनाही से सीमित प्रोत्साहन और कुछ मामलों में सक्रिय प्रोत्साहन में बदलने लगा है।

6. अध्ययन में यह भी पाया गया कि बाहरी दुनिया के साथ संपर्क ने महिलाओं को अधिक जागरूक और राजनीतिक प्रक्रिया में क्रियाशील बनाया है। इसे करने के दो तरीके के हो सकते हैं। जानकार ग्रामीण महिलाओं और चुनी गई अनपढ़ महिला नेताओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया जाए और इन महिलाओं को चुनी गई पढ़ी–लिखी महिला प्रतिनिधियों से मिलाने हेतु बाहर शहरी क्षेत्रों में भी ले जाया जाए। महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सफल महिला संगठन उत्प्रेरक कारणों जैसे भी काम कर सकती हैं।

3. नोबेल सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेन्ट्स, नेहरू नगर, तिरूपति–517 507, आंध्र प्रदेश।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी लड़कियों द्वारा प्रशिक्षण और व्यवसायिक हुनर प्राप्त कर उसका किस प्रकार उत्पादक गतिविधियों में प्रयोग करने और इसके उनकी आय पर प्रभाव की जांच करना था। अध्ययन हेतु तेलंगाना क्षेत्र से वारंगल और निज़ामाबाद, सीमावर्ती आंध्र प्रदेश से गुंटूर और कृष्णा तथा रायलसीमा से चित्तूर नामक पांच जिलों का चयन किया गया था। किशोरी शक्ति योजना से 750 किशोरवय लड़कियों का बेतरतीब चयन किया गया था।

सिफारिशें

केन्द्र सरकार

1. किशोरी शक्ति योजना की गाइडलाईनों का पुनरीक्षण।
2. किशोरी शक्ति योजना की लाभार्थी लड़कियों को खुद की आय उत्पादक गतिविधियॉ शुरू करने अथवा विद्यमान आय उत्पादक गतिविधियों को मजबूत करने हेतु सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना।
3. क्षेत्र की सामाजिक–सांस्कृतिक और भौगोलिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए निधियों को समय से अवमुक्त और निधियों का आवंटन करना।
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों का मानदेय बढ़ाया जाए।

राज्य सरकार

1. किशोरी शक्ति योजना की गाइडलाईनों का पुनरीक्षण।
2. योजना के आरंभ से पहले, किशोरवय लड़कियों साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों दोनों के बीच किशोरी शक्ति योजना की सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।
3. किशोरी शक्ति लाभार्थियों के बीच स्वयं सहायता समूहों की स्थापना।
4. किशोरी शक्ति योजना की लाभार्थी लड़कियों को खुद की आय उत्पादक गतिविधियॉ शुरू करने अथवा विद्यमान आय उत्पादक गतिविधियों को मजबूत करने हेतु सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना।

5. किशोरी शक्ति योजना के लाभार्थियों को रोजगार अवसरों की सुविधा।

6. जिन लाभार्थियों ने अपनी आय सृजन संबधी क्रियाकलाप आरंभ किये हैं उनके हित के लिए अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों की स्थापना।

7. आंगनवाड़ी केन्द्रों में पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना।

8. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों का मानदेय बढ़ाया जाए।

9. सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को किशोरवय लडकियों और किशोरी शक्ति योजना से संबंधित मुद्दों पर दिशा निर्धारण प्रशिक्षण दिया जाए।

10. सामाजिक परिवर्तन अभिकर्त्ताओं को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

11. सामाजिक परिवर्तन अभिकर्त्ताओं को मानदेय का प्रावधान।

12. योजना में प्राप्त ज्ञान, जागरूकता और हुनर के प्रयोग हेतु किशोरी बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए।

13. किशोरी शक्ति योजना के लाभार्थियों की सावधिक निगरानी और मूल्यांकन।

14. स्थानीय हुनर विकास प्रशिक्षण संस्थानों को वरीयता दी जाए।

15. लाभार्थियों को प्रमाण–पत्र जारी किए जाएं।

गैर सरकारी संगठन/अन्य एजेंसियां

1. किशोरी शक्ति योजना लाभार्थियों के बीच स्वयं सहायता समूहों का गठन।

2. किशोरी शक्ति योजना की लाभार्थी लड़कियों को खुद की आय उत्पादक गतिविधियॉ शुरू करने अथवा विद्यमान आय सृजन संबंधी क्रियाकलापों को मजबूत करने हेतु सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना।

3. सामाजिक परिवर्तन अभिकर्त्ताओं को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

4. स्थानीय कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जाए।

4. महिला अध्ययन और विकास अनुसंधान संस्थान, राजागिरी कॉलेज ऑफ साइंसेज (आरसीएसएस) कलामसेरी, कोचि, केरल द्वारा केरल में महिला कैदियों पर अनुसंधान अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य केरल की जेल में महिला कैदियों की रूपरेखा की जॉच करना और महिला कैदियों (सुनवाई के उपरांत) हेतु बनाई गई पुनर्वास नीतियों और कार्यान्वयन की समीक्षा थें। 15 जेलों/कारागारों से कुल 161 महिला कैदियों का साक्षात्कार किया गया था।

सिफारिशें

केन्द्र सरकार की भूमिका :

1. सभी जेलों में रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करे।
2. जेल नियमावली में महिला कैदियों के बच्चों के भोजन हेतु धनराशि की व्यवस्था संबंधी उपबंध को शामिल करे।
3. महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार करने संबंधी मामलों से निपटने के लिए 'फॉस्ट ट्रैक कोर्ट' की संख्या में वृद्धि करें।
4. 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला कैदियों को रिहा करने के प्रावधान को कानूनी तौर पर लागू करे।
5. महिलाओं को बंदी बनाने का विकल्प तलाशें और उसे भारतीय दंड संहिता में शामिल करे। (यह भर्त्सना करना, निंदा करना और चेतावनी देना जैसी मौखिक सजा; न्यायिक देखरेख के तहत परिवीक्षा पर रिहा करना; नज़रबंद करना; सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना आदि) के रूप में हो सकता है।
6. महिलाओं के मामलों से निपटने हेतु प्रत्येक जिले में एक विशेष कोर्ट शुरू किया जाए।
7. महिलाओं के लिए विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 436ए को कड़ाई से लागू किया जाए। यदि सीआरपीसी की धारा 436 के तहत विचाराधीन कैदी का आरोप सिद्ध हो जाता है और उसे सजा दी जाती है तो उसे अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने पर जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार है।
8. आबकारी कोर्ट और फैमिली कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए। (फैमिली कोर्ट नियमावली के अनुसार, 10,000 की जनसंख्या पर एक फैमिली कोर्ट होनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप केरल में वर्तमान मात्र 5 कोर्ट के बजाए 35 फैमिली कोर्ट हैं।)

राज्य सरकार की भूमिका

1. जिन कारागारों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिए धनराशि की व्यवस्था की जाए। (इससे कोई की कार्यवाही सुगम होगी और कोर्ट ले जाने वाली कैदियों की बदनामी में कमी आएगी।)
2. सभी जेलों में महिला कैदियों को चारपाई उपलब्ध कराने हेतु धनराशि आवंटित की जाए।
3. जेलों में मनोरंजन की सुविधा हेतु धनराशि में वृद्धि की जाए। जिन जेलों मे टी.वी./केबल कनेक्शन नहीं है, उनके लिए धनराशि आवंटित की जाए।
4. जिन जेलों/उप–जेलों में कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है वहां पर कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
5. जिला स्तर पर पुनर्विचार समिति गठित की जाए और इसकी प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाए। (इससे महिलाओं पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों की स्थिति का पता चल सकेगा।)

6. मुकदमों में तेजी लाने और बाद में बेसहारा कैदियों की रिहाई हेतु केरल राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (केईएलएसए) के अधिवक्ताओं के वेतन और कार्य स्थिति में सुधार किया जाए। (अधिवक्ताओं को बहुत कम वेतन और आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसके फलस्वरूप वे आर्थिक रूप से कमजोर महिला कैदियों का बेरूखी और अकुशल तरीके से मुकदमा लड़ते हैं)

7. सभी जेलों/उप–जेलों में महिला कैदियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाएं। (वर्तमान में, राज्य में केवल महिला जेलों में साक्षरता कक्षाएं चलाई जा रही हैं)

8. जेलों में सप्ताह में एक बार पेशेवर परामर्शदाताओं की सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।

9. महिला कैदियों के लिए नियमित रूप से योग कक्षाएं लगाई जाएं।

10. महिला कैदियों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, पेपर बैग बनाना, मोमबत्ती बनाना, ड्राइंग, पेंटिंग आदि के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और महिला कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए छह माह या साल में एक बार प्रदर्शनी लगाई जाए।

11. महिला कैदियों के बच्चों की देखभाल करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जाए। (इससे ऐसी सेवाएं देने वाले और गैर सरकार संगठनों को आगे आने के लिए बढ़ावा मिलेगा।)

12. रिहा हुई महिला कैदियों को अपनी पसंद का कोई आजीविका कमाने वाला कार्यक्रम चलाने हेतु अनुदान/ऋण प्रदान किया जाए।

13. महिला कैदियों के बच्चों की उचित देखभाल और शिक्षा हेतु गृह (होम्स) बनाए जाएं।

14. महिला कैदियों के बड़े बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा देने हेतु गृह (होम्स) शुरू किए जाएं।

15. पुनर्वास को बढ़ावा देने हेतु एनजीओ और मीडिया से संपर्क स्थापित किए जाएं।

16. कारागार/जेलों में कैदियों को समाज से जोड़ने हेतु एनजीओ और मीडिया को जेलों का दौरान करने की छूट दी जाए।

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका

1. एनजीओ गरीब महिला कैदियों को प्रभावी और निःशुल्क कानूनी सहायता दे सकते हैं।

2. एनजीओ को महिला कैदियों के बच्चों हेतु गृह (होम्स) स्थापित करने हेतु आगे आना चाहिए।

3. एनजीओ महिला कैदियों के समेकित कल्याण हेतु चिकित्सा कैंप, परामर्श और बुद्धि कौशल में वृद्धि हेतु कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।

मीडिया की भूमिका

1. मीडिया जेल की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं और जेलों का दौरा करके कैदियों की जिंदगी पर लगे कलंक को कम भी कर सकता है।
2. मीडिया कैदियों की वाज़िब आवश्यकताओं और जेलों में पाई गई किसी विसंगति की ओर संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर सकता है।
3. मीडिया, जेल कार्यों में लगे हुए एनजीओ के कार्यकलापों/सेवाओं को प्रकाशित करके और अधिक एनजीओ/स्व सेवियों को सहायता देने हेतु प्रेरित कर सकता है।
4. नकारात्मक पत्रकारिता की जगह सकारात्मक पत्रकारिता की जाए। इससे अपराध को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।
5. अपराध और उसका ब्यौरा कम से कम प्रकाशित किया जाए और बहादुरी, नैतिक साहस की घटनाओं को मुख्य तौर पर दर्शाया जाए।
6. उन महिला कैदियों, जो सफलतापूर्वक मुख्यधारा में शामिल हो गई हैं के मनोरंजक वृतांत को प्रकाशित करें ताकि जेल में बंद अन्य महिला कैदी भी आशावान रहें।

5. उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जिले की किशोरी शक्ति योजना का शोध अध्ययन, श्री भैरवी सोशल फाउंडेशन, ए–381, सरस्वती मार्ग, मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली – 110092 द्वारा किया गया।

अध्ययन का मुख्य ध्येय किशोरी शक्ति योजना के प्रभाव का आकलन करने हेतु किया गया था। अध्ययन में 200 प्रत्यर्थी शामिल थे।

सिफारिशें

सामान्य

1. शिक्षा और कौशल में वृद्धि करके बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना और समुचित जानकारी में वृद्धि करना।
2. महिलाओं के गृह आधारित व्यावसायिक कौशल की क्षमता में वृद्धि करना तथा उसको उन्नत बनाना।
3. कौशल में वृद्धि करके समकक्ष व्यक्ति तथा समाज के साथ परस्पर संपर्क बढ़ाना।
4. किशोर लड़कियों को उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. 11–14 वर्ष की सभी किशोर लड़कियों को उनकी ग्राम आंगनवाड़ियों में पंजीकृत करना। आंगनवाड़ी प्रत्येक लड़की का विकास निगरानी चार्ट तैयार करे।

स्थानीय स्तर

1. विवाह योग्य किशोर लड़कियों तथा समुचित स्वास्थ्य परिचर्या हेतु समुचित परामर्श और जागरूकता अभियान शुरू करना।
2. किशोर लड़कियों की व्यावसायिक तथा कौशल संबंधी ज़रूरतों का आंकलन करना।

राज्य स्तर

1. ध्यान देने योग्य क्षेत्रों पर ऐसे अनुभवात्मक अनुसंधान अध्ययन शुरू करना।
2. सफल कहानियों का प्रलेखन करना तथा राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसका प्रचार–प्रसार करना।
3. किशोर लड़कियों और सूक्ष्म स्तर पर कार्यक्रम आयोजना में उनकी भूमिका संबंधी राज्य नीतियां बनाना।
4. अनुसंधान निष्कर्षों का प्रलेखन तथा प्रचार–प्रसार करना।

राष्ट्रीय स्तर

1. किशोर लड़कियों से संबंधित शोध में आई बाधाओं के बारे में जानकारी देना तथा सफलता के बारे में दूसरों को बताना।
2. सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी तथा नेटवर्क स्थापित करना।
3. अन्य देशों में अपनाई जा रही बेहतर प्रक्रियाओं की पहचान करना तथा शोध के माध्यम से उन्हें अपने स्तर पर अपनाना।
4. इस विषय पर शोधकर्ताओं/विशेषज्ञों के साथ क्षमता निर्माण करना।
5. सटीक संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के शोध निष्कर्षों को प्रकाशित करना।

6. पूर्वी उत्तर प्रदेश में घरेलू नौकरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति संबंधी शोध अध्ययन – सामाजिक अनुसंधान एवं मानव विकास संगठन, वार्ड नं. 10, रामकोला रोड़, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य रोजगार जीवन–वृत्त, नियोक्ता–कर्मचारी संबंधी और घरेलू महिला नौकरों के रोजगार संबंधी संतुष्टि स्तर का अध्ययन करना था। अध्ययन 10 प्रमुख जिलों यथा – इलाहाबाद, आज़मगढ़, बस्ती, चंदौली, गोरखपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, मऊ, संत कबीर नगर और वाराणसी के शहरी क्षेत्रों में किया गया।

सिफारिशें

केन्द्र सरकार

1. केन्द्र सरकार को किसी तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र घरेलू महिला नौकरों का एक जिलावार आंकडों का रखरखाव करें।

2. केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को घरेलू महिला नौकरों का वेतन नियत करने तथा उसमें संशोधन करने हेतु प्रोत्साहित करे ताकि वह अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अन्य प्रदत्त कार्य के बराबर हो सके।

3. केन्द्र सरकार घरेलू महिला कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा हेतु कोई तंत्र बनाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि नियोक्ता घरेलू महिला नौकरों को अचानक नौकरी से ना निकाले और उन्हें दूर भेजने से पूर्व एक महीने का नोटिस तथा कुछ राशि दे।

4. केन्द्र सरकार घरेलू महिला नौकरों के कल्याण के लिए वर्षवार एक पृथक धनराशि आवंटित करे और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित करे।

5. केन्द्र सरकार घरेलू महिला नौकरों के लिए एक केन्द्र प्रायोजित पेंशन योजना शुरू करें।

6. केन्द्र सरकार घरेलू महिला नौकरों को प्रबोधन कैंपों/कार्यशालाओं के माध्यम से कामगारों तथा महिलाओं के अधिकारों के प्रति शिक्षित किया जाए।

7. विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से घरेलू महिला नौकरों के अधिकारों, हकदारी, विनियमों तथा नियमों के बारे में केन्द्र प्रायोजित जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

8. घरेलू महिला नौकरों को होने वाले खतरों तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और न्यूनतम मजदूरी के बारे में जन जागरूकता पैदा की जाए।

9. क्रेडिट, प्रशिक्षण और जानकारी, शिक्षा तथा बेहतर अवसर तक पहुंच बनाकर घरेलू महिला नौकरों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण किया जा सकता है और केन्द्र सरकार को बड़ी निजी कंपनियों को इस पर ध्यान देने तथा अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यों के माध्यम से उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

राज्य सरकार

1. राज्य सरकार घरेलू महिला नौकरों से संबंधित कानूनों को लागू करने के प्रति अधिक अनुक्रियाशीलता दर्शाएं और घरेलू महिला नौकरों के कल्याण हेतु जोर–शोर से कार्यवाही करे।

2. देश में घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत मजदूरों का राज्यवार ब्यौरा रखा जाए।

3. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित करे तथा वेतन ढांचे, कार्य करने की स्थिति, छुट्टी तथा अनुपस्थिति आदि जैसे मुद्दों का समाधान कानून के माध्यम से किए जाने की जरूरत है।

4. घरेलू महिला नौकरों को कामगारों तथा महिलाओं के अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाए।

5. घरेलू महिला नौकरों तथा उनके बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

6. घरेलू महिला नौकरों के लिए संभावित खतरों के बारे में और राज्य प्रायोजित जागरूकता अभियान के माध्यम से उनकी सामाजिक सुरक्षा, गरिमा और न्यूनतम मजदूरी के बारे में जन जागरूकता पैदा की जाए।

7. घरेलू महिला नौकरों के कार्य करने के समय में कुछ छूट दी जाए और सभी घरेलू महिला नौकरों को दोपहर का खाना दिया जाए।

8. घरेलू महिला नौकरों जैसे अनौपचारिक संगठनात्मक रणनीति उपयोगी सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसकी पहुंच अधिक कामगारों तक राज्य सरकार घरेलू महिला नौकरों के लिए एसजीएच/सीबीओ बनाने को प्रोत्साहन दे तथा उन्हें धनराशि, वैकल्पिक आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करे।

9. राज्य स्तर पर घरेलू नौकरों के कल्याण के लिए विशेष फंड होना चाहिए।

10. राज्य सरकार घरेलू महिला नौकरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु व्यापक सामाजिक आर्थिक अध्ययन और बुनियादी सर्वेक्षण कराए।

जिला स्तरीय प्राधिकारण तथा स्थानीय निकाय

1. घरेलू महिला नौकरों का अनेक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा विकल्प जैसे – जीवन बीमा, स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा, राशन कार्ड और पेंशन प्लान आदि का लाभ उठाने हेतु मार्ग निर्देशन किया जाए।

2. घरेलू महिला नौकरों और उनके बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान की जाए।

3. घरेलू महिला नौकरों के काम करने के समय में कुछ छूट दी जाए और सभी घरेलू महिला नौकरों को दोपहर का खाना दिया जाए।

4. सभी महिला नौकरों को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा कामगारों को न्यूनतम अवकाश सुविधाएं प्रदान की जाएं।

5. अनौपचारिक कामगारों को संगठित करने हेतु समुदाय आधारित संगठनात्मक रणनीति अधिक उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि इसकी पहुंच अधिक कामगारों तक है।

6. असंगठित क्षेत्रों में गरीब घरेलू महिला नौकरों के परिप्रेक्ष्य में, आय सृजन के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण तथा कार्यबल भागीदारी ही उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकती है क्योंकि संसाधनों का यह पुनर्वितरण तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक महिलाओं का अपनी आय, सामग्री और उत्पादन की विधियों पर नियंत्रण नहीं होगा। अतः मुख्य मुद्दा यह है कि इन महिला नौकरानियों को उनके परिवार, कार्य–स्थल और समाज में अधीनता और उनका दमन करने वाली शक्तियों पर किस प्रकार काबू पाया जाए।

7. घरेलू महिला नौकरों के प्रति संभावित खतरों और उनकी सामाजिक सुरक्षा, गरिमा तथा न्यूनतम मजदूरी के बारे में जन जागरूकता पैदा की जाए।

8. घरेलू महिला नौकरों की समग्र स्थिति में सुधार लाने वाले आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनके लिए काम करने वाले लोगों तथा संगठनों के साथ परामर्श, परस्पर संपर्क साधने तथा नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है।

9. जिला स्तर पर घरेलू नौकरों के कल्याण हेतु एक विशेष फंड होना चाहिए।

10. यूएलबी और आरएलबी में घरेलू महिला नौकरों को कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

11. समस्त समाज को नौकर–मालिक संबंध के प्रति अपने दृष्टिकोण को सजग बनाने तथा उसे एक सम्माननीय कर्मचारी–नियोक्ता में बदलने हेतु संवेदनशील बनाने की जरूरत है। अतः यह अत्यावश्यक है कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें घरेलू नौकर समाज के अन्य वर्गों की भांति अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों और हितों का आनंद ले सकें।

12. घरेलू महिला नौकरों के उत्पीड़न और अन्य प्रकार के शोषण के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक सजग रहना चाहिए।

13. प्रत्येक जिले में घरेलू महिला नौकर की पहचान की जाए तथा उन्हें कुछ अनौपचारिक शिक्षा दी जाए ताकि वे लिख पढ़ सकें।

14. जिला प्राधिकरणों को निःशुल्क आवास या इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटन में घरेलू महिला नौकरों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

15. शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू महिला नौकरों की बस्तियों के नजदीक निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय, मार्ग बनाने चाहिएं और सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए।

7. राजस्थान में हस्तशिल्प क्षेत्र विशेषकर बांधन की रंगाई, कढ़ाई और टेक्सटाइल आधारित प्रिंटिंग क्राफ्ट में कार्यरत महिला कामगारों की हालत तथा कार्य स्थिति के बारे में शोध अध्ययन एहसास फाउंडेशन, 58ए, मसूदपुर, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070 द्वारा किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान के हस्तशिल्प क्षेत्र में महिला कामगारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने हेतु था। अध्ययन में इस क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन में कार्यपरक, प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक खामियों तथा कमियों के विश्लेषण तथा इस क्षेत्र में समग्र रोजगार तथा बाजार तक पहुंच में महिलाओं को शामिल करने पर भी ध्यान दिया गया। अध्ययन राजस्थान जिलों यथा – जयपुर, जोधपुर, बाडमेर, चित्तौड़गढ़ में दिया गया।

सिफारिशें और सुझाव

1. **डाटा बेस प्रबंधन :** हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के बारे में अतिरिक्त तथासंगत असदृश द्वारा सृजित करने की तत्काल आवश्यकता है। विशेष जिलों में आयुवार, लिंगवार और शिल्पवार कार्यकलापों के बारे में मूल्यवान डाटा प्राप्त करना वास्तविक परिदृश्य तथा प्रगति और कमजोरियों का पता लगाने के लिए जरूरी है।

2. **जागरूकता पैदा करना:** भारत सरकार द्वारा निचले स्तर की पंचायती राज संस्थान की भागीदारी से हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए बनाई और शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और प्रावधानों के बारे में आवधिक आधार पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। गांव तथा पंचायत स्तर पर महिला कारीगरों के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों, नीतियों, प्रावधानों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सृजन दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतीकरण, प्रिंट मीडिया, दीवार पर लिखने, समूह प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटकों, घर–घर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। निचले स्तर की पंचायती राज संस्था के सहयोग से ग्राम स्तर पर महिला कारीगरों को पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। उन्हें महिला कारीगरों में यह जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि प्रदान की गई सेवा निःशुल्क है।

3. **व्यवहार्यता को सुदृढ़ करना :** महिला कारीगरों के लिए शिल्प कारोबार को व्यवहार्य तथा लाभप्रद बनाने के पूरे प्रयास किए जाएं। ऐसा उद्योग आधारित ज्ञान बढ़ाकर, महिला कारीगरों के कौशल और उत्पादकता में सुधार लाकर, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक सूझबूझ तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुदृढ़ करके किया जा सकता है। साथ ही महिला प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम, अपेक्षित अवसंरचना, पर्याप्त वित्तपोषण, प्रभावी वितरण चैनल उपलब्ध कराने को सुकर बनाने हेतु सरकार तथा संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य है।

4. उद्यम स्थापित करने हेतु महिला कारीगरों को बढ़ावा देने के उपायों के साथ–साथ नामांकन बढ़ाने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए। महिला कारीगरों के निम्न शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर हस्तशिल्प हेतु उपयुक्त औजार और प्रौद्योगिकी को संभालने के लिए शिक्षा के स्तर तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए संगठित उपाय किए जाने चाहिए।

5. **रोजगार सुविधा :** पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों तथा अन्य सहयोगी विभागों द्वारा महिला कारीगरों के लिए रोजगार संबंधी सुविधाएं शुरू की जाएं। कढ़ाई, बांधन की रंगाई, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग आदि का काम करने वाली महिला कारीगरों हेतु इन उद्योगों का मशीनीकरण किया जाए। शिल्प में नए डिजाइन अपनाने वाली महिला कारीगरों के लिए मूल्य संवर्धन हेतु कौशल उन्नयन तथा उद्यमिता कार्यक्रम चलाए जाएं और उन्हें उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

6. **आदान/प्रौद्योगिकी पहुंच को सुगम बनाना :** यह सुझाव दिया गया कि शिल्पकारों को मानक कच्ची सामग्री की निर्बाध आपूर्ति हेतु कच्चे माल के डिपो बनाए जाएं तथा उचित कीमत पर कच्चे माल की उपयुक्त मात्रा तथा गुणवत्ता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

   (i) यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न राज्य सरकारें महत्वपूर्ण स्थानों पर लघु उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में डिजाइन संस्थान की स्थापना करने पर विचार करें। डिजाइन केन्द्र, डिजाइन उत्कृष्टता तथा नवोन्मेश के पेशेवर केन्द्र, तकनीकी जानकारी का प्रचार–प्रसार करने तथा कारीगरों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र के रूप में काम करेगा।

(ii) **प्रभावी चैनल प्रबंधन** : विपणन चैनलों को सुकर बनाने तथा महिलाओं को विपणन और वितरण कार्यकलापों पर अधिक स्वायत्तता तथा नियंत्रण की अनुमति देने अथवा नेटवर्क भागीदारों के मध्य लाभ बंटवारे को सुकर बनाने हेतु उपयुक्त गठबंधन करने की महती आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि बिचौलियों और मध्यवर्तियों पर अधिक निर्भरता अधिम समय तक सफल नहीं रहेगी। यह सुझाव दिया गया कि महिला कारीगरों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, जिनमें सहयोग करने के इच्छुक नेता हों, कुछ विपणन सहकारिताओं का तत्काल गठन किया जाए। साथ ही, अपने उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु महिलाएं अनिश्चितता से बचने के लिए राज्य सरकार के हस्तशिल्प प्रकोष्ठों को अपने उत्पाद की आपूर्ति करने हेतु सहकारी संस्थाएं बना सकती हैं।

(iii) **पूंजी लगाना** : यह बताना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संस्थाओं के पास महिला कारीगरों का समय पर तथा अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु एक विशेष नीति या कार्यक्रम होना चाहिए। यह सहायता एक सामान्य नीति के अनुसार प्रदान की जाती है जिसमें कई बार किसी उद्योग अथवा किसी समूह की विशेष आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे शिल्प दर शिल्प लचीला बनाया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ग्रामीण बैंक परियोजना व्यवहार्यता मूल्यांकन, गुणवत्ता जांच आदि के अध्यधीन क्रेडिट स्वीकृति बढ़ाने हेतु योजना केन्द्रित कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं और उद्यम निष्पादन और ऋण की अदायगी की निगरानी हेतु प्रणाली को स्थापित कर सकते हैं।

(iv) **हितधारक की भागीदारी** : विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा महिला कारीगरों को सामाजिक–आर्थिक स्थिति को उन्नत करने हेतु विशिष्ट योजनाएं बनाने की जरूरत है। सहकारिता प्राप्ति हेतु ऐसे सभी संगठनों के बीच राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बेहतर और प्रभावी समन्वय की जरूरत है। राज्य की महिला कारीगरों की समस्याओं को सुलझाने को प्राथमिकता देने हेतु उद्योग निदेशालय में महिलाओं के लिए एक विशेष हस्तशिल्प प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए।

8. मेघालय में महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी शोध अध्ययन मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, मेघालय द्वारा किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य (i) महिलाओं के प्रति अपराध का स्वरूप (ii) समाज में इसकी व्याप्ति और (iii) पीड़ितों तथा समाज के अन्य सदस्यों द्वारा इससे निपटने हेतु अपनाए गए तरीके की जांच करना आदि का पता लगाना था। जिले के सात मुख्यालयों यथा–शिलांग, जोवाई, नोंगपोह, नोंगस्टोई, तुरा, विलियमनगर और बागमेरा के तीन इलाकों में से प्रत्येक के 30 घरों से आंकड़े लिए गए।

सिफारिशें

कुटुम्ब स्तर

(i) महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए अधिक पारिवारिक समर्थन।

(ii) महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी मुद्दों पर खुलकर बात और चर्चा करें तथा उसे निजी न रखें क्योंकि इससे अपराध और अधिक बढ़ सकता है।

ग्राम स्तर

(i) समुदाय के नेताओं, महिला संगठनों, धार्मिक नेताओं, गैर–सरकारी संगठनों को राज्य में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें महिलाओं के प्रति अपराध से निपटने के लिए प्रभावी और रणनीतिक मार्ग विकसित करने चाहिए।

(ii) स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए ग्राम रक्षा दलों को और अधिकार किए जा सकते हैं।

(iii) गांव में किसी आकस्मिक घटना के होने पर उसे रोकने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के लिए नियमित रूप से सतर्कता बरती जाए।

ब्लॉक स्तर

(i) कई गैर सरकारी संगठन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं तथापि यह अत्यावश्यक है कि सरकार ना केवल जिला जिला स्तर अपितु ब्लॉक स्तर पर भी आश्रय गृह और सेवा प्रदाता संस्था स्थापित करे।

(ii) सरकार ब्लॉक स्तर पर और कम से कम मुख्य गांवों में समाज कल्याण कार्यालयों (उप मंडल) की स्थापना का काम शुरू करे। इससे जिलों के सुदूर क्षेत्रों को प्रभावितों को काफी सहायता मिलेगी क्योंकि उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास अपने शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला मुख्यालय आने में अधिक समय और पैसा खर्च करना पड़ता है।

जिला स्तर

(i) संबंधित विभागों द्वारा ग्रामीण और ऐसे उपनगरीय क्षेत्रों में, जहां रोजाना ऐसे अपराध होते हैं, इसके बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे पीड़ित संबंधित प्राधिकारियों के पास अपने मामले दर्ज करा सकेंगे।

(ii) सहायक सेवा यथा–परामर्श, विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान की जाए और इसका प्रचार–प्रसार किया जाए।

9. दिल्ली में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम में सहायता देने संबंधी शोध अध्ययन गंगा सोशल फाउंडेशन द्वारा किया गया।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य **दिल्ली में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम में सहायता का मूल्यांकन करना है**। अध्ययन का नमूना आकार 82 लाभार्थी है।

सिफारिशें

अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि सहायक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए और इन्हें उन क्षेत्रों में भी दोहराया जाए जहां महिलाओं का कवरेज अपेक्षाकृत कम है।

1. सभी स्तरों पर रोजगार सृजन कौशल को बढ़ावा दिया जाए।
2. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम अधिकाधिक भागीदारीपरक, परस्पर क्रिया आधारित और सीखने पर आधारित हो।
3. अधिकाधिक महिलोन्मुखी कौशल शुरू किए जाएं।

10. दहेज प्रतिबंध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम से पीड़ित महिला संबंधी शोध अध्ययन लक्ष्मी नारायण ग्रामोद्योग विकास समिति बिसौली (बंदायू), उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया।

दहेज तथा दहेज उत्पीड़न से सम्बन्धित घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन।

महिलाओं के प्रति दिन–प्रतिदिन बढते दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों का उन्मूलन करने में पुलिस की भूमिका।

दहेज निरोधक कानूनों की प्रकृति उपादेयता।

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने में अदालत की भूमिका।

दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में समाज के लोगों की प्रतिक्रियायें।

सुझावः–

1. स्त्रियों के प्रति अपराधों को जो कि सामान्य अपराधों से भिन्न प्रकृति के है। निपटाने के लिए कानून को प्रवर्तित करने वाले माध्यमों को ठीक करना जरूरी है। विशेष प्रकार के अत्याचार तथा हिंसा जिनका स्त्रियाँ सामना करती है। अदालती मान्यता देनी चाहिए।
2. सुरक्षित नौकरियों में से सभी नौकरियों का 25 प्रतिशत स्त्रियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए।
3. स्त्रियों को आत्म निर्भर बनाना होगा।
4. हर माता–पिता को, लडका–लडकी को दहेज जैसी कुप्रथा को नकारना होगा/महत्व देना बन्द करना होगा। इससे उपजी समस्या को निजी समस्या न समझ कर इसके विरोध में हर एक को आवाज उठानी चाहिए। इसके विरोध में व्यापक आन्दोलन की आवश्यकता हैं चूँकि यह सभी धर्मो में व्याप्त है।
5. शिक्षित एवं बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे इसमें व्यापक परिवर्तन लाये। हर घर से इसकी शुरूआत होनी चाहिए।

6. स्त्री पर कही भी दहेज सम्बन्धी अत्याचार हो रहा हो तो इसकी सूचना तुरन्त पास के पुलिस थाने में तथा नारी संस्था में देनी चाहिए।

7. अर्न्तजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए इससे वर का चुनाव करने के क्षेत्र में विस्तार होगा तथा युवतियों के लिए योग्य वर खोजने में सुविधा होगी। इससे दहेज की माँग में कमी आयेगी।

8. युवकों को स्वाबलम्बी बनाया जाए। स्वावलम्बी होने पर युवक अपनी इच्छा से लडकी का चयन कर सकते है। दहेज की माँग अधिकतर युवकों की ओर से न होकर माता–पिता की ओर से होती है। स्वावलम्बी युवकों पर मात–पिता का दबाव कम होने पर दहेज के लेन–देन में स्वतः ही कमी आयेगी।

9. लडकियों को शिक्षित कर स्वावलम्बी बनाया जाए। जिससे वे स्वयं नौकरी कर अपना जीवन–निर्वाह करने में समर्थ हो सकेगी। दहेज की अपेक्षा आजीवन उनके द्वारा कमाया गया धन कही अधिक होगा। इस प्रकार युवतियों की दृष्टि में विवाह एक विवशता क रूप में नहीं होगा जिसका वर पक्ष प्रायः अनुचित लाभ उठाता है।

10. प्रबुद्ध युवक–युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने के लिए अधिक छूट मिलनी चाहिए। शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ युवक–युवतियों में इस प्रकार का वैचारिक परिवर्तन सम्भव है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप विवाह से पूर्व एक–दूसरे के विचारों से अवगत होने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेगा। यह आवश्यक है कि समाज में इस प्रकार परिवर्तनशील मानसिकता को समाज में हेय दृष्टि से न देखा जाए।

11. जगह–जगह दहेज के विरोध में मोर्चे निकालना, नुक्कड नाटक करना, पोस्टर लगाना ताकि समाज में जनजागृति फैल सके और दहेज लेने व देने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर सकें।

12. स्त्रियों में जागृति पैदा करने के लिए और उनकी सहायता के लिए महिला कानूनी सहायता केन्द्र जैसी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गली–गली में जरूरत है।

13. दहेज की सूचियों का पंजीयन जन्म व मृत्यु के पंजीयन के समान आवश्यक होना चाहिए।

14. दहेज निवारण कानून में पुनः संशोधन कर और कठोर नियम बनायें जाने चाहिए। दहेज निवारण कानून के अन्तर्गत अपराधी की जमानत का भी प्रावधान समाप्त कर कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए जिससे अन्य लोग दहेज लेने व देने से बचे।

15. सामाजिक न्याय के प्रचार की आवश्यकता एवं उपयोगिता से सामान्यजन एवं पुलिसजन को अवगत कराना चाहिए।

16. पुलिस एवं समाज के मध्य बढ़ती हुई दूरी को समाप्त करने के लिए उनके सम्बन्धों में सुधार अपेक्षित है।

17. सामान्यजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए और उन्हें पुलिस के कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरी ओर पुलिस व दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए जिससे सहयोग देने वाले सामान्यजन को कठिनाई एवं कष्ट न उठाना पड़े।

18. प्राथिमिकी अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट थानों पर अनिवार्य रूप से लिखी जाए। यदि किसी कारणवश पीड़ित व्यक्ति थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में असमर्थ रहता है तो जिला पुलिस मुख्यालय पर उसकी रिपोर्ट लिखने हेतु अलग कक्ष खोला जाना चाहिए, जहाँ नागरिक निर्दन्द होकर प्राथिमिकी दर्ज करा सकें।

19. प्रत्येक राजनीतिक दल को आचार संहिता बनाकर और अपने सदस्यों और नेताओं को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि वे पुलिस पर दबाव न डाले।

20. पुलिस का नैतिक बल उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिससे वे सम्पन्न व्यक्तियों एवं राजनीतिक दबाव में न आये।

21. पुलिस से भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु सम्यक प्रयत्न करना चाहिए और उनका वेतन उनके कार्य–गुणता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

11. जिला राजनीति में महिलाओं की भूमिका और स्थिति के संबंध में शोध अध्ययनः पर्यावरण और सामाजिक मामले संबंधी संस्थान, गुड़गांव, हरियाणा द्वारा अलवर, भरतपुर और जयपुर जिलों के संबंध में किया गया अध्ययन।

इस अध्ययन का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति पर महिला आरक्षण के प्रभाव का आकलन करना तथा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक प्रभावशाली तथा परिणामोन्मुखी बनाने के उपाय सुझाना है। इस अध्ययन के लिए कुल 240 प्रत्यर्थियों को चुना गया था।

सिफारिशें

केन्द्र सरकार

1. चूंकि महिलाएं हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा है, अतः पूरे भारत में निर्वाचित निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस 50 प्रतिशत आरक्षण में अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 की महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया जानाा चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

2. महिलाओं को स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महिलाओं को एकजुट करने के लिए गांवों के महिला मंडलों का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में कुछ सफल महिला संगठन भी

प्रोत्साहक का कार्य कर सकते हैं। सरकार को योग्य और सफल महिला संगठनों को वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए जो महिलाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन देने का दायित्व ले सकें। देश में महिला आंदोलनों के नेता भी यह कार्य कर सकते हैं। वे भी ग्रामीण महिलाओं को जागरूक बनाने में सहायक हो सकते हैं।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में प्रोत्साहन राशि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह देखा गया है कि पंचायत के सभी स्तरों पर ऐसी बहुत सी सक्रिय और जागरूक महिलाएं हैं जिन्होंने कार्यान्वयन कर अपने निर्वाचन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया है। ऐसे नेताओं की नेतृत्व योग्यता का महिमामंडन जनता के बीच कर उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए तथा जन सभाओं में उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे अन्य महिला प्रतिनिधियों को भी निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी सफलताएं एवं अच्छी परंपराएं दोहराई जायेंगी।

राज्य सरकार

1. सरकार को निर्वाचित महिलाओं, विशेष रूप से पंचायत/ब्लॉक स्तर पर, को समय–समय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पंचायत/ब्लॉक स्तर पर चुनी गई महिलाएं सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित न हों।

2. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि पुरूषों और महिलाओं दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए। इस सोच में परिवर्तन लाया जाना अनिवार्य है कि महिलाएं केवल घर चलाने और बच्चों के पालन–पोषण का ही कार्य कर सकती हैं। हमारा दृष्टिकोण यह होनाा चाहिए कि इस कार्य में महिलाओं और पुरूषों की समान भागीदारी हो। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं और पुरूषों को सामाजिक और राजनैतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

3. राजनैतिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं पर आधारित अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि बाह्य विश्व के साथ संपर्क महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सजग और सक्रिय बनाता है। यह दो तरह से किया जा सकता है। एक, जागरूक ग्रामीण महिलाओं तथा वहां की निरक्षर निर्वाचित महिलाओं के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसी महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में लाकर वहां की शिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ उनके संपर्क की व्यवस्था की जानी चाहिए।

स्थानीय सरकार

1. यह स्पष्ट है कि राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के प्रति पुरूषों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना आरंभ हो गया है। पहले महिलाओं का राजनीति में पदार्पण पूर्ण रूप से अमान्य था किंतु अब उन्हें सीमित ही सही किंतु राजनीति में आने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि कुछ मामलों में तो सक्रिय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महिलाओं और पुरूष कर्मियों तथा प्रतिनिधियों को प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इस रूझान को सुदृढ़ किये जाने

की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाएं अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा सकें, इसके लिए उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। चूंकि महिला सदस्य इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपनी मजदूरी नहीं गंवाना चाहेंगी, अतः इन कार्यक्रमों का आयोजन उनके निवास स्थान के निकट किया जाना चाहिए तथा कुछ मुखरित पंचायती नेताओं को भी प्रशिक्षुओं के रूप में सम्मिलित करना चाहिए।

2. सरकार द्वारा विशेष रूप से पंचायत/ब्लॉक स्तर पर, चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अलग कोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए।

3. समाज में जागरूकता फैलाने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये महिला पुरूष समानता तथा महिलाओं के साथ न्याय जैसे मूल्यों के संवर्धन के लिए राजनैतिक समाजीकरण के एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं।

12. महिलाओं के लिए माइक्रो क्रेडिट की उपलब्धता तथा स्व सहायता समूहों की भूमिका के संबंध में सामाजिक कार्य संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया शोध अध्ययन।

इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सर्वे के माध्यम से वर्तमान स्व सहायता समूहों की स्थिति का अध्ययन करना था। इस अध्ययन में नार्थ 24 परगना के 30 गांवों को सम्मिलित किया गया था।

सिफारिशें

1. गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों या राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों द्वारा इन समूहों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

2. समूहों की रचना के समय वित्तीय पक्षों के अलावा उनके वास्तविक जीवन से संबंधित मामलों को भी उठाया जाना चाहिए अन्यथा समूह का एक साथ साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

3. उनकी बैठकों में महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

4. बैंकों को अधिक सहयोगी बनना चाहिए।

5. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम लागू किए जाएं।

6. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए उद्यमिता विकास संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जाएं।

7. परिवार के महिला और पुरूष सदस्यों के लिए ''लिंग समान समाज'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

8. प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच उचित व्यवसाय अथवा व्यापार के रूझान विकसित किए जाएं।

9. पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों, डीआरडीसी के बीच संपर्क और समुचित समन्वय बनाए रखा जाए।

10. एक ही समुदाय के स्तर पर एक से अधिक समूहों का गठन और ऋण कार्यक्रम आरंभ न किए जाएं। सभी क्षेत्रों को एक ही एजेंडा पर कार्य करना चाहिए और निर्धन महिलाओं के संबंध में संदेह को दूर किया जाए।

11. गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों अथवा राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समूहों के लिए लगातार अनुवर्ती उपाय किए जाएं।

12. समूह बनाते समय उनके उनके व्यावहारिक जीवन के अन्य मुद्दों को वित्तीय पहलूओं से पृथक रखा जाना चाहिये अन्यथा समूह एकजुट नजर नहीं रहेगा।

13. उनकी बैठकों में महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

14. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम लागू किए जाएं।

15. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए उद्यमिता विकास संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जाएं।

16. परिवार के महिला और पुरूष सदस्यों के लिए ''लिंग समान समाज'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

17. प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच उचित व्यवसाय अथवा व्यापार के रूझान विकसित किए जाएं।

18. पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों, डीआरडीसी के बीच संपर्क और समुचित समन्वय बनाए रखा जाए।

19. एक ही समुदाय के स्तर पर एक से अधिक समूहों का गठन और ऋण कार्यक्रम आरंभ न किए जाएं। गरीब महिलाओं में भ्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र को समान ऐजेन्डें पर कार्य करना चाहिए।

13. श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर, 313002, राजस्थान द्वारा घरेलू हिंसा का आकलन– पीड़ित के लिए विधान, राज्य सुरक्षा और सहयोग सेवाओं की उपलब्धता के संदर्भ में' विषय पर एक अध्ययन किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं पर घरेलू हिंसा की व्यापकता का पता लगाना और सुरक्षा अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और आश्रय गृहों की स्थापना के संदर्भ में घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करना था। अध्ययन के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों की खामियों पर भी चर्चा की गई है तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए सिफारिश की गई है। अध्ययन में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा चार जिलों की 1200 महिलाओं को शामिल किया गया है।

सिफारिशें

जिला स्तर

1. घरेलू हिंसा से संबंधित जानकारी एकत्र करने, उसका भंडारण, प्राप्ति तथा प्रचार प्रसार करने के लिए इंटरनेट जैसी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विरोध में लॉबी तैयार करने और समर्थन जुटाने के लिए भी किया जा सकता है।

2. ग्राम, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के विभिन्न उपायों जिनमें निम्नलिखित शामिल है, के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन भी लाया जाएः–

   (क) स्थानीय और सार्वजनिक मीडिया अभियान।

   (ख) परिवार में बालिका के जन्म का स्वागत की योजनाओं संबंधी आईईसी कार्यकलापों के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा में लाना।

   (ग) समाजीकरण प्रक्रिया में लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए परिवार शिक्षा, परिवार तथा गांव के स्तर पर पुरूषों तथा बच्चों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

3. महत्वपूर्ण स्थानों पर आश्रय और संकट केन्द्रों की स्थापना की जाए और इन केन्द्रों पर सरकार और एनजीओ द्वारा 'वन स्टॉप' अर्थात एक ही स्थान पर (उदाहरण के लिए जिसके अंतर्गत चिकित्सा, परामर्श, कानूनी और आर्थिक सहायता शामिल हो) सेवाएं प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाए।

4. प्रतिष्ठित मानदंडों के अनुसार समर्पित सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सुरक्षा अधिकारी लंबे समय तक अपने कार्य क्षेत्र में रहें ताकि जनता का विश्वास जीतने के पष्चात् वे समुदाय की आशाओं पर खरा उतर सकें।

5. अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पुरूषों को सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए।

6. कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए हिंसा की पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास गृहों की सेवाएं प्रदान की जाएं।

7. थानाध्यक्षों के पास पीड़ितों को अल्प अवधि निवास गृहों में भेजने के अधिकार हों।

8. महिला अनुकूल कानूनों के कार्यान्वयन एजेंटों को पीड़ितों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

9. कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समितियों का गठन किया जाए।

10. विद्यमान समितियां निष्क्रिय हैं। स्थानीय स्तर की समितियों को सीएसओ को शामिल करते हुए हिंसा के विरूद्ध संचित करने की आवश्यकता है।

11. नेटवर्किंग और संपर्कों की मजबूती को निम्न के मध्य प्रोत्साहित किया जाएः–

    क. महिलाओं के गैर सरकारी संगठन, अन्य क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन जैसे विकास, बच्चों और युवाओं के गैर सरकारी संगठन, सरकारी क्षेत्र, अनुसंधान संगठन (विशेषकर महिलाओं के अध्ययन केंद्र) और नागरिक समाज के संबंधित सदस्य।

    ख. अनुसंधान और सूचना में अन्तर को पहचानने हेतु ऐसे तंत्र को जुटाना होगा तथा इस अन्तर को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। ऐसे अध्ययनों में संस्कृति केन्द्रित अध्ययन, उप क्षेत्रीय तुलनाओं और विद्यमान योजना तथा परियोजनाओं के मूल्यात्मक अध्ययन को शामिल किया जा सकता है।

11. पीड़ितों के रेफरल और यातायात सुविधा हेतु न्यायसंगत आर्थिक भत्ते प्रदान करने चाहिए।

राज्य स्तर

1. परिस्थिति के अधिक सटीक और व्यपाक चित्रण हेतु घरेलू हिंसा पर सांख्यिकी के आंकड़ा एकत्रीकरण में सुधार किया जाए। इसमें महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मामलों को दर्ज करने हेतु बेहतर सूचकांकों का विकास करना, अस्पतालों और पुलिस रिकार्ड़ के अतिरिक्त स्रोतों से सूचना इकट्ठा करना और प्रभावित व्यक्तियों तक पहंचने की क्रियाविधि बनाना शामिल हैं।

2. चूंकि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा विषय पर बहुत से अध्ययन और गतिविधियां की गई हैं, विद्यमान राष्ट्रीय और उप क्षेत्रीय सुविधा की वरीयता अनुसार, उपलब्ध जानकारी के एक कोष की स्थापना की जाए।

3. संबंधित व्यक्तियों को तत्संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए–चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और न्यायिक आदि और ग्रहणशीलता बढ़ाने हेतु ऐसा प्रशिक्षण जितनी जल्दी हो सके दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में शारीरिक परिवर्तन हेतु लिंग–संचेतना और महिला को प्रभावित करने वाली हिंसा को संभालने हेतु विशेष प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। ऐसा प्रशिक्षण जहॉ तक संभव हो सके विद्यमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाए।

4. मामलों के समय से निस्तारण और पंजीकरण हेतु ब्लॉक स्तर पर विशेष अदालतें बनानी चाहिए। दर्ज किए गए मामले की प्रति पीड़ित को तुरंत मुहैया कराई जाए। अभियोग पत्र का मसौदा सही से नहीं बनता, इस उद्देश्य हेतु वकीलों को नियुक्त करना चाहिए।

5. महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार की सुनिश्चितता अति आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्तर

1. निवारक उपाय–निवारक उपायों से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मूल कारणों का समाधान होना चाहिए। इसके लिए, इन उपायों को शामिल किया जाएः

क. लक्ष्यीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

ख. बालिकाओं हेतु विशेष शिक्षा योजनाएं

ग. लैंगिक भेदभाव को दूर करने हेतु पाठ्यक्रम में सुधार

2. प्रक्रिया के कानूनी नियमों को सरल एवं अधिक सुग्राह्य बनाया जाए। कानूनी सहायता और परामर्श हेतु प्रावधान विद्यमान हैं, लेकिन पीड़ित की इन तक पहंच दुर्लभ है। इन प्रावधानों को महिला हितैषी बनाने की आवश्यकता है। कानूनी सहायता प्रदाताओं और परामर्शदाताओं हेतु उच्च स्तर की संचेतना आवश्यक है।

3. वर्तमान में विद्यमान कई कानूनों के बावजूद भी, इन कानूनों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन अक्सर कमजोर होता है। कानूनों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु उपायों को सुदृढ़ करना आवश्यक है और ये इस प्रकार हो सकता है:

क. कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राष्ट्रीय कानून आयोग जैसे तंत्रों का प्रयोग।

ख. पुलिस तंत्रों और प्रक्रियाओं की स्थापना, जैसे, सभी पुलिस थानों में महिलाओं हेतु एक विशेष डेस्क, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की पुलिस रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाना।

ग. अपराधक करने वालों हेतु ऐसे दण्डात्मक उपाय करना जो एक मिसाल बन जाएं।

4. विकास योजनाओं जैसे गरीबी उन्मूलन योजनाओं, सूक्ष्म–ऋण योजनाओं को घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ितों सहित लक्षित समूहों को सहारे का विशेष अवसर प्रदान करना चाहिए।

5. एक ऐसी सुदृढ़ योजना होनी चाहिए जिससे बाल विवाह को रोका जा सके।

6. जबकि कानून और कानूनी उपाय महत्वपूर्ण रोधक एवं सुरक्षा उपाय हैं, कानून के ऊपर अतिनिर्भरता नहीं होनी चाहिए; इससे अधिक, कानून की व्याख्या में, ऐसे अवसर हो सकते हैं जहॉ कानून की भावना का विचार किया जाना चाहिए।

8 सूचना का अधिकार

प्रशासनिक तथा अन्य मामलों में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार आयोग में सूचना का अधिकार लागू किया गया है। अधिनियम में उपबंध है कि जब तक किसी मामले में जानकारी सार्वजनिक करने से छूट प्राप्त नहीं हो तो उक्त अधिनियम के अनुसार कार्यपालक अभिकरणों के यहां की जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अपनी एक व्यवस्था है, और आयोग ने वेतन एवं लेखा अधिकारी को सी.पी.आई.ओ. तथा उप सचिव को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है। सी.पी.आई.ओ. अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए, आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। कोई अधिकारी, जिससे उप–धारा 5(4) के अंतर्गत सहायता माँगी जाए उसे सी.पी.आई.ओ. को सभी सहायता देनी होगी और उसे भी सी.पी.आई.ओ. माना जाएगा।

क. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों का तिमाही आधार पर प्राप्ति एवं निपटान विवरण निम्नानुसार है:–

तिमाही	अथ शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य पीएस से अंतरित सहित प्राप्तियां	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य पीएस को अंतरित सहित निपटान	अंत शेष
पहली तिमाही (1 अप्रैल–30 जून 2012)	07	144	144	07
दूसरी तिमाही (1 जुलाई–30 सित. 2012)	07	153	153	07
तीसरी तिमाही (1 अक्टू.–31 दिसं. 2012)	07	103	91	19
चौथी तिमाही (1 जन.–31 मार्च 2013)	19	138	134	33

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त प्रथम अपील संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है : –

तिमाही	अथ शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य पीएस से अंतरित सहित प्राप्तियां	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य पीएस को अंतरित सहित निपटान	अंत शेष
पहली तिमाही (1 अप्रैल–30 जून 2012)	01	11	11	शून्य
दूसरी तिमाही (1 जुलाई–30 सित. 2012)	01	21	20	शून्य
तीसरी तिमाही शून्य (1 अक्टू.–31 दिसं. 2012)	02	18	18	शून्य
चौथी तिमाही (1 जन.–31 मार्च 2013)	02	14	09	शून्य

उपरोक्त ब्यौरा सी.आई.सी. की वेबसाइट पर ''आर0टी0आई एनवल रिटर्न इन्फोरमेशन सिस्टम'' पर अपलोड किया गया है।

यद्यपि, इसके लिए डब्ल्यू.सी.डी. मंत्रालय द्वारा कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया, तथापि सी.पी.आई.ओ. ने कार्यालय में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके सम्बंधित स्टाफ को नियमों और विनियमों से अवगत कराया। आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि स्वयं ही, वेबसाइट के माध्यम से, जनता को अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए ताकि उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।

सूचना का अधिकार संबंधी सभी आवेदनों का यथासंभव शीघ्र उत्तर दिया गया। अंतरण हेतु मामलों को अति शीघ्र अंतरित किया गया। जब कभी जानकारी देने से इनकार किया गया, उसका कारण था व्यक्तिगत जानकारी, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत गोपनीय रखा जाना होता है। अधिकांश मामलों में हिंदी में प्राप्त आवेदनों का उत्तर हिंदी में दिया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाईट पर बैठकों/संगोष्ठियों, आयोग की माननीय अध्यक्षा और सदस्यों के दौरों, प्रेस विज्ञप्ति के साथ–साथ स्वतः संज्ञान लिए गए मामलों, विभिन्न प्रकाशनों, वार्षिक रिपोर्ट, निविदा सूचनाओं, रिक्तियों हेतु विज्ञापन आदि के बारे में जानकारी दी गई है। वेबसाईट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

ग. राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाईट में अलग से सूचना का अधिकार भाग है, जिसमें निम्नानुसार ब्यौरा दिया गया है :

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
- आर.टी.आई. नियमावली और दिशा–निर्देश।

- आर.टी.आई. अधिकारियों संबंधी विवरण।
- संगठनात्मक चार्ट।
- राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टॉफ के वेतन संबंधी विवरण।
- राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों को की गई शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम – 1990 के तहत जारी की गई अधिसूचनाएं और नियम। (1990 का अधिनियम संख्या 20)
- आर.टी.आई. आवेदकों की सूची
- अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- अधिसूचना (हिंदी) (अंग्रेज़ी)
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के अंतर्गत जानकारी
- वार्षिक विविरणिका प्रपत्र
    - ❑ 2007–2008
    - ❑ 2008–2009
    - ❑ 2009–2010
    - ❑ 2010–2011
    - ❑ 2011–2012

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र (अलाभकारी संगठन)

राशि रुपये में

पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
पूंजीगत निधि	1	6,44,04,736.00	—	6,44,04,736.00	6,05,20,471.00	—	6,05,20,471.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	(62,82,740.00)	70,27,861.00	7,45,121.00	(3,25,39,358.00)	64,73,149.00	(2,60,66,209.00)
निर्धारित/स्थायी निधि							—
सुरक्षित ऋण और उधार							—
असुरक्षित ऋण और उधार							—
आस्थगित ऋण देयताएं							—
मौजूदा देयताएं और प्रावधान	3	2,77,92,798.00	1,09,565.00	2,79,02,363.00	2,19,11,158.00	1,07,765.00	2,20,18,923.00
		8,59,14,794.00	**71,37,426.00**	**9,30,52,220.00**	**4,98,92,271.00**	**65,80,914.00**	**5,64,73,185.00**
परिसम्पतियां							
स्थायी परिसंपत्तियां	4	2,33,87,259.00	—	2,33,87,259.00	2,31,40,907.00	—	2,31,40,907.00
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधि द्वारा							—
निवेश – अन्य	5	—	—	—	—	—	—
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	6	6,79,16,538.00	17,48,423.00	6,96,64,961.00	3,21,34,380.00	11,97,898.00	3,33,32,278.00
विविध व्यय		—	—	—	—	—	—
कुल (ख)		**9,13,03,797.00**	**17,48,423.00**	**9,30,52,220.00**	**5,52,75,287.00**	**11,97,898.00**	**5,64,73,185.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	14						
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	15						

सदस्य सचिव

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)

राशि रुपये में

	अनुसूची	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
आय					
विक्रय / सेवाओं से आय			—		—
अनुदान / राजसहायता	7	11,88,15,735.00	4,57,27,000.00	8,28,17,554.00	3,28,97,000.00
शुल्क / अभिदान	8	—	9,556.00	—	8,908.00
निवेश से आय (निधियों में अंतरित / निर्धारित निधियों से निवेश पर आय)	9	—	—	—	—
रॉयल्टी / प्रकाशन आदि से आय		—	—	—	—
अर्जित ब्याज	10	5,75,067.00	2,23,637.00	3,21,681.00	1,60,840.00
अन्य आय	11	—	—	—	1,77,740.00
तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)		—	—	—	—
पिछले वर्ष के समायोजन, अन्य आय (वर्ष 2008–2009 से 2011–2012 पर भवन पर प्रभारित मूल्यवृद्धि)		3,34,414.00	—	—	—
कुल (क)		**11,97,25,216.00**	**4,59,60,193.00**	**8,31,39,235.00**	**3,32,44,488.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	12	1,17,86,395.00	2,83,02,536.00	84,34,245.00	1,69,17,188.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	7,68,22,440.00	1,71,02,945.00	7,22,31,412.00	1,60,75,983.00
अनुदान, राजसहायता आदि पर व्यय		—	—	—	—
ब्याज		—	—	—	—
मूल्यह्रास (वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल)		48,59,763.00	—	33,95,533.00	—
स्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि		—		15,26,072.00	
कुल (ख)		**9,34,68,598.00**	**4,54,05,481.00**	**8,55,87,262.00**	**3,29,93171.00**
आय की तुलना में व्यय के उपरांत अतिरिक्त बची शेष राशि (क–ख)		**2,62,56,618.00**	**5,54,712.00**	**(24,48,027.00)**	**2,51,317.00**
विशेष आरक्षित राशि को अंतरण		—	—	—	—
सामान्य आरक्षित राशि को / से अंतरण		—	—	—	—
कायिक / पूंजीगत निधि में लाई गई अधिशेष / (कम हुई) शेष राशि		**2,62,56,618.00**	**5,54,712.00**	**(24,48,027.00)**	**251,317.00**

सदस्य सचिव

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)

राशि रुपये में

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
अथ शेष									
नकद शेष	-	-	3,000.00	-	स्थापना व्यय (अनुसूची–16)	1,17,61,977.00	2,85,48,286.00	84,58,663.00	1,68,31,584.00
बैंक शेष	8.48,598.00	9,84,007.00	49,388.00	1,02,544.00					
					अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–17)	10,70,70,556.00	1,70,85,247.00	7,38,99,091.00	1,61,25,283.00
प्राप्त अनुदान	12,27,00,000.00	4,57,27,000.00	8,99,52,000.00	3,28,97,000.00					
					प्रेषण (अनुसूची–18)	-	57,21,969.00	-	33,36,096.00
निवेश पर आय									
स्थायी निधि	-	-	-	-	प्रतिभूति जमा	25,000.00	4,200.00	50,000.00	40,000.00
स्वयं की निधि	-	-	-	-	स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय	38,68,201.00	-	71,34,446.00	-
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-					
					अंत शेष				
प्राप्त ब्याज					नगद शेष	-	-	-	-
					हस्तगत डाक टिकटें		**43,213.00**		
बैंक निक्षेप	5,83,054.00	2,15,650.00	3,21,681.00	1,60,840.00	बैंक शेष	14,76,918.00	12,61,267.00	8,48,598.00	9,84,007.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-					
ऋण एवं अग्रिण	-	-	-	-					
भुनाया गया निवेश	-	-	-	-					
अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	-	-	-	-					
अन्य आय									
आर.टी.आई.	-	9,556.00	-	8,908.00					
विविध आय	-	-	-	7,13,817.00					
धन प्रेषण (अनुसूची–18)	-	57,21,969.00	-	33,36,096.00					
प्रतिभूति जमा	71,000.00	6,000.00	64,729.00	97,765.00					
	12,42,02,652.00	**5,26,64,182.00**	**9,03,90,798.00**	**3,73,16,970.00**		**12,42,02,652.00**	**5,26,64,182.00**	**9,03,90,798.00**	**3,73,16,970.00**

सदस्य सचिव

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र से सम्बंधित अनुसूचियां

अनुसूची 1 – पूंजीगत निधि

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,05,20,471.00		5,33,86,025.00	-
जोडेः– कायिक/पूंजीगत निधि में अंशदान	-	-	-	-
जोड़ें /(घटाएं): – आय और व्यय खाते से अंतरित आय/(व्यय) का निवल शेष	-	-	-	-
जोड़ें: ब्याज पर स्रोत पर की गई कटौती के प्रतिदाय के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	-	-	-
जोडेः स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय के किए परिशोधन प्रविष्टि	-	-	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का योग	38,84,265.00	-	71,38,445.00	-
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय	-	-	3,999.00	-
घटाएं: वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए समायोजन प्रविष्टि		-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**6,44,04,736.00**	-	**6,05,20,471.00**	-

अनुसूची 2 – आरक्षित निधि और अधिशेष

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1) *पूंजीगत आरक्षित निधि*				
अंतिम खाते के अनुसार	(3,25,39,358.00)	64,73,149.00	(3,00,91,331.00)	62,21,832.00
जोड़ें/घटाएं): – आय और व्यय खाते से अंतरित आय/(व्यय) का निवल शेष	2,62,56,618.00	5,54,712.00	(24,48,027.00)	2,51,317.00
कुल	**(62,82,740.00)**	**70,27,861.00**	**(3,25,39,358.00)**	**64,73,149.00**

सदस्य सचिव

अनुसूची 3 – पूंजीगत निधियां

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
वर्तमान देयताएं					
अंशदायी भविष्य निधि में देय		-	-	-	-
प्रतिभूति जमा		99,989.00	1,09,565.00	53,989.00	1,07,765.00
गैर–सरकारी संगठनों को देय अग्रिम	क+ख+ग+घ+ड	2,15,89,634.00	-	1,74,18,444.00	-
गैर–सरकारी संगठनों (एन.ई.आर.) को देय अग्रिम	च+छ+ज	61,03,175.00	-	44,38,725.00	-
विविध देनदार		-		-	
		2,77,92,798.00	**1,09,565.00**	**2,19,11,158.00**	**1,07,765.00**
विशेष अध्ययन	(क)	**73,61,420.00**		**64,43,455.00**	
अभिव्यक्ति प्रतिष्ठान		1,37,970.00		-	
अभियान, छतीसगढ़		83,000.00		83,000.00	
ऑल इंडिया फ़ाउंडेशन फ़ॉर पीस ऐंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली		2,18,610.00		-	
अंजनेया सेवा समिति, राजस्थान		1,34,190.00		-	
एसोसिएशन फॉर डेवेलपमेंट एण्ड रिसर्च (एडीएआरएएस)		1,35,000.00		1,35,000.00	
आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण कोटा, एसपीएसटी		1,64,430.00		-	
बोमोग्राम रेशम खादी प्रतिष्ठान		1,42,380.00		-	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली		2,69,640.00		2,69,640.00	
सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज़, केरल		-		48,040.00	
सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज़		1,41,120.00		1,41,120.00	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, वसंत कुंज, दिल्ली		47,940.00		2,27,700.00	
सेंटर फॉर स्टडीज़ फॉर कल्चरल आईडेंटिटी ऑफ वीकर		1,01,400.00		1,01,400.00	
सेंटर ऑफ द स्टडीज़ ऑफ वैल्यूज़		45,780.00		1,37,340.00	
चैतन्य मोहन कोठी, गया		58,800.00		58,800.00	
छायादीप समिति ग्राम राजखेता छत्तीसगढ		1,58,760.00		-	
चिकाली विकास प्रतिष्ठान महाराष्ट्र		1,64,430.00		-	
धन्वंधिरी मेंटली रिटार्डेड एण्ड ड्रग एडिकटर्स		2,20,710.00		48,720.00	
धारा झारखण्ड		1,49,940.00		-	
डा. शैला परवीन, व्याख्याता, वाराणसी, उ0प्र0		61,000.00		61,000.00	
डा. ऊषा टंडन, सह–प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली		60,060.00		60,060.00	
एहसास फाऊंडेशन, नई दिल्ली		1,52,400.00		1,98,390.00	
एनवायरनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली		1,09,200.00		1,09,200.00	
गंगा सोशिअल फाऊंडेशन दिल्ली		-		1,14,030.00	
हैल्प ऑर्गेनाइजेशन, जयपुर		1,31,670.00		1,31,670.00	
इंडियन काऊंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट		65,100.00		65,100.00	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी डब्ल्यू. बी.		64,050.00		64,050.00	
इंडियन स्कूल ऑफ वूमेन स्टडीज एण्ड डेवलेपमेंट		72,870.00		-	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट दिल्ली	2,63,550.00		2,63,550.00	
इंडियन सोसायटी फॉर इंटिग्रेटिड वूमेन दिल्ली	-		-	
इनिशिएटिव फॉर सोशल चेंज एण्ड एक्शन	-		60,000.00	
इंस्टीट्यूट फार एनवायरमेंट एण्ड सोशल अफेयर्स	0.00		53,760.00	
इंस्टीट्यूट फार सोशल डेवेलपमेंट, उदयपुर	-		44,800.00	
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, कोलकाता	-		1,09,800.00	
जाबला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन	48,615.00		48,615.00	
जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	81,100.00		2,43,300.00	
जन कल्याण परिषद, छत्तीसगढ़		1,33,560.00		-
कल्याण रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, अजमेर	48,720.00		-	
कुन्दन वेयफेयर सोसायटी	1,16,550.00		-	
लीगल सर्विसेज नियर अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली	65,200.00		65,200.00	
लियाकत अली खान, जयपुर	40,000.00		40,000.00	
लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	46,620.00		46,620.00	
लक्ष्मी नारायण ग्रामोद्योग विकास समिति, उत्तर प्रदेश	-		1,29,780.00	
मासूम सोसायटी फॉर सोशल साइंस	38,600.00		38,600.00	
मथुरा कृष्णा फाऊंडेशन, बिहार	41,200.00		41,200.00	
मदर्स लैप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन	15,000.00		15,000.00	
मदर टेरेसा वूमेन्स यूनिवर्सिटी तमिलनाडु	1,34,820.00		1,34,820.00	
मदर टेरेसा रूरल डेवेलोपमेंट सोसायटी	1,08,360.00		1,08,360.00	
मिस शीला चौधरी	49,200.00		49,200.00	
नाबकृष्णा चौधरी सेंटर फॉर डेवेलपमेंट स्टडीज़	40,000.00		40,000.00	
नागरिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश	59,900.00		1,79,700.00	
नव राजीव गांधी फाऊंडेशनऐंड एण्ड रिसर्च	1,19,700.00		1,19,700.00	
नोबल सोशल एंड एजुकेशनल सोसायटी	46,070.00		2,63,630.00	
पश्चिम बंग यूवा कल्याण मंच	38,640.00		38,640.00	
फगवाड़ा एनवायरनमेंट एसोसिएशन पंजाब	1,19,700.00		1,19,700.00	
प्रो. विजय लक्ष्मी, उदयपुर	42,600.00		42,600.00	
आरके एचआईवी एड्रस सेंटर, मुंबई	-		2,57,400.00	
रूरल डेवेलोपमेंट एण्ड वेलफेयर सोसायटी, जयपुर राजस्थान	1,15,930.00		1,15,930.00	
रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसायटी, तमिलनाडु	1,78,290.00		1,78,290.00	
आर.वी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर	1,53,090.00		-	
साहस ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग हिमाचल प्रदेश	2,12,310.00		-	
सामाजिक अनुशासन एवं मानव विकास	-		1,95,930.00	
सामाजिक न्याय संस्थान दिल्ली	3,19,725.00		-	
सेवा यतन जीव कल्याण संस्थान, राजस्थान	1,46,160.00		-	
शिव चरण माथुर सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट	51,450.00		51,450.00	
श्री आसरा विकास संस्थान	-		60,690.00	

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
श्री भैरवी सोशल फाऊंडेशन		-		38,010.00	
श्री राज सिंह निर्वाण	2,32,000.00		2,32,000.00		
सिच्युएशनल एनालिसिस ऑफ होमलेस वूमेन		1,50,000.00		1,50,000.00	
सोसायटी फॉर यूनिवर्सल वेलफेयर जयपुर		50,820.00		-	
सदर्न इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट		2,00,340.00		6,01,020.00	
साउथ विहार वलफेयर सोसायटी फार ट्राईबल		2,11,680.00		-	
सूरूल सेंटर फॉर सर्विसेज इन रूरल एरिया		2,43,810.00		-	
दि एसोसिएशन फॉर डेवेलोपमेंट इंनीशियेटिव		47,460.00		47,460.00	
यूनाइटेड ट्रस्ट पी.टी.आर.नगर, तमिलनाडु		48,040.00		48,040.00	
वूमेन पावर कनेक्ट	95,760.00		-		
वूमेन स्टडी एण्ड डेवलपमेंट, कोची		1,16,400.00		1,16,400.00	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	**(ख)**	**67,14,750.00**		**51,59,750.00**	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30,000.00		30,000.00	
अभिनव विकास मंच, बिहार		50,000.00		-	
आदर्श, उड़ीसा		55,000.00		30,000.00	
आदर्श ग्रामीण शिक्षण समिति, राजस्थान		-		-	
आदर्श ग्रामोद्योग महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश		-		30,000.00	
आदर्श महिला कल्याण समिति		-		25,000.00	
आगरा जन कल्याण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश		-		25,000.00	
ऐकातन संघ विलेज एंड पोस्ट दारा, पश्चिम बंगाल		15,000.00		15,000.00	
अजय ग्रामोद्योग सेवा समिति, उत्तर प्रदेश		-		25,000.00	
अखिल भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		-		25,000.00	
अखिल भारतीय सामाजिक विकास समिति, उत्तर प्रदेश		25,000.00		25,000.00	
अखिल भारतीय समाज सुरक्षा, झझर		-		15,000.00	
अखिल प्रोग्रेसिव एंड कल्चरल सोसायटी, दिल्ली		15,000.00		15,000.00	
ऑल इंडिया कॉमन वेल्थ आर्गेनाइजेशन, हरियाणा		30,000.00		30,000.00	
ऑल इंडिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन (एआईजीए)		30,000.00		30,000.00	
अमन ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा		15,000.00		15,000.00	
अम्बिका विकास समिति, देहरादून		-		25,000.00	
अमित स्मृति बाल कल्याण समिति, मध्य प्रदेश		-		-	
आनंदी देवी जन कल्याण शिक्षा उत्तर प्रदेश		25,000.00		30,000.00	
आनन्दस्वरूप बहुद्देशीय सेवाभावी		50,000.00		-	
अन्नपूर्णा जन विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		50,000.00		-	
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति		30,000.00		30,000.00	
आशा विकास संस्थान, उदयपुर		30,000.00		30,000.00	
एसोसिएशन फॉर वीमेन रुरल डेवलेपमेंट, ओडिशा		15,000.00		15,000.00	
अस्तित्व बहुद्देशीय मानव उथान संस्थान		15,000.00		15,000.00	
बाहीन		-		25,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
बाल निकेतन शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
बाल विकास एजुकेशन सोसायटी, फरीदाबाद	30,000.00		30,000.00	
बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली	-		-	
बेसिक फाऊंडेशन, दिल्ली	-		-	
बिनोदिनी सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवेलेपमेंट, पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
बेनसन्स कम्प्यूटर्स एजुकेशन, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
भगवान देवी एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर, दिल्ली	-		15,000.00	
भारतीय ध्यानवर्धिनी लोकविकास, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
भारतीय शिक्षा प्रसार संस्थान	25,000.00		25,000.00	
भारतवासी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
बिजीराम स्वैन महिला समिति, ओड़ीशा	15,000.00		15,000.00	
ब्रिलियेंट स्टार एजुकेशन सोसायटी	-		60,000.00	
बुरांश सामाजिक सांस्कृतिक संस्था उत्तराखण्ड – एलएपी	50,000.00		-	
सेंटर फॉर एक्शन ऑन डिसेबल्ड राइट्स, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सेंटर ऑफ द स्टॅडी ऑफ वैल्यूज़ राजस्थान	-		1,20,000.00	
चैतन्य सोशल डेवलपमेंट सोसायटी – आंध्र प्रदेश	-		30,000.00	
छत्तीसगढ़ प्रचार एवम् विकास संस्थान–एलएपी	25,000.00		-	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	30,000.00		30,000.00	
क्षितिज महिला विकास समिति	75,000.00		-	
चित्तौरगढ़ जिला ग्रामीण उपभोक्ता सेवा, राजस्थान	-		15,000.00	
चोब सिंह शिक्षा समिति	15,000.00		15,000.00	
शिल्प और सामाजिक विकास संगठन, त्रिनगर	30,000.00		30,000.00	
दलित महिला रचनात्मक परिषद	15,000.00		15,000.00	
दिल्ली कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग एजूकेशन एंड वेलफेयर	-		30,000.00	
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भिरार	-		15,000.00	
डिसट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर	15,000.00		15,000.00	
ईस्ट मग्राहत अकातल बल	45,000.00		45,000.00	
गांधी सेवा संस्थान	15,000.00		15,000.00	
गंगोत्री फाउंडेशन उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
ग्राम भारती संस्थान – मध्य प्रदेश	-		30,000.00	
ग्रामीण जनकल्याण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
ग्रामीण महिला बाल विकास समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
ग्रामीण महिला सशक्तिकरण संघ, झझर	-		-	
ग्रामीण महिला शिल्प कला केंद्र, बाराबंकी	-		25,000.00	
ग्रामीण महिला विकास समिति, हरियाणा	75,000.00		-	
ग्रामीण उत्थान संस्थान, राजस्थान	1,00,000.00		-	
ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
ग्रामीण युवा विकास मंडल, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
ग्रामोधार कल्याण समिति, बिहार	15,000.00		15,000.00	
ग्रामोद्योग आश्रम, बिहार	15,000.00		15,000.00	
ग्राम सुधार समिति, हरियाणा	15,000.00		30,000.00	
गुरुभक्ति शैक्षणिक एण्ड सेवाभावी	15,000.00		15,000.00	
ज्ञान दर्शन अकादमी	15,000.00		15,000.00	
ज्ञान सागर, बिहार	15,000.00		15,000.00	
हधोती उत्सव आयोजन समिति, कोटा	-		75,000.00	
हंस एजूकेशनल सोसायटी रोहतक	-		15,000.00	
हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, बिहार	15,000.00		15,000.00	
हरियाणा ग्रामीण सुधार एवं सांस्कृतिक हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
हेल्पफुल सोसायटी, दिल्ली	50,000.00		-	
हिमालय ग्रामोद्योग विकास संस्थान	-		25,000.00	
हिमालय ग्रामोद्योग विकास संस्थान, उत्तराखण्ड	25,000.00		-	
एधाया डेवलपमेंट सोसायटी पुदुचेरी	25,000.00		-	
इंडियन माइनराटी यूथ एशोसिएशन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
इंडियन सोसायटी, उदयपुर	15,000.00		15,000.00	
इंदिरा विकास महिला मण्डली, आंध्र प्रदेश	10,000.00		10,000.00	
इंडो नेपाल वूमैन वेलफेयर सोसायटी	15,000.00		15,000.00	
इन्स्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंटल एंड सोशल अफेयर्स	-		45,000.00	
इन्स्टीट्यूट ऑफ कैरियर कोर्सेज, उत्तर प्रदेश	25,000.00		-	
इन्स्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर एक्शन, गुजरात	15,000.00		15,000.00	
इंटिग्रेटिड पीपल्ज़ अपलिफ्टमेंट काउंसिल	-		60,000.00	
इंटरनेशनल वेलफेयर काउंसिल, उड़ीसा	-		-	
जगदेव सिंह शत्रोहन सिंह मेमोरिअल, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
जागृति जनकल्याण समिति, बिहार	75,000.00		-	
जागृति सेवा संस्थान, राजस्थान	-		15,000.00	
जयश्री अरिहन्त विद्यामंदिर समिति	1,50,000.00		-	
जन हितैषिनी कल्याण समिति, उत्तराखंड	45,000.00		45,000.00	
जन कल्याण फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश	25,000.00		-	
जन कल्याण परिषद, छतीसगढ	25,000.00		-	
जन कल्याण संस्थान, पठानकोट	25,000.00		25,000.00	
जन सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
जीवन ज्योति समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग, श्रीनगर	2,00,000.00		2,00,000.00	
जाइंट वूमेन्स प्रोग्राम	30,000.00		30,000.00	
कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
कामिनी महिला सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		15,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
खादिजा वेलफेयर प्रतिष्ठान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		-	
किरण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	50,000.00		-	
किसन भारती विकास संस्थान भीलवाड़ा	1,00,000.00		-	
कुंदन वेलफेयर सोसायटी, जयपुर	-		60,000.00	
लेकसिटी मूवमेंट सोसायटी, राजस्थान	45,000.00		45,000.00	
लक्ष्य एजुकेशन आर्ट एंड कल्चर सोसायटी, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
लिबरल फ्रेंडस एसोसिएशन महाराष्ट्र	25,000.00		-	
लोक कला सांस्कृतिक संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
मां दिन्देश्वरी शिक्षा समिति, छत्तीसगढ़	25,000.00		-	
मां द्रोपदी जनसेवा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
महात्मा सांईराम प्रतिष्ठान महाराष्ट्र	25,000.00		-	
महिला एवम् बाल उत्थान समिति, उत्तराखण्ड	25,000.00		-	
महिला ग्रामीण विकास एवम तकनीकी प्रशिक्षण	50,000.00		-	
महिला जागरूकता शिक्षा एवं कल्याण समिति	15,000.00		15,000.00	
महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति, कानपुर	25,000.00		25,000.00	
महिला उद्योग केन्द्र परमेश्वर भवन, बिहार	15,000.00		15,000.00	
महिला उत्थानम्, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
महिला विकास चेरीटेबल सोसायटी, बिहार – एलएपी	50,000.00		-	
मलबपुर पीपल रूरल डेवलपमेंट सोसायटी पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
मानस ग्रामीण उत्थान समिति, बिहार	50,000.00		-	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
मानव कल्याण चेतना संस्थान, राजस्थान	1,00,000.00		-	
मानव कल्याण समिति, अल्मोड़ा	30,000.00		30,000.00	
मानव कल्याण संस्थान, देहरादून	30,000.00		30,000.00	
मंगल शांतिमहिला विकास चेरीटेबल, गुजरात	25,000.00		-	
मनोज ग्रामोद्योग संस्थान उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
मर्शी वेलफेयर सोसायटी उत्तर प्रदेश	-		50,000.00	
मरूधारा संस्थान, जयपुर	2,50,000.00		-	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति	15,000.00		15,000.00	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति उदयपुर	15,000.00		15,000.00	
मौलासाई सेवाभावी संस्थान, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
मॉडर्न शिक्षा विकास समिति	15,000.00		15,000.00	
मदर्ली एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस (एमएएसएस)	15,000.00		15,000.00	
मदर टेरेसा फाउन्डेशन	-		25,000.00	
मुक्ति माता महिला मंडल, मध्य प्रदेश	-		30,000.00	
नबीन संघ पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
नालंदा एडुकेशनल सोसायटी, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
नारी जागृति एवं सामाजिक उत्थान संगठन	-		15,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
नेशनल चैरीटेबल वेलफेयर सोसायटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
नेशनल यूथ एसोसिएशन	40,000.00		40,000.00	
नेटिव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट सोसायटी, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
नैचुरल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड रिसोर्स	15,000.00		15,000.00	
नव ज्योति सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	1,00,000.00		-	
न्यू ऐज फाउंडेशन	15,000.00		15,000.00	
न्यू लाइफ क्लब	15,000.00		15,000.00	
एन.जे. मराठा विद्या प्रचारक समाज, गुजरात – एलएपी	25,000.00		-	
नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसायटी, तिरुपति	1,05,000.00		1,05,000.00	
नूरपुर सुबरना प्रभात समिति, पश्चिम बंगाल	-		15,000.00	
ओएसिस फाउंडेशन, तमिलनाडु	10,000.00		10,000.00	
औनवर्ड कोलकाता, पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
ओडिशा राज्य महिला आयोग	2,00,000.00		50,000.00	
प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
परमारथ सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
पर्वतीय महिला विकास समिति, उत्तराखंड	15,000.00		15,000.00	
पीपल वोल्यून्टरी इंटिग्रल सर्विस ऑर्गनाइजेशन	15,000.00		15,000.00	
प्रबला समाज सेवी संस्थान, झारखंड	30,000.00		30,000.00	
प्रगति महिला बहुद्धेशीय, महाराष्ट्र, एलएपी	25,000.00		-	
प्राग सर्वोदय समिति, जयपुर	-		25,000.00	
प्राणी मित्र समिति, मध्य प्रदेश	50,000.00		-	
पब्लिक हैल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, दिल्ली	15,000.00		15,000.00	
पूर्वांचल विकास समिति	25,000.00		25,000.00	
पूर्वांचल शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		25,000.00	
पुष्पा ककातिया चेरिटेबल	15,000.00		15,000.00	
रछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग, सैती	12,500.00		12,500.00	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर पावर्टी इरेडिकेशन	15,000.00		15,000.00	
राणा जाविक ग्रामीण एवं कृषि सेवा समिति, उत्तराखंड	25,000.00		25,000.00	
रोशनी नेशनल सेवा ग्रामोद्योग संस्थान, उत्तर प्रदेश	50,000.00		-	
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसायटी, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर एग्रो डेवलपमेंट	40,000.00		40,000.00	
सहयोग सामाजिक संस्थान, राजस्थान	50,000.00		-	
सजग फाउंडेशन, दिल्ली एलएपी	25,000.00		-	
समग्र जन कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
समाज कल्याण समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
समाज कल्याण एंड शिक्षा संस्थान, राजस्थान – एलएपी	50,000.00		-	
समाज संस्थान एंड सर्वांगीण विकास संस्थान	9,000.00		9,000.00	
समाज उत्थान समिति	13,250.00		13,250.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
समता सेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00	
संजीवनी विकास फांउडेशन, महाराष्ट्र	25,000.00		-	
संत गडगेबाबा बहुजन विकास लातूर	-		15,000.00	
संत राम वर्मा स्वंतत्रता संग्राम सेनानी	-		25,000.00	
सर्वांगीण उन्नयन समिति	20,000.00		20,000.00	
सार्वजनिक शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश	50,000.00		30,000.00	
सर्वोदय विकास समिति, बिहार	50,000.00		-	
सर्वोदय विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
सतविंदर शिक्षा समिति	-		75,000.00	
सेवेज (सोसायटी ऑन एक्शन विल्लेंग एजुकेशन), आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सेव अवर सोल इंडिया, दिल्ली	-		15,000.00	
सावित्री बाई फूले जन सेवा समिति	-		25,000.00	
सावित्री मानव विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		-	
एसबीएस फाउंडेशन, फजलपुर, दिल्ली	-		30,000.00	
सेवाहर, (शिक्षा, कल्याण एवं स्वास्थ्य सोसायटी), हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
सेवा, सोसायटी फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर एक्टिविटीज	-		-	
शहीद असफाक उल्लाह खान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
शारदा देवी स्मृति सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
शिरीन बासुमता नारी संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
शिवम एजुकेशन एंड चेरीटेबल ट्रस्ट, गुजरात	50,000.00		-	
शिवम ग्राम उत्थान सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	25,000.00		-	
शिव जन जागृति शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		15,000.00	
श्री कृष्ण शिक्षा सोसायटी, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
श्री सिद्ध देव ग्रामोद्योग संस्थान	25,000.00		25,000.00	
श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर	75,000.00		-	
श्री बंनाशंकरी महिला मंडल	25,000.00		-	
श्री गोविंद मानव सेवा संस्थान	75,000.00		-	
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति	15,000.00		15,000.00	
श्री लक्ष्मी नारायण बद्री विशाल	30,000.00		30,000.00	
श्री लक्ष्मी रूरल डेवेलोपमेंट एंड एजुकेशन सोसायटी, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक संस्थान, राजस्थान	45,000.00		45,000.00	
श्री राम चैरीटेबल ट्रस्ट, गुजरात	1,05,000.00		1,05,000.00	
श्री वागाद जनजाति एवम विकास संस्थान, राजस्थान	25,000.00		-	
श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सृजन महिला विकास मंच, झारखण्ड	15,000.00		15,000.00	
श्रीमती सुशीला देवी एजूकेशनल सोसायटी	30,000.00		30,000.00	
स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट, तमिलनाडु	10,000.00		10,000.00	
सोशल एक्शन नेटवर्क ग्रुप	15,000.00		15,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
सोशल डेवेलोपमेंट, वेलफेयर सोसायटीए दिल्ली	50,000.00		-	
सोसायटी फॉर नरचरिंग एजुकेशन हैल्थ, आंध्र प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
सोसायटी फॉर वूमैन इंटीग्रेटेड डवेलपमेंट, आंध्र प्रदेश	-		15,000.00	
सोनापुर मथुरापुर परिबेश संस्था, पश्चिम बंगाल	-		30,000.00	
सोसवा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, पुणे	50,000.00		-	
स्पंदन सीतापुर, उत्तर प्रदेश	25,000.00		-	
श्रीगुरू अयप्पास्वामी एजुकेशनल ट्रस्ट, कर्नाटक, एल	50,000.00		-	
श्री कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
श्री विद्या सरस्वती महिला मंडल	15,000.00		15,000.00	
श्री मुक्ति संगठन, महाराष्ट्र	50,000.00		-	
स्टुडेंट्स सोशल आर्गेनाइजेशन, विलेज रामपुर, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
सुभाषित जन सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
सुधार सेवा एवं कल्याण समिति, लखनऊ	-		15,000.00	
सुजस सांस्कृतिक सेवा संस्था राजस्थान	1,50,000.00		-	
सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान	30,000.00		30,000.00	
सनराइज आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब केरल	25,000.00			
सुरक्षिता विविधोद्धेशीय संस्था, कर्नाटक	-		1,00,000.00	
सुरेश शर्मा फाउंडेषन राजस्थान	1,00,000.00		-	
सूर्य प्रकाश चैरिटेबल एसोसिएशन, दिल्ली	60,000.00		60,000.00	
एस वी एस संस्थान	15,000.00		15,000.00	
स्वास्तिक ज्ञान सेवा संस्थान, राजस्थान	-		-	
स्वावलम्बी ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास संस्थान	15,000.00		15,000.00	
स्वीट हर्ट, ओडीशा	-		-	
द एसोसिएशन फॉर रूरल पीपल्स डेवलपमेंट, हरियाणा	-		15,000.00	
दॅ सोसायटी फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
थिरूमनगई चैरीटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु	15,000.00		15,000.00	
तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	25,000.00		25,000.00	
उदय संस्थान, बूंदी	2,50,000.00		-	
उमंग, महरोली	50,000.00		-	
उम्मीद समिति, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण, मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग	1,25,000.00		1,25,000.00	
विद्या कला संस्थान, लखनऊ	-		30,000.00	
विज्ञान शिक्षा केंद्र	30,000.00		30,000.00	
विकलांग सहारा समिति दिल्ली – एनएलपी	25,000.00		-	
विकास ग्रामोद्योग मण्डल, सोनीपत, हरियाणा	30,000.00		30,000.00	
विवेकानंद अभिनव शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		25,000.00	
वूमेन एसोसिएशन फॉर राइट एंड डेवलपमेंट, बांकुरा, पश्चिम बंगाल	-		15,000.00	

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
वूमेन एंड चिल्ड्रन डेवेलोपमेंट सोसायटी, आन्ध्र प्रदेश		50,000.00		-	
यमुना संस्था, राजस्थान		30,000.00		30,000.00	
युवा जागृति एवं विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		-		25,000.00	
युवा संघर्ष समिति, हरियाणा		45,000.00		45,000.00	
युवा स्पोर्ट्स समिति, हरियाणा		15,000.00		15,000.00	
जैदी सोशल वेलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली		-		30,000.00	
पीएमएलए	**(ग)**	**12,00,000.00**		**6,00,000.00**	
अहर्निश सेवा संस्थान,देवरिया, उत्तर प्रदेश		60,000.00		60,000.00	
आशा महिला जन कल्याण प्रतिष्ठान		30,000.00		30,000.00	
आइशा वेलफेयर सोसायटी, उत्तर प्रदेश		60,000.00		-	
चांद तालीमी सोसायटी, उत्तर प्रदेश		15,000.00		15,000.00	
ग्रामीण विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		90,000.00		-	
हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, हरियाणा		1,50,000.00		1,50,000.00	
इस्लामिया मख्तब प्राइमरी गर्ल्स स्कूल उत्तर प्रदेश		15,000.00		15,000.00	
क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास समिति		30,000.00		30,000.00	
महिला कला केन्द्र बिहार		30,000.00		-	
मानव कल्याण समिति		30,000.00		30,000.00	
मदर टेरेसा फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश		90,000.00		-	
नई भोर डॉउन ऑफ लाइफ, नई दिल्ली		30,000.00		-	
नरेंद्र देव एजुकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र		15,000.00		15,000.00	
पांचला रिलाएंस सोसायटी, पश्चिम बंगाल		30,000.00		30,000.00	
पोलीमर्स एजुकेशन सोसायटी, आंध्र प्रदेश		-		30,000.00	
प्रतिभा, उत्तर प्रदेश		1,50,000.00		-	
रंजना रॉयल एजुकेशनल वेलफेयर		30,000.00		-	
सहारा समिति		15,000.00		15,000.00	
सैनिक महिला प्रशिक्षण, गोरखपुर		-		15,000.00	
सर्वोदय जन कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश		60,000.00		-	
श्री आनंद विकास समिति		-		45,000.00	
श्री बोधेवर महादेव संस्थान		90,000.00		-	
सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट एंड प्रोमोशनल ऑर्गेनाइजेशन		-		60,000.00	
उपकार समिति, यूपी–पीएमएलए		60,000.00		-	
यशवंत सेवाभावी बुहुद्धेशीय, लातूर		60,000.00		-	
युवा चेतना समाज कल्याण समिति, दिल्ली		45,000.00		45,000.00	
झेन सोशल वेल्फेयर सोसायटी, लखनऊ		15,000.00		15,000.00	
संगोष्ठियां तथा सम्मेलन	**(घ)**	**59,59,404.00**		**51,05,619.00**	
एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज़ एंड रिसर्च ऑफ इंडिया		-		-	
आदर्श, ओडिशा		15,000.00		15,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
ऐकातन संघ, पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
अखिल भारतीय सर्व उत्थान चैरीटेबल सोसायटी	-		30,000.00	
अखिल भारतीय विकलांग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
अखिल मानव सेवा परिषद	13,950.00		13,950.00	
ऑल इंडिया वुमेन कान्फ्रेन्स, दिल्ली	30,000.00		-	
अम्बपाली, बिहार	30,000.00		-	
एमिटी लॉ स्कूल, उत्तर प्रदेश	1,53,750.00		1,53,750.00	
अमृता महिला कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
आनन्दी देवी जन कल्याण शिक्षा समाजोत्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
अनीरबन वेयफेयर सोसायटी पश्चिम बंगाल–एस/सी	10,000.00		-	
अंतरराष्ट्रीय द्रष्टाचार उन्मूलन एवं समाज कल्याण	-		30,000.00	
आशा कला केंद्र मध्य प्रदेश	-		30,000.00	
एएसआरए, कोलकाता	30,000.00		-	
एसोसिएशन फॉर डेवलेपमेंट एंड रिसर्च, ओडिशा	30,000.00		30,000.00	
अविलम्ब सेवा निकेतन, लखनऊ	-		30,000.00	
अविल ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान	-		60,000.00	
अवध एजुकेशनल सोसायटी, लखनऊ	30,000.00		-	
भागीदारी जन सहयोग समिति	30,000.00		30,000.00	
भारत भूमि सेवा संस्थान, वाराणसी	-		30,000.00	
भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली	-		-	
भारतीय बाल एंड महिला कल्याण समिति	-		30,000.00	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	15,000.00		15,000.00	
भारतीय लोक कल्याण संस्थान राजस्थान	30,000.00		-	
भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली	-		2,10,000.00	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली	1,51,674.00		1,51,674.00	
सेंटर फॉर वूमेन्स स्टडीज़, उदयपुर	90,000.00		90,000.00	
सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ वैल्यूज	-		29,850.00	
चकली विकास प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र	-		30,000.00	
चौधरी चरण सिंह ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस	-		30,000.00	
कॉलेज ऑफ होम साइंस उदयपुर	30,000.00		-	
दलित महिला विकास मंडल, महाराष्ट्र	-		30,000.00	
दीप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बुराड़ी एस/सी	30,000.00		-	
डेवलपिंग कंट्रीज़ रिसर्च सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय	90,000.00		90,000.00	
धनवंदरी मेन्टली रिटार्डेड ड्रग	30,000.00		-	
धरती फाउंडेशन ओडिशा	60,000.00		60,000.00	
डायरेक्टर माया फाउंडेशन चंडीगढ़	90,000.00		-	
दिशा फाउंडेशन – राजस्थान	30,000.00		-	
डिवाईन टच दिल्ली – एस/सी	90,000.00		-	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
डा. हैनमैन एजुकेशनल डेवलपमेंट दिल्ली	30,000.00		30,000.00	
द्वारसनी श्रमिक संघ	9,000.00		9,000.00	
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	90,000.00		30,000.00	
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट	-		30,000.00	
गंदरपुरकर श्री रामकृष्णा आश्रम पश्चिम बंगाल	30,000.00		30,000.00	
गांधी स्मृति संस्थान, राजस्थान	30,000.00		-	
गंगोत्री फाउन्डेशन, उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
गायत्री रूरल डेवलेपमेंट सोसायटी कर्नाटक	60,000.00		-	
गीत महिला समिति उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
ज्ञान सुधा एजुकेशनल सोसायटी, हैदराबाद	15,000.00		15,000.00	
ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, राजस्थान	30,000.00		-	
ग्रीन वर्ल्ड एजूकेशन सोसायटी, उदयपुर	30,000.00		30,000.00	
गिल्ड फॉर सर्विस	60,000.00		-	
गुजरात राज्य महिला आयोग	60,000.00		60,000.00	
जी.वी.एम. कॉलेज सोनीपत	30,000.00		30,000.00	
हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसायटी	-		-	
हेलेना कौशिक वूमेन्स कॉलेज, झुनझुनू	90,000.00		90,000.00	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग	60,000.00		-	
ह्यूमैन राईट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली	1,78,200.00		-	
आई.जी.पी. ज़ोन–II, जालंधर	-		1,20,000.00	
आई.एल.एस. लॉ कॉलेज	-		90,000.00	
इंडिया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल सासायटी, दिल्ली	90,000.00		-	
इंडियन अडॅल्ट एजुकेशन दिल्ली	-		75,000.00	
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेल्फेयर, महाराष्ट्र	15,000.00		15,000.00	
इंस्टीट्यूट फॉर इनवायरमेंटल एंड सोशल अफेयर्स, राजस्थान	30,000.00		-	
इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर कोर्सेज, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
इंटिग्रेटेड ट्राइॅबल डेवलपमेंट फॉर वर्कर्स	30,000.00		30,000.00	
जागृति जन कल्याण समिति, बिहार	-		-	
जन कल्याण युवक संघ, ओडिशा	27,540.00		27,540.00	
जागृति सेवा संस्थान, राजथान	-		60,000.00	
जीजामाता बहुद्देश्यीय महिला, लातूर	30,000.00		30,000.00	
जागरूक महिला संस्थान परचम	-		-	
जय माँ महिला उत्थान समिति, दिल्ली	-		30,000.00	
जन कल्याण कुटीर ग्रामोद्योग संस्था	30,000.00		30,000.00	
जनकल्याण, ओडिशा	30,000.00		-	
झारखण्ड राज्य आयोग	1,00,000.00		-	
कामीना ब्राइट लाइट मिशन, पश्चिम बंगाल	30,000.00		-	
कानोरिया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर	90,000.00		-	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
कस्तूरबा महिला समिति, जयपुर	-		30,000.00	
कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति, जयपुर	30,000.00		-	
केरला एजुकेशन डेवलेपमेंट एण्ड एम्पलायमेंट, केरल	30,000.00		-	
किरण सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
कृषि महिला मण्डली, एनएडब्ल्यूए, आंध्र प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
कुमर्शा रूरल डवेलपमेंट सोसायटी, पश्चिम बंगाल	15,000.00		15,000.00	
कुंदन वेलफेयर सोसायटी	-		1,50,000.00	
लोकहितवाडी सामाजिक सांस्कृतिक क्रीड़ा	30,000.00		-	
महावीर शिक्षा समिति, मध्य प्रदेश, राजस्थान	1,00,000.00		-	
महिला जागृति समिति, उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
महिला कल्याण समिति	-		30,000.00	
महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
महिला शक्ति सहेली समिति, छत्तीसगढ़, एस/सी	30,000.00		-	
महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान, दिल्ली	-		30,000.00	
मानव स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मथुरा	-		30,000.00	
मानव उज्जवल समाज समिति, नई दिल्ली	-		-	
मान्डिल्य विकास संस्थान, चांदपुर	-		30,000.00	
मास इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेनिंग एंड वेलफेयर एक्शन, ओडिशा	-		-	
माया फाऊंडेशन चंडीगढ	30,000.00		30,000.00	
मेघा रूरल डेवेलोपमेंट सोसायटी, कर्नाटक	30,000.00		-	
नगर भावी अर्बन एंड रूरल सर्विस (एनबी अर्बन)	30,000.00		-	
नारी उत्थान समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
नेशनल चैरीटेबल वेलफेयर सोसायटी – उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
नेशनल यूथ फाऊंडेशन, लखनऊ	-		30,000.00	
नातून पत्थर साथी कोलकाता	30,000.00		-	
नवनीत फाऊंडेशन, उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
नव निर्माण महिला मंडली	7,190.00		7,190.00	
नव निर्माण महिला मंडल समिति, जयपुर	90,000.00		1,50,000.00	
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च – जयपुर	30,000.00		30,000.00	
नवयुग सोशल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट	56,100.00		56,100.00	
एनएडब्ल्यूए, डा. पाम राजपूत वूमेन्स रिसोर्स, चंडीगढ़	2,00,000.00		2,00,000.00	
नेताजी मेमोरियल क्लब, ओडिशा	-		30,000.00	
नोबल सोशियल एंड एजुकेशनल सोसायटी	60,000.00		60,000.00	
ओम आदर्श समिति, दौसा	30,000.00		-	
ओम साईं सेवा संस्थान फतेपुर	-		30,000.00	
ओर्गनाईजिंग सेक्रेटरी, 33 क्रिमिनौलॉजी कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर	90,000.00		90,000.00	
पल वेलफेयर सोसाइयटी हरियाणा	30,000.00		30,000.00	
परिवर्तन हरियाणा	30,000.00		-	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
पार्टनर्स फॉर लॉ एन डेवलपमेंट	1,95,000.00		-	
परवेज जनकल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
पुदुचेरी राज्य महिला आयोग	90,000.00		-	
पूजा आदर्श विद्या मंदिर संस्था, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
पूजा वेलफेयर सोसाइटी, जम्मू और कश्मीर – एस/सी	30,000.00		30,000.00	
प्रतापगढ़ ग्रामोत्थान समिति, उत्तर प्रदेश	-		-	
परिक्रमा महिला समिति	30,000.00		60,000.00	
प्रधानाचार्य, मिरांडा हाऊस, दिल्ली विश्वविद्यालय	-		60,000.00	
प्रधानाचार्य, एम पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
प्रिया, भुवनेश्वर	-		-	
पब्लिक वेलफेयर सोसायटी	30,000.00		30,000.00	
पूजा जन सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
पुष्पांजली कानपुर	-		15,000.00	
राधाकृष्ण सेवा संस्थान, देवरिया	-		29,565.00	
राजपुर ग्राम विकास एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश एस	90,000.00		-	
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00	
रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक एवं मल्टी महाराष्ट्र	-		-	
रेखा सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		-	
आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर	80,000.00		50,000.00	
रोल ऑफ वूमेन राइटर इन सोशल अवेकनिंग	18,000.00		18,000.00	
सबरी एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
सदभावना समन्वय संस्थान, उत्तर प्रदेश	45,000.00		45,000.00	
साधना, ओडिशा	-		-	
सागर खादी ग्रामोद्योग समिति, कुशीनगर	-		30,000.00	
साक्षी केन्द्र	60,000.00		-	
सम्मति सोशल समिति मध्य प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
सम्प्रतीक, ओडिशा	30,000.00		30,000.00	
संजीवनी, भुवनेश्वर	9,000.00		9,000.00	
संजीवनी दिल्ली	30,000.00		-	
संजीवनी सोसायटी	15,000.00		15,000.00	
संकल्प सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति, उत्तराखंड	30,000.00		30,000.00	
संतवरण सोशल सर्विस एजूकेशन एंड चेरिटेबल	-		15,000.00	
सरोजनी नायडू महिला विकास एवम् – राजस्थान – एस/सी	30,000.00		-	
सर्वभूम संस्कृति संस्थानम, मथुरा	-		30,000.00	
सर्वोदय समग्र विकास एण्ड संचार संस्थान	30,000.00		30,000.00	
सौहार्द विकास संस्थान – राजस्थान	30,000.00		-	
सावित्री मानव विकास संस्थान उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, आन्ध्र प्रदेश	30,000.00		-	
सीमा सेवा संस्थान	0.00		30000.00	
सेल्फ इनिशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस, देवगढ़	30,000.00		30,000.00	
सर्व सुखी उज्ज्वल ग्रामोद्योग सेवा, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
सर्विस एजुकेशन एण्ड वेलफेयर एसोशियेशन वाराणसी	30,000.00		30,000.00	
शहीद अशफाक उल्लाह खान मेमोरियल सोसायटी, प्राता	30,000.00		30,000.00	
शक्ति वाहिनी	30,000.00		60,000.00	
श्री गिरिराज जी महाराज शिक्षा. उत्तर प्रदेश	30,000.00		30,000.00	
सिल्दा स्वास्ति उन्नयन समिति	30,000.00		30,000.00	
श्राईन सोसायटी दिल्ली	30,000.00		-	
श्री राम स्मृति शैक्षिणक इंदौर	30,000.00		-	
श्री रोकेदेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल	-		30,000.00	
श्री सरदार सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	-		30,000.00	
श्रीमती सेलीने डीसील्वा महिला विकास मुंबई	-		-	
सोशल एजेंसी फॉर फारमर्स एम्पोवर्मेंट	-		30,000.00	
सोसायटी फॉर एवेयरनेस वेलफेयर, एंडजूकेशन एण्ड रूरल एसई	-		30,000.00	
सोसायटी फॉर हेल्थ एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट, हैदराबाद	15,000.00		15,000.00	
सोसाइटी फॉर इनोवेटिव रूरल डेवेलोपमेंट, दिल्ली	30,000.00		-	
श्री साईं सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
श्री मुक्ति संगठन, मुंबई	30,000.00		30,000.00	
सुभाहित जनसेवा संस्था, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
सुधार सेवा एवं कल्याण समिति	-		30,000.00	
सुमन सेवाभावी संस्था, महाराष्ट्र	-		30,000.00	
सुरूचि कला केन्द्र, बिहार	30,000.00		-	
एस.वी. एजुकेशनल सोसायटी, आन्ध्र प्रदेश	30,000.00		-	
स्वराज्य राम सेवक सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	
स्वावलंबन वेलफेयर सोसायटी, उत्तराखंड	-		30,000.00	
तरंगिनी सोशल सर्विस सोसायटी, आंध्र प्रदेश	15,000.00		15,000.00	
दि कलेक्टर एण्ड मैजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	30,000.00		30,000.00	
दि कमिशनर ऑफ पुलीस, पुणे	30,000.00		30,000.00	
निदेशक, सेंटर फॉर वूमैन स्टॅडीस अलीगढ़	90,000.00		90,000.00	
दि एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	30,000.00		30,000.00	
त्याग, ओडिशा	-		30,000.00	
यूजीसी – एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज, उत्तराखंड	1,20,000.00		-	
उज्ज्वल, गुड़गांव	-		15,000.00	
उत्थान शोध संस्थान, राजस्थान	30,000.00		30,000.00	
वमित एजुकेशनल ट्रस्ट, शिमला	-		30,000.00	
वंदना समाज कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	30,000.00		-	

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
वैष्णो नारी सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश		30,000.00		-	
विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश		15,000.00		15,000.00	
वेंकटेश्वर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट कर्नाटक एस		60,000.00		-	
वोलयुन्टरी एजेंसी फॉर सोशल एक्शन – ओडिशा		30,000.00		-	
पश्चिम बंगाल महिला आयोग		60,000.00		60,000.00	
विप्रो फाउंडेशन		30,000.00		30,000.00	
वूमन एसोसिएशन फॉर ट्रेनिंग एम्पावर्ट (वाटर)		60,000.00		-	
वूमन पॉवर कनेक्ट दिल्ली		-		90,000.00	
युवा ग्राम विकास समिति राजस्थान		30,000.00		-	
न्यायिक/पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण	**(ङ)**	**3,54,060.00**		**1,09,620.00**	
एसीपी/एचक्यू/डीडी, एसपीयूडब्ल्यूसी, नानकपुरा		1,12,140.00		-	
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, मुंबई		21,000.00		21,000.00	
राजस्थान पुलिस एकेडमी, जयपुर		1,32,300.00		-	
निदेशक, हरियाणा पुलिस एकेडमी		88,620.00		88,620.00	
विशेष अध्ययन (एनईआर)	**(च)**	**5,41,675.00**		**2,75,185.00**	
ऑल मणिपुर सीनियर सिटीजन		1,96,560.00		-	
असम युनिवर्सिटी		1,31,040.00		-	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वेल्फेयर एसोसिएशन, असम		36,600.00		36,600.00	
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी		60,060.00		60,060.00	
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर		37,065.00		37,065.00	
जन स्मृति समिति, इम्फाल, मणिपुर		32,350.00		32,350.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग		-		61,110.00	
ओमेय कुमार दास इंस्टिट्रयूट ऑफ सोशल चेंज		48,000.00		48,000.00	
रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए)		-		-	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एमईआर)	**(छ)**	**44,46,500.00**		**32,71,500.00**	
अबू तरियंग सोशियो – इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसायटी		30,000.00		30,000.00	
अमत्सरा, शिलांग		5,50,000.00		1,00,000.00	
अरुणाचल राज्य महिला आयोग		8,30,000.00		8,30,000.00	
असम राज्य महिला आयोग, उज़ानबाज़ार		1,40,000.00		1,40,000.00	
सेंटर फॉर ह्यूमैन रिसोर्स एंड इको. मणिपुर		-		30,000.00	
सेंटर फॉर यूनाइटेड ब्रदरहुड		-		30,000.00	
देयिता सेवा मंच, त्रिपुरा		-		-	
दीरा विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अरुणाचल प्रदेश		20,000.00		20,000.00	
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेल्फेयर ऑफिस, असम		56,500.00		56,500.00	
ड्रीम्स, असम		20,000.00		20,000.00	
एट ब्रदर्ज़ सोशल वेलफेयर सोसायटी		60,000.00		60,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
इलेंग्लम तोंदोंबी सिंह मणिपुर	-		60,000.00	
एवर ग्रीन अर्थ, असम	30,000.00		-	
गोलाघाटी वेलफेयर सोसायटी, त्रिपुरा	60,000.00		-	
हयांग मेमोरियल एग्रो इंडस्ट्री एंड एजुकेशन	40,000.00		40,000.00	
हिमालया ट्रॉइबल वेलफेयर सोसायटी, आन्ध्र प्रदेश	60,000.00		-	
इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स – असम	-		30,000.00	
इत्तेहाद सोशियो–कल्चरल ऑर्गेनाईजेशन, असम	20,000.00		20,000.00	
जैज़ी, गुवाहाटी, असम	20,000.00		20,000.00	
ज्योतिमय फाउंडेशन असम	20,000.00		20,000.00	
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़	-		40,000.00	
खोमिडोक मुस्लिम वूमेन वेल्फेयर सोसायटी, मणिपुर	20,000.00		20,000.00	
खुमुई बुरुई बोदूल, त्रिपुरा	55,000.00		20,000.00	
खेरयाम कुल्टी परपज़ सोसायटी, मेघालय	60,000.00		-	
कुंवर चतिया सांशनी महिला समिति, असम	40,000.00		40,000.00	
लैमिजिंग थावन ऐसोसिएशन, मणिपुर	-		60,000.00	
लीएइबी मेमोरियल ट्रस्ट, मणिपुर	-		60,000.00	
लाईट ऑफ विलेज, गुवाहाटी	20,000.00		20,000.00	
लोंग्मय मल्टीपरपज़ एसोसिएशन, मणिपुर	20,000.00		20,000.00	
लुफुरिया नव जागरण क्लब	-		40,000.00	
मानव सारथी असम	90,000.00		-	
मणिपुर राज्य महिला आयोग, मणिपुर	3,60,000.00		3,60,000.00	
मैसकोटे डेवलेपमेंट सोसायटी, नागालैण्ड	60,000.00		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,40,000.00		1,40,000.00	
मेरिट एजूकेशनल सोसायटी, असम	20,000.00		20,000.00	
मिजोरम राज्य महिला आयोग	4,00,000.00		2,60,000.00	
नागालैंड महिला आयोग	-		-	
नव्ताओमय रूरल डेवलेपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर	30,000.00		30,000.00	
नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, असम	-		-	
नयन मणि प्रगति संघ, असम	15,000.00		15,000.00	
एन.आई.एम.एस. एजुकेशनल एंड सोशल एसोसिएशन असम	40,000.00		40,000.00	
नोर्थ–ईस्ट ब्राईट सोसायटी, असम	40,000.00		40,000.00	
नॉर्थ–ईस्ट पीपल राईट, असम	20,000.00		20,000.00	
ओहो मी एंकी एस.ए. सोसायटी	-		30,000.00	
ओरेचाइल्ड इंडिया सोसायटी तादर आन्ध्र प्रदेश	60,000.00		-	
ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशियो–इकोनोमिक डेवलेपमेंट	-		30,000.00	
फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता शंकर, असम पूर्वोत्तर क्षेत्र	40,000.00		40,000.00	
प्रयास असम	40,000.00		40,000.00	
प्रोग्राम डेवेलोपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, असम	20,000.00		20,000.00	

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
आरईडीसीओ फाउंडेशन, मणिपुर		40,000.00		40,000.00	
रोटरी क्लब, शिलांग		5,10,000.00		-	
रूरल कम्यूनिटी डेवेलेपमेंट सोसायटी		-		30,000.00	
संघदीप वाल्युन्टरी ऑर्गेनाइजेशन		-		20,000.00	
सांती कली मिशन, त्रिपुरा		-		40,000.00	
सेल्फ एम्प्लॉयड ट्राईबल एंड बैकवर्ड वुमेन		20,000.00		20,000.00	
सोशियो ओरिएंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मणिपुर		-		-	
सुबांनसिरी ट्रॉइबल वेल्फेयर सोसायटी, असम		-		-	
सन क्लब, असम		20,000.00		20,000.00	
दि एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेकवर्ड एरियाज़, मणिपुर		20,000.00		20,000.00	
द इंटेग्रेटिड प्रोग्रेसिव रूरल डेवेलोपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैप		-		30,000.00	
द लाईफ केयर फाऊंडेशन, मणिपुर		-		30,000.00	
दि संगीत नाट्य, मणिपुर		60,000.00		-	
ट्रडिशनल कल्चर एंड बुद्धिस्ट रिसर्च, मणिपुर		60,000.00		-	
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव सोसायटी, असम		60,000.00		-	
अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिर्सोसेज़ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग		90,000.00		-	
वोल्युनटियर्स गिल्ड असम		-		60,000.00	
वूमन एंड चाईल्ड डेवलपमेंट सोसायटी, आंध्र प्रदेश		-		30,000.00	
वेलफेयर टू ऑल हेपाह, असम		20,000.00		20,000.00	
संगोष्ठी और सम्मेलन (एनईआर)	**(ज)**	**11,15,000.00**		**8,92,040.00**	
अखंड, त्रिपुरा		30,000.00		30,000.00	
एएमएटीएसएआरए, शिलांग		30,000.00		30,000.00	
अंगीकार, असम		-		30,000.00	
असम राज्य महिला आयोग		1,50,000.00		60,000.00	
असम यूनिवर्सिटी		90,000.00		-	
सेंटर फॉर वूमन स्टडीज़, असम		30,000.00		30,000.00	
डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस डिब्रूगढ़ यूनिवर्सल		30,000.00		30,000.00	
डेवलपमेंट नेटवर्किंग एजेंसी, मणिपुर		30,000.00		-	
दुकुतीय चैरिटेबल ट्रस्ट, बी.टी.ए.डी.		30,000.00		30,000.00	
फाउंडेशन फॉर सोशल डेवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल, मणिपुर		30,000.00		30,000.00	
ग्रासरूट, मेघालय		20,000.00		20,000.00	
हैयांग मेमोरियल एग्रो इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, आन्ध्र प्रदेश		30,000.00		30,000.00	
ईश्वरंभा समिति संघ		30,000.00		-	
कुम्बी अपुंबा नुप लुप, मणिपुर		-		30,000.00	
मणिपुर राज्य महिला आयोग		90,000.00		90,000.00	
मणिपुर वूमन कोऑर्डिनेटिंग काउन्सिल		-		30,000.00	
न्यू इंटेग्रेटिड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी		30,000.00		30,000.00	

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
न्यू विजन क्रिएटिव सोसायटी विलेज एंड पोस्ट ऐरा, असम	30,000.00		30,000.00	
नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेंटर फॉर मास कम्यूनिकेशन	-		30,000.00	
नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, असम	1,35,000.00		1,35,000.00	
पीएआरडीए, मणिपुर	30,000.00		30,000.00	
रूरल डेवलेपमेंट सोसायटी अरूणाचल प्रदेश	30,000.00		-	
रूरल वूमेन अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन ऑफ असम	30,000.00		-	
शालोम एजुकेशनल एंड चेरीटेबल ट्रस्ट	30,000.00		-	
सोशल सर्विस सेंटर, शिलांग	-		30,000.00	
साउथ एशिया बेम्बो फाउंडेशन	30,000.00		-	
श्री माता महिला मण्डली, थोटन	-		47,040.00	
दि इरमसिफाई ममांग लेइकल, मणिपुर	30,000.00		-	
वांजिंग वूमेन एंड गर्ल्स सोसायटी, मणिपुर	1,20,000.00		-	
वूमेन्स वाल्युन्टरी ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर	-		30,000.00	
वूमेन्स पॉवर कनेक्ट	-		60,000.00	

सदस्य सचिव

अनुसूची–4 स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	अथ शेष	जमा	कटौतियां	समायोजन	अंत शेष	अथ शेष	जमा	कटौतियां	अंत में कुल मान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
स्थायी परिसंपत्तियां											
भूमि	36,89,781.00	—	—	—	36,89,781.00	—	—	—	—	36,89,781.00	36,89,781.00
भवन–कार्य प्रगतिधीन	6,38,002.00	—	—	3,34,414.00	9,72,416.00	—	—	—	—	9,72,416.00	6.38,002.00
संयंत्र और मशीनरी	63,22,982.00	7,24,939.00	—	—	70,47,416.00	9,48,447.00	98,244.00	—	10.46,691.00	60,01,230.00	63,22,982.00
वाहन	33,05,533.00	—	—	—	33,05,533.00	4,95,830.00	—	—	4,95,830.00	28,09,703.00	33,05,533.00
फर्नीचर और उपकरण	65,98,326.00	16,95,695.00	—	—	82,93,961.00	6,59,833.00	1,53,983.00	—	8,13,816.00	74,80,145.00	65,98,326.00
कंप्यूटर	17,42,445.00	14,70,695.00	—	—	32,13,140.00	10,45,467.00	5,80,459.00	—	16,25,926.00	15,87,214.00	17,42,445.00
प्रकाशन	8,43,838.00	2,932.00	—	—	8,46,770.00	—	—	—	—	8,46,770.00	8,43,838.00
वृत्तवित्र और फिल्में	—	—	—	8,77,500.00	8,77,500.00	—	—	—	8,77,500.00	—	—
	2,31,40,907.00	**38,94,201.00**	**—**		**2,82,47,022.00**	**31,49,577.00**	**8,32,686.00**	**—**	**48,59,763.00**	**2,33,87,259.00**	**2,31,40,907.00**

सदस्य सचिव

अनुसूची–4 स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1) भूमि	36,89,781.00	—	36,89,781.00	
2) भवन–कार्य प्रगतिधीन	9,72,416.00	—	6,38,002.00	
3) फर्नीचर और उपकरण	74,80,145.00	—	65,98,326.00	
4) संयंत्र और मशीनरी	60,01,230.00	—	63,22,982.00	
5) कम्प्यूटर	15,87,214.00	—	17,42,445.00	
6) वाहन	28,09,703.00	—	33,05,533.00	
7) वृत्तचित्र और फिल्में	—			
8) पुस्तकें और प्रकाशन	8,46,770.00	—	8,43,838.00	
	2,33,87,259.00	**—**	**2,31,40,907.00**	

अनुसूची 5 – निवेश, अन्य

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
अंशदायी भविष्य निधि में निवेश	—	—		—
जोड़ें: अर्जित ब्याज	—	—		—
	—	—		—

सदस्य सचिव

अनुसूची 6 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
क.	***वर्तमान परिसंपत्तियां***				
1)	हस्तगत नकदी (चैक/ड्रॉफ्ट और अग्रदाय सहित)	-	-	-	
2)	हस्तगत डाक टिकटें		43,213.00		
3)	बैंक में शेष राशिः–				
	अनुसूचित बैंकों के पासः				
	बचत खाते में	14,76,918.00	12,61,267.00	8,48,598.00	9,84,007.00
	अंशदायी भविष्य निधि खाते में, केनरा बैंक	-	-		-
4)	ऋण, अग्रिम एवं अन्य प्राप्य राशिः नकदी या वस्तु रूप में वसूली की जाने वाली राशिः–	-	-	-	
5)	विविध देनदार	200.00	27.00	24,418.00	9.00
	क	**14,77,118.00**	**13,04,507.00**	**8,73,016.00**	**9,84,016.00**
ख.	***ऋण एवं अग्रिम***				
	योजना **ख**	**1,90,00,024.00**		**7,496,364.00**	
	कर्मचारियों को अग्रिम	**1,82,50,024.00**		**48,69,430.00**	
	संगोष्ठियां और सम्मलेन				
	अब्दुस सलाम	3,57,109.00		3,57,109.00	
	दलेर सिंह	1,000.00		-	
	दिवान सिंह	2,000.00		-	
	हरदीप सिंह	11,620.00		12,000.00	
	मन्जु एस0 हेबराम	4,60,097.00		4,60,097.00	
	मृदुल भट्टाचार्य	65,175.00		-	
	नवोदिता शर्मा	4,67,687.00		-	
	राजकुमार (सहायक)	1,500.00		1,500.00	
	शमीना शफीक	15,000.00		-	
	श्रद्धा पॉल	-		10,000.00	
	वंदना परांजपे	-		3,600.00	
	सोहन लाल	5,500.00		-	
	वरुण छाबडा	10,000.00		-	
	वान्सुक सईम	65,000.00		-	
	मशीनें एवं उपकरण				
	मृदुल भट्टाचार्य	-		26,000.00	
	विज्ञापन के लिए अग्रिम				
	लेखा अधिकारी डी.ए.वी.पी.	1,22,11,387.00		39,69,124.00	
	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार महानिदेशालय	45,76,949.00		30,000.00	
	प्रधान लेखा अधिकारी	-		-	

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
गैर–सरकारी संगठनों को अग्रिम		**7,50,000.00**		**26,26,934.00**	
संगोष्ठियां और सम्मलेन					
ए.सी.पी., एच.क्यू., डी.डी.ओ., नानक पुरा		1,00,000.00		19,76,934.00	
अपरना भट्ट, अधिवक्ता		-		-	
सीईक्यूयूआईएन, नई दिल्ली		2,00,000.00		2,00,000.00	
स्वरलिपि, स्वागत भवन, मुंबई		4,50,000.00		4,50,000.00	
संगोष्ठी और सम्मलेन के लिए अग्रिम					
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर		-		-	
योजनेत्तर	ग	**3,58,416.00**	-	**1,28,882.00**	
कर्मचारियों को अग्रिम		**3,47,263.00**		**1,17,729.00**	
वाहन की मरम्मत एवं रखरखाव		**19,055.00**	-	**19,055.00**	
दीवान सिंह		19,055.00	-	19,055.00	
कार्यालय व्यय		**16,505.00**	-	**38,844.00**	
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण		700.00	-	700.00	
हरदीप सिंह		9,000.00	-	9,000.00	
मृदुल भट्टाचार्य		3,340.00	-	12,840.00	
प्रकाश चंद (चपरासी)		2,865.00		2,865.00	
एस.सी. शर्मा		100.00	-	100.00	
वन्दना परांजपे		-	-	12,839.00	
महेंद्र सिंह		500.00	-	500.00	
यात्रा व्यय		**8,705.00**	-	**7,919.00**	
जय भगवान		4,224.00	-	4,224.00	
जसविंदर कौर		-	-	2,000.00	
वान्सुक सईम		-	-	1,695.00	
सरबजीत सिंह		4,481.00	-	-	
दूरभाष के लिए अग्रिम		-		**5,000.00**	
हरदीप सिंह		-		5,000.00	
पेट्रोल के लिए अग्रिम		**20,960.00**		**10,623.00**	
बी0एस0 रावत		1,365.00		-	
इसरार अहमद		5,000.00		-	
जय भगवान		5,595.00		5,595.00	
यशपाल सिंह		-		5,028.00	
मृदुल भट्टाचार्य		9,000.00		-	

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
वेतन अग्रिम			**282,038.00**		**36,288.00**
किशोर पी. समर्थ					18,288.00
त्यौहार अग्रिम			16,200.00		18,000.00
छुट्टी यात्रा रियायत			265,838.00		-
ओएमसीए			**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम			11,153.00		11,153.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत	घ	**77,39,396.00**		**57,65,000.00**	-
कर्मचारियों को अग्रिम		-		**25,000.00**	-
संगोष्ठियां और सम्मलेन		-		**25,000.00**	-
वान्सुक सईम		-		25,000.00	-
गैर–सरकारी संगठनों को अग्रिम		**27,40,000.00**		**27,40,000.00**	
संगोष्ठि और सम्मलेन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**23,40,000.00**		**23,40,000.00**	-
समाज कल्याण निदेशक, मेघालय सरकार		4,40,000.00		4,40,000.00	-
मिजोरम राज्य आयोग		2,50,000.00		2,50,000.00	-
पुदुचेरी महिला आयोग		5,00,000.00		5,00,000.00	-
प्रधान सचिव, त्रिपुरा सरकार		2,50,000.00		2,50,000.00	-
रोटरी क्लब, शिलांग		9,00,000.00		9,00,000.00	-
विधिक जागरूकता कार्यक्रम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**4,00,000.00**		**4,00,000.00**	-
रोटरी क्लबए शिलोंग – पूर्वोत्तर क्षेत्र		4,00,000.00		4,00,000.00	-
विज्ञापन के लिए अग्रिम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**49,99,396.00**		**30,00,000.00**	
लेखा अधिकारी डी.ए.वी.पी.		49,99,396.00		30,00,000.00	
अन्य					
भविष्य निधि के लिए अग्रिम		-	-	-	
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग		1,80,00,000.00		1,80,00,000.00	-
एनबीसीसी को भवन हेतु अग्रिम		2,17,00,000.00			
	ङ	**3,97,00,000.00**	-	**1,80,00,000.00**	-
	कुल (ख+ग+घ+ङ)	**6,64,39,420.00**	**3,58,416.00**	**3,12,61,364.00**	**1,28,882.00**
प्रतिभूति जमा	**छ**	-	**85,500.00**	-	**85,000.00**
	कुल (क+च+छ)	**6,79,16,538.00**	**17,48,423.00**	**3,21,34,380.00**	**11,97,898.00**

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय से संबद्ध अनुसूचियां

अनुसूची 7 – अनुदान

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1)	केंद्र सरकार				
	अनुदान	12,27,00,000.00	4,57,27,000.00	8,99,52,000.00	3,28,97,000.00
	घटाएं : पूँजीकृत सहायतानुदान की राशि	38,84,265.00	-	71,34,446.00	-
	कुल अनुदान	**11,88,15,735.00**	**4,57,27,000.00**	**8,28,17,554.00**	**3,28,97,000.00**

अनुसूची 8 – शुल्क/अभिदान

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1)	प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2)	वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-	-	-
3)	आर.टी.आई शुल्क	-	9,556.00	-	8,908.00
		-	**9,556.00**	-	**8,908.00**

अनुसूची 9 और 10 – अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1)	जमा बैंक खाता पर				
	क) अनुसूचित बैंक में	5,75,067.00	2,23,637.00	3,21,681.00	1,60,840.00
	ख) निवेश पर ब्याज	-	-	-	-
2)	गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-
4)	एफडीआर से अर्जित ब्याज	-	-	-	-
		5,75,067.00	**2,23,637.00**	**3,21,681.00**	**1,60,840.00**

सदस्य सचिव

अनुसूची 11 – अन्य आय

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1)	आय	-	-	-	-
2)	विविध आय	-	-	-	1,77,740.00
3)	अंशदायी भविष्य निधि प्राप्ति और भुगतान खाते से अंतरण	-	-	-	-
		-	-	-	**1,77,740.00**

अनुसूची 12 – स्थापना व्यय

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1	वेतनः–				
	अध्यक्षा एवं सदस्य	-	1,00,84,214.00	-	34,94,552.00
	अधिकारीगण	-	64,79,426.00	-	67,77,291.00
	कर्मचारिवृंद	-	1,05,02,943.00	-	62,35,549.00
2	मजदूरी	75,32,935.00	-	60,99,434.00	-
3	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-
4	अन्य निधियों में अंशदान :–				
	एल.एस.सी.	-	3,62,445.00	-	1,21,690.00
	पी.सी.	-	8,73,508.00	-	2,88,106.00
5	पेशेवर सेवाएं एंव शुल्क के लिए भुगतान	42,53,460.00	-	23,34,811.00	-
		1,17,86,395.00	**2,83,02,536.00**	**84,34,245.00**	**1,69,17,188.00**

सदस्य सचिव

अनुसूसूची 13 – अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
विज्ञापन व्यय	5,0,04,532.00	-	1,42,24,212.00	-
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	1,41,34,059.00	-	92,77,198.00	-
मुद्रण	7,31,337.00	-	7,36,311.00	-
संगोष्ठि एवं सम्मलेन	2,73,68,811.00	-	2,11,28,017.00	-
विशेष अध्ययन	93,20,470.00	-	1,05,89,753.00	-
एन.आर.सी.डब्ल्यू.	-	-	-	-
पी.एम.एल.ए.	23,54,200.00	-	11,40,000.00	-
नुक्कड़ नाटक के लिए गैर सरकारी संगठनों को निधियां	15,000.00		6,10,500.00	
दृश्य श्रवण विज्ञापन–स्थल, वृत्तवित्र फिल्में आदि	24,76,506.00		39,23,416.00	
न्यायिक और पुलिस अधिकारिओं का क्षमता निर्माण	12,12,929.00		10,30,575.00	
24X7 हेल्पलाइन और कॉल सेंटर की स्थापना	18,65,000.00		7,30,335.00	
भूमि एवं भवन आर0आर0टी0	-		6,82,101.00	
राष्ट्रीय महिला आयोग का एस.डब्ल्यू. सी के साथ नेटवर्किंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग	99,341.00			
पैम्फलेट, पर्चे और अन्य सामग्री का मुद्रण	17,45,907.00		8,17,383.00	
कार्यालय व्यय	-	51,83,305.00	-	52,16,730.00
मरम्मत एवं रखरखाव	-	8,25,133.00	-	4,82,785.00
टेलीफोन	-	7,74,569.00	-	5,47,864.00
यात्रा व्यय	-	20,90,970.00	-	21,59,034.00
लेखापरीक्षा शुल्क	-	1,49,950.00	-	62,608.00
बैंक प्रभार	-	15,178.00	-	15,481.00
पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक	-	13,06,940.00	-	9,47,731.00
अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	-	-	-	-
किराया, दरें एवं कर	-	65,90,400.00	-	65,90,400.00
मुकदमेबाजी		1,66,500.00		53,350.00
विज्ञापन एन.ई.आर.	-	-	-	-
विधिक जागरूकता कार्यक्रम एन.ई.आर.	49,80,000.00	-	30,66,078.00	-
संगोष्ठि एवं सम्मलेन एन.ई.आर.	46,68,598.00	-	37,59,845.00	-
विशेष अध्ययन एन.ई.आर.	8,45,750.00	-	5,15,688.00	-
	7,68,22,440.00	**1,71,02,945.00**	**7,22,31,412.00**	**1,60,75,983.00**

सदस्य सचिव

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान से संबद्ध अनुसूचियां

अनुसूची 16 – स्थापना व्यय

(राशि रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
1	वेतन :–				
	अध्यक्षा और सदस्य		2,73,12,333.00		1,64,21,788.00
	अधिकारीगण				
	कर्मचारिवृंद				
2	मजदूरी	75,32,935.00			60,99,434.00
3	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान				
4	अन्य निधियों में अंशदानः–				
	एल.एस.सी.		12,35,953.00		4,09,796.00
	पी.सी.				
5	पेशेवर सेवाओं एवं शुल्क के लिए भुगतान	42,29,042.00		2,359,229.00	
		1,17,61,977.00	**2,85,48,286.00**	**8,458,663.00**	**1,68,31,584.00**

सदस्य सचिव

अनुसूची 17 – अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपये में)

	विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	***योजना***			
	विज्ञापन व्यय		1,32,46,795.00	1,80,76,754.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		1,25,79,059.00	86,28,698.00
	मुद्रण		7,31,337.00	7,36,311.00
	संगोष्ठियां और सम्मलेन		2,52,27,674.00	1,86,98,379.00
	विशेष अध्ययन		84,02,505.00	1,06,38,818.00
	एनआरसीडब्ल्यू		-	-
	पारिवारिक महिला लोक अदालत		17,54,200.00	8,55,000.00
	दृश्य श्रवण प्रचार		79,00,955.00	39,23,416.00
	भूमि एवं भवन किराया दरें तथा कर		2,17,00,000.00	6,82,101.00
	24X 7 हेल्पलाईन और कॉल सेंटर की स्थापना		18,65,000.00	7,30,335.00
	वितरण के लिए पैम्फलेट, पर्चों और अन्य सामग्रियों का मुद्रण		17,75,907.00	7,87,383.00
	महिला संबंधी अधिनियमों के उचित कार्यान्वयन हेतु न्यायिक व पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण		9,68,489.00	9,20,955.00
	राष्ट्रीय महिला आयोग का एस.डब्ल्यू. सी के साथ नेटवर्किंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग		99,341.00	-
	नुक्कड़ नाटक और स्थानीय गीत–संगीत आदि हेतु गैर सरकारी संगठनों को निधियाँ		15,000.00	6,10,500.00
		क	**9,62,66,262.00**	**6,52,88,650.00**
2	***गैर–योजना***			
	कार्यालय व्यय		51,58,984.00	52,53,833.00
	मरम्मत और रखरखाव		8,25,133.00	5,01,840.00
	दूरभाष		7,70,069.00	5,52,864.00
	यात्रा व्यय		2,0,91,756.00	21,36,553.00
	लेखापरीक्षा शुल्क		1,49,950.00	62,608.00
	बैंक प्रभार		15,178.00	15,481.00
	पेट्रोल, तेल और स्नेहक		1,3,17,277.00	9,58,354.00
	किराया दरें और कर		6,5,90,400.00	65,90,400.00
	मुकदमेबाजी		1,66,500.00	53,350.00
		ख	**1,70,85,247.00**	**1,61,25,283.00**
3	*पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत*			
	विज्ञापन		19,99,396.00	30,00,000.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		38,05,000.00	20,61,078.00
	संगोष्ठियां और सम्मलेन		44,20,638.00	29,25,065.00
	विशेष अध्ययन		5,79,260.00	6,24,298.00
	मुद्रण		-	-
		ग	**1,08,04,294.00**	**86,10,441.00**
		क+ख+ग	**12,41,55,803.00**	**9,00,24,374.00**

सदस्य सचिव

विप्रेषण अनुसूची – 18

(राशि रुपये में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	वृद्धि	विप्रेषित राशि	वृद्धि	विप्रेषित राशि
सामान्य भविष्य निधि	13,91,500.00	13,91,500.00	12,98,000.00	12,98,000.00
लाइसेंस शुल्क	64,401.00	64,401.00	59,634.00	59,634.00
आय कर	28,50,644.00	28,50,644.00	13,36,513.00	13,36,513.00
केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना	26,900.00	26,900.00	50,175.00	50,175.00
सीजीईजीआईएस	15,070.00	15,070.00	11,759.00	11,759.00
गृह निर्माण अग्रिम	21,120.00	21,120.00	21,575.00	21,575.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	48,000.00	48,000.00	63,000.00	63,000.00
एम0सी0ए0 + (ब्याज)	7,968.00	7,968.00	-	-
ओ0एम0सी0ए0	-	-	-	-
ओ0एम0सी0ए0 पर ब्याज	-	-	-	-
त्यौहार अग्रिम	-	-	-	-
कम्पयूटर अग्रिम	17,815.00	17,815.00	3,100.00	3,100.00
कम्पयूटर ब्याज	-	-	-	-
सी0पी0एफ0 अभिदान	1,13,484.00	1,13,484.00	12,979.00	12,979.00
सी0पी0एफ0 अग्रिम	38,750.00	38,750.00		
ई0पी0एफ0	34,908.00	34,908.00		
टी0डी0एस0	10,91,409.00	10,91,409.00	4,79,361.00	4,79,361.00
अन्य वसूली			-	-
कुल	**57,21,969.00**	**57,21,969.00**	**33,36,096.00**	**33,36,096.00**

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–14

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण प्रोद्रभूत आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण केंद्रीय क्षेत्र के स्वायत्त शासी निकायों (अलाभकारी संगठन और ऐसे ही संस्थान) के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत के अनुसार किया गया है जिनमें आवक भाड़ा, शुल्क तथा कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं। निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के मामले में परियोजना प्रचालित किए जाने से पूर्व का व्यय पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग हैं।

3.2 स्थायी परिसंपत्तियों में राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/उसे दानस्वरूप दी गईं पुस्तकें सम्मिलित हैं और उनका खाता–मूल्य पर पूंजीकरण किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर किया जाता है। वित्तीय विवरण प्रोद्रभूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

5. सरकारी अनुदान/राजसहायता

5.1 सरकारी अनुदान का परिकलन प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है।

31.03.2013 को समाप्त अवधि की वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–15

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां

1.1 आयोग के प्रति दावे जिन्हें ऋण माना गया – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.2 निम्नलिखित के सम्बन्ध में :

– आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियां – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
– आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गये ऋण पत्र – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
– आयोग के पास चुकाए जाने वाले बिल – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें :

आय कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
बिक्री कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
नगरपालिका कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.4 आदेशों का पालन न किए जाने के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए दावे जिनका आयोग ने विरोध किया – शून्य रुपये – (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण के संबंद्ध मे दिए गए अनुमान के अनुसार भवन की प्रारंभिक अनुमानित लागत 6.09 करोड़ रुपये थी तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 1.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था। परंतु प्रशासनिक कारणों के चलते भवन का निर्माण नहीं हो पाया। अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा एन0बी0सी0सी0 से नया अनुमान मंगाया गया है जिसमे एन0बी0सी0सी0 ने निर्माण हेतु कम लागत की बोली दी है। इसलिए नया एसएफसी किया गया तथा कार्य एन0बी0सी0सी0 को सौंप दिया गया है। अब एन0बी0सी0सी0 ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। निष्पादन प्राधिकारी का मामला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ उठाया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के रुप मे दिए गए 1.80 करोड़ रुपये वापिस करने हेतु पहले ही अनुरोध किया गया है।

3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यकलाप के दौरान प्राप्तियों पर है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

4. कराधान

आय–कर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

5.1 सी.आई.एफ. आधार पर आयातों का परिकलित मूल्य।

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और उपकरण (मार्गस्थ समेत)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
भण्डार की गई सामग्री, कलपुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्यय :

(क)	यात्रा	शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन विप्रेषण और ब्याज	शून्य
(ग)	अन्य व्यय	शून्य
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और पेशेवर व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य

5.3 आय :

एफ.ओ.बी. आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य

6. वित्तीय विवरण डीजीएसीआर के कार्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्र के आधार पर तैयार किए गये हैं जो आयोग पर लागू होता है।

7. खाता बही में कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान तथा जमा छुट्टियों के नकदीकरण के लाभों के दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है। इस संगठन में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार या अर्द्ध–सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्त किए गए हैं अथवा आयोग में कुछ कर्मचारी नैमित्तिक/संविदागत आधार पर भी कार्य कर रहे हैं जिन्हें कोई उपदान, पेंशन देय नहीं है।

8. भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष में आयोग को मिले अनुदानों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विवरण	योजना (रुपये में)	गैर–योजना (रुपये में)
1.	वर्ष के आरम्भ में अव्ययित शेष अनुदान की राशि	8,34,593	9,98,012
2.	वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष हस्तगत नकद राशि	–	–
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	11,17,00,000	4,57,27,000
4.	वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्राप्त अनुदान	1,10,00,000	–
5.	वर्ष के अन्त में अव्ययित शेष अनुदान की राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	14,76,918	12,61,267
6.	वर्ष के अंत में अव्ययित हस्तगत शेष नकद राशि	–	–
7.	डाक टिकटों का अव्ययित हस्तगत शेष	–	43,213

9. समान लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिये जाने वाले अनुदानों/वित्तीय सहायता का हिसाब रखा जाता है और अनुदान/वित्तीय सहायता जारी कर दिये जाने पर इन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

10. वर्ष 2011–12 के दौरान अनुसूची संख्या 13 के अनुसार दृश्य श्रव्य, प्रचार तत्स्थानिक वृत्तवित्र आदि शीर्षक के तहत व्यय के रुप मे 39.23 लाख रुपए की राशि दर्शायी गई थी जिसमें से 8.78 लाख रुपए की राशि मूल्य वृत्तवित्र के निर्माण हेतु थी जिसे स्थायी परिसम्पत्तियां दशाये जाने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान उक्त राशि की स्थायी परिसम्पत्तियों के रुप मे न्यूनोक्ति हुई तथा उक्त राशि की व्यय के रुप में अत्योक्ति हुई। अब प्रविष्टि को दृश्य श्रव्य, प्रचार में डाल कर तथा व्यय को 'वृत्तवित्र' के रुप में स्थायी परिसम्पत्तियों को नामे कर ठीक कर दिया गया है। चूंकि इस शीर्ष में शतप्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, इसलिए व्यय को वर्तमान वर्ष में दर्शाया गया है। यह लेखापरीक्षकों द्वारा सुझायी गई प्रविष्टि के अनुरुप है।

11. वर्ष 2008–2009 से 2011–12 के दौरान भवन वास्तविक रुप से मौजूद नहीं था तथा निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ था और भवन पर हुए 3,34,414/– रूपए के मूल्यह्रास को आय तथा व्यय लेखा में आय की ओर आय के रुप में अंतरण कर गलत तरीक से दर्शाया गया था। इसे भवन– कार्य प्रगतिधीन लेखा माना गया है। है। यह लेखापरीक्षकों द्वारा सुझायी गई प्रविष्टि के अनुरुप है।

12. वर्ष 2011–12 के लिए 5,888/– रुपये (जिसे गलती से वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र में दर्शाया गया था) तथा वर्ष 2012–13 के लिए 37,325/– रुपये की अव्ययित डाक टिकटों का शेष जिसे वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र में लेखापरीक्षकों द्वारा सुझायी गई प्रविष्टि के अनुरुप दर्शाया गया है।

13. अनुसूची 1 से 13 और अनुसूची 16 से 18 संलग्न हैं जो वर्ष 2012–13 के तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।

सदस्य सचिव

लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग के तुलन पत्र (संलग्न) तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण तैयार करना आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता–सह निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार प्रायोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और किए गए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

(i) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रलय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(iii) हमारे विचार से, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत अभिलेखों का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसाकि इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हमें यह भी रिपोर्ट करनी है :

क. तुलन–पत्र

क1. देयताएं

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची–3) 2.79 करोड़ रूपये

मार्च, 2013 के माह के लिए तथा अप्रैल 2013 में संदाय किये जाने वाले 20.58 लाख रू0 के वेतन तथा भत्तों को वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया नहीं गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा व्यय को 20.58 लाख रू0 कम करके दिखाया गया है।

क2. परिसम्पत्तियां

क2.1 स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची–4, 2.34 करोड़ रू0)

राष्ट्रीय महिलाा आयोग ने वर्ष 2001 में 36.83 लाख रू0 की लागत से दिल्ली विकास प्राधिकरण से 3080 वर्ग मीटर की भूमि क्रय की थी, तथापि, बाद में उक्त भूखंड का क्षेत्रफल 2996 वर्ग मीटर पाया गया। तदनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने मार्च, 2012 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रदत्त ग्राउड रेन्ट में से 1.36 लाख रू0 की राशि (जो कि 114 वर्ग मी0 भूमि की लागत थी) को समायोजित किया परंतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने लेखा में भूमि की लागत को कम नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों की अत्योक्ति हुई जबकि प्राप्तियों के संबंध में 1.36 लाख रू0 की न्यूनोक्ति हुई।

क2.1.2 राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 1999 से किराए के भवन से कार्यालय चला रहा है। इसने किराये के भवन के नवीकरण अर्थात पुरूष शौचालयों की मरम्मत, फॉल्स सीलिंग तथा लाईटों/लैम्प को बदने, परदों की खरीद तथा सोफा इत्यादि के कवर को बदलने के लिए 2.94 लाख रू0 का व्यय किया तथा इसे ''व्यय'' के स्थान पर ''फर्नीचर तथा फिटिंग'' शीर्षक के तहत निर्धारित संपत्तियों में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों की अत्योक्ति हुई तथा 2.94 लाख रू0 के व्यय की न्यूनोक्ति हुई।

क2.1.3 वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने उधार पर 4.31 लाख रू0 का फर्नीचर खरीदा तथा इन मदों को 30.03.2013 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया। उधार पर किए गए क्रय को इसके लिए सृजित की गई 'परिसंपत्ति अथवा देयताएं' मद में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप 4.31 लाख रू0 मूल्य की परिसंपत्तियों तथा वर्तमान देयताओं की न्यूनोक्ति हुई।

ख. सामान्य

ख.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 जिसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, के अंतर्गत इसके वार्षिक लेखों को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 का पैरा 12 (1) यह उल्लेख करता है कि ''आयोग उपयुक्त लेखा तथा अन्य समग्र अभिलेखों का रखरखाव करेगा तथा ऐसे प्रारूप में लेखाओं के वार्षिक विवरण को तैयार करेगा जिसे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्शानुसार केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया गया हो।'' तथापि, अधिनियम में वार्षिक लेखा को अनुमोदित करने के लिए सक्षम निकाय/प्राधिकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वार्षिक लेखा को अनुमोदित करने हेतु सक्षम प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए उपविधि में संशोधन करने के लिए कार्यवाही आरंभ की जाये।

ग. सहायता अनुदान

राष्ट्रीय महिला आयोग को महिला और बाल विकास मंत्रालय से अनुदान स्वरूप 1684.27 लाख रू0 (योजना राशि के रूप में 1227.00 लाख रू0 तथा गैर–योजना राशि स्वरूप 457.27 लाख रू0)

की राशि प्राप्त हुई। आयोग ने पिछले वर्ष की 18.32 लाख रू0 की अव्ययित शेष राशि के अनुदान (योजना राशि के तहत 9.84 लाख रू0) राशि को व्यय किया। इसके अलावा, इसे 8.86 लाख रू0 की अन्य प्राप्तियां (योजना राशि के रूप में 6.54 लाख रू0 तथा गैर–योजना राशि के रूप में 2.32 लाख रू0 भी प्राप्त हुई। 1711.45 लाख रू0 की कुल उपलब्ध निधियों में से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1684.06 लाख रू0 (योजना राशि के 1227.25 लाख रू0 तथा गैर–योजना राशि के 456.81 लाख रू0) का उपयोग किया तथा इसके पास 31.3.2013 को 27.39 लाख रू0 (योजना राशि के तहत 14.77 लाख रूपये तथा गैर–योजना राशि के तहत 12.62 लाख रू0) का अव्ययित शेष था।

घ. **प्रबंधन पत्रः** जो कमियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं वे, उपचारी/शोधक कारवाई के लिए अलग से, प्रबंधन पत्र के माध्यम से आयोग के ध्यान में लाई गई हैं।

(v) पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणी के अध्याधीन हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में प्रस्तुत तुलन–पत्र से है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 15.10.2013

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

मानव संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा वर्ष 2011–12 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

➢ **नियंत्रण परिवेष**

- सदस्य सचिव पद दिनांक 04.04.12 से 03.03.13 तक रिक्त था।

➢ **निगरानी**

- प्रबंधन लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति सजग नही है चूंकि वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि की आपत्तियों का निपटाया नहीं किया गया है।

3. परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच हेतु प्रणाली

- वर्ष 2005–06 से पुस्तकालय भवन की पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है।
- ''संयंत्र तथा मशीनरी'', ''कंप्यूटर तथा सहायक संयंत्र'' तथा ''फर्नीचर एवं फिक्सचरों'' का वास्तविक सत्यापन दिसंबर, 2011 तक किया जा चुका है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान 6.49 लाख रू0 मूल्य के क्रय किए गए। कंप्यूटरों के संबंध में प्रविष्टि, परिसंपत्ति रजिस्टर में नही की गई है।

4. वस्तुसूची के वास्तविक सत्यापन हेतु प्रणाली

- वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन दिसंबर, 2011 तक किया गया है।

5. देयताओं के भुगतान में नियमितता

- सांविधिक देयताओं के संबंध मे छह माह से अधिक समय से कोई भुगतान बकाया नहीं है।

अनुलग्नक

अनुलग्नकों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	अध्याय 1	**प्रस्तावना**	
1	अनुलग्नक I	संगठनात्मक चार्ट	189
	अध्याय 2	**शिकायत और जांच प्रकोष्ठ**	
2	अनुलग्नक II	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को आनॅलाइन प्राप्त हुई शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा	190
3	अनुलग्नक III	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को आनॅलाइन प्राप्त हुई शिकायतों का स्वरुप–वार ब्यौरा	192
4	अनुलग्नक IV	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज की गई शिकायतों का राज्य वार ब्यौरा	194
5	अनुलग्नक V	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग मे दर्ज की गई शिकायतों का स्वरुप–वार ब्यौरा	196
	अध्याय 4	**प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ**	
6	अनुलग्नक VI	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के एन0आर0आई0 प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की राज्य वार संख्या	198
7	अनुलग्नक VII	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के एन0आर0आई0 प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की देश–वार संख्या	199
	अध्याय 5	**विधिक प्रकोष्ठ**	
8	अनुलग्नक VIII	गर्भ का चिकित्सीय समापन (एम0टी0पी0) अधिनियम, 1971 की धारा 3 तथा 5 में प्रस्तावित संशोधन	200
9	अनुलग्नक IX	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनिमय, 1956 (आईटीपीए, 1956) की समीक्षा	203
	अध्याय 6	**अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ**	
10	अनुलग्नक X	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर की संगोष्ठियां आयोजित करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	205

क्र.सं.	अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
11	अनुलग्नक XI	वर्ष 2012–13 के दौरान एनसीडब्ल्यू द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	219
12	अनुलग्नक XII	वित वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों की सूची	221
13	अनुलग्नक XIII	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	224
14	अनुलग्नक XIV	वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	231

अनुलग्नक–I

संगठनात्मक ढांचा

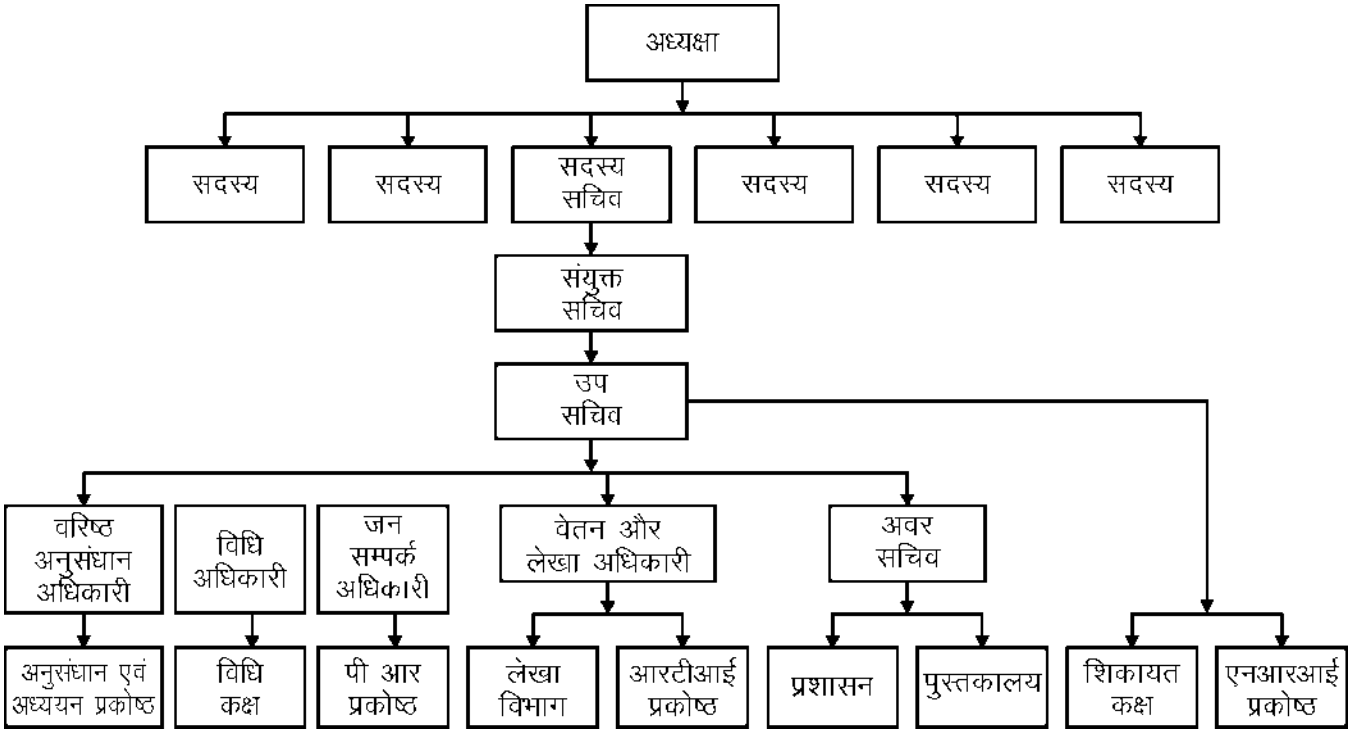

अनुलग्नक–II

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को आनॅलाइन प्राप्त हुई शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र0सं0	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	127
3.	असम	33
4.	बिहार	171
5.	चण्डीगढ़	26
6.	छत्तीसगढ़	27
7.	दिल्ली	531
8.	गोवा	6
9.	गुजरात	92
10.	हरियाणा	203
11.	हिमाचल प्रदेश	27
12.	जम्मू और कश्मीर	24
13.	झारखण्ड	64
14.	कर्नाटक	142
15.	केरल	39
16.	मध्य प्रदेश	138
17.	महाराष्ट्र	334
18.	मेघालय	4
19.	ओड़ीशा	59
20.	पुदुचेरी	11
21.	पंजाब	144
22.	राजस्थान	182
23.	सिक्किम	1

क्र0सं0	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
24.	तमिलनाडु	144
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	724
27.	उत्तरांखण्ड	49
28.	पश्चिम बंगाल	157
	कुल	**3462**

अनुलग्नक–III

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को आनॅलाइन प्राप्त हुई शिकायतों का स्वरुप–वार ब्यौरा

क्र0सं0	शिकायत का स्वरुप	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	तेजाब से हमला	8
2.	अन्य गमन	19
3.	हत्या का प्रयास	126
4.	बलात्कार का प्रयास	35
5.	द्वि–विवाह	30
6.	जाति,समुदाय आधारित हिंसा	31
7.	प्रवासी भारतीयों/प्रवासी भारतीयों द्वारा विवाह के विरुद्ध शिकायतें	5
8.	ससुराल पक्ष द्वारा शिकायतें	23
9.	दंगों संबंधी शिकायतें/ सामुदायिक हिंसा के शिकार	9
10.	साइबर अपराध	71
11.	डायन प्रथा/काला जादू	2
12.	संपत्ति के अधिकारों से वंचित करना	100
13.	महिला अधिकारों से वंचित करना	197
14.	पति द्वारा परित्यक्त	126
15.	तलाक	43
16.	घरेलू हिंसा	527
17.	दहेज हत्या	81
18.	दहेज मांग/ दहेज के लिए उत्पीडन	430
19.	कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या/लिंग का चयन	27
20.	लैंगिक भेदभाव	44
21.	कार्यस्थल पर उत्पीडन	224
22.	विधवाओं का उत्पीडन	87
23.	महिलाओं और बच्चों का अनैतिक मानव दुर्व्यापार	14

क्र0सं0	शिकायत का स्वरुप	प्राप्त शिकायतों की संख्या
24.	महिलाओं का अशिष्ट रुपण	28
25.	अपहरण/भगा ले जाना	54
26.	शादी किये बिना पति–पत्नी की तरह रहना	17
27.	भरण–पोषण का दावा	61
28.	बच्चों की अभिरक्षा संबधी मामले	8
29.	विविध	326
30.	महिलाओं का उत्पीडन/छेडछाड करना/मर्यादा भंग करना/ पीछा करना	194
31.	हत्या	62
32.	भरण–पोषण की राशि का भुगतान न करना	5
33.	पुलिस की उदासीनता	37
34.	पुलिस द्वारा उत्पीडन/अत्याचार	81
35.	विवाह–पूर्व धोखा	17
36.	संपत्ति	70
37.	बलात्कार	73
38.	चुनने का अधिकार	6
39.	सेवा संबधी मामले	61
40.	सेक्स स्कैन्डल	4
41.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन	72
42.	पीडितों को आश्रय और पुनर्वास	12
43.	आत्महत्या	14
44.	टोना प्रथा/काला जादू/वूडू	1
	कुल	**3462**

अनुलग्नक–IV

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज की गई शिकायतों का राज्य वार ब्यौरा

क्र0सं0	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	85
3.	असम	23
4.	बिहार	472
5.	चण्डीगढ़	44
6.	छत्तीसगढ़	91
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दमन एवं दीव	6
9.	दिल्ली	2377
10.	गोवा	11
11.	गुजरात	86
12.	हरियाणा	1090
13.	हिमाचल प्रदेश	43
14.	जम्मू और कश्मीर	18
15.	झारखण्ड	221
16.	कर्नाटक	59
17.	केरल	30
18.	मध्य प्रदेश	793
19.	महाराष्ट्र	397
20.	मणिपुर	7
21.	मेघालय	2
22.	मिजोरम	1
23.	ओड़ीशा	62

क्र0सं0	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
24.	पुदुचेरी	9
25.	पंजाब	221
26.	राजस्थान	1258
27.	तमिलनाडु	108
28.	त्रिपुरा	3
29.	उत्तर प्रदेश (ई)	2058
30.	उत्तर प्रदेश (डब्ब्यू)	6570
31.	उत्तरांखण्ड	289
32.	पश्चिम बंगाल	143
	कुल	**16584**

अनुलग्नक–V

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग मे दर्ज की गई शिकायतों का स्वरुप–वार ब्यौरा

क्र0सं0	शिकायत का स्वरुप	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	तेजाब से हमला	12
2.	अन्य गमन	1
3.	हत्या का प्रयास	30
4.	बलात्कार का प्रयास	200
5.	द्वि–विवाह	130
6.	जाति,समुदाय आधारित हिंसा	475
7.	ससुराल पक्ष द्वारा शिकायतें	723
8.	साइबर अपराध	21
9.	डायन प्रथा/काला जादू	5
10.	संपत्ति के अधिकारों से वंचित करना	29
11.	महिला अधिकारों से वंचित करना	60
12.	पति द्वारा परित्यक्त	70
13.	तलाक	8
14.	घरेलू हिंसा	3773
15.	दहेज हत्या	553
16.	दहेज मांग/ दहेज के लिए उत्पीडन	467
17.	कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या/लिंग का चयन	4
18.	लैंगिक भेदभाव	3
19.	कार्यस्थल पर उत्पीडन	413
20.	विधवाओं का उत्पीडन	263
21.	महिलाओं और बच्चों का अनैतिक मानव दुर्व्यापार	17
22.	महिलाओं का अशिष्ट रुपण	7
23.	अपहरण/भगा ले जाना	241

क्र0सं0	शिकायत का स्वरुप	प्राप्त शिकायतों की संख्या
24.	शादी किये बिना पति–पत्नी की तरह रहना	1
25.	भरण–पोषण का दावा	62
26.	बच्चों की अभिरक्षा संबधी मामले	10
27.	विविध	1982
28.	महिलाओं का उत्पीडन/ छेडछाड करना/मर्यादा भंग करना/ पीछा करना	932
29.	हत्या	61
30.	भरण–पोषण की राशि का भुगतान न करना	2
31.	पुलिस की उदासीनता	3303
32.	पुलिस द्वारा उत्पीडन/अत्याचार	505
33.	विवाह–पूर्व धोखा	96
34.	संपत्ति	927
35.	बलात्कार	713
36.	चुनने का अधिकार	24
37.	सेवा संबधी मामले	337
38.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन	119
39.	पीडितों को आश्रय और पुनर्वास	5
	कुल	**16584**

अनुलग्नक–VI

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के एन0आर0आई0 प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की राज्य वार संख्या

क्र0सं0	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	दिल्ली	59
2.	उत्तर प्रदेश	38
3.	हरियाणा	29
4.	पंजाब	30
5.	महाराष्ट्र	23
6.	गुजरात	19
7.	आंध्र प्रदेश	35
8.	तमिलनाडु	18
9.	राजस्थान	13
10.	मध्य प्रदेश	08
11.	उत्तरांखण्ड	04
12.	केरल	07
13.	बिहार	08
14.	ओडीशा	05
15.	कर्नाटक	14
16.	पश्चिम बंगाल	04
17.	झारखण्ड	—
18.	जम्मू और कश्मीर	07
19.	हिमाचल प्रदेश	03
20.	छत्तीसगढ	01
21.	चंडीगढ	01
	कुल	**326**

अनुलग्नक–VII

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के एन0आर0आई0 प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की देश–वार संख्या

क्र0सं0	देश का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	भारत	326
2.	अमेरिका	19
3.	आस्ट्रेलिया	08
4.	यू0के	05
5.	संयुक्त अरब अमीरात	12
6.	फ्रांस	01
7.	कनाडा	06
8.	इटली	01
9.	चीन	01
10.	केन्या	01
11.	इंडोनेशिया	01
12.	फिलीपीन्स	01
13.	हांग–कांग	01
14.	पोलैंड	01
15.	नेपाल	01
16.	सिंगापुर	01
	कुल	**386**

अनुलग्नक–VIII

गर्भ का चिकित्सीय समापन (एम0टी0पी0) अधिनियम, 1971 की धारा 3 तथा 5 में प्रस्तावित संशोधन

धारा	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	कारण
3	जब पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भपात किया जाये – (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध के बावजूद कोई भी पंजीकृत चिकित्सक को इस अधिनिमय के उपबंधों के अनुरूप किए गए किसी भी गर्भपात के लिए अथवा उस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध का दोषी नहीं माना जायेगा। (2) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भपात किया जा जा सकता है:– (क) जब गर्भकाल 12 सप्ताह से अधिक न हुआ हो, यदि ऐसा चिकित्सक; अथवा (ख) जब गर्भकाल की **अवधि बारह सप्ताह से अधिक परंतु चौबीस सप्ताह से कम हुई हो** तथा कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सकों का सद्भाव से यह मत हो कि– (एक) गर्भ के बने रहने से गर्भवती महिला का जीवन जोखिम में पड़ सकता है अथवा उसके शारीरिक	धारा 3(2) (ख) जहां **गर्भ बारह सप्ताह से अधिक परंतु चौबीस सप्ताह से अधिक न हो तथा कम से कम दो** पंजीकृत चिकित्सकों का सद्भाव से यह मत हो कि ..... धारा 3(2)(ग) जहां **गर्भ चौबीस सप्ताह से अधिक परंतु तीस सप्ताह से अनधिक न हुआ हो, उस स्थिति में, एक प्रसूति विज्ञानी सहित कम से कम तीन पंजीकृत चिकित्सकों** का सद्भाव से यह मत हो कि – **धारा 3(2)(ग) के तहत ऐसे मामलों को एक संस्थान में भेजा जाएगा जहां उपयुक्त अवसरंचना, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध हों।** **परंतुकः–** **बशर्ते कि जहां गर्भवती महिला अवयस्क हो, गर्भ बलात्कार अथवा व्याभिचार के परिणामस्वरूप ठहर गया हो अथवा जहां गर्भवती महिला शारीरिक अथवा मानसिक रूप से निशक्त, और गर्भ को बनाए रखने से गर्भवती महिला के**	नवीनतम प्रौद्योगिकीय तथा चिकित्सीय उन्नति जिससे गर्भपात करना पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गया है, तथा चिकित्सीय नैदानिक प्रौद्योगिकीयों में मौजूदा वैज्ञानिक विकास साथ ही सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए संविधि को नवीन रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

धारा	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	कारण
	अथवा मानसिक स्वास्थ्य को बड़ी क्षति पहुंच सकती है। **(दो) ऐसा पर्याप्त जोखिम हो सकता कि बच्चे के पैदा होने पर वह ऐसा शारीरिक अथवा मानसिक विकार से पीड़ित हो सकता हो जिससे वह गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है।** .... **स्पष्टीकरण 2**:– उस स्थिति में जब बच्चों की संख्या को सीमित करने हेतु **किसी महिला अथवा उसके पति द्वारा** उपयोग किए जाने वाले किसी उपकरण या पद्धति के विफल रहने के परिणामस्वरूप कोई गर्भ ठहर जाए, तो ऐसे अनचाहे गर्भ द्वारा होने वाले मानसिक संताप को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा माना जाएगा।	**जीवन को खतरा हो सकता हो, उसके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बड़ा खतरा हो सकता हो, अथवा इस बात का बडा जोखिम हो कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसमें शारीरिक अथवा मानसिक विकास हो सकता है, उस स्थिति में गर्भ को गिराने के लिए गर्भकाल की अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी तथा यह अधिनियम की धारा 5 के तहत सम्मिलित होगी।** **स्पष्टीकरण 2**:– उस स्थिति में जब बच्चों की संख्या को सीमित करने हेतु **किसी महिला अथवा उसके पति/साथी** द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी उपकरण अथवा पद्धति के विफल रहने के परिणामस्वरूप कोई गर्भ ठहर जाए, तो अनचाहे गर्भ द्वारा होने वाले मानसिक संताप को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा माना जाएगा।	
5	**स्थिति जिसमें धारा 3 तथा 4 लागू नहीं होगी** (1) गर्भकाल तथा कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सकों के मत से संबंधित धारा 4 तथा जहां तक धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों	**स्थिति जिसमें धारा 3 तथा 4 लागू नहीं होगी** (1) गर्भकाल तथा कम से कम दो पंजीकृत चिकित्सकों के मत से संबंधित धारा 4 तथा जहां तक धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों का संबंध है, यह उपबंध	

धारा	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित संशोधन	कारण
	का संबंध है, यह उपबंध पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भपात किए जाने पर लागू नहीं होंगे **यदि सद्भाव से उसका यह मत हो कि गर्भवती महिला के जीवन की रक्षा के लिए ऐसा गर्भधारण को समाप्त किया जाना तत्काल आवश्यक हो।**	पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भपात किए जाने पर लागू नहीं होंगे यदि सद्भाव से उसका यह मत हो कि गर्भवती महिला के जीवन की रक्षा के लिए ऐसा गर्भधारण को समाप्त किया जाना तत्काल आवश्यक हो। अथवा इस बात का पर्याप्त जोखिम हो कि अगर बच्चा पैदा होगा तो वह ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक अपंगता से पीड़ित होगा जिससे वह गंभीर रूप से निशक्त हो सकता है।	

अनुलग्नक–IX

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनिमय, 1956 (आईटीपीए, 1956) की समीक्षा

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनिमय, 1956 (आईटीपीए, 1956) का मौजूदा विधान, मानव दुर्व्यापार को रोक पाने हेतु पर्याप्त नहीं है, न ही इसके माध्यम से जबरन काम लेने अथवा सेवाएं लेने तथा अन्य प्रकार जैसे अंग निकाल लेने पर भी कार्यवाही की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि आईटीपीए मानव दुर्व्यापार को वेश्यावृत्ति के समरूप मानता है। यह भी एक कारण है कि मानव दुर्व्यापार में अंर्तनिहित मानवाधिकारों को पर्याप्त रूप से समझा नहीं गया है। मानव दुर्व्यापार पर केवल यौन उत्पीड़न के नजरिये से ही विचार नहीं किया जा सकता है चूंकि महिलाओं और बच्चों का कई अन्य उद्देश्यों जैसे श्रम (सस्ते बंधुआ, बलात् मजदूरी), अंग व्यापार, धार्मिक एवं सामाजिक प्रयोजनार्थ आदि के लिए दुर्व्यापार किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, श्रीमती ममता शर्मा ने भारत में मानव दुर्व्यापार की रोकथाम तथा प्रतिरोध विषय पर 23 नवम्बर, 2011 को राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि ''मानवों में दुर्व्यापार एक अपराध है जिसे उस व्यक्ति विशेष को शोषणकारी स्थिति में लक्षित करके, ले जाकर किया जाता है ताकि लाभ अर्जित किया जा सके''। ऐसी शोषणकारी स्थिति कई तरीकों की हो सकती है उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी अथवा अवैध मानव अंग का निकाला जाना आदि।

राष्ट्रीय महिला आयोग इन मामलों में महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में अत्यंत चिंतित है इसलिए वह आईटीपीए, 1956 अधिनियम को इस समस्या की व्याप्ति को सीमित करने तथा अतिन्यून करने के आधार पर इसके उत्सादन की सिफारिश करता है तथा ''मानव दुर्व्यापार अधिनियम निवारण'' नामक शीर्षक से एक नया विधान को अधिनियमित करने की सिफारिश करता है। मौजूदा कानून (आईटीपीए) में 'दुर्व्यापार' शब्द को केवल यौन शोषण के नजरिये से ही नहीं देखा जा सकता चूंकि महिलाओं और बच्चों का अन्य कई उद्देश्यों के लिए दुर्व्यापार किया जाता है। इसलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग दुर्व्यापार करने वालों पर निवारक के रूप में कड़ी शास्ति लगाने के साथ–साथ मानव दुर्व्यापार के सभी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाले नये विधान को अधिनियमित करने की सिफारिश करता है।

नया विधान अधिनियमित किए जाने के पीछे कारणः

(i) मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति समिति ने 23 नवंबर, 2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत अपनी 182वीं रिपोर्ट में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के सभी संभव पहलुओं को समाहित करते हुए इस पर समग्रता से पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता को दृढ़ता से महसूस किया।

(ii) अधिनियम के क्षेत्राधिकार को विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) मानव दुर्व्यापार के संयुक्त राष्ट्र नयाचार की परिभाषा को अंगीकार किया जाना।

(iv) यह सुनिश्चित करना की अधिनियम के नाम से अवैध शब्द हटा दिया जाये चूंकि सब प्रकार का दुर्व्यापार अनैतिक ही होता है।

(v) बालिका तथा महिलाओं के संबंध में विशिष्ट उपबंध के साथ लैंगिक तत्व को सम्मिलित करना।

(vi) 'अवयस्क' शब्द को लोप करना तथा बालक की आयु जे.जे. अधिनिमय के अनुरूप, अर्थात् 18 वर्ष होनी चाहिए।

(vii) बच्चों विशेषकर बालिकाओं के दुर्व्यापार के लिए दंड को बढ़ाना।

(viii) दुर्व्यापार करने वालो को उनकी संलिप्तता के अनुसार पृथक–पृथक दंड देना।

(ix) इस अधिनियम के तहत वेश्यावृत्ति, वेश्याओं, तथा वेश्यालयों की परिभाषा को पुनःपरिभाषित करना चूंकि यौन शोषण पूर्ण रूप से वेश्यालय आधारित नहीं है तथा आवासीय क्षेत्र, होटल, क्लब आदि सब जगह फैल रहा है।

(x) सीमापार दुर्व्यापार को भी सम्मिलित करना।

(xi) महिलाओं और बच्चों में दुर्व्यापार का सामना करने के लिए एनसीडब्ल्यू, एमएचए, एनएचआरसी, यूनीसेफ तथा एमडब्ल्यूसीडी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए मसौदा समेकित कार्य योजना को कार्यान्वित करना। इस कार्य योजना को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रुप दिये जाने तथा अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता है।

(xii) मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों को पुनः मुख्यधारा में शामिल करने तथा उन्हें कलंक मुक्त करने हेतु विशिष्ट उपबंध शामिल करना।

(xiii) अधिनियम में निवारण, बचाव, पुनर्वास तथा पुनः मुख्य धारा में शामिल करने के लिए समुदाय स्तर की भागीदारी को सम्मिलित करना।

(xiv) यह सुनिश्चित करना की मानव दुर्व्यापार को अन्य संगठित अपराधों के समतुल्य माना जाये चूंकि यह एक गंभीर अपराध है।

(xv) स्वयं सहायता समूह बनाना।

अनुलग्नक–X

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर की संगोष्ठियां आयोजित करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
	आंध्र प्रदेश		
1	शेड्यूल्ड ट्राइब एण्ड बैकवर्ड क्लासेस फॉर्मिंग सोसायटी, डिस्ट्रिक्ट प्रकाशन, आंध्र प्रदेश	कन्याओं को बचाने विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
2	एस.वी. एजूकेशनल सोसायटी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	बाल विवाह तथा महिला के दर्जे पर प्रभाव विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
3	विज्ञान एजूकेशनल सोसायटी (वीईएस), वारंगल, आंध्र प्रदेश	निशक्त महिला विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
	असम		
4	साउथ एशिया बैम्बू फाउंडेशन, गुवाहाटी, असम	पूर्वोत्तर भारत में वैश्वीकरण की तुलना में आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
5	एएस एसएच सालेम एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट एच.ओ. एवं पी.ओ. – गुरूफेला, जिला कोकराझार, असम	महिला और बालिकाओं के मानव दुर्व्यापार पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
6	माइक्रोफोर्स भिकेलाई, पीओ. डेमो, जिला शिवसागर, असम	पूर्वोत्तर भारत के विशेष संदर्भ में इक्कीसवीं शताब्दी विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
7	रूरल वूमेन अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन ऑफ असम, गुवाहाटी, असम	सेक्स रेक्टियरों द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के शोषण तथा दुर्व्यापार की अति व्यापकता के संबंध में क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठी/कार्यशाला	1,00,000/–रूपये
8	असम विश्वविद्यालय, जिला कछार सिलचर, असम	लैंगिक शिक्षा तथा महिला बालिकाओं द्वारा श्रमः एक सामाजिक परिदृश्य के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/–रूपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
9	असम राज्य महिला आयोग, बाल भवन, उजान बाजार, गुवाहाटी	महिलाओं तथा बालिकाओं के दुर्व्यापार विषय पर कार्यशाला	2,00,000/–रूपये
10	असम राज्य महिला आयोग, गुवाहाटी, असम	सूक्ष्म ऋण तथा एसएचजी की भूमिका पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
	बिहार		
11	इलाश्री सेवा संस्थान, मधुबनी, बिहार	सूक्ष्म ऋण विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
12	अम्बपाली, पटना, बिहार	असंगठित क्षेत्र (अर्थात् हस्तशिल्प, बुनकर, कृषि आदि) में ग्रामीण महिलाओं के शोषण की स्थिति विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
13	जागृति जन कल्याण समिति, भागलपुर, बिहार	भारत में गिरते यौन अनुपात पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी कार्यशाला	1,00,000/–रूपये
14	सुरूचि कला केन्द्र, नवादा, बिहार	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा एसएचजी में महिलाओं की स्थिति के संबंध में एक राज्य स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
	दिल्ली		
15	शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली	महिलाओं तथा बच्चों के मानव दुव्यर्वहार विषय पर राज्य स्तर की दो कार्यशालाएं	1,00,000/–रूपये
16	दीप वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, बुरारी, दिल्ली	भारत में कन्या भ्रूण हत्या तथा बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
17	वूमेन्स एसोसिएशन फॉर ट्रेनिंग एम्पावरमेंट एण्ड रिसेटेलमेंट (वाटर), दिल्ली	उत्तराखण्ड में भ्रूण हत्या तथा घरेलू हिंसा पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	2,00,000/–रूपये
18	एसोसिएशन फॉर सोशल रिसर्च एण्ड एक्शन (आसरा), नजफगढ़, नई दिल्ली	महिलाओं के विधिक अधिकार के संबंध में क्षेत्रीय संगोष्ठी	2,00,000/–रूपये
19	वानसुक सईम, सदस्य, एनसीडब्ल्यू, नई दिल्ली	पूर्वोत्तर के नागरिक चुनौतियां तथा योगदान विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श	4,84,000/–रूपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
20	संजीवनी 103, प्लॉट नं0 43, वीनस अपार्टमेंट्स सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली–110085	उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्ध नगर के दादरी में लैंगिक पक्षपात तथा कृषि उत्पादकता/विविधिकरण तथा गरीब महिला किसानों की खराब कृषि तकनीकों के संबंध में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला	1,00,000/–रूपये
21	वीर इंद्रा सोशल ग्रुप्स सोसायटी, 1/7, 103 ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092	महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता विषय पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ, आरडब्ल्यूए को एकजुट करने विषय पर राज्य स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
22	इंडिया इंटरनेशनल इंटलेक्चुअल सोसायटी, नई दिल्ली	लैंगिक तथा आपदा जोखिम में कमी करने के विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन	3,00,000/–रूपये
23	ऑल इंडिया वूमेन्स कांफ्रेंस, सरोजिनी हाउस, 6 भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001	''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा–कौन चिंतित है'' विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
24	डिवाइन टच, डी–92, सेकेंड फ्लोर, विकासपुरी, नई दिल्ली	लैंगिक समानता जागरूकता तथा संवेदनशील बनाने विषय पर कार्यक्रम	3,00,000/–रूपये
25	पीपुल फॉर एजूकेशन रिसर्च स्कॉलरशिप एण्ड ऑउटवर्ड न्यूट्रिशन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन	2,00,000/–रूपये
26	गाइड फॉर सर्विस, नई दिल्ली	विधवाओं, नीतिगत अंतराल तथा समावेशन के संबंध में क्षेत्रीय स्तर का सम्मेलन	2,00,000/–रूपये
27	ऑल इंडिया फाउंडेशन पीस एण्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली	युवा प्रौद्योगिकी तथा आपदा जोखिम में कमी लाने पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला	3,00,000/–रूपये
28	श्रीना सोसायटी, कृष्णानगर, दिल्ली–110058	"दिल्ली की महिलाओं का सशक्तिकरण" विषय पर राज्य स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
	हरियाणा		
29	परिवर्तन, जीन्द, हरियाणा	कन्या भ्रूण हत्या विषय पर राज्य स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
30	एसओएवाई एसोसिएशन ऑफ हरियाणा (पंजीकृत), पंचकुला, हरियाणा	पंचकूला में ग्रामीण महिलाओं को ''चलो गॉव की ओर'' के पैटर्न पर उनके अधिकार के बारे में जागरूक बनाने के लिए राज्य स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
31	कुंदन वेलफेयर सोसायटी, सेक्टर–15, गुड़गांव, हरियाणा	जैसलमेर तथा जोधपुर में कन्या भ्रूण हत्या–बदलाव के लिए चुनौतियां तथा रणनीतियां, महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा में घरेलू हिंसा अधिनियम की भूमिका विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तर की संगोष्ठियां	2,00,000/–रूपये
	हिमाचल प्रदेश		
32	साहस (ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग सीवाईडब्ल्यूओ), शिमला, हिमाचल प्रदेश	पंजाब, गुजरात, केरल तथा हैदराबाद के विशेष संदर्भ में प्रवासी भारतीयों के विवाह विषय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/–रूपये
33	हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग शिमला, हिमाचल प्रदेश उत्तरी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन	2,00,000/–रूपये
	झारखण्ड		
34	तोरंग ट्रस्ट, रांची, झारखण्ड	प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में महिला तथा वन अधिकारों पर संगोष्ठी	3,00,000/–रूपये
35	झारखण्ड राज्य महिला आयोग रांची, झारखण्ड	घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठी	2,00,000/–रूपये
	मध्य प्रदेश		
36	श्री राम स्मृति शैक्षणिक, सामाजिक विकास एवं स्वास्थ्य कल्याण समिति, इन्दौर, मध्य प्रदेश	आंगनवाड़ी कामगारों में मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में क्षमता निर्माण परियोजना– परियोजना	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
37	सतिविन्द्रा शिक्षा समिति, नादिर कालोनी, शामला हिल्स, भोपाल, म0प्र0	वैश्वीकरण तथा महिला विक्रेताओं/व्यापारियों पर इसके प्रभाव के संबंध में	1,00,000/– रुपये
38	महावीर शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	एनसीडब्ल्यू की ओर से मध्य प्रदेश राज्य में महिला के विरुद्ध होने वाले अपराध विशेषरूप से बलात्कार के मामले की जाँच करते हुए नयाचार के रूप में पालन किये जाने वाले दिशानिर्देशों/नियम पुस्तिका के विमोचन पर संगोष्ठी	4,00,000/– रु.
	महाराष्ट्र		
39	लोकहित सामाजिक व सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल, अहमद नगर, महाराष्ट्र	बाल विवाह तथा इसके प्रभाव के संबंध में संगोष्ठी–सह–कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
40	जय रविदास बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, नांदेड़, महाराष्ट्र	बाल विवाह को निषिद्ध करने के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
41	साईंनाथ बहुद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
42	आर.के. एचआईवी/एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, महाराष्ट्र	भारत में कन्या भ्रूण हत्या – भारतीय परिदृश्य में इसके सामाजिक–सांस्कृतिक उद्भूत तथा पूर्वानुमान के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
43	मैन अंगेस्ट व्हाइलेंस एंड एब्यूज (एमएवीए) 705, पेरिस हरम बिल्डिंग, मुंबई	सतारा में महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिये युवाओं और पुरुषों की लैंगिंग तथा पुरुषत्व संबंधी राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
	मणिपुर		
44	दि इरामसीफी ममांग लेकिया वूमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर	महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम	1,00,000/– रुपये
45	पीपल्स फाउंडेशन, मणिपुर	महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा के संबंध में कार्यशाला/संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
46	डेवलेपमेंट नेटवर्किंग एजेंसी (डीएनए) सांगायीयूम्फाम, ममांग लेइकायी रोड़ पी.ओ. वांगीजिंग जिला–थोबाल, मणिपुर–795148	मणिपुर राज्य में मुस्लिम महिला के दर्जे में संबंध में	1,00,000/– रुपये
	मेघालय		
47	दि क्रिस्टी यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शिलांग, मेघालय	बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न की महिला पीड़ितों हेतु न्याय के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
48	मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, मेघालय, एम(डब्ल्यूएस)	''महिला सशक्तीकरणः सभी पूर्वोत्तर राज्यों में गरीबी में कमी लाने का एक हथियार'' के संबंध में क्षेत्रीय सम्मेलन	8,20,000/– रुपये
49	मेघालय राज्य महिला आयोग, श्रीमती वांसुक सईम, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली	महिला सशक्तीकरण तथा सभी पूर्वोत्तर राज्यों में गरीबी में कमी लाने के संबंध में 16.11.2012 को एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया	7,00,000/– रुपये
50	अमातसरा शिलांग, मेघालय	मेघालय में युवतियों में गर्भधारण के संबंध में राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
51	शिलांग	महिला तथा उनके विधिक अधिकारों के संबंध में क्षेत्रीय स्तर का सम्मेलन	5,00,000/– रुपये
	मिजोरम		
52	राज्य महिला आयोग, मिजोरम एम(डब्ल्यूसी)	बलात्कार तथा मानव दुर्व्यापार विषय पर सम्मेलन	5,00,000/– रुपये
	ओडीशा		
53	वाल्युन्टरी एजेंसी फॉर सोशल एक्शन (वीएएकए) भुवनेश्वर, ओडीशा	महिलाओं पर अत्याचार के निवारण विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
54	ओडीशा युवा सांस्कृतिक संसद पुरी, ओडीशा	महिलाओं को अत्याचारों के विरुद्ध सशक्त करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
55	जनकल्याण एल/पीओ नॉपारूली, वाया मित्रपुर, जिला बासालेसर, ओडीशा	'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कब रुकेगी' विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
	पुदुचेरी		
56	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इंटरनेशनल स्टडीज़ स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, पुदुचेरी	वैश्वीकरण के युग में महिला सशक्तीकरण के महत्व पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी	3,00,000/– रुपये
	राजस्थान		
57	सोशल इम्पावरमेंट एंड वाल्युन्टरी एक्शन संस्थान (सेवा संस्थान) टोंक, राजस्थान	कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
58	सौहार्द विकास संस्थान, दौसा, राजस्थान	ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में सूक्ष्म ऋण तथा स्वयंसेवी समूहों की भूमिका के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
59	युवा ग्राम विकास समिति, धौलपुर, राजस्थान	राजस्थान के जिला दौसा में ''पंचायतों तथा सम्पत्ति अधिनियम में महिला अधिकार'' संबंधी संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
60	सरोजनी नायडू महिला विकास एवं कल्याण संस्थान, टोक रोड़, जयपुर, राजस्थान	महिलाओं सशक्तीकरण संबंधी संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
61	कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के माध्यम से महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य स्तरीय कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
62	मेसेज संस्थान, जयपुर, राजस्थान	महिला अधिकारिता (महिला अधिकारों) संबंधी संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
63	डीआईएसएचए फाउंडेशन सोसायटी, भरतपुर, राजस्थान	भरतपुर तथा धौलपुर में महिला और बाल दुर्व्यापार के निवारण तथा दुर्व्यापार अधिनियम संबंधी दो दिवसीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
64	नव निर्माण महिला मंडल समिति, जयपुर, राजस्थान	कन्याओं की रक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/– रुपये
65	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान	''सम्मान के लिये हत्याएंः सोच तथा दृष्टिकोण'' मानवाधिकार के परिदृश्य से संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	3,00,000/– रुपये
66	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान	कन्या भ्रूण हत्या तथा लैगिंक हिंसा : मानवाधिकार परिदृश्य के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
67	जनकल्याण संस्थान, नाथोसर, जैसलमेर, राजस्थान	जैसलमेर जिले में बाल विवाह तथा इसके प्रभाव के संबंध में एक संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
68	एस.के. सेवा समिति, चांदनी चौक, श्रीगंगानगर, राजस्थान	कन्या शिशु को बचाने के लिए संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
69	भारतीय लोक कल्याण संस्थान, भरतपुर, राजस्थान	गिरते लिंग अनुपात के संबंध में संगोष्ठी (कन्या भ्रूण हत्या के पीछे कारण)	1,00,000/– रुपये
70	इंस्टीट्यूट ऑफ इनपावरमेंटल एंड सोशल अफेयर्स, जयपुर, राजस्थान	राजस्थान में पांच स्थानों पर जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा पर संगोष्ठी–सह–कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
71	गुरुकुल ''जी'' संस्थान, 287, विनोवा बस्ती, चांदनी चौक, श्रीगंगानगर, राजस्थान	राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कन्या भ्रूण हत्या पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
72	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, बीकानेर, राजस्थान	बाल विवाह के निवारण के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
73	श्रीमती हेलीना कौशिक वूमेन्स पी.जी. कॉलेज, मार्फत डा. सुरेन्द्र कौशिक, विद्या निकेतन मालसीसर 331028, जिला झुंझूनू, राजस्थान	ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/– रुपये
74	कॉलेज ऑफ होम साइंस, उदयपुर, राजस्थान	सामाजिक परिवर्तन तथा महिलाएं : मुद्दे और चुनौतियों के संबंध में कार्यशाला	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
75	एस.के. सेवा समिति, गंगानगर, राजस्थान	कन्या शिशु को बचाने के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
76	गांधी समिति संस्थान, जिला राजसमद, राजस्थान	छोटे व्यापारों में महिलाओं के रोजगार के संबंध में राज्य स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
77	कनोरिया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	नारीवाद बनाम सक्रियतावाद के विश्लेषण पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी	3,00,000/– रुपये
	तमिलनाडु		
78	एजुकेशनल एंड रूरल डेवलेपमेंट सोसायटी, तमिलनाडु	महिलाओं के भूमि अधिकार विषय पर संगोष्ठी	2,00,000/– रुपये
78	धनवन्तरी मेन्टली रिटारडेड एंड ड्रग एडीक्शन वेलफेयर एसोसिएशन, तमिलनाडु	तमिलनाडु में जनजतीय महिला के दर्जे पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
	उत्तर प्रदेश		
80	श्री हंस शासनिक एवं सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	दहेज निवारण अधिनियम, 1961 पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
81	महिला विकास समिति देवरिया, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
82	परवेज जन कल्याण संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
83	बंढ़ाना फाउंडेशन एटा, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा और अत्याचार के संबंध में परियोजना प्रस्ताव	1,00,000/– रुपये
84	सर्व उत्थान संस्थान, अमेठी, उत्तर प्रदेश	बाल विवाह तथा इसके प्रभाव के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
85	किरन महिला विकास समिति बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	बाल विवाह तथा इसके प्रभाव के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
86	दलित समाज बाल एवं संस्थान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	महिला सशक्तीकरण हेतु पीआरआई में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका पर कार्यशाला	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
87	सवेरा सोशल वेयफेयर सोसायटी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	मियागंज ब्लॉक में बाल विवाह तथा इसके प्रभाव पर संगोष्ठी–सह–कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
88	भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	कानून के समक्ष समानता हेतु अपनी आवाज उठाने के संबंध में संगोष्ठी	2,00,000/– रुपये
89	इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर कोर्सेज़, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में बाल विवाह तथा इसके प्रभाव पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी–सह–कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
90	बलाजी सामाजिक उत्थान समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश	उत्तरी भारत में गिरते महिला अनुपात पर कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
91	सर्व सुखाय उज्ज्वल ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बस्ती, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा तथा अत्याचार पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
92	स्वराज्य राम सेवक समिति, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा तथा अत्याचार पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
93	श्री साई सेवा समिति, हरदोई, उत्तर प्रदेश	दहेज निवारण तथा घरेलू हिंसा अधिनियम की पीड़िता महिलाओं की स्थिति के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
94	अवध एजुकेशनल सोसायटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद में महिला अधिकार जागरूकता संगोष्ठियां	1,00,000/– रुपये
95	महिला उत्थानम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
96	लोक सेवा संस्थान (एलएसएस), भदोई, उत्तर प्रदेश	शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं पर घरेलू हिंसा के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
97	नारी उत्थान समिति, हरदोई, उत्तर प्रदेश	बाल विवाह विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
98	वंदना समाज कल्याण समिति, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में महिला अधिकारों पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
99	आनन्दी देवी जन कल्याण शिक्षण समाजोत्थान समिति, हाथरस, उत्तर प्रदेश	शीघ्र बाल विवाह करने तथा इसके प्रभाव पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
100	एसयूबीएचएएसएचआईटी जन सेवा संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	वाराणसी में महिला और राजनीतिक भागीदारी पर एक दिवसीय राज्य स्तर की संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
101	किरन सेवा समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	भारत में उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं पर हिंसा के संबंध में राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
102	वैष्णो नारी सेवा संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	मनरेगा के तहत कार्य कर रही महिलाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर राज्य स्तरीय सम्मेलन	1,00,000/– रुपये
103	सावित्री मानव विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु एक दिवसीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
104	निधि आदर्श शिक्षा सेवा समिति, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के उत्पीड़न तथा समान अधिकारों के संबंध में कानूनों के बारे में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
105	जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, 6/14–ए, सेक्टर 2, राजेन्द्र नगर, साहिबादबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा पर दो राज्य स्तरीय संगोष्ठियां	2,00,000/– रुपये
106	अमृता महिला कल्याण समिति, मकान नं. 79, नई बस्ती, बाबूगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	महिलाओं तथा बालिकाओं के मानव दुर्व्यापार विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
107	शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	गिरते लिंग अनुपात पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
108	सखी केन्द्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के भू–अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला	2,00,000/– रुपये
109	राजापुर ग्राम्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश	प्रभावी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षकों तथा महाविद्यालय के छात्रों को संवेदनशील बनाने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी	3,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
110	वर्ल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ''ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों तथा सामजिक कुरीतियों के बारे में जागरूक'' बनाने हेतु राज्य स्तरीय सम्मेलन	1,00,000/– रुपये
	पश्चिम बंगाल		
111	एएएसआरए, 20 मारक्विस स्ट्रीट, कोलकाता–700016 पश्चिम बंगाल	महिला तथा भ्रष्टाचार के संबंध में सम्मेलन	1,00,000/– रुपये
112	पीपल्स पार्टीसीपेशन, हुगली, पश्चिम बंगाल	महिलाओं तथा राजनीतिक भागीदारी के संबंध में संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
113	कामीना ब्राइट लाइट मिशन ऑन सोसायटीज़, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में ''कृषि में महिलाओं को प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण ''पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी–सह–कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
114	सोसायटी फॉर इनोवेटिव रूरल डेवलेपमेंट, माल्दा, पश्चिम बंगाल	दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, सम्पत्ति तथा पोशण आदि महिलाओं की समस्या के संबंध में दो दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
115	नातुम पात्थेर साथी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मानव दुर्व्यापार के संबंध में समावेशी शिक्षा का विकास करने के लिए संगोष्ठी–सह–कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
	कर्नाटक		
116	गायत्री रूरल डेवलेपमेंट सोसायटी, चमारजनगर, कर्नाटक	एकल महिला के अधिकार तथा विधवा, परित्यक्ता तथा अविवाहित के सशक्तीकरण के संबंध में क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठी	2,00,000/– रुपये
117	मेघा रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, चिकबालापुर, कर्नाटक	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर तीन दिवसीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
118	एन.बी. अर्बन एंड रूरल सर्विस डेवलपमेंट, चिकबालापुर, कर्नाटक	क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु महिला सशक्तीकरण पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
119	विश्वेशरैया रूरल एंड अर्बन डेवलेपमेंट, चिकबालपुर, कर्नाटक	एकल महिला के अधिकार तथा विधवा परित्यक्ता तथा अविवाहिताओं के सशक्तीकरण के संबंध में क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठी	2,00,000/– रुपये
	पंजाब		
120	जन कल्याण समिति, मनसा, पंजाब	कन्या भ्रूण हत्या पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
	छत्तीसगढ़		
121	महिला सखी सहेली समिति, दुर्ग, छत्तीसगढ़	कन्या भ्रूण हत्या पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
122	छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चरल स्टुडेंटस ऑर्गेनाइजेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के विधिक अधिकारों के संबंध में संगोष्ठी/जन सुनवाई	1,00,000/– रुपये
	उत्तराखण्ड		
123	यूजीसी एकेडमिक स्टेप कॉलेज, नैनीताल, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले में लैंगिक समानता : एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा नीतिगत मुद्दों पर सम्मेलन	3,00,000/– रुपये
124	यूजीसी एकेडमिक स्टेप कॉलेज, कुमाऊं, नैनीताल, उत्तराखण्ड	3 से 4 दिसम्बर, 2012 को उत्तराखण्ड में लैंगिक समानता : मुद्दों की पहचान तथा कार्यवाही हेतु खाका तैयाार करने के संबंध में कार्यशाला	1,00,000/– रुपये
125	स्वालम्बन वेयफेयर सोसायटी (रजि.) देहरादून, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड के देहरादून में महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय स्तरीय की संगोष्ठी	3,00,000/– रुपये

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठनों का नाम तथा पता	संगोष्ठियां तथा कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
126	स्वाबलम्बन वेयफेयर सोसायटी (रजि.) देहरादून, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड के देहरादून में महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन	2,00,000/– रुपये
127	सांस्कृतिक विकास एवं जन कल्याण समिति, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रु
	केरल		
128	केरला एजुकेशनल डेवलेपमेंट एंड इम्पावरमेंट सोसायटी, तिरूअनंतपुरम, केरल	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण पर संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/क्षेत्रीय सम्मेलन	1,00,000/– रुपये
	गुजरात		
129	जीवन प्रकाश ट्रस्ट जिला अनन्त, गुजरात	महिलाओं के कल्याण तथा विकास विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
	सिक्किम		
130	ईश्वरंभा समिति संघ, सिक्किम	महिलाओं तथा बालिकाओं के मानव दुर्व्यापार पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/– रुपये
	अरूणाचल प्रदेश		
131	रूरल डेवलेपमेंट सोसायटी, पपुम पारे, अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में महिलाओं तथा बालिकाओं के दुर्व्यापार के संबंध में कार्यशाला	1,00,000/– रुपये

अनुलग्नक–XI

वर्ष 2012–13 के दौरान एनसीडब्ल्यू द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	जागरूकता कार्यक्रम	संस्वीकृत राशि
	दिल्ली		
1	श्री भैरवी सोशल फाउंडेशन	हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा पर 5 जागरूकता कार्यक्रम	2,50,000/– रु.
2	माया केयर फाउंडेशन, नई दिल्ली	महिलाओं और बालिकाओं हेतु एचआईवी/एड्स पर 5 जागरूकता कार्यक्रम	2,50,000/– रु.
3	गंगा सोशल फाउंडेशन, दिल्ली	हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिले में कन्या भ्रूण हत्या पर 5 जागरूकता कार्यक्रम	2,50,000/– रु.
4	नई भोर डॉन ऑफ लाइॅफ वेलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली	गौतमबुद्ध नगर जिले में कन्या भ्रूण हत्या पर 5 जागरूकता कार्यक्रम	2,50,000/– रु.
	मणिपुर		
5	वांगजिंग वूमन एंड गर्ल्स सोसायटी (डब्ल्यूडब्ल्यूएजीएस) वांगजिंग बाजार, थोबाल, जिला मणिपुर	मणिपुर राज्य में चार जागरूकता पैदा करने वाले कैम्पों का आयोजन	2,40,000/– रु.
	मेघालय		
6	अमातसरा शिलांग, मेघालय	''चलो गांव की ओर'' पर पाँच जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/– रु.
	त्रिपुरा		
7	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग अगरतला, सदस्य (डब्ल्यूएस) हेतु प्रस्ताव, एनसीडब्ल्यू, दिल्ली	वर्ष 2012–13 के दौरान संबंधित राज्यों के विभागों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में मानव दुर्व्यापार, झगड़े, में फंसी महिलाओं, बाल विवाह, महिलाओं के विरूद्ध अपराध एचआईवी/एड्स आदि पर प्रस्तावित आठ संगोष्ठियां	5,00,000/– रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	जागरूकता कार्यक्रम	संस्वीकृत राशि
	राजस्थान		
8	ओम आदर्श समिति, दौसा, राजस्थान	करौली में ग्रामीण महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में पांच जन सुनवाई कैम्प	1,00,000/– रु.
	उत्तर प्रदेश		
9	श्री कृष्णा विकलांग जन कल्याण समिति, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश	बाल विवाह पर दो जन सुनवाई	40,000/– रु.
	पश्चिम बंगाल		
10	अनिरबन वेलफेयर सोसायटी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	बलिकाओं के शीघ्र बाल विवाह करने तथा इसके प्रभाव पर जन सुनवाई	20,000/– रु.

अनुलग्नक–XII

वित वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों की सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1	इंडियन स्कूल ऑफ वूमन्स स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, 2253ई, शादी खामपुर, न्यू रणजीत नगर, नई दिल्ली–110008	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498(क) पर अध्ययन	3,64,350/ रु.
2	ऑल मणिपुर सीनियर सिटीजन्स सोसायटी वेलफेयर एसोसिएशन, (एएमएससीडब्ल्यूए)	मणिपुर के परिवारों में वृद्ध महिलाओं की समस्याओं तथा मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन	3,27,600/ रु.
3.	सीएसआरए सुरूल सेंटर फॉर सर्विसेज इन रूरल एरिया, बीरभूम, पश्चिम बंगाल	ग्रामीण महिलाओं पर सीईडीएडब्ल्यू के संबंध में जागरूकता का स्तर तथा प्रभाव पर आधारभूत सर्वेक्षण के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	4,06,350/ रु.
4	कल्याणी रूरल डेवलेपमेंट फाउंडेशन, 5/92, पंचशील हाउसिंग बोर्ड, माकडवाली रोड़, अजमेर, राजस्थान–305001	पीआरआई में महिलाओं की भूमिका तथा भागीदारी की पहचान	2,43,600/ रु.
5.	साहस ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग सीवाईडब्ल्यूओ, शिमला, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों पर ध्यान केन्द्रित करना	3,53,850/ रु.
6	सोसायटी फॉर यूनिवर्सल वेलफेयर, जयपुर, राजस्थान	गैर सरकारी संगठन तथा ग्रामों में उनके कर्मचारियों की भूमिका पर अध्ययन	2,54,100/ रु.
7	वूमेन पावर कनेक्ट, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली	यौन उत्पीड़न का परिदृश्य में महाविद्यालय के छात्रों पर अनुसंधान अध्ययन : बंगलूरू शहर में महाविद्यालयों पर एक मामला अध्ययन।	1,59,600/ रु.
8	अभिव्यक्ति फाउंडेशन, नई दिल्ली	'अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देते हुए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में महिलाओं का समालोचक विश्लेषण अध्ययन	2,29,950/ रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
9	जन कल्याण परिषद, सुरगुजा, छत्तीसगढ़	अम्बिकापुर में दलित तथा जनजातीय महिला कार्यकलापों के विरूद्ध हिंसा पर अध्ययन	2,22,600/ रु.
10	कुंदन वेलफेयर सोसायटी, गुड़गांव, हरियाणा	राजस्थान में दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर अध्ययन	1,94,250/ रु.
11	साउथ विहार वेलफेयर सोसायटी फॉर ट्राईबल, रांची, झारखण्ड	मानव दुर्व्यापार (महिला तथा बच्चों) पर सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध हस्तक्षेप के अवसरों, वर्तमान प्रयासों तथा इसकी क्रियात्मकता को समझने किये जा रहे प्रयासों पर अध्ययन	3,52,800/ रु.
12	सामाजिक न्याय संस्था, दिल्ली	कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	2,77,725/ रु.
13	सामाजिक न्याय संस्था, लक्ष्मी नगर, दिल्ली	''कामकाजी महिलाओं के लिये सुरक्षित तथा भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन सुविधा'' के महत्व पर राज्य स्तरीय अध्ययन–एक अनुसंधान अध्ययन	2,55,150/ रु.
14	आर.वी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलुरू, कर्नाटक	कर्नाटक के आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में कार्यान्वित की गई महिला कल्याण योजनाओं की प्रभावकारिता का अध्ययन	2,55,150/ रु.
15	असम यूनिवर्सिटी, जिला कछाड, सिल्चर, असम	दक्षिण असम में चाय बागान मे कार्यरत महिला कामगारों की सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर अनुसंधान अध्ययन	2,18,400/ रु.
16	आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण समिति, चोपड़ा फार्म, गली नं. 5, दधवारा, कोटा, राजस्थान	राजस्थान के कोटा जिले में दहेज को प्रतिषिद्ध करने के प्रभाव तथा सामाजिक परिवर्तन	2,74,050/ रु.
17	धनवंतरी मेन्टली रिर्टाडेड एंड ड्रग एडीक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, (एमईआरडीएडब्ल्यूए), थेनी, तमिलनाडु	थेली जिले में ग्रामीण विकास योजना के लागू होने से पूर्व तथा उपरांत महिलाओं के जीवन स्तर में आये परिवर्तनों पर अध्ययन	2,86,650/ रु.

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
18	धारा, बोकारो, झारखण्ड	महिला सरपंचों तथा पंचों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं तथा मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन	2,49,900/ रु.
19	ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, रोहिणी, नई दिल्ली	दिल्ली में कम आय वाले महिला समूहों की सामुदायिक स्तर पर असुरक्षा का आंकलन करने हेतु अध्ययन	3,64,350/ रु.
20	चिखाली विकास प्रतिष्ठान, ए/पी. चिखाली, तहसील श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तक महिलाओं की पहुंच तथा दलित महिलाओं के स्वास्थ्य पर हाथ से मैला ढोने का प्रभाव	2,47,050/ रु.
21	साउथ विहार वेलफेयर सोसायटी फॉर ट्राईबल, रांची, झारखण्ड	मानव दुर्व्यापार (महिला तथा बच्चों) पर सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध हस्तक्षेप के अवसरों, वर्तमान प्रयासों तथा इसकी क्रियात्मकता को समझने किये जा रहे प्रयासों पर अध्ययन	3,52,800/ रु.
22	छायादीप समिति, सरगुजा, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गिरते लिंग अनुपात पर अनुसंधान अध्ययन	2,64,600/ रु.
23	बोमोंग्राम रेशम खादी प्रतिष्ठान माल्दा, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में महिलाओं का जादूगरनी के नाम पर समाज से बहिष्करण, इसके कारण पीड़ित महिला को मुआवजा तथा पुनर्वास उपरांत जीवन पर अध्ययन	2,37,300/ रु.

अनुलग्नक–XIII

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय/शीर्षक	संस्वीकृत राशि
	असम		
1	मानव सारथी, गुवाहाटी, असम	3 एलएपी	1,80,000/- रुपये
2	एड फॉर दि डिसएबल्ड सोसायटी, मोरीगांव, असम	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
3	वाल्यून्टियर्स गिल्ड गुवाहाटी, असम	3 एलएपी	1,20,000/- रुपये
4	यूनाइटेड प्रोग्रेसिव सोसायटी, करीमगंज, असम	3 एलएपी	1,20 000/- रुपये
	अरुणाचल प्रदेश		
5	राज्य महिला आयोग, अरुणाचल प्रदेश	11 एलएपी	6,60,000/- रुपये
6	हिमालयन ट्रायबल वेलफेयर सोसायटी, पपूम पारे, अरुणाचल प्रदेश	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
7	ओर्किड इंडिया सोसायटी, एटानगर, अरुणाचल प्रदेश	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
	आन्ध्र प्रदेश		
8	वूमेन एंड चिल्ड्रन सोसायटी, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
	बिहार		
9	अभिनव विकास मंच गया, बिहार	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
10	इंनीशियेटिव फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट (आईएसयू) किशनगंज, बिहार	1 एलएपी	50,000/- रुपये
11	यूएमआईडी (यूनाइटेड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलेपमेंट), जिला नवादा, बिहार	2 एलएपी	50,000/- रुपये
12	महिला विकास चेरीटेबल सोसायटी, अररिया, बिहार	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
13	सर्वोदय विकास समिति एक्ट, पटना, बिहार	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
14	मानस ग्रामीण उत्थान समिति, औरंगाबाद, बिहार	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
15	जागृति जन कल्याण समिति, भागलपुर, बिहार	3 एलएपी	1,50,000/- रुपये
	छत्तीसगढ़		
16	प्लेसमेंट सोशल वेलफेयर सोसायटी कोरबा, छत्तीसगढ़	1 एलएपी	50,000/- रुपये

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय / शीर्षक	संस्वीकृत राशि
17	प्रचार एवं विकास संगठन, सुरगुजा, छत्तीसगढ़	1 एलएपी	50,000/- रुपये
18	मां दिंदेश्वरी शिक्षा समिति, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	1 एलएपी	50,000/- रुपये
19	जन कल्याण परिषद, सुरगुजा, छत्तीसगढ़	1 एलएपी	50,000/- रुपये
	दिल्ली		
20	उमंग पार्टनर इन ह्यूमन डेवलेपमेंट, दिल्ली	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
21	सोशल डेवलेपमेंट वेलफेयर सोसायटी, द्वारका, दिल्ली	1 एलएपी	50,000/- रुपये
22	क्षितिज महिला विकास समिति, दिल्ली	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
23	सजग फाउंडेशन, त्रिलोकपुरी, दिल्ली	1 एलएपी	50, 000/- रुपये
24	सोशल डेवलेपमेंट वेलफेयर सोसायटी, द्वारका, दिल्ली	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
25	विकलांग सहारा समिति, मंगोलपुरी, दिल्ली	1 एलएपी	50,000/- रुपये
26	क्षितिज महिला विकास समिति, दिल्ली	3 एलएपी	1,50,000/- रुपये
	गुजरात		
27	श्री मंगल शांति महिला विकास चेरीटेबल ट्रस्ट, गोंडल, राजकोट, गुजरात	1 एलएपी	50,000/- रुपये
28	शिवम एजुकेशनल एंड चेरीटेबल ट्रस्ट, जूनागढ़, गुजरात	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
29	सार्वजनिक विकास परिषद, गांधीनगर, गुजरात	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
	हरियाणा		
30	ग्रामीण शिक्षा समिति, भिवानी, हरियाणा	1 एलएपी	50,000/- रुपये
31	भारतीय मानव अधिकार मोर्चा, जिला यमुनानगर, हरियाणा	2 एलएपी	1,50,000/- रुपये
32	ग्रामीण महिला विकास समिति झझर, हरियाणा	3 एलएपी	1,50,000/- रुपये
	कर्नाटक		
33	दि वूमेन्स वेलफेयर सोसायटी, बेलगांव, कर्नाटक	1 एलएपी	50,000/- रुपये
34	श्री बाणशंकरी महिला मंसल बिदर, कर्नाटक	1 एलएपी	50,000/- रुपये
	केरल		
35	केरल सोशल डेवेलोपमेंट सोसायटी इडुक्की, केरल	1 एलएपी	50,000/-रुपये
36	सनराइज आर्ट्स एंड स्पोट्स क्लब मालापुरम, केरल	1 एलएपी	50,000/-रुपये

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय/शीर्षक	संस्वीकृत राशि
	मणिपुर		
37	दि संगीत आर्ट्स एंड कल्चरल एकेडमी, इम्फाल, पश्चिमी मणिपुर	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
38	अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, थोबाल, मणिपुर	3 एलएपी	1,80,000/- रुपये
39	ट्रेडिशनल कल्चर एंड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर (टीसीबीआरसी), थोबाल, मणिपुर	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
	मेघालय		
40	माटीलंग सेल्फ–हेल्प ग्रुप, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
41	खायरिम मल्टी परपज़ सोसायटी, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
42	अमातसारा, शिलांग, मेघालय	4 एलएपी	2,40,000/- रुपये
43	रोटरी क्लब ऑफ शिलांग, शिलांग, मेघालय	17 एलएपी	10,20,000/- रुपये
44	अमातसारा, शिलांग, मेघालय	11 एलएपी	6,60,000/- रुपये
	मिजोरम		
45	राज्य महिला आयोग मिजोरम, आइजॉल, मिजोरम	10 एलएपी	6,00,000/- रुपये
	महाराष्ट्र		
46	स्त्री मुक्ति संगठन, मुंबई, महाराष्ट्र	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
47	सरस्वती शिक्षा महिला मंडल, चन्दनपुर, महाराष्ट्र	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
48	प्रगति महिला बहुद्देश्यीय विकस, मंडल, बुढ़ाना, महाराष्ट्र	1 एलएपी	50,000/- रुपये
49	श्री राजे शिव छत्रपति शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड़, महाराष्ट्र	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
50	महात्मा साईंराम प्रतिष्ठान, बीड़, महाराष्ट्र	1 एलएपी	50,000/- रुपये
51	सोसवा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूट पुणे, महाराष्ट्र	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
52	संजीवनी विकास फांउडेशन, सोलापुर, महाराष्ट्र	1 एलएपी	50,000/- रुपये
53	लिब्रल फ्रेंड्स एसोसिएशन अमरावती, महाराष्ट्र	1 एलएपी	50,000/- रुपये
54	लक्ष्मी सेवाभावी संस्था, परभणी, महाराष्ट्र	3 एलएपी	1,50,000/- रुपये
	मध्य प्रदेश		
55	मुस्लिम माशरा तारिकी सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश	1 एलएपी	50, 000/- रुपये

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय / शीर्षक	संस्वीकृत राशि
56	स्वर्गीय श्री रामनारायण पुरोहित मेमोरियल फाउंडेशन गौरव–4, चिनार फॉर्चून सिटी, हौशंगाबाद रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश	2, एलएपी	1,00,000/- रुपये
57	आशा फाउंडेशन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
58	महावीर शिक्षा समिति भोपाल, मध्य प्रदेश	4, एलएपी	2,00,000/- रुपये
	नागालैंड		
59	मासकोट डेवलेपमेंट सोसायटी दीमापुर, नागालैंड	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
	पंजाब		
60	महिला कल्याण समिति, रोकी रोड़, सार्दुलगढ़, जिला मंसा, पंजाब, पिन–151507	1 एलएपी	50,000/- रुपये
	पुदुचेरी		
61	सोशल एजुकेशन एंड इनवॉयरमेंट डेवलेपमेंट ट्रस्ट, पुदुचेरी	1 एलएपी	50,000/- रुपये
62	दहिया डेवलेपमेंट सोसायटी, केरेईकल, पुदुचेरी	1 एलएपी	50,000/- रुपये
	राजस्थान		
63	मानव कल्याण चेतना संस्थान, सुरंग गेट, बूंदी, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
64	मेसेज (मीडिया फॉर एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, एक्टिविजम, गर्वनेन्स एंड एम्पावरमेंट), सी–12, इन्द्रपुरी, लालकोठी, जयपुर, राजस्थान	महिला अधिकार अभियान	1,50,000/- रुपये
65	तवरी विकस एवं सेवा संस्थान, विलेज + पोस्ट–लाथी, जिला – जैसलमेर, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
66	श्री आसरा विकास संस्थान, चा–16, विनायक मार्ग, हिरन मागरी, सेक्टर–5, उदयपुर, राजस्थान	3 एलएपी	1,50,000/- रुपये
67	श्री आसरा विकास संस्थान, चा–16, विनायक मार्ग, हिरन मागरी, सेक्टर–5, उदयपुर, राजस्थान	महिला अधिकार अभियान	1,50,000/- रुपये
68	गांधी स्मृति संस्थान, राजासमद, राजस्थान	7 एलएपी	3,50,000/- रुपये
69	महिला ग्रामीण विकास एवं तकनीकी प्रतिष्ठान संस्थान, डुंगरपुर, राजस्थान	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय / शीर्षक	संस्वीकृत राशि
70	ग्रामीण शिक्षण विकास समिति,जोधपुर, राजस्थान	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
71	सहयोग सामाजिक संस्थान, जयपुर, राजस्थान	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
72	महिला एवं बाल उत्थान समिति, जयपुर, राजस्थान	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
73	उदय संस्थान, बूंदी, राजस्थान	10 एलएपी	5,00,000/- रुपये
74	रणथंबौर सेवा संस्थान, राजसमन्द, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
75	मरुधारा संस्थान, जयपुर, राजस्थान	10 एलएपी	5,00,000/- रुपये
76	सम्बल समिति, जयपुर, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
77	सुरेश शर्मा फाउंडेशन, जयपुर, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
78	राजपूताना पूर्व सैनिक एवं जन कल्याण समिति, करौली, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
79	फारच्यून सेवा संस्थान, राजसमंद, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
80	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, जयपुर, राजस्थान	2 एलएपी	1,00,000/- रुपये
81	मानव कल्याण चेतना संस्थान, बूंदी, राजस्थान	4 एलएपी	200000/- रुपये
82	श्री गोविंद मानव सेवा संस्थान, भरतपुर, राजस्थान	3 एलएपी	1,50, 000/- रुपये
83	जय श्री अरिहंत विद्या मंदिर समिति, कोटा, राजस्थान	6 एलएपी	3,00,000/- रुपये
84	सुजस सांस्कृतिक सेवा संस्थान, जयपुर, राजस्थान	3 एलएपी	3,00,000/- रुपये
85	रणथंबोर सेवा संस्थान राजसमंद, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
86	त्रि संस्थान सुन्दरी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
87	किसान भारती विकास संस्थान, भीलवाड़ा, राजस्थान	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
	सिक्किम		
88	प्रगति संघ, कालुक, सिक्किम	3 एलएपी	1,80,000/- रुपये
	तमिलनाडु		
89	एसोसिएशन फॉर वूमेन अवेयरनेस एंड रूरल, भवानी, तमिलनाडु	4 एलएपी	2,00,000/- रुपये
	त्रिपुरा		
90	खुम्पुई बुरुई बोडो, वेस्ट त्रिपुरा	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय / शीर्षक	संस्वीकृत राशि
91	संघदीप, धर्म नगर, त्रिपुरा	1 एलएपी	60,000/- रुपये
92	गेलाघाटी वेयफेयर सोसायटी, वेस्ट त्रिपुरा	2 एलएपी	1,20,000/- रुपये
	उत्तर प्रदेश		
93	इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर कोर्सेज़, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
94	वैष्णों नारी सेवा संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	4, एलएपी	2,00,000/ रुपये
95	मार्सी वेलफेयर सोसायटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	2, एलएपी	1,00,000/- रुपये
96	सावित्री मानव विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
97	ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, वैशाली, गाजियाबाद	1, एलएपी	50,000/- रुपये
98	संत सेवा संस्थान, 14, डी–9, बाबा नगर, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश	2, एलएपी	1,00,000/- रुपये
99	अखिल सांस्कृतिक संस्थान, बस्ती, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
100	अन्नपूर्णा जन विकास संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	2, एलएपी	1,00,000/- रुपये
101	खादीजा वेलफेयर फाउंडेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
102	शिवम ग्राम उत्थान सेवा संस्थान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
103	आनन्दी देवी जन कल्याण शिक्षा समाजोत्थान समिति, महामायागनर, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
104	जन जागरूकता उत्थान कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
105	रोशनी नेशनल सेवा ग्रामोद्योग संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	2, एलएपी	1,00,000/- रुपये
106	सागर सेवा संस्थान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
107	नव ज्योति सेवा संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	4, एलएपी	2,00,000/- रुपये
108	स्पन्दन, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
109	किरण सेवा समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2, एलएपी	1,00,000/- रुपये
110	इराम एजुकेशनल कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी, सीतापुर उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये
111	जनकल्याण फाउंडेशन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश	1, एलएपी	50,000/- रुपये

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय/शीर्षक	संस्वीकृत राशि
	उत्तराखंड		
112	नारी सेवा समिति, जिला–नैनीताल, उत्तराखंड	1, एलएपी	50,000/- रुपये
113	स्वावलम्बन वेयफेयर सोसायटी, देहरादून, उत्तराखंड	1, एलएपी	50,000/- रुपये
114	महिला एवं बाल उत्थान समिति, देहरादून, उत्तराखंड	1, एलएपी	50,000/- रुपये
115	हिमालयन ग्रामोद्योग विकास संस्थान पिथौरागढ़, उत्तराखंड	1, एलएपी	50,000/- रुपये
116	बुरांस सामाजिक सांस्कृतिक संस्था गढ़वाल, कोटद्वार, उत्तराखंड	1, एलएपी	1,00,000/- रुपये

अनुलग्नक–XIV

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) आयोजित करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन नाम और पता	पारिवारिक महिला लोक अदालत	संस्वीकृत राशि
	बिहार		
1	महिला कला केन्द्र, कल्याणपुर, नवादा, बिहार	2, पीएमएलए	60,000/- रुपये
	दिल्ली		
2	नई भोर डॉन ऑफ लाईफ, सुखदेव विहार, दिल्ली	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
3	रंजना रॉयल एजुकेशनल वेलफेयर एंड कल्चरल एसोसिएशन, दिल्ली	2, पीएमएलए	60,000/- रुपये
4	नई भोर डॉन ऑफ लाईफ, सुखदेव विहार, दिल्ली	2, पीएमएलए	60,000/- रुपये
	महाराष्ट्र		
5	यशवंत सेवाभावी बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, लातूर, महाराष्ट्र	3, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
6	यशवंत सेवाभावी बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, लातूर, महाराष्ट्र	3, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
	उत्तर प्रदेश		
7	श्री बोद्धेश्वर महादेव शिक्षण संस्थान, जिला–संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश	6, पीएमएलए	1,80,000/- रुपये
8	जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000 /- रुपये
9	सीमा सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
10	मॉ पूर्णा जन कल्याण सेवा संस्थान, हरदोई, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
11	विमर्श विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
12	तिरुपति साईं समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
13	रजत ग्रामोद्योग विकास संस्थान, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
14	मदर टेरेसा फाउंडेशन, देवरिया, उत्तर प्रदेश	6, पीएमएलए	1,80,000/- रुपये
15	प्रतिभा देवरिया, उत्तर प्रदेश	6, पीएमएलए	1,80,000/- रुपये
16	ग्रामीण विकास संस्थान, आजमगढ़	6, पीएमएलए	1,80,000/- रुपये
17	सर्वोदय जन कल्याण संस्थान, रामपुर, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये
18	आयशा वेलफेयर सोसायटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	4, पीएमएलए	1,20,000/- रुपये